खण्ड-465, अंक-2
शुक्रवार, 21 आषाढ़, शक संवत् 1929
(12 जुलाई, 2007 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2007)

खण्ड 465 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
नियम 311 की सूचना उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1-38
विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री गोपाल राम दास के निधन पर शोकोद्‌गार ...	38
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	38-39
सीतापुर के सिधौली क्षेत्रान्तर्गत नहरों की सफाई और टेल तक पानी देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	39
लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्रान्तर्गत भवानीखेड़ा के पास शारदा सहायक नहर पर हेड बनाकर सिटौली माइनर को जोड़ने एवं सिंचाई समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	40
राष्ट्रीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहसवान दातागंज बिसौली, जनपद बदायूं में प्रधानाचार्या की नियुक्ति न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायत कटरा बाजार में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत पूर्व में कराये गये कार्यों पर पुनः फर्जी भुगतान की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	40-41
जनपद गोण्डा के बूढ़ापार के राजा अशरफ बक्श खां की याद में ग्राम कस्बा खास का विकास एवं स्मारक बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41
जनपद गोरखपुर के ब्लाक जंगल कौड़िया के कोटेदारों द्वारा खाद्यान्न एवं मिट्‌टी के तेल के वितरण में किये जा रहे कथित घोटाले की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41-42
नगर पालिका, मैनपुरी को वित्तीय वर्ष 2006-2007 में शासन द्वारा अवमुक्त लाखों रुपये के दुरुपयोग की जांच कराकर दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	42
प्रतापगढ़ के पट्‌टी क्षेत्रान्तर्गत श्री राम अजोर चौरसिया राजकीय बालिका इण्टर कालेज, पट्‌टी एवं श्री चन्द्र भूषण शाह राजकीय बालिका इण्टर कालेज, आसपुर देवसरा में सभी विषयों के प्रवक्ताओं/शिक्षकों तथा नियमित प्राचार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42-43

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सहारनपुर में डमौला नदी पर बने पुराने क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	43
साहित्य भवन पब्लिकेशन द्वारा दसवीं कक्षा की पुस्तक सामाजिक विज्ञान भाग-1 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति अशोभनीय टिप्पणी तथा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	44-46
जिलाधिकारी बागपत द्वारा लम्बित शस्त्र लाइसेन्स पत्रावलियों में वांछित कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	46-48
पीलीभीत में निदेशक मण्डी परिषद् द्वारा केवल सत्ता पक्ष के विधायकों से उनके क्षेत्र के लिए कार्य के प्रस्ताव मांगे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	48-49
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-का0नि0-2-993/ग्यारह 9 (94)-07 उ0प्र0अधि0 15-48-आदेश (04) 2007, दिनांक 30 मई, 2007 (सदन के पटल पर रखी गई)	50
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ द्वारा जारी की गई 'सातवीं वार्षिक रिपोर्ट' वित्तीय वर्ष 2005-2006 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	50
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2002-2003 का संकलित आर्थिक चिट्ठा तथा महालेखाकार द्वारा सम्पादित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	50
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	50
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से अस्वीकृत होने की सूचना)	51
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से अस्वीकृत होने की सूचना)	51
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से अस्वीकृत होने की सूचना)	51
मंत्रि-परिषद् द्वारा प्रदेश में मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में सदन को सूचना	51
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	52-79
मंत्रि-परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में सूचना	79

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) (स्वीकृत) ...	79-110
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-8-उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) (स्वीकृत) ...	110-124
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत) ...	124-125
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) ...	125
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग), अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन), अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	125-131
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित)	131-136
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	136-141
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	141-143
जनपद मुजफ्फरनगर के थाना बाबरी अन्तर्गत ग्राम खानपुर में एक युवती की हत्या तथा थानाध्यक्ष एवं अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पंकज मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	143-144
प्रदेश के पेयजल स्त्रोतों में बढ़ते आर्सेनिक में शुद्ध पानी की दिनों दिन गहराती समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ...	144-146
हाथरस जनपद के श्रीमती हरप्यारी देवी इण्टर कालेज, रोहई में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के बाकजूद पुनः परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गेंदालाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	146-148

विषय	पृष्ठ-संख्या
सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, इलाहाबाद द्वारा कथित रूप से व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार करने एवं धांधली करने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर उनका अन्यत्र स्थानान्तरण करने तथा उनकी बेनामी सम्पत्ति की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	148
जनपद इलाहाबाद के बारा तहसील अन्तर्गत बीकर (सारीपुर) निवासी श्रीमती कल्याणी देवी को मृतक आश्रित लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	148-149
जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम-अलीगंज में चकबन्दी अधिकारी द्वारा कथित रूप से की जा रही जमीन के अभिलेखों की हेराफेरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 आर0ए0 उस्मानी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	149-150
जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत-कल्याणपुर स्थित पौराणिक झील की नवैय्यत बदलकर अपात्र लोगों की पट्टे की कब्जेदारी से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ...	151-152
जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी, विकास खण्ड पट्टी के अन्तर्गत दाऊदपुर झील/तालाब तथा कुण्डा धाम परिसर की भूमि पर अवैध कब्जेदारी कर तालाब के स्वरूप को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	152
जनपद मुजफ्फरनगर की गुड़ मण्डी के व्यापारियों से दुकान किराया वसूली में विलम्ब शुल्क लगाने तथा इस हेतु पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार कंसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री का केवल वक्तव्य ...	152-153
प्रदेश में गेहूं की कम खरीद तथा कम्पनियों द्वारा गेहूं भण्डारित कर मण्डी शुल्क और व्यापार कर की चोरी कर शासन को क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य	153-155

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 12 जुलाई, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य 352

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर देहात
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल, श्री	बिजनौर
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद

इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया

चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "पटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि प्रसाद, श्री	सोनभद्र
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
ददन, श्री	श्रावस्ती
ददू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीप नारायण सिंह, श्री	झांसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम, श्री	औरैया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फसीहा बशीर चौधरी (मजाला लारी), श्रीमती	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिमलेश सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मर्यकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ डीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र, श्री	बदायूं
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खां, श्री	बदायूं
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदासनगर(भदोही)
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	फतेहपुर
धुन्नी भइया, श्री	
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, श्री	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ	गोरखपुर
पहलवान सिंह, श्री	
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहांपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूं
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत

रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार, उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर, श्री	औरैया
शेर बहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य (दीपू भइया), श्री	बरेली
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव

सुनील कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव	सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सुभाष, श्री	बलिया	सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	हसरत उल्ला, श्री	एटा
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट–आबकारी, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) तथा भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम 311 की सूचना उठाने का प्रयास

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैंने नियम-311 में गंगा नदी के कछार पर बसे 14 जिलों में भूगर्भ जल जहरीला हो जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है, मैं चाहूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ज्योत्सना जी की भी इसी सन्दर्भ में सूचना आई थी, जिस पर वक्तव्य स्वीकृत किया गया था।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह नई सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बैठ जायं।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, मैंने भी एक जन स्वास्थ्य से जुड़ा प्रश्न दिया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जो विषय ओम प्रकाश जी ने उठाया है उसी के सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि मेरठ से बलिया तक जितना क्षेत्र है वह इससे प्रभावित हो रहा है। पूरे प्रदेश के जन जीवन को प्रभावित करने वाला है। मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ऐसी बीमारी के सन्दर्भ में है जो एक बार खून में घुसी तो निकाली नहीं जा सकती हैं इसके लिये रोक थाम किये जा सकते हैं। इसके बारे में बता दें क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष-

अभी बता देंगे तो क्या बचेगा आगे ? आप बैठ जायं, जब सूचना आएगी तो देख लेंगे।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, एक निवेदन है मैंने नियम-56 में कैंसर से जो मौत हो रही है उसके बारे में दिया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जायं।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के किसानों को आलू उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने की कार्य योजना की जानकारी

* 1-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में आलू उत्पादकों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु क्या सरकार कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री नारायन सिंह)-

जी हां।

प्रदेश में आलू फसल की खुदाई मुख्य रूप से माह फरवरी एवं मार्च में की जाती है। आलू खुदाई के समय आलू उत्पादन लागत से बाजार भाव कम होने की दशा में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की जाती है, जिसके अन्तर्गत उत्पादन लागत मूल्य के बराबर कीमत पर विभिन्न सरकारी संस्थाओं के माध्यम से आलू क्रय की कार्यवाही की जाती है तथा प्रदेश से अधिक से अधिक आलू बाहर भेजने के लिए परिवहन अनुदान दिये जाने का भी प्राविधान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, आज प्रदेश में सबसे दयनीय स्थिति किसान की है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तमाम किसान आलू और गन्ना पैदा करने का काम करता है। किसानों को वाजिब मूल्य दिलाने के लिये सरकार योजना बनाकर काम कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गत वर्ष इस योजना के तहत कितने किसानों का आलू खरीदने का काम सरकार ने किया ?

उसमें कितना अनुदान परिवहन के रूप में आलू को प्रदेश से बाहर भेजने का काम सरकार करती है ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कितना अनुदान किसानों को देने का काम किया ? सरकार ने किसानों का आलू खरीदने का काम किया या नहीं, उनको अनुदान देने का काम किया या नहीं ? कितने किसानों का आलू योजना के तहत खरीदने का काम हुआ क्योंकि आलू किसान की स्थिति बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष-

कितना अनुदान दिया गया इसकी सूचना इनके पास नहीं होगी। इसको चोखा न बनाएं इसको अलग से लिखकर दे दें।

(हंसी)

सोलंकी जी इसकी सूचना नहीं है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

आपका संरक्षण तो हमारी तरफ होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

सूचना नहीं है अभी उत्तर को पढ़ा है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

सरकार की एक योजना है जिसके तहत ...

एक सदस्य-

इस प्रश्न को आप स्थगित करा दें।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जानना चाहा है कि जब भाव कम होते हैं, उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की भण्डारण क्षमता लगभग 90 मीट्रिक टन से ऊपर है। अब के कोल्ड स्टोरेज में मान्यवर 72.74 लाख मीट्रिक टन का भण्डारण होता है। जब भाव कम होता है तो हमेशा भण्डारण में मारामारी होती है। भाव कम नहीं हुआ तो भण्डारण की कोई समस्या नहीं है। जब आलू की इस तरह की समस्या आती है तो निश्चित रूप से परिवहन के लिए अनुदान दिया जाता है परिवहन के लिए प्रदेश से बाहर भेजने के लिए। इस बार जब यहीं आलू का दाम सही मिल गया तो प्रदेश से बाहर भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसलिए अनुदान और किसी किसान ने अनुदान मांगा और मिला नहीं तब तो यह प्रश्न उठता है। किसी ने अनुदान मांगा ही नहीं उनको भाव यहीं सही मिल गया इसलिए भण्डारण कम हुआ और अनुदान की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगर इस तरह की कोई समस्या हो तो सरकार इसके लिए तैयार है।

डा0 अनिल चौधरी-

अध्यक्ष जी, शीतगृह से निकलने वाले आलू का भी लाभकारी मूल्य किसान को मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि शीतगृह से आलू निकलने के बाद वह मूल्य किसान को नहीं मिल रहा है। सन् 1998 तक शीतगृहों पर हार्टिकल्चर एक्ट 1976 सेक्शन 5 के रूल 29 के तहत शीतगृह भण्डारण की दर तय करने का अधिकार सरकार को है। लेकिन 1998 में उस पर से रोक हटा ली गई। जिसकी वजह से जो 42 रुपये प्रति कुन्तल का भाड़ा जो कोल्ड स्टोरेज वाले लेते थे उसको सौ और सवा सौ रुपये ले रहे हैं। आलू की पैदावार ने उसकी लागत के मूल्य का, यानि जब आप खेती करेंगे तो उसके लागत मूल्य का 50 फीसदी उसके बीज पर उपलब्ध होता है और बीज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। लाभकारी मूल्य किसान को तब मिलेगा जब उसको सही पैसे में सही बीज उपलब्ध हो जाए। सरकार अपने आप इस बजट में यह मान रही है कि दो हजार कुन्तल हर साल प्रदेश में किसानों को चाहिए। उसके अगेंस्ट 35 हजार कुन्तल का टारगेट सरकार का है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न करें।

डा0 अनिल चौधरी-

मेरा कहना है कि लाभकारी मूल्य शीतगृह से निकलकर हो, चाहे फसल से निकलकर हो उसको दिलाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मैंने मा0 सदस्य से अनुरोध किया जो 1998 की यह बात कर रहे हैं उस समय 1998 और 1994 के बीच में शीतगृह बन्द होने शुरू हो गये थे। क्योंकि उस समय किराए का निर्धारण सरकार करती थी। ओम प्रकाश जी यहां बैठे हैं।

उस समय यह फैसला कैबिनेट ने किया था कि यह प्राईवेट है इसलिए उस समय यह किया गया था कि जो भण्डारण के लिए किराया जो लोग कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं, वह अपने आप तय

करें। जहां तक आलू के कोल्ड स्टोरेज से निकलने की बात है, मान्यवर, सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना तब लागू करे, जब बाजार भाव कम हो। जब बाजार भाव सही मिल रहा हो तो हस्तक्षेप की कहीं गुंजाइश ही नहीं होगी।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

ओझा साहब, जवाब आ गया है।

डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सवाल के सन्दर्भ में मा0 मंत्री जी का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

अब नत्थी (ख) का प्रश्न-1, श्री श्यामदेव राय चौधरी।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, कोल्ड स्टोरेज की संख्या बहुत अच्छी है, 1998 की परिस्थितियां अलग थीं। अब तो मंत्री जी भी मान रहे हैं कि 90 लाख टन की कैपेसिटी के अगेन्स्ट केवल 72 लाख टन भण्डारित है।

श्री अध्यक्ष-

मैने अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पुकार लिया है।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, आपने मुझे पुकार लिया है, इजाजत हो तो प्रश्न पूछूं ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने पूरा जवाब दे दिया है।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी पूरा जवाब नहीं दिया है। यह परम्परा रही है, मान्यवर, संरक्षण आपको हमें देना चाहिए। मैं तो एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा था।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, यह प्रदेश के किसानों के भले के लिए बहुत अहम सवाल है, केवल यह कहलवा दीजिए, मा0 मंत्री जी ने कहा कि 90 लाख टन की कैपेसिटी है और 72 लाख टन केवल भण्डारित है। सन् 98 में यह स्थिति थी कि कोल्ड स्टोरेज बन्द हो रहे थे और अब जब कोल्ड स्टोरेज बहुत अच्छी मात्रा में है और भाड़ा ज्यादा ले रहे हैं तो सरकार अपना भाड़ा मूल्य निर्धारित कर दे, हार्टीकल्चर एक्ट के मुताबिक।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, यह तो मूल प्रश्न से बिल्कुल भिन्न है। इन्होंने जो प्रश्न किया है वह मूल प्रश्न से बिल्कुल भिन्न है। यदि आप कोई दूसरा प्रश्न लायें तो हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के सम्बन्ध में सरकार ने सही जवाब देने से इन्कार किया, सही मूल्य देने से इन्कार किया, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

ओझा जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, पहली बार सरकार ने पूर्व सरकार को धन्यवाद दिया क्योंकि इन्होंने स्वीकार किया कि पूर्व सरकार ने समर्थन और लाभकारी मूल्य किसानों को दिया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो कार्य अच्छे हुए हैं, उसकी सराहना करें। मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं, आपने स्वीकार किया कि पूर्व सरकार ने लाभकारी मूल्य किसानों को दिया, आप साधुवाद के पात्र हैं, मान्यवर, क्या आप की भी कोई योजना है कि आने वाले दिनों में किसानों को लाभकारी मूल्य देना सुनिश्चित करेंगे ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय ओझा जी को मैं 80-85 से हाउस में देख रहा हूं, मैंने तो एक भी शब्द आपकी सरकार के बारे में न धन्यवाद का कहा, न लाभकारी मूल्य का कहा, आप कार्यवाही देख सकते हैं। आपकी सरकार को भी यदि धन्यवाद दे तो उसकी बुद्धि का दिवाला ही निकल जायेगा। आपने लाभकारी मूल्य नहीं दिलाया।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया। अब कुछ नहीं।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की ट्रोनिका सिटी योजना में हुए घोटाले की जांच

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 की ट्रोनिका सिटी योजना के कार्यों में अधिकारियों के द्वारा किये गये घोटाले की क्या कोई उच्च स्तरीय जांच करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

जी, हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ट्रोनिका सिटी योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य सम्पन्न होने थे और उसमें किस प्रकार की कमियां पकड़ी गईं और उसमें सरकार को किस प्रकार की हानि पहुंची और इसके लिए कौन-कौन से जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, यह योजना 1991 में प्रारम्भ की गई थी उसमें आवासीय और औद्योगिक भूखण्ड काटे जाने थे। आवासीय भूखण्ड के अन्तर्गत 3640 भूखण्ड आवंटित हुए और औद्योगिक भूखण्ड के अन्तर्गत 1812 भूखण्ड आवंटित किए गए। मान्यवर, अभी जब हमारी सरकार बनी तो इसमें काफी गड़बड़ियां नजर आईं। प्रारम्भिक तौर पर जब जांच की गई तो उसमें 5 अधिकारी सस्पेंड किए गए। श्री अरुण कुमार मिश्रा, मुख्य अभियन्ता, श्री ए0के0 अस्थाना, मुख्य प्रबन्धक, श्री ए0के0 त्रिवेदी, वरिष्ठ प्रबन्धक, श्री एस0एन0 राम, प्रबन्धक, लेखा, श्री डी0एस0 तोमर, सहायक अभियन्ता। मान्यवर, इतने अधिकारियों को हमने प्रारम्भिक जांच में सस्पेंड किया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, चूंकि यह घपले से सम्बन्धित है और यह देखने में आ रहा है कि इसमें घपलों से सम्बन्धित प्रकरण उजागर हो रहे हैं और किसी न किसी प्रकार से इसकी हानि का असर जनता पर भी पड़ता है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रारम्भिक जांच में यह जो घपला उजागर हुआ है इसमें कितने रुपये की गड़बड़ी किस प्रकार की गई और इसकी जो प्रारम्भिक जांच की गई और उसमें कुछ लोग दोषी पाए गए और उन्हें सस्पेंड किया गया लेकिन अब जो विशेष जांच जिसका मैंने प्रश्न किया था तो वह विशेष जांच की जा रही है और की जा रही है तो यह कौन सी एजेन्सी कर रही है और यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी और साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि यह जो भूखण्ड आवंटन में प्लाट्स और दुकानें यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा ट्रोनिका सिटी योजना के अन्तर्गत होना था इसमें जो गड़बड़ियां की गई और जिन लोगों को यह आवंटन किया गया, चाहे दुकानें हों, चाहे भूखण्ड आवंटित किए गए उसमें जो हानि हुई उसे देखते हुए इन आवंटियों को क्या सरकार ने निरस्त किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, कई प्रश्न किए हैं। मान्यवर, सबसे पहले चौधरी साहब ने यह पूछा था कि उसमें क्षति कितनी हुई है तो मान्यवर, अनुमानित क्षति लगभग 99.94 करोड़ का अंदाजा लगाया गया है और यह जितने भी भूखण्ड आवंटित किए गए यह गुपचुप तरीके से किए गए थे और ऐसे पेपरों में विज्ञापन दिया था जिनकी बड़े पैमान पर बिक्री देश और प्रदेश में नहीं है। मान्यवर, जहां तक जांच की

बात है अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक स्पेशल टीम एस0आई0टी0 की गठित की है। इसके द्वारा यह जांच करायी जा रही है। जहां तक भूखण्ड के निरस्त करने की बात है एस0आई0टी0 की पूरी रिपोर्ट आ जायेगी तो कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के महानगरों में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण एवं क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों की तैनाती की जानकारी

*2-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने महानगरों में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाये गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सभी स्टेडियमों में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 55 स्टेडियम बनाये गये हैं।

जी नहीं। स्टेडियम में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी की तैनाती की व्यवस्था नहीं है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि प्रदेश में 55 जिलों में स्टेडियम बने हैं, तो जो बकाया जिले हैं, क्या उन जिलों में सरकार स्टेडियम बनायेगी ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि प्रदेश में जिन 55 जिलों में स्टेडियम बने हैं उन जिलों में क्या कोई स्टेडियम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का है ? क्या आगरा को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की कृपा करेंगे ? तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि आगरा स्टेडियम में पिछले ढाई साल से पूर्णकालिक आर0एस0ओ0 की नियुक्ति नहीं हुई है। आगरा जैसी जगह में, जो देश में अनेक खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, आधे से ज्यादा यहां के हैं, पिछले ढाई साल से पूर्णकालिक आर0एस0ओ0 की नियुक्ति नहीं हुई है तो वहां पर पूर्ण कालिक आर0एस0ओ0 नियुक्त करायेंगे ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

मान्यवर, खेल निदेशालय के अन्तर्गत क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के ग्रेड-1 के तीन पद हैं, ग्रेड-2 में 12 पद सृजित हैं, प्रदेश में कुल 17 मण्डल हैं। उपलब्धता में कानपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, आजमगढ़, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर मण्डलों में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी तैनात हैं। तीन क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी मुख्यालय पर तैनात हैं, जिनमें से एक निलम्बित चल रहे हैं, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी में ग्रेड-1 का एक पद तथा ग्रेड-2 के तीन पद, इस प्रकार कुल चार पद रिक्त हैं, जिनमें तीन पद सीधी भर्ती के तथा एक पद प्रोन्नति का है। इन पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। दो पद नवसृजित मण्डलों के सापेक्ष सृजित किये जाने हैं। अधिकारियों की उपलब्धता न होने के कारण क्षेत्र मण्डल कार्यालयों में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी की तैनाती किया जाना सम्भव हो सकेगा। मान्यवर, दो मण्डल हमारे यहां नवसृजित हैं, जिनमें नहीं है। जहां तक आगरा की बात है वहां पर उप क्रीड़ा अधिकारी तैनात है। काम भी ठीक चल रहा है कोई शिकायत नहीं मिल रही है, शिकायत मिलेगी तो कार्यवाही की जायेगी और तैनाती भी की जायेगी।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। जो 55 जिलों में स्टेडियम हैं उनमें क्या कोई अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, इसका जवाब नहीं आया। जहां तक आर0एस0ओ0 की बात है, विश्व की कोई भी टीम हिन्दुस्तान आती है तो ताजमहल देखने जरूर आती है। वहां पर पिछले ढाई साल से पूर्णकालिक आर0एस0ओ0 नहीं है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि उससे सीनियर लोग भी मण्डल में है लेकिन उसके बाद भी उसे चार्ज दे रखा है तो मेरा अनुरोध है कि आगरा, जो देश का पर्यटन केन्द्र हो, वहां पर पूर्णकालिक आर0एस0ओ0 की नियुक्ति करायी जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने स्थिति रख दी है जितने उपलब्ध हैं वह कह दिये हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी और प्रश्नकर्ता सदस्य अगल-बगल बैठे हुए हैं, यह आपस में बात कर लें। क्यों आपको यह तकलीफ दे रहे हैं ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने, माननीय मंत्री जी से जानकारी की कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कोई स्टेडियम है नहीं ? उसका जवाब नहीं आया। कानपुर का स्टेडियम मान्यवर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि बहुत सारी इस प्रकार की चर्चा है कि कानपुर का स्टेडियम यू0पी0सी0ए0 को देने के प्रयास किये जा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, कानपुर महानगर का ग्रीन पार्क स्टेडियम सरकार अपने ही संरक्षण में, अपने ही अधीन रखने की व्यवस्था ही रखेगी या उसको यू0पी0सी0ए0 को स्थानान्तरित करने की ऐसी कोई योजना है ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

मान्यवर, ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो क्रिकेट किट होती है और अन्य खेलों से सम्बन्धित जो सामान है, उसको मुहैया करायेंगे ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो जानकारी चाह रहे हैं वह सवाल से भिन्न है, अगर यह कोई सवाल पूछेंगे तो हम उसका जवाब दे देंगे।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, हमारा सवाल जो प्रश्न पूछा गया है उसी से सम्बन्धित है। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको खेल से सम्बन्धित सारा सामान उपलब्ध करायेंगे ? खेल-कूद के सारे साधन मुहैया करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

सारी चीजें आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बारे में हम देख लेंगे।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, हमारे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। हम पूछ रहे हैं जो बच्चे क्रिकेट, फुटबाल या अन्य कोई खेल खेलना चाहता है तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए वह खेल से सम्बन्धित सारा सामान मुहैया करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री, माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि आप ग्रामीण इलाकों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, वह अलग का विषय है, इस विषय पर यह सवाल पूछेंगे तो हम बता देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें, सारे प्रश्नों का जवाब आ गया है। माननीय करवरिया साहब, माननीय श्रीवास्तव जी, माननीय अनुग्रह नारायण जी, अब कुछ नहीं। आप लोग बैठ जायें।

(कई सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या माननीय खेलकूद मंत्री जी को यह ज्ञान है कि इलाहाबाद का जो स्टेडियम है, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटाने के लिए कहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1992 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक एफीडेविट दिया है कि वह इलाहाबाद में एक ओलम्पिक साइज स्टेडियम बनाने को तैयार है और वह स्टेडियम अभी बनना है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इनको ज्ञात है और अगर ज्ञात नहीं है तो इसको ज्ञात करके जो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इन्होंने हलफनामा दिया है।

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया, आप का प्रश्न आ गया। माननीय मंत्री जी अगर आपको इस बारे में जानकारी हो तो बता दें, अन्यथा कह दें कि हम जानकारी कर लेंगे।

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी इस समय हमारे पास इससे सम्बन्धित कोई सूचना नहीं है। हम जब इसकी जानकारी कर लेंगे तो इन्हें बता देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ नहीं, मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश के निषाद, प्रजापति तथा राजभर की उप जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव

*3-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश के निषाद, प्रजापति, राजभर की उप जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

उक्त जातियां परम्परागत अस्पृश्यता की रूढ़िवादिता से उत्पन्न सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक स्तर पर सर्वाधिक पिछड़ापन से आच्छादित नहीं है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी ने जो रिपोर्ट निदेशक, अनुसूचित जाति, जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने भारत सरकार को 2001-2002 में, 2004-2005 में भेजी है, उसको नहीं पढ़ा है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, उनको तथा अन्य सभी सदस्यों के संज्ञान में है कि प्रजापति, निषाद, राजभर आदि की ये जातियां आजादी के बाद से लगातार मांग करती चली आ रही हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति बहुत खराब है। भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि जो जातियां सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हैं उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जायेगा। उसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 की व्यवस्था है। उसके लिए बराबर यहां से रिपोर्ट भी गई है।

मान्यवर, और इनकी सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था खराब है। लेकिन मान्यवर, हमें दुख हो रहा है कि माननीय मंत्री जी ने हल्के से इसका जवाब दे दिया है। यह जितनी भी जातियां हैं, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जब अपने ही क्षेत्र में वोट मांगने जाते होंगे तो इन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की बात करते होंगे। पूर्ववर्ती बसपा सरकार ने भी इसकी पैरवी की थी। लेकिन आज कौन सा ऐसा मौका आ गया कि उन्होंने इसमें तब्दीली कर दी और कहा कि प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर, वर्ष 2001-2002 और 2004-2005 में निदेशक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एक रिपोर्ट भेजी गयी उसमें कितने परसेंट अस्पृश्यता, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक पिछड़ापन पाया गया है। उसका विवरण क्या है यह बता दें ? मान्यवर, यह जातियां मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार में और अन्य प्रान्तों में, बंगाल में अनुसूचित जाति की श्रेणी में मानी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में भी मझवार, गोड़, तुरैहा, बेलदार, खखार आदि जातियां अनुसूचित जाति की श्रेणी में हैं। यह जातियां किस-किस जनपद में पायी जाती हैं ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, माननीय सदस्य कहते हैं कि इसका हल्के में जवाब दे दिया। मान्यवर, भारी जवाब तो पिछले दिनों इस पर आ चुका है और काफी चर्चायें हो चुकी हैं। मान्यवर, 21-12-2004 को जो पत्र इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजा गया उसमें उन्होंने यह कह दिया है, भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 19-9-2005 द्वारा यह अवगत कराया गया कि महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा इन जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने योग्य नहीं पाया गया। इसलिये बार-बार वहां पर पत्र भेजने का औचित्य नहीं बनता है इसलिए मान्यवर यह निर्णय हो गया कि बार-बार कोई भी पत्र भारत सरकार में नहीं भेजा जाय क्योंकि उन्होंने इन जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने योग्य नहीं पाया है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि इनकी अस्पृश्यता, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक पिछड़ेपन का परसेन्टेज क्या है ? कितने परसेन्ट उस सर्वे में पाया गया है जो शोध संस्थान ने सर्वे किया है। उसको आप बता दें। मान्यवर, यह कितनी भ्रान्तियां हैं कि कुछ जिलों में यह जातियां विमुक्त जातियों के रूप में मानी जाती हैं। मान्यवर, राजभर, कहार, केवट, मल्लाह विमुक्त जाति में सम्मिलित हैं। कहीं अनुसूचित जाति में हैं और कहीं पिछड़ी जाति में हैं। तो क्या इन सबका पुनः सर्वे कराकर इन्हें अनुसूचित जाति में रखने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, इसमें बार-बार भारत सरकार को पत्र भेजा गया, 19-2-05, 61-10-05, भारत सरकार द्वारा 20-10-05 को फिर यह कहा गया कि यह जातियां अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने योग्य नहीं हैं। इसलिए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये हम कोई भी काम न करें। (मेजों की थपथपाहट) क्योंकि जो भी अनुसूचित जाति में शामिल करने योग्य जातियां हैं जो आपकी मांग है वह इस श्रेणी में नहीं आती हैं इसलिए यथावत् पिछड़े वर्ग में इन जातियों को बनाये रखा जाय।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, इसमें कुछ जातियां विमुक्त जाति में भी हैं। जो भ्रान्ति है भर, केवट, मल्लाह यह विमुक्त जाति में सम्मिलित हैं। यह व्यवस्था किन-किन जनपदों में हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय निषाद जी, माननीय मंत्री जी ने बार-बार उल्लेख किया कि भारत सरकार को इसकी संस्तुतियां भेजी जाती रही हैं अनुसूचित जाति के लिये, तत्कालीन मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी भेजी, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने भेजी, नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने भेजी लेकिन भारत सरकार ने बार-बार इस बात पर आपत्ति की। आप कहते हैं कि यह क्षेत्राधिकार भारत सरकार का है अब भारत सरकार उसको मान नहीं रही है। आपकी भावनायें हैं कि इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति खराब है इनको उसके अन्तर्गत जरूर लाया जाय तो इसमें प्रदेश में जो

सरकार रही हैं उनकी सहमति रही है। जहां तक इस बात का सवाल है आज भी बहुत सी ऐसी जातियां विमुक्त जाति में हैं जो अनुसूचित जाति में भी सम्मिलित हैं 2-4 ऐसी जातियां हैं जो अनुसूचित जाति में भी सम्मिलित हैं और विमुक्त जाति में भी चल रही है। हमारे आंध्रा में कुछ बैकवर्ड जातियां वहां अनुसूचित जाति में हैं और यहां उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड में हैं। इसको मंडल कमीशन ने समायोजित करके एकरूपता लाने का पूरा प्रयास किया था इस परिस्थिति में मंत्री जी ने आपको बता दिया। जब भारत सरकार तैयार नहीं है तो हर साल लिखकर क्यों मजाक किया जाय ? तुष्टीकरण की राजनीति किया जाय ? जो कुछ हो भारत सरकार से सिफारिशें गयीं, सभी सरकारों ने भेजा मैं नहीं कह रहा हूं इस समाज के प्रति हर सरकारों ने संस्तुतियां दी हैं कि इनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थितियां जो भी खराब हों उसके आधार पर इनको लिया जाय। लेकिन इसको ग्राह्यता पर जिसे निर्णय लेना है वह सरकार इन आधारों पर निरस्त कर दे रही है इसलिए यह स्पष्ट उत्तर आ गया। अब उसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो और कुछ पूछ लें, यह भिन्नताएं हैं। इन भिन्नताओं को भारत सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में किया है इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से या माननीय मंत्री से आप पूछेंगे कि क्या इसको करेंगे ? आज भी अनुसूचित जाति में जातियां हैं, विमुक्त जाति में भी हैं इसी प्रदेश में दोनों सूची में हैं। इसलिए इसका लगभग उत्तर आ गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, यह मामला कई बार यहां पर आ चुका है और यह मामला सक्षम न्यायालय के सामने विचाराधीन है तो जब तक न्यायालय का फैसला न हो जाय तब तक सरकार को कोई राय बनाने का कहां अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष-

निषाद जी, ओझा जी बता ही दिये कि जब तक न्यायालय में मसला है तब तक कुछ नहीं होना है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, मेरी पूरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष-

आपकी पूरी बात आ गयी है, सही बात है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, मामला न्यायालय के विचाराधीन है और सरकार इस निर्णय पर पहुंच चुकी है सरकार ने इसको वापस लेने के लिए भेजा है तो जब तक कोई निर्णय न हो जाय तब तक सरकार को कोई पत्र लिखने का कहां अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष-

वही बात मंत्री जी भी कह रहे हैं।

*4-श्री आर0 पी0 एन0 सिंह-

[5वें गुरुवार के लिये स्थगित]

प्रदेश में स्पेशल इकोनामिक जोन एवं हाईटेक योजनाओं के क्रियान्वयन सम्बन्धी जानकारी

*5-श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (अनुपस्थित)-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान में प्रदेश में कितने सेज (स्पेशल इकोनामिक जोन) एवं हाईटेक योजनायें कार्यरत हैं ? पिछली सरकार द्वारा कितनी हाईटेक एवं सेज योजनाओं को स्वीकृत किया गया था ? क्या वर्तमान सरकार ने उन योजनाओं को समाप्त किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो इसका मुख्य क्या कारण है ? क्या वर्तमान सरकार भी सेज या हाईटेक योजनाओं को लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उन योजनाओं पर क्रियान्वयन कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कुमारी मायावती)-

वर्तमान में प्रदेश में 02 सेज (स्पेशल इकोनामिक जोन) कार्यरत हैं जबकि केवल एक हाईटेक सिटी योजना आंशिक रूप से कार्यतर है।

सेज (स्पेशल इकोनामिक जोन) की स्वीकृति वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित 'बोर्ड आफ एप्रूवल' द्वारा दी जाती है राज्य सरकार द्वारा केवल भारत सरकार को संस्तुति भेजी जाती है। पिछली सरकार द्वारा 27 सेज (स्पेशल इकोनामिक जोन) के प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु भारत सरकार को संस्तुति प्रेषित की गयी थी। पिछली सरकार द्वारा केवल एक हाईटेक योजना को आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया था।

जी नहीं। वर्तमान सरकार द्वारा 10 सेज (स्पेशल इकोनामिक जोन) के प्रस्तावों को स्थगित (डेफर) करने हेतु भारत सरकार को लिखा गया है न कि समाप्त करने हेतु। वर्तमान सरकार द्वारा किसी भी हाईटेक योजना को समाप्त किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को नहीं लिखा गया है।

भारत सरकार के नियमानुसार न्यूनतम आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं होने एवं उ0 प्र0 विशेष आर्थिक परिक्षेत्र नीति-2006 का पुनर्परीक्षण किये जाने के कारण वर्तमान सरकार द्वारा 10 सेज (स्पेशल इकोनामिक जोन) के प्रस्तावों को स्थगित (डेफर) करने हेतु भारत सरकार को लिखा गया है।

सेज (स्पेशल इकोनामिक जोन) योजना भारत सरकार की योजना है जो कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लागू है। हाईटेक योजना सम्बन्धी प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है।

सेज (स्पेशल इकोनामिक जोन) के सन्दर्भ में प्रश्न नहीं उठता है जबकि हाईटेक योजना के सम्बन्ध में समय-सीमा निर्धारण करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

*6-श्री सतीश महाना-

[दिनांक 11-7-07 को ता0प्र0सं0-8 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में भूख से होने वाली मौतों को रोकने की कार्य योजना

*7-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भूख से होने वाली मौतों को रोकने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

जी हां।

प्रदेश में गरीबी, भुखमरी कुपोषण व कर्ज के कारण आत्महत्या व इसी प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लागू योजनाओं को प्रभावी ढंग से अनुश्रवण करने हेतु मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है। गरीबी से आत्महत्या व इसी प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि भुखमरी व कुपोषण के कगार पर आने वाले व्यक्तियों को समुचित सहायता विधिवत ससमय उपलब्ध करायी जाय। जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये कि राजस्व देयों की वसूली में उत्पीड़न की कोई ऐसी कार्यवाही न हो, जिससे किसान द्वारा आत्महत्या करने की स्थिति उत्पन्न हो।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने यह बात स्वीकार किया कि भूख से होने वाली मौतों को रोकने की योजना बना रही है अर्थात् भूख से मौतें हो रही हैं तो पहला प्रश्न यहीं से है कि इस प्रदेश में भूख से कितनी मौतं हुई हैं ? दूसरी चीज, बहुधा यह देखा जा रहा है कि जब ऐसे नागरिक मरते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी इन भूख से होने वाली मौतों को छिपाने के लिए कभी कहते हैं यह कुपोषण से मर गया, कभी कहते हैं कि बीमारी से मर गया, कभी कहते हैं दवा से मर गया, कभी कहते हैं कि हृदय रोग से मर गया, कभी कहते हैं कि शराब पीकर मर गया तो सरकार की भूख से होने वाली मौतों का मापदण्ड क्या है ? उसकी परिभाषा क्या है ? सरकार कब कहती है कि फलां नागरिक भूख के नाते मर गया ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, अभी तक कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैंने दो सवाल पूछे थे एक तो भूख से कितने लोग मरे दूसरा सवाल है कि यह सरकार कैसे परिभाषित करती है कि कोई नागरिक अगर मरा तो भूख से मरा या कैसे मरा ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, प्रश्न के पहले ही भाग में दिया गया है कि मंडलायुक्त और जिलाधिकारी इसका अनुश्रवण करें और वहां पर जाकर जिले स्तर के अधिकारी जांच करते हैं और जनता से भी पूछने का काम करते हैं कि यह व्यक्ति भूख से मरा है या अन्य कोई कारण से मरा है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं यही तो पूछ रहा हूं कि बहुधा जिलाधिकारी, चूंकि उनको उत्तरदायित्व दे दिया गया उनके फंसने की संभावना होती है, कार्यवाही हो जायेगी, इसका डर होता है, इसलिये वह कहते हैं कि यह कुपोषण से मर गया, यह बीमारी से मर गया, यह शराब पीने से मर गया, यह हृदय रोग से

मर गया, इसका गला घोंट के मार दिया गया। यह 5 इनके स्टेन्डर्ड बहाने हैं। गोरखपुर में पिछले महीने में जो 5 मौतें हुई मैं उनका नाम लूंगा क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई मौत नहीं हुयी। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारी को क्या निर्देश दिये गये हैं, भूख से होने वाली मौत के सम्बन्ध में क्या क्राइटेरिया हैं, क्या मापदण्ड हैं, जिनके आधार पर यह सुनिश्चित होना होगा कि यह नागरिक भूख से ही मरा, वह परिभाषा क्या है, उसके मापदण्ड क्या हैं ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, जिलाधिकारी मौके पर जाकर जनता से पूछने का काम करता है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही तो पूछ रहा हूं कि कोई कुपोषण, बीमारी, दवा दारू, हृदय रोग से नहीं मरा, बल्कि भूख से मरा, यह जिलाधिकारी कैसे परिभाषित करेगा। सरकार ने क्या निर्देश दिये हैं क्योंकि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि भूख से कोई नहीं मरा। मैने गोरखपुर के बारे में कल बताया था, मैं आज फिर बताने की स्थिति में हूं। गोरखपुर महानगर के अन्दर माधुरी प्रजापति की मौत भूख से हुयी, नेंबूलाल ठठेरा की मौत भूख से हुयी, विकानू की मौत भूख से हुयी, कम्पेयरगंज में भिखारी की मौत भूख से हुयी। मैं कहता हूं कि भूख से हुयी, आप कहते हैं नहीं हुयी, आखिर क्या क्राइटेरिया आपने तय किया है, जिससे पता चलेगा कि मरने वाला भूख से मर गया या अन्य किसी और कारण से मर गया, क्योंकि सारी योजनायें आधारित उस पर होगी। यही क्राइटेरिया मैं जानना चाहता हूं ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, अब तक का जो भी शासनादेश है, उसके हिसाब से जिलाधिकारी के अलावा मंडलायुक्त भी उसमें है और वहां पर जाकर अधिकारी मौके पर पूछने का काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिलाधिकारी जाकर अपनी मर्जी से रिपोर्ट लगा दें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूं और जवाब क्या आ रहा है।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, मैं बता दूं कि अभी मेरे ही क्षेत्र का एक मामला था, घोसी के बगल के गांव में एक आदमी शराब पीकर मर गया, वहां पर अखबार वालों ने छापा कि अमुक व्यक्ति भूख से मर गया, वहां पर मैं भी गया था और जिलाधिकारी और वहां के कर्मचारी भी गये थे, यह मामला साल दो साल पहले का है लेकिन वहां पर जाने के बाद यह पता चला कि वह व्यक्ति शराब पीकर मरा था, ऐसी घटनाओं का अगर संज्ञान लिया जायेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, माधुरी प्रजापति शराब पीने से नहीं मरी, नेंबुलाल ठठेरा शराब पीने से नहीं मरा, तो वह मरा कैसे ? अब यह सूचना में नहीं दूंगा। आप शासन में बैठे हैं, आप सत्ता में हैं।

श्री फागू चौहान-

अगर कोई ऐसी घटना है तो हम जांच करा लेते हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

आप माननीय मंत्री हैं यह मौतें हो रही हैं, आपने कहा कि मैंने जिलाधिकारी को उत्तरदायित्व दे दिया, मैं यही जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारी तय कैसे करेगा कि फलां व्यक्ति भूख से मरा, अगर शासन ने स्पष्ट निर्देश नहीं दिये। शासन में अगर यह तय है कि भूख से होने वाली मौतों को दबा देना है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो अब तक की गाइडलाइन है, निर्देश हैं राजस्व विभाग के या शासन का, उसके हिसाब से वह मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को सक्षम अधिकृत किये हैं कि वह जायें, वही आधार बताते हैं। जनता से पूछते हैं, उनका पहला आधार यही होता है कि वह जनता से पूछते हैं कि भई इनकी मृत्यु कैसे हुयी। इसके अलावा एक बात मंत्री जी ने यह भी कहा है कि जिस बात को आपने कहा है, उसकी मैं जांच भी करवा लूंगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जो भूख से मर रहे हैं, उनके पास न इन्दिरा आवास होता है, न जमीन होती है। उनके पास लाल कार्ड भी नहीं है, जिसे हम बी0पी0एल0 और अन्त्योदय कार्ड भी कहते हैं। वह भी नहीं है। अगर वह पहले अन्नपूर्णा पाते थे तो उसे पेंशन में बदला गया, अब उनको अनाज भी नहीं मिलता और पेंशन भी नहीं मिलती। जो मरे हैं चाहे वह माधुरी हो, चाहे नेंबूलाल ठठेरा हो, चाहे विकानू हो चाहे वह अमित और चिंटी हों, इनके पास न इन्दिरा कार्ड था, न लाल कार्ड था और न इनके परिवार को पेंशन मिलती थी तो आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा ?

श्री अध्यक्ष-

आप सही कह रहे हैं। इसी को माननीय मंत्री जी ने कहा, आप सुने होंगे कि आप दे दीजिये मैं दिखवा लूंगा तीनों लोगों का, जिनका आप संकेत दे रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जब प्रश्न गया होगा और इसका उत्तर आया होगा, गोरखपुर से प्रश्न उठ रहा है तो स्वाभाविक रूप से इन चीजों का मूल्यांकन किया गया होगा। माननीय मंत्री जी अगर इतने समय के बीच में तारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का क्या होगा ? यह जवाब तो इनको देना होगा कि आखिर ये मौतें हुई तो कौन है जिम्मेदार इनके लिए। सारे विकास की योजनाएं जो हम बनाते हैं माननीय अध्यक्ष जी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि विकास कितना हुआ बल्कि इस बात पर निर्भर करती हैं कि हमने आम नागरिक का जीवन बेहतर कितना किया क्योंकि उद्देश्य हमारा यही है कि हम आम नागरिक का जीवन बेहतर करें, उद्देश्य यही है कि हम सुविधाएं वहां पर पहुंचायें। वह जो स्वयं आय नहीं कमा सकते किन्हीं कारणों से उन्हें आर्थिक सुविधाएं दें, उनको भोजन दें।

श्री अध्यक्ष-

हम एक चीज स्पष्ट कर दें। माननीय मंत्री जी ने एक आधार बताया कि हमारे पास एक आधार है कि डी0 एम0 या कमिश्नर के द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर जनता से पूछ लेता है। इसका उत्तर इन्होंने प्रश्न के अंश-2 में दे दिया। दूसरा जहां तक आपने जिन तीन घटनाओं का जिक्र अपने विधान सभा का किया इनके संज्ञान में नहीं था, आपने संज्ञान में ला दिया है उसको मानवीय आधार पर माननीय मंत्री जी ने तैयार कर लिया है कि इसकी जांच करवा लूंगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश की जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, महत्वपूर्ण है, माननीय मंत्री जी इसे दिखवा लेंगे।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के लिखित जवाब में है और उसमें यह स्वीकार किया गया है कि भूख से मौतें निश्चित तौर पर हो रही हैं इसलिए इसकी योजना बनायी गयी है। और प्रश्न यह है कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जब किसी गरीब की मौत होती है तो सबसे पहले अखबारों में यह निकल करके आता है कि फलां व्यक्ति की मौत भूख से हुई। और उसके बाद उस पर राजनीति शुरू हो जाती है लेकिन यह परीक्षण नहीं किया जाता और जैसा कि माननीय डा0 अग्रवाल साहब ने कहा कि ऐसा कोई मानक निर्धारित नहीं है कि फलां व्यक्ति की मौत भूख से हुई या नहीं हुई। आपने केवल यह व्यवस्था दी है कि आपने मंडलायुक्त को और जिलाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है और इनको आदेशित किया है अनुश्रवण करने के लिए लेकिन क्या इस तरह की और मौतें हो रही हैं तो क्या वह मौतें वास्तव में भूख की वजह से हुई या कुपोषण की वजह से हुई, बीमारी की वजह से हुई, किसी दवा के रिएक्शन की वजह से हुई, इसकी जांच करने के लिए क्या वहां कोई टीम ऐसी गठित करेंगे जिसमें कि चिकित्सक विशेषज्ञ भी हों, जिससे इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि उस व्यक्ति की मौत किस वजह से हुई। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने यह सर्वेक्षण कराया कि यह जो मौतें हो रही है यह मौतें ज्यादातर किस जाति और किस वर्ग के लोगों की हो रही हैं। क्योंकि मेरी निश्चित जानकारी है कि जो मौतें हो रही हैं, वह ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं जो रोज मजदूरी करते हैं, रोज मजदूरी करके खाते हैं, खराब आदत भी पड़ी हुई है, शराब पीने की लत पड़ी हुई है, बीमारी है टी0बी0 है, इलाज नहीं कराते हैं। हो सकता है कि उनकी मौत भूख की वजह से हुई हो लेकिन मौत यदि किसी और वजह से भी हो जाती है तो उस मौत को भूख से मौत का नाम भी दे दिया जाया करता है, इसलिए यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और अन्तिम प्रश्न जिस पर पहले भी सदन में चर्चा हुई है और वह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विषय, बी0पी0एल0 के अन्तर्गत जितने लोग आते हैं, उतने लोगों को कार्ड नहीं मिला है। ज्यादातर यह देखा गया है कि वह अत्यन्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग हैं और उन लोगों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती है। इसलिए वहां उस गांव के कोटेदार और प्रधान को भी इन मौतों के लिए

जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस पर भी माननीय मंत्री जी आपका निर्देश होना चाहिए, मैं इतनी ही बात आपके माध्यम से जानना चाहूंगा ?

संसदीय कार्य चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

तो मान्यवर, स्पष्ट जवाब आ जाने के बाद हम क्या शो करना चाहते हैं ? सरकार की तरफ से उत्तर आया है कि एक भी मौत भूख से नहीं हुई है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह कहते हैं कि हम शो क्या करना चाहते हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या शो करना चाहती है ? मैं नाम ले करके बता रहा हूं कि फलां-फलां लोगों की मौतें हुईं, जबकि मंत्री जी बता रहे हैं कि कोई मौत नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। हम लोगों ने जा करके वहां पर देखा है कि अनाज का एक दाना नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, उनको और उनके बच्चों को टी0बी0 है, बगल में अस्पताल है लेकिन कोई इलाज करने वाला नहीं है।

(प्रतिपक्ष के अनेक सदस्य प्रश्न पूछने के लिये अपने-अपने आसन पर खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करिये। मैंने श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल को बुला लिया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा प्रश्न अनुत्तरित रह गया है।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब, आप मूल प्रश्नकर्ता हैं बाद में स्पष्ट कर लीजिएगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित प्रश्न है आपने गाइड लाइन तय किये हैं कि जिलाधिकारी और कमिश्नर तय करेगा कि मरने वाला भूख से मरा है या कुपोषण से मरा है। यह भी गाइड लाइन तय किया हुआ है कि कोई व्यक्ति भूख से मरता है तो जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई अपनी रिपोर्ट दे करके अपने गले में फांसी का फन्दा लगायेगा ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय अग्रवाल जी ने एक प्रश्न किया, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि भूख से कोई मौत नहीं हुई है। इसके साथ-साथ माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह बताया कि प्रदेश में गरीबी, भुखमरी, कुपोषण व कर्ज के कारण आत्महत्या व इसी प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लागू योजनाओं को प्रभावी ढंग से अनुश्रवण करने हेतु मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है। गरीबी से आत्महत्या व इसी प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि भुखमरी व कुपोषण के कगार पर आने वाले व्यक्तियों को

समुचित सहायता विधिवत ससमय उपलब्ध करायी जाय। जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि राजस्व देयों की वसूली में उत्पीड़न की कोई ऐसी कार्यवाही न हो, जिससे किसान द्वारा आत्महत्या करने की स्थिति उत्पन्न हो।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि डा0 अग्रवाल साहब कह रहे हैं अमुक व्यक्ति भूख से मर गया। परिवार में 6 लोग रहते हैं, एक आदमी भूख से मर जायेगा और 5 लोग जिन्दा रहेंगे। हमारी जो परम्परा है, परिवार में आपस में बांटकर खाते हैं। अगर परिवार में 4-6 लोग हैं चाहे थोड़ा हिस्सा भी पड़ेगा निश्चित रूप से बांटकर खा लेते हैं। जो संयुक्त परिवार के संस्कार हैं उसके अनुसार ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति को खाने को न मिले और पांच लोगों को मिलता रहे। निश्चित रूप से यह कहना बिल्कुल गलत है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

अध्यक्ष महोदय, संयुक्त परिवार में मां पहले बच्चों को खिलाती है पति को खिलाती है उसके बाद अगर बचता है तो खाती है नहीं तो भूखों सो जाती है। यह ज्वाइन्ट फैमिली का कान्सेप्ट है। दिस इज द कान्सेप्ट आफ ज्वाइन्ट फैमिली।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

सरकार ने कहा गरीबी, भुखमरी, कुपोषण और कर्ज के कारण तो जो गरीब होगी वहीं भूखा होगा वही कुपोषित होगा और वही कर्ज लेगा यह चारों एक ही परिवार के लक्षण है। इनको चार में बांटने की जरूरत नहीं है। परिवार में महिला सबसे अन्त में खाती है और अगर बचता है तभी खाती है। मैंने जिस माधुरी प्रजापति के बारे में बताया वह महिला हफ्तों भूखी रही। मंत्री जी गांव की पृष्ठभूमि के हैं उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। भुखमरी, गरीबी, कुपोषण और कर्ज चारों एक ही परिवार के लक्षण हैं तब जिलाधिकारी कैसे बताएगा कि मौत किस तरह से हुई। सरकार इतने गम्भीर विषय को दलीय आधार पर विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब आपकी इसी विषय पर सूचना है। सूचना पर जब आप बोलें उस समय अपनी बात कह लें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

सरकार भूख को परिभाषित कैसे करती है ?

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़ा होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। खन्ना साहब बैठ जाएं।

(अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर से असन्तुष्ट होकर डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल सदन त्याग कर चले गये। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य भी सदन त्यागकर चले गए।)

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, सदन की एक कमेटी बनाई जाय जो जाकर जांच करे और वह रिपोर्ट आपको प्रस्तुत की जाय कि क्या स्थिति है और क्या सही है ?

श्री अध्यक्ष-

आवाज का दुरुपयोग न करें। माननीय सदस्य बैठ जायं। खन्ना साहब इसी पर चर्चा है, अभी बोलियेगा आपको मौका मिलेगा। माननीय अग्रवाल जी का और अन्य सदस्यों का भूख और भूख से मरने वालों पर चर्चा लगी है उस पर आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। माननीय सदस्य उस समय अपनी बात कह लें। मैं अगला प्रश्न ले चुका हूं। पूरन प्रकाश जी, आप सवाल करिये।

जनपद मथुरा के कतिपय इन्जीनियरिंग कालेजों में फीस के अलावा पर अवैध वसूली पर रोक की मांग

*8-श्री पूरन प्रकाश-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मथुरा में राजीव एकेडमी मथुरा, जी0 एल0 ए0 इन्जीनियरिंग कालेज, हिन्दुस्तान इन्जीनियरिंग कालेज में विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश में प्रार्थियों से फीस के अलावा डोनेशन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर अवैध वसूली पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सदल प्रसाद)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्राविधिक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में कितनी-कितनी फीस है ? जो काशनमनी जमा होता है स्कूल छोड़ने के बाद उसको वापस करेंगे ?

(सभी सदस्यों के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जायं। आप लोग बैठ जायं। माननीय राजस्व मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। आप लोग बैठ जायं।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, जितने शासनादेश हुए हैं पहले के भी हैं और नई सरकार ने भी जो शासनादेश किये हैं उसमें जिलाधिकारी और कमिश्नर ही उपलब्ध होते हैं जिनसे जांच कराने की व्यवस्था उपलब्ध है। अगर कहीं किसी को संशय है तो उसकी शासन द्वारा जांच कराने की व्यवस्था है। आप कहीं कोई

केस है तो उसके बारे में लिखकर दे दीजिए, जांच करा ली जायेगी। ताकि यह कहने को न रहे कि जिलाधिकारी और कमिश्नर को बचा रहे हैं। गौरी शंकर जी काहे [x x x] मचा रहे हैं।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, यह [x x x] शब्द जो कहा गया है, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नाम लिया है।

(कई सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे)

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, यह जो कहा गया कि गौरी शंकर जी [x x x] मचा रहे हैं, यह असंसदीय है, इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

वकार साहब व्यवस्था उठाये थे इस विषय में, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। माननीय सदस्य आप लोग बैठ जायं। इस बारे में आगे एक प्रश्न है उस पर चर्चा कर लीजिएगा। अभी इसी प्रश्न के सन्दर्भ में उन लोगों ने वॉक आउट किया था। बैठ जायं मैंने प्रश्न संख्या-8 ले लिया है। मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं। अगला प्रश्न ले लिया गया है तो फिर पिछले प्रश्न के सन्दर्भ में कोई प्रश्न नहीं हो सकता है, यह नियम है, परम्परा है। आपको कोई दूसरे नियम मैं लाना है तो लाइये। यह परम्परा नहीं है कि अगला प्रश्न ले लिया है तो फिर पिछले प्रश्न पर मंत्री जी को बुलाया जाय। अनुपूरक करने दिया जाय यह परम्परा नहीं है। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है। बैठ जायं। यह परम्परा है कि अगला प्रश्न ले लिया गया तो फिर दूसरे प्रश्न के संदर्भ में प्रश्न नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न ले लिया है आप इसको दूसरे नियम में लाइए। कुछ बोलने से फायदा नहीं है। उसी प्रश्न से सम्बन्धित प्रकरण पर लोगों ने बहिर्गमन किया अब अगला प्रश्न ले लिया गया तो फिर वापस उस पर जायेंगे ? वकार साहब ने एक व्यवस्था उठाई इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए वह निकाल दिया गया। अगला प्रश्न ले लिया गया तो पूर्व प्रश्न पर अनुपूरक नहीं कराया जा सकता है। अगला प्रश्न ले चुके हैं।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्राविधिक शिक्षा की विभिन्न मदों में कितनी-कितनी फीस है। दूसरी बात बिल्डिंग फण्ड, क्रीड़ा फण्ड, वेलफेयर फण्ड, कल्चर फण्ड के नाम से जो अवैध वसूली की जा रही है उसको रोकेंगे। तीसरी बात कॉशन मनी, शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो बच्चे शिक्षण संस्थाओं से बाहर हो गए हैं क्या उनकी कॉशन मनी को वापस करायेंगे ?

श्री सदल प्रसाद-

मा0 सदस्य ने जो उनकी जिज्ञासा थी जो तीन संस्थान की तरफ उन्होंनें इशारा किया था कि तीन संस्थान जनपद मथुरा में राजीव एकेडमी मथुरा, जी0एल0ए0 इंजीनियरिंग कालेज, हिन्दुस्तान

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश में डोनेशन लिया जाता है। इसके बारे में शासन स्तर से कुल सचिव प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को निर्देशित किया गया है कि प्रश्नगत उल्लिखित संस्थाओं में शुल्क के अतिरिक्त डोनेशन के नाम पर अवैध वसूली किए जाने की शिकायतों के सम्बन्ध में प्रकरण की जांच कराकर, तीन दिन के भीतर जांच आख्या एवं उसके निष्कर्षों के आधार पर प्रश्न का उत्तर और अनुपूरक सामग्री सहित शासन को उपलब्ध कराया जाए। इसी क्रम में कुल सचिव के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर तीन सदस्यों की जांच समिति गठित कर दी गई है। जांच आख्या तीन दिन के भीतर सौंपने का निर्देश दिया गया है। विश्वविद्यालय से आख्या उपलब्ध होने के उपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही की जाएगी।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जो कहा वह मैंने पूछा ही नहीं मैंने छोटी सी बात पूछी है कि प्राविधिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विभिन्न मदों में कितनी-कितनी फीस है एक तो मैंने यह पूछा है। दूसरा मैंने पूछा बिल्डिंग फण्ड, क्रीड़ा फण्ड, वेलफेयर फण्ड, कल्चर फण्ड के नाम से अवैध वसूली की जा रही है उसको रुकवायेंगे ? तीसरा प्रश्न था कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं उनकी कॉशन मनी जमा रहती है तो क्या उसको वापस करवायेंगे ? मैंने तीन बातें पूछी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। मैं फिर दोहरा देता हूं कि जो बच्चे विभिन्न पाठ्यक्रम में कितनी-कितनी फीस है विभिन्न मदों में है ? दूसरा मैंने पूछा बिल्डिंग फण्ड, क्रीड़ा फण्ड, वेलफेयर फण्ड, कल्चर फण्ड के नाम से अवैध वसूली की जा रही है उसको रुकवायेंगे ? तीसरा प्रश्न था कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं उनकी कॉशन मनी जमा रहती है तो क्या उसको वापस करवायेंगे ?

श्री सदल प्रसाद-

मा0 सदस्य ने अभी जो अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से जिस सवाल का जवाब जानना चाहा इन मदों में फीस क्या है, तो इसकी जानकारी करके माननीय सदस्य को जानकारी दे दी जाएगी। तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं है।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, इसे स्थगित कर दें, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, जो बच्चे उनमें पढ़ते हैं, उनका शोषण हो रहा है। मा0 यह इतना गम्भीर प्रश्न है, बहुत गम्भीर समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

पूरन प्रकाश जी, आपने पूछा कि कितनी-कितनी फीस है ? मंत्री जी ने कहा कि उनके पास अभी सूचना उपलब्ध नहीं है, बता देंगे। डोनेशन की बात कही, उससे उन्होंने इन्कार कर दिया। आप जबरन तो नहीं कहलवा लेंगे कि कबूल करिए।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं फीस के बारे में पूछना चाहता हूं कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में कितनी-कितनी फीस है ? यह मैं जानना चाहता हूं।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, विभिन्न कालेजों में अलग-अलग फीस निर्धारण के लिए एक समिति माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सरीन जी की अध्यक्षता में, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी है और वह अलग-अलग विद्यालयों के वहां की स्थिति को देखते हुए फीस निर्धारित करती है पूरे प्रदेश में हर विद्यालय की एक फीस नहीं है क्योंकि फीस कमेटी द्वारा निर्धारित की जाती है इसलिए अलग-अलग फीस है। चूंकि प्रदेश में बहुत अधिक कालेज हैं और मंत्री जी ने कहा है कि किस कालेज की कितनी फीस निर्धारित की गई है, इस समय उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, मा0 सदस्य चाहेंगे तो वह दे देंगे या आपके कक्ष में चले जायेंगे, मंत्री जी मंगाकर जिस कालेज के सम्बन्ध में आप चाहेंगे, उसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैंने तीन विद्यालयों के नाम लिए हैं।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, आप पूछिये।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैंने तीन विद्यालयों का नाम लिया है। मैंने उनके बारे में पूछा है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि पूरा प्रदेश बहुत बड़ा है, बहुत से कालेज हैं लेकिन मैंने केवल तीन के बारे में पूछा है यदि इतनी भी जानकारी नहीं मिल पायेगी तो प्रश्न पूछने का मतलब ही क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

लिखकर दे देंगे।

(व्यवधान)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अधिकांशतः इंजीनियरिंग कालेजेज में और मेडिकल कालेजेज में यू0पी0टी0यू0 के माध्यम से इसमें भर्ती होने का प्राविधान है, मान्यवर, जो यह प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजेज हैं, वह यह प्रयास करते हैं उनका यू0पी0टी0यू0 से अलग मैनेजमेन्ट कोटा हो जाए और उनका 15 प्रतिशत कोटा सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। जो मैनेजमेन्ट कोटा 15 प्रतिशत है।

(श्री पूरन प्रकाश के लगातार बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह परम्परा नहीं है, एक मा0 सदस्य को हमने बुला लिया, वह मा0 सदस्य अनुपूरक कर रहे हैं और आप बीच-बीच में इतना व्याकुल हो गए हैं कि उनको प्रश्न ही प्रस्तुत नहीं करने दे रहे हैं।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने इनके सवाल के जवाब में जो उत्तर दिया है उसमें इनके सवाल का उत्तर ही नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि इसकी फीस निर्धारण के लिए माननीय उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायधीश के द्वारा समिति बनी है। तीन स्पेस्फिक विद्यालयों के बारे में जो जानकारी चाही है तो उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप लिखकर दे दीजिएगा तो मैं उसकी जानकारी दे दूंगा। अगर इतने में भी आश्वस्त न हों तो क्या कहें। अब उसमें इतनी जिद करने की क्या जरूरत है ? भरोसा रखिए, माननीय मंत्री जी जानकारी दे देंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह जो 15 प्रतिशत या जो भी हो, कालेज के मैनेजमेन्ट का कोटा होता है तो इसमें वह समझते हैं कि यह उनका अधिकार है और कम्प्यूटर इलेक्ट्रिकल पर वह ज्यादा डोनेशन ले लेते हैं। इसमें उनको ऐसा करने से रोकने के लिए कि जो मैनेजमेन्ट का कोटा है उसमें भी निर्धारित फीस लें। अगर वह ज्यादा फीस लेते हैं और अगर यह आपके संज्ञान में आता है तो क्या आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री सदल प्रसाद-

मान्यवर, किसी भी संस्थान में अगर निर्धारित फीस से ज्यादा धनराशि वसूल की जाती है तो अगर इस तरह की जानकारी प्रकाश में आती है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है और हर संस्थान में इस तरह की शिकायत के लिए नामित पदाधिकारी है। अगर कहीं भी इस तरह की बात होती है तो इनके संज्ञान में आनी चाहिए और जैसे ही इस तरह की शिकायत हमारे संज्ञान में आएगी तो तत्काल उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

*9-श्री अवधेश प्रसाद-

[दिनांक 11-7-07 को तारां0प्र0सं0-10 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में वर्ष 2004 से 2007 तक औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश तथा उद्योगों की स्थापना

*10-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में वर्ष मार्च, 2004 से मार्च, 2007 तक औद्योगिक क्षेत्र में कितना पूंजी निवेश हुआ तथा इस काल में मुख्य रूप से कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये गये ?

कुमारी मायावती-

मार्च, 2004 से मार्च, 2007 तक प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में वृहद एवं मध्यम इकाइयों के अन्तर्गत कुल रु0 5555.30 करोड़ की पूंजी का निवेश हुआ है।

उक्त अवधि के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित उद्योगों में चीनी उद्योग, इन्जीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, मिल्क प्रोडक्ट्स, रसायन उद्योग, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक उद्योग, खाद्य तेल, पेपर प्रोडक्ट, फ्लोर मिल तथा प्लास्टिक उद्योग आदि प्रमुख हैं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, 3 मिनट का समय बाकी है, कृपया तारांकित प्रश्न संख्या-10 ले लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरी इसमें रुचि है।

मान्यवर, मैं इसमें पूछना चाहता हूं कि इमसें इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेन्ट हुआ और उसकी प्रगति क्या है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

मान्यवर, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक उद्योग को मिलाकर इसकी कुल इकाइयां 19 स्थापित हुई और पूंजी निवेश 147.46 करोड़ रुपये का हुआ है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जो इलेक्ट्रिकल उद्योग में इन्वेस्टमेन्ट हुआ है उसकी प्रगति क्या है ? अब तक उसमें उत्पादन शुरू हुआ कि नहीं ? यह बता दें।

श्री अध्यक्ष-

पूंजी निवेश की प्रगति बता दें।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, यह इकाइयां प्रगति पर है। कार्य कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बरेली के ग्राम शरीफ नगर में मन्दिर की भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग

1-श्री सुल्तान बेग-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली के थाना दियोरनियां के ग्राम शरीफनगर में बालक राम गंगवार द्वारा मोती लाल नेहरू इण्टर कालेज के पास मन्दिर की भूमि पर जबरन अवैध कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कब्जा हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-ता0प्र0सं0-10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जनपद महराजगंज के तहसील नौतनवां में खाद एवं बीज उपलब्ध कराये जाने की मांग

2-श्री अमरमणि त्रिपाठी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज की तहसील नौतनवां में खाद एवं बीज के अभाव में वहां के किसानों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तहसील में खाद एवं बीज उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं। जनपद महराजगंज में कृषकों की सुगमता से उर्वरक उपलब्ध कराने के निमित्त खरीफ 2007 हेतु यूरिया 18232 मी0टन, डी0ए0पी0 5559 मी0टन, एन0पी0के0 6655 मी0 टन तथा एम0ओ0पी0 1030 मी0 टन उपलब्ध करायी जा चुकी है, जिसमें से अभी तक कृषकों द्वारा यूरिया की 14300 मी0 टन, डी0ए0पी0 की 4500 मी0 टन, एन0पी0के0 की 4300 मी0 टन तथा एम0ओ0पी0 की 540 मी0 टन मात्रा ही क्रय कर उपयोग में लायी गयी है। वर्तमान में जनपद महराजगंज में यूरिया 3932 मी0 टन, डी0ए0पी0 1059 मी0 टन, एन0पी0के0 2355 मी0 टन तथा एम0ओ0पी0 490 मी0 टन वितरण एवं कृषकों के लिए उपलब्ध है जिसे कृषक क्रय कर उपयोग कर सकते हैं।

जनपद महराजगंज में खरीफ, 2007 हेतु 24309 कुन्तल बीजों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 26432 कुन्तल बीज की उपलब्धता दिनांक 7 जुलाई, 2007 तक सुनिश्चित की जा चुकी है। जनपद महराजगंज में खरीफ की मुख्य फसल धान है जिसका लक्ष्य 24005 कुन्तल रखा गया था जिसके सापेक्ष दिनांक 7 जुलाई, 2007 तक 26166 कुन्तल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा चुकी है। उपरोक्त बीजों का वितरण कृषि विभाग के जनपद के सभी विकास खण्ड पर स्थित बीज भण्डारों के माध्यम से सहकारी समितियां, यू0पी0 एग्रो एवं जनपद में जनपद स्तर, तहसील स्तर तथा विकास खण्ड स्तर पर निजी बीज विक्रेताओं के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार जनपद महराजगंज में खाद एवं बीज की कोई कमी नहीं है।

जनपद झांसी में वर्ष 2006-07 में किसानों को जारी क्रेडिट कार्ड तथा ऋण का उपलब्ध कराया जाना

3-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2006-07 में झांसी जनपद में कितने किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं तथा कितने किसानों को ऋण उपलब्ध कराये गये हैं ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

वित्तीय वर्ष 2006-07 में जनपद झांसी में सहकारी बैंक द्वारा 3490 कृषकों को तथा व्यवसायिक बैंक द्वारा 23480 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। इस प्रकार कुल 26970 कृषकों को जनपद झांसी में किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। सहकारी बैंक द्वारा 3480 कृषकों को तथा व्यवसायिक बैंक द्वारा 24991 कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार जनपद झांसी में कुल 28471 कृषकों को वर्ष 2006-07 में ऋण उपलब्ध कराया गया है।

4-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[4थे मंगल के अता0प्र0सं0-31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

5-श्री सिबगतुल्ला अंसारी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के कतिपय ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

6-श्री सिबगतुल्ला अंसारी-

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में मुहम्मदाबाद तहसील के अन्तर्गत किन-किन गांवों में तीन दशक पूर्व से चल रही चकबन्दी प्रक्रिया अब तक समाप्त नहीं हुई है ? क्या सरकार उक्त गांवों में चकबन्दी प्रक्रिया पूरी कराकर धारा-52 का प्रकाशन करके अभिलेख तहसील मुख्यालय पर उपलब्ध करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद गाजीपुर में मुहम्मदाबाद तहसील के अन्तर्गत ग्राम शेरपुर तथा बेलसड़ी कुल दो ग्रामों में तीन दशक पूर्व से चल रही चकबन्दी प्रक्रिया अब तक समाप्त नहीं हुई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण की जानकारी

7-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक होगा ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या-5659 (सीलिंग) 1988 में दिये गये निर्णय को लागू कर इसके विरुद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका योजित करने के आदेश

8-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच द्वारा रिट याचिका संख्या-5659 (सीलिंग) 1988 में दिये गये निर्णय दिनांक 04 सितम्बर, 2003 को लागू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इस मामले में कोई अपील की गयी है ? यदि हां, तो कब तथा किस आधार पर ? ऐसे मामले में अपील करने की सामान्य समय-सीमा कितनी है तथा निर्धारित समय-सीमा को शिथिल करने का अधिकार किसमें निहित है ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं। वाद संख्या-5659 (सीलिंग)/1988 अमर सिंह बनाम अपर आयुक्त (प्रशासन) एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04 सितम्बर, 2003 को निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार के प्रस्ताव शासन में प्राप्त होने पर उसका परीक्षणोपरान्त पत्रावली शासन के न्याय विभाग को विधि-सम्मत कार्यवाही करने हेतु संदर्भित की गयी और न्याय विभाग ने मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 04-9-2003 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित करने के आदेश दिनांक 29-6-2007 को निर्गत किये हैं।

जनपद बागपत के ग्राम बामनौली में नवीन पशु चिकित्सालय का निर्माण एवं चिकित्सक तथा कर्मचारियों को तैनाती की जानकारी

9-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बामनौली जनपद बागपत में नवीन पशु चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या नवनिर्मित पशु चिकित्सालय पर चिकित्सक एवं कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री अवध पाल सिंह यादव)-

जी हां।

जी नहीं।

नवीन पशु चिकित्सालयों के संचालन हेतु पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनपद मैनपुरी के भोगांव विधान सभा क्षेत्र में आयी आंधी में हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता की मांग

10-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भोगांव विधान सभा क्षेत्र जनपद मैनपुरी में दिनांक 10-6-07 को भयंकर आंधी तूफान से पांच व्यक्तियों की मौत हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें दैवी आपदा कोष से आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

दिनांक 10-6-07 को जनपद में आयी तेज आंधी/तूफान में तहसील भोगांव के अन्तर्गत ग्राम तोलकपुर एवं नगला देवी भाग बछेड़ा में एक-एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त तहसील मैनपुरी क्षेत्र के अन्तर्गत नगला गुही भाग ग्राम गोधना में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस प्रकार कुल 03 मौतें हुई हैं।

दिनांक 10-6-07 को हुई घटना में प्रभावित मृतकों के आश्रितों को आपदा राहत निधि से रु0 50,000 प्रति मृतक व्यक्ति उपलब्ध करा दी गयी हैं राज्य सरकार की ओर से भी रु0 50,000 प्रति मृतक व्यक्ति के आश्रितों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

यथा संभव शीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तथा स्थानान्तरण नीति

11-श्री आर0पी0एन0 सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी कितने वर्षों से तैनात हैं ? क्या इन कर्मचारियों पर स्थानान्तरण नीति को लागू किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां। जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में 20 कर्मचारी तैनात हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पद	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	श्री सुरेश कुमार निगम, वरिष्ठ लिपिक	28-11-2002
2	मो0 सईद, वरिष्ठ लिपिक	17-11-2004
3	श्री कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ लिपिक	21-09-2002
4	श्रीमती कमला यादव, कनिष्ठ लिपिक	02-05-1995
5	मो0 इमरान खां, कनिष्ठ लिपिक	11-07-2004
6	श्री सुबोध श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक	18-12-2001
7	श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक	08-04-1994
8	श्रीमती शीबा खातून, कनिष्ठ लिपिक	28-02-1995
9	श्रीमती रिजवाना जाफरी, कनिष्ठ लिपिक	01-07-2006
10	श्रीमती शशिबाला यादव, कनिष्ठ लिपिक	05-06-1996
11	कु0 सुमन गुप्ता, कनिष्ठ लिपिक	29-08-2003
12	श्री अशोक कुमार पाण्डेय, सुपरवाइजर	30-06-2004
13	श्री हरिपाल सिंह, सुपरवाइजर	31-12-2004
14	श्री अरविन्द धर्मराजन, सुपरवाइजर	27-12-2005
15	श्री चन्दन कक्कड़, कनिष्ठ लेखा लिपिक	04-06-2005
16	श्री रवि कुमार, कनिष्ठ लेखा लिपिक	11-09-2003
17	श्री शिव कुमार मिश्रा, कनिष्ठ लिपिक (सम्बद्ध)	09-01-2001
18	श्रीमती पूनम कश्यप, पर्यवेक्षक (सम्बद्ध)	24-06-2005
19	श्री मन्नी लाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	11-11-2002
20	श्री किशन कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	26-10-2006

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में सीलिंग व्यवस्था लागू किये जाने की कार्य योजना

12-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में सीलिंग व्यवस्था लागू करने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

आगरा परिक्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण के कारण मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बन्द किये जाने पर उनके स्थान पर प्रदूषण रहित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की मांग

13-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा परिक्षेत्र में अधिकांश औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बन्द कर दी गयी हैं ? क्या इनके स्थान पर प्रदूषण रहित औद्योगिक क्षेत्र आगरा में प्रस्तावित है ? क्या मंत्री जी प्रदूषण रहित उद्योग जैसे बी0 पी0 ओ0, आई0 टी0, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलाजी सोलर फोटो वोल्टाइक, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम जैसे उद्योगों के लिये कोई सुविधा उपलब्ध करायेंगे ?

कुमारी मायावती-

आगरा परिक्षेत्र में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में ताज संरक्षित क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी मानक पूर्ण न करने वाली 206 इकाइयां बन्द हैं।

आगरा परिक्षेत्र में उद्यमियों की मांग पर जनपद हाथरस में उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, इलाहाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच पर कार्यवाही की मांग

14-श्री शब्बीर अहमद-

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि उ0 प्र0 शासन कृषि अनुभाग-1 के पत्र सं0-5912/12-1-2004-1017/2004, दिनांक 14 जनवरी, 2005 एवं कृषि निदेशालय का0लो0शि0प्र0/ 1026/शि0-5172/05, दिनांक 19 जनवरी, 2005 जो श्री संतोष कुमार, तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, इलाहाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में था, पर की गयी स्थलीय जांच की आख्या दिनांक 12 फरवरी, 2005 के निष्कर्ष क्या हैं ? क्या उक्त जांच आख्या के आधार पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण-

दिनांक 12-2-2005 की कोई स्थलीय जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि अपर कृषि निदेशक, (प्रशासन), उ0 प्र0 कृषि भवन, लखनऊ के पत्रांक का0लो0शि0प्र0/1208/शि0-5172/05, दिनांक 21-3-05 द्वारा संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन) की जांच आख्या शासन को प्राप्त हुई थी। इस जांच आख्या पर लिये गये निर्णयानुसार शासन के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-1255/12-200(4)/2004 टी0सी0, दिनांक 16-5-2005 द्वारा कृषि निदेशक उ0प्र0 की कार्यवाही किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दे दिये गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में भूमि सेना योजनान्तर्गत वर्ष 2005-2006 से चल रहे कार्यों के विवरण तथा भौतिक जांच की मांग

15-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि जनपद बांदा में भूमि सेना योजना के तहत वर्ष 2005-2006 से कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो कार्यों का विवरण क्या है ? क्या किये गये कार्यों की भौतिक जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

भूमि सेना योजनान्तर्गत जनपद-बांदा में वर्ष 2005-06 में 817 हेक्टेयर तथा वर्ष 2006-2007 में 2541 हेक्टेयर बीहड़ सुधार एवं बंजर विकास कार्यक्रम क्रमशः रु0 78.10 लाख एवं रु0 253.83 लाख की लागत से कराया गया है।

भूमि सेना योजना के अन्तर्गत जनपद-बांदा में कार्यों का सत्यापन जिलाधिकारी बांदा, मुख्य विकास अधिकारी बांदा, जनपदीय टास्क फोर्स समिति तथा ग्राम्य विकास विभाग की मण्डलीय प्राविधिक सम्प्रेक्षण समिति एवं कृषि विभाग के प्राविधिक सम्प्रेक्षण प्रकोष्ठ द्वारा किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा मुख्यालय में किसान भवन के निर्माण की मांग

16-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में मुख्यालय आगरा में किसानों के उपयोगार्थ किसान भवन का निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति अवधि के उपरान्त मूल विभाग में वापस करने तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

17-श्री शब्बीर अहमद-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात सभी कर्मियों/अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित समयावधि (प्रतिनियुक्ति अवधि) के उपरान्त उनके मूल विभाग को वापस कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी इन अधिकारियों/कर्मचारियों को मूल विभाग में वापस न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में कार्यरत कतिपय कर्मियों को उनके मूल विभागों को वापस नहीं किया गया है।

इस हेतु जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की राजकीय नर्सरियों में उत्पादित फलदार पौधों की दरों का निर्धारण

18-श्री सुल्तान बेग-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शबीहुल हसन, पूर्व सदस्य, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, लखनऊ, उ0 प्र0 सरकार द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रेषित पत्र पत्रांक सं0-81/2006, दिनांक 19-6-06 जो उ0 प्र0 में आम कलम, अमरूद कलम तथा अन्य प्रकार के फलदार कलमी एवं बीज की सरकारी दरें बढ़ाकर उद्यान विभाग, पंजाब सरकार तथा जम्मू एण्ड कश्मीर सरकार की दरों के बराबर करने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह-

जी हां।

संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में श्री शबीहुल हसन को निदेशालय के पत्र संख्या-1864/पौ0-60, दिनांक 18 सितम्बर, 2006 के द्वारा इस वस्तुस्थिति से कि प्रदेश सरकार द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश की राजकीय नर्सरियों में उत्पादित फलदार पौधों की दरों का निर्धारण प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति एवं संसाधन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है तथा वर्तमान दरों में किसी प्रकार की वृद्धि किया जाना प्रासंगिक नहीं है, से अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

कानपुर की डंकन इण्डस्ट्रीज लि0 (फर्टिलाइजर डिवीजन) के पुनरोद्धार/सुविधाओं की जानकारी

19-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डंकन इण्डस्ट्रीज लि0 (फर्टिलाइजर डिवीजन) कानपुर की पुनरोद्धार योजना वर्ष 2004 एवं 2005 में सरकार द्वारा कम्पनी को फैक्ट्री चलाने हेतु क्या-क्या रियायतें/सुविधायें दी गयी थीं ? क्या उक्त रियायतें देने के बाद फैक्ट्री चल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

शासन द्वारा मै0 डंकन इण्डस्ट्रीज लि0 को पुनः चलाए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय दिनांक 11-01-05 के शासनादेश द्वारा लिया गया :-

1-केस्को द्वारा सुविधा दी गई है कि मै0 डंकन इण्डस्ट्रीज लि0 इकाई के पुनः उत्पादन आरम्भ करने के पूर्व 3 करोड़ रुपए प्रथम किश्त के रूप में केस्को को भुगतान करेगा। शेष 29.77 करोड़ रुपए का भुगतान इकाई के प्रारम्भ होने के 2 वर्ष के बाद 6 वार्षिक किश्तों में किया जायेगा जिस पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। केस्को द्वारा मै0 डंकन इण्डस्ट्रीज लि0 स्वतंत्र फीडर से विद्युत सप्लाई पर लगने वाले अधिभार को मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय होने तक स्थगित रखा जाए। विद्युत विच्छेदन की तिथि से लेकर विद्युत बहाली तक न्यूनतम विद्युत उपभोग शुल्क माफ किया जाय तथा कोई विलम्ब अधिभार शुल्क फैक्ट्री के बन्द होने से पुनः विद्युत संयोजन किए जाने के बीच की अवधि के लिए नहीं लिया जाएगा।

2-<u>पिकप द्वारा-</u> दिनांक 1-4-03 से पुनगर्ठन पैकेज पर ब्याज दर घटाकर 8.25 प्रतिशत कर दी जाए, पुनगर्ठन पैकेज पर मिलने वाले साधारण ब्याज को 31-3-06 तक कूपन फण्ड इन्टरेस्ट टर्मलोन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय जिसका भुगतान 31-3-07 से 6 वार्षिक किश्तों में किया जाय जिस पर 6 प्रतिशत ब्याज देय होगा। मूलधन के भुगतान की राशि 31-3-07 से 6 वार्षिक किश्तों में की जाएगी जिसमें फर्टीलाइजर प्लान्ट पुनः चालू होने की अवधि मोरेटोरियम अवधि रखी जाय परन्तु मोरेटोरियम अवधि में भी मै0 डंकन इण्डस्ट्रीज लि0 पिकप को न्यूनतम एक करोड़ की धनराशि का भुगतान पिकप के समानुपातिक अंशधारिता के अनुविनियोजन से प्राप्त होने वाली धनराशि से करेंगे। पिकप द्वारा उनके ऊपर लगने वाली समस्त दण्ड ब्याज, अतिरिक्त ब्याज और हर्जाना से उन्हें छूट दे दी जाय।

उक्त रियायतें देने हेतु शासनादेश संख्या-126/77-6-2005-10-एम/2003 दिनांक 11 जनवरी, 2005 निर्गत किया गया परन्तु इकाई सुविधा प्राप्त करने से पूर्व ही एक माह चलाकर सितम्बर, 2005 में बन्द कर दी गई।

इकाई की नेट वर्ष 31-3-2006 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ऋणात्मक होने के कारण रूग्ण इकाई के तौर पर बी0आई0एफ0आर0 में पंजीकृत हो चुकी है।

कानपुर की एल0एम0एल0 इण्डस्ट्रीज लि0 को पुनरोद्धार हेतु दी गयी रियायतों की जानकारी

20-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एल0 एम0 एल0 इण्डस्ट्रीज लि0, कानपुर को पुनरोद्धार योजनान्तर्गत वर्ष 2004 एवं 2005 में सरकार द्वारा कम्पनी को फैक्ट्री चलाने हेतु क्या रियायत/ सहायता दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त सहायता देने के बाद फैक्ट्री चल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

मै0 एल0एम0एल0 लि0, कानपुर को वर्ष 2004 से वर्ष 2006 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निम्न अनुतोष एवं रियायतें दी गयी हैं :-

(क) कम्पनी को शासनादेश संख्या-794/36-1-2004, दिनांक 24-6-2004, शासनादेश संख्या-1070/36-1-05-18सा0-2005 दिनांक 14-6-2005 एवं शासनादेश संख्या-1226/36-1-2006-18सा0-05, दिनांक 23-6-2006 द्वारा क्रमशः दिनांक 24-6-2004 से 23-6-2005 तक, दिनांक 24-6-2005 से 23-6-2006 तथा दिनांक 24-6-2006 से 23-6-2007 तक की अवधियों के लिए सहायता उपक्रम घोषित किया गया है।

(ख) कम्पनी को पात्रता प्रमाण-पत्र में अंकित छूट की मौद्रिक सीमा के अधीन रहते हुए कच्चे माल एवं पैकिंग मेटेरियल की खरीद पर फार्म-ख के विरुद्ध 2.5 प्रतिशत की कर देयता के स्थान पर अपवाद स्वरूप 05 वर्ष के लिए कर मुक्त अनुमन्य कराये जाने हेतु विज्ञप्ति संख्या-1189/ग्यारह-9(149)/96-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश (21)/05, दिनांक 12-4-2005 द्वारा 12-4-2005 से पांच वर्षों के लिए छूट प्रदान की गयी है।

(ग) कम्पनी पर माह मई, 2005 से अगस्त, 2005 तक के बकाया व्यापार-कर की राशि रु0 85,88,911.00 को शासनादेश संख्या-क0नि0-3-3301/ग्यारह-2005-137/05, दिनांक 18-1-2006 द्वारा चार समान मासिक किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दी गयी है।

इसके अलावा राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या-1711/ग्यारह-9 (460)/ 94-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश-96, दिनांक 19-7-1996 सपठित विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1187/ग्यारह-9 (149)/96-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश-(19)-2005, दिनांक 12-4-2005 तथा विज्ञप्ति संख्या-सं0-1712/ग्यारह-9 (460)-94-ऐक्ट-74/56-आदेश-96, दिनांक 19-07-1996 सपठित विज्ञप्ति संख्या-1188/ग्यारह-9 (149)/96-ऐक्ट-74-56-आदेश-20-2005, दिनांक 12-4-2005 द्वारा उनमें विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन क्रमशः दो पहिया आटोमोबाइल्स के सम्बन्ध में विनिमार्ताओं द्वारा बिक्री के विक्रय धन पर कर से छूट की सुविधा पन्द्रह वर्ष के लिए तथा दो पहिया आटोमोबाइल्स की बिक्री उत्तर प्रदेश राज्य में कारबार का स्थान रखने वाले व्यापारी द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान कर से छूट की सुविधा पन्द्रह वर्ष के लिए अनुमन्य की गयी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

21-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

[तीसरे मंगल के अता0प्र0सं0-5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सिद्धार्थनगर में राजकीय पालीटेक्निक कालेज खोले जाने की मांग

22-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सिद्धार्थ नगर मुख्यालय पर राजकीय पालीटेक्निक कालेज खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना पर कार्यान्वयन कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा शहर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण की मांग

23-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा शहर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स स्टेडियम न होने के कारण खेल स्पर्धाओं से वंचित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शहर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

वर्तमान में लखनऊ, कानपुर एवं सैफई में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम निर्मित है। आगरा में स्टेडियम, मल्टीपरपज हाल एवं स्वीमिंगपूल निर्मित है एवं टेबुल टेनिस हाल निर्माणाधीन है।

जनपद सीतापुर के कस्बा महमूदाबाद में राजकीय कृषि फार्म चालू किये जाने की मांग

24-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा-महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में स्थित राजकीय कृषि फार्म बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः इसी कृषि फार्म को चालू कर बीज एवं अन्य वनस्पतियों को उगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

कस्बा महमूदाबाद जनपद सीतापुर में कोई राजकीय कृषि फार्म नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के इण्डियन टर्पेनटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी के हेड आफिस हास्पिटल कम्पाउण्ड की नीलामी की जानकारी

25-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन टर्पनटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी बरेली के हेड आफिस, हास्पिटल कम्पाउण्ड के निजीकरण हेतु 17-8-2001 को डाली गयी निविदा, नीलामी की शर्तों के अनुरूप बोली स्वीकृत की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जी नहीं। इण्डियन टरपेनटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लि0 बरेली की हेड आफिस एवं हास्पिटल कम्पाउन्ड की परिसम्पत्तियों के लिए निविदायें पूरी धनराशि एक मुश्त प्राप्त होने की दशा में स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया था ताकि प्रश्नगत भूमि का मूल्य शासन को तत्काल प्राप्त हो सके। इसके विरुद्ध एक रिट याचिका संख्या-1048 (एम/बी)/2002 मै0 नरायन कन्स्ट्रक्शन बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के पारित आदेश दिनांक 27-2-2002 द्वारा इसका क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया है। इस प्रकार यह प्रकरण न्यायाधीन है।

जनपद प्रतापगढ़ के आटो ट्रैक्टर्स लि0 की अधिग्रहीत की गयी भूमि एवं भवन के स्वामित्व एवं अन्य उद्योग स्थापित किये जाने की जानकारी

26-श्री बृजेश सौरभ-

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड (प्रतापगढ़) की अधिग्रहीत की गयी भूमि एवं उस पर निर्मित फैक्ट्री भवन का स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है ? क्या सरकार उक्त जमीन एवं फैक्ट्री भवन का उपयोग किसी अन्य उद्योग को स्थापित करने में करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, प्रतापगढ़ मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पारित दिनांक 8-5-2002 के आदेश से परिसमापनाधीन है और परिसमापन की कार्यवाही हेतु शासकीय समापक, इलाहाबाद इसके समापक के रूप में नियुक्त है। इसके फलस्वरूप इस कम्पनी की समस्त सम्पत्तियां एवं आस्तियां शासकीय समापक में निहित हो गयी है और समस्त सम्पत्तियों का कब्जा भी शासकीय समापक को सौंप दिया गया है। तद्नुसार कम्पनी की समस्त भू-सम्पत्ति, फैक्ट्री भवन आदि शासकीय समापक, इलाहाबाद के कब्जे में है।

इस कम्पनी की समस्त सम्पत्तियां, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पारित प्रसंगगत आदेश से नियुक्त शासकीय समापक में निहित हो जाने की विधिक स्थिति में राज्य सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है।

प्रतापगढ़ स्थित आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड फैक्ट्री में छटनीशुदा कर्मियों को समायोजित करने की मांग

27-श्री बृजेश सौरभ-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ स्थित आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड ट्रैक्टर फैक्ट्री किसके हाथ तथा कितनी कीमत में बेची गयी थी क्या उसमें कार्यरत समस्त कर्मचारियों को सेवायोजित कर दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त फैक्ट्री की वर्तमान में स्थिति क्या है ?

कुमारी मायावती-

आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, प्रतापगढ़ का विक्रय नहीं किया गया था, अपितु इसको राज्य सरकार और मै0 सिपानी आटोमोबाइल्स लि0 के मध्य दिनांक 19-3-1991 को निष्पादित एवं अनुबन्ध के तहत संयुक्त क्षेत्र में परिवर्तित करते हुए इसका प्रबन्धन मै0 सिपानी आटोमोबाइल्स लि0 को सौंपा गया था।

माह जनवरी, 2003 में शासन को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार इस कम्पनी के कुल 1227 छटनीशुदा कर्मियों में समायोजित कर्मियों की संख्या 952 और असमायोजित कर्मियों की संख्या-275 थी। छटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991, दिनांक 08 अप्रैल, 2003 को विखण्डित की जा चुकी है।

आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पारित दिनांक 8-5-2002 के आदेश से परिसमापनाधीन है और इसकी समस्त सम्पत्तियां एवं आस्तियां मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नियुक्त शासकीय समापक, इलाहाबाद के कब्जे में है।

28-श्री यशपाल सिंह चौहान-

[तीसरे सोम0 के अता0प्र0सं0-35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव के ब्लाक विछिया में झील की भूमि पर भू-माफियाओं के कब्जे का कथित प्रकरण

29-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में ब्लाक विछिया के अन्तर्गत 600 बीघा जमीन जो झील के रूप में थी, वह अब भू-माफियाओं के कब्जे में है ? उक्त कब्जे के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 12-06-07 को पत्र प्रमुख सचिव, राजस्व को दिया गया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

मा0 विधायक पर पत्र दिनांक 12-6-07 के बजाय पत्र दिनांक 13-6-2007 प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत भूमि भू-माफियाओं के कब्जे में नहीं है अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भिक्षुओं को चिन्हित एवं पुनर्वासित किये जाने की मांग

30-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 2006 से 15 जून, 2007 तक प्रदेश में कितने भिक्षुओं को चिन्हित किया गया है और उनमें से कितने लोगों को पुनर्वासित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मेरठ व बागपत में पशुओं की बीमारी के रोकथाम के उपाय

31-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि बागपत जनपद मेरठ में पशुओं में खुरपका व गलाघोंटू जैसी जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इन बीमारियों की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद बागपत व मेरठ में खुरपका व गलाघोंटू जैसी कोई बीमारी नहीं फैल रही है।

खुरपका-मुंहपका व गलाघोंटू बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रत्येक वर्ष पशुओं का सघन टीकाकरण कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री गोपाल राम दास के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गोपाल राम दास का 4 जून, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे। श्री गोपाल राम दास का जन्म अगस्त, 1933 में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल0एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गोपाल राम दास वर्ष 1967 में प्रथम बार कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र बागेश्वर, पिथौरागढ़ से विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1980 में दूसरी बार तथा वर्ष 1985 में तीसरी बार निर्वाचन क्षेत्र बागेश्वर (अ0जा0) जिला अल्मोड़ा से कांग्रेस (आई) के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री गोपाल राम दास जी उत्तर प्रदेश में वर्ष 1982 से 1985 तक श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंत्रि-मण्डल में एवं श्री श्रीपति मिश्र मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जेल भरो आन्दोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वे कुमायूं सेवा संस्थान, बागेश्वर तथा खादी और ग्रामोद्योग विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। समाजोत्थान, अध्ययन तथा चलचित्र देखने में उनकी विशेष रुचि थी। श्री गोपाल राम दास के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

मा0 सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया उनके सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(दिवंगत आत्मा की शांति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए।)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12 जुलाई, 2007 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना डा0 हरगोविन्द भार्गव की सीतापुर के सिधौली क्षेत्रान्तर्गत नहरों की सफाई और टेल तक पानी देने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री आर0 के0 चौधरी की लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज में भवानी खेड़ा के पास शारदा सहायक नहर पर दाहिनी तरफ हेड बनाकर सिठौली माइनर को जोड़ने एवं सिंचाई समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की राष्ट्रीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहसवान, दातागंज बिसौली जनपद बदायूं में प्रधानाचार्या की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री बैजनाथ दुबे की जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत कटरा बाजार में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत पूर्व में कराये गये कार्यों पर पुनः फर्जी भुगतान की जांच कराने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद गोण्डा के बूढ़ापायर रियासत के राजा अशरफ बक्श खां की याद में ग्राम कस्बा खास का विकास एवं स्मारक बनवाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री विजय बहादुर यादव की जनपद गोरखपुर के ब्लाक जंगल कौड़िया के कोटेदारों द्वारा खाद्यान्न एवं मिट्टी के तेल के वितरण में किये जा रहे कथित घोटाले की जांच कराने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री अशोक सिंह चौहान की नगरपालिका मैनपुरी को वित्तीय वर्ष 2006-07 में शासन द्वारा अवमुक्त 686.85 लाख रुपये के दुरुपयोग की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत श्री राम अजोर चौरसिया राजकीय बालिका इण्टर कालेज पट्टी एवं श्री चन्द्र भूषण शाह राजकीय बालिका इण्टर कालेज आसपुर देवसरा में सभी विषयों के प्रवक्ताओं/शिक्षकों तथा नियमित प्राचार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री इमरान मसूद की जनपद सहारनपुर में डमौरा नदी पर बने पुराने क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है।

श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह तथा श्री महेन्द्र कुमार उर्फ झीन बाबू, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी तथा जनार्दन प्रसाद ओझा की सूचनाएं अस्वीकार की गई।

(स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

सीतापुर के सिधौली क्षेत्रान्तर्गत नहरों की सफाई और टेल तक पानी देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 हरगोविन्द भार्गव-

[श्री अध्यक्ष आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र सिधौली जनपद सीतापुर के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की नहरें हैं। इनमें पानी नहीं आता है और यदि आता भी है तो ऊंचाई टेल तक नहीं आता।

अतः नहरों की सफाई और टेल तक किसान को पानी देने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्रान्तर्गत भवानीखेड़ा के पास शारदा सहायक नहर पर हेड बनाकर सिठौली माइनर को जोड़ने एवं सिंचाई समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 के0 चौधरी-

[श्री अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की राजधानी लखनऊ जनपद के विकास खण्ड गोसाईगंज के अन्तर्गत ग्राम रकीबाबाद, सिकन्दरपुर अमौलिया, जगमत खेड़ा, परेहटा, राम बक्श खेड़ा, नवी खेड़ा, मोहारी कला व खुर्द देई टीकर सेमरा पीतपुर, सिठौली कला सिठौली खुर्द बरकत नगर भट्ठी टिकरा जुगराज भोरा कला और भोरा खुर्द आदि पचासों गांव के किसानों के खेत सूखे पड़े हैं। पानी न आने से किसान बदहाल है। इस क्षेत्र में पुरानी सिठौली माइनर है परन्तु पचासों साल से पानी नहीं आया। समय-समय पर किसान आन्दोलित रहते हैं। आजादी के बाद से सरकारें आयी और गयी परन्तु किसानों की समस्या इस क्षेत्र में जैसे की तैसे पड़ी है। किसानों में भयंकर असन्तोष और आक्रोश है। विरोध स्वरूप इस असिंचित क्षेत्र के देई टीकर गांव के सभी मतदाताओं ने विगत विधान सभा चुनाव में विवश होकर मतदान का बहिष्कार कर दिया। स्थिति विस्फोटक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासन का ध्यान आकृष्ट करके भवानी खेड़ा के सामने शारदा सहायक की बाई पटरी पर एक हेड बनाकर सिठौली माइनर को जोड़ने और किसानों के सिंचाई की समस्या का समाधान कराने की कृपा करें।]

राष्ट्रीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहसवान दातागंज बिसौली जनपद बदायूं में प्रधानाचार्या की नियुक्ति न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश चन्द्र (बदायूं)-

[श्री अध्यक्ष महोदय, राजकीय कन्या उ0 मा0 विद्यालय सहसवान दातागंज बिसौली में कई प्रधानाचार्या का पद रिक्त चल रहा है। यहां पर कार्यवाहक के रूप में पुरुष काम कर रहे हैं जबकि कन्या विद्यालय में महिला की नियुक्ति होनी चाहिए। कई वर्षों से प्रधानाचार्या की नियुक्ति न होने के कारण यहां का शिक्षा का स्तर एवं अनुशासन दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। शिक्षा एवं छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए प्रधानाचार्या की नियुक्ति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब प्रधानाचार्या की नियुक्ति करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायत कटरा बाजार में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत पूर्व में कराये गये कार्यों पर पुनः फर्जी भुगतान की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बैजनाथ दुबे-

[मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत कटरा बाजार के अधिकारियों व क्षेत्र पंचायत के प्रमुख से मिलीभगत करके पूर्व में निर्मित सड़कों पर हल्की मिट्टी डालकर फर्जी भुगतान किया जा रहा है पूर्व में निर्मित सड़क स्टेट्स

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रिपोर्ट भी नहीं तैयार किया गया है। जबकि पी0डब्ल्यू0डी0 के दिशा निर्देश के अनुरूप 15 जून से 16 अक्टूबर तक मिट्टी का कार्य नहीं कराया जा सकता पूर्व में भी इसी तरह फर्जी भुगतान करने खाद्यान्न बेच लिया गया वर्तमान में पुरानी सड़कों जो किसी अन्य कार्यदायी संस्था से कराया जा चुका है उसी सड़क का नाम बदलकर कार्ययोजना में ले लिया गया है तथा उस मांगों को हल्की मिट्टी डालकर तथा खन्ती को छोलकर नई सड़क बनाकर फर्जी पैसा निकालने की योजना क्षेत्र पंचायत कटरा बाजार द्वारा की जा रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर क्षेत्र पंचायत कटरा बाजार द्वारा फर्जी भुगतान की जांच हेतु चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा के बूढ़ापायर के राजा अशरफ बक्स खां की याद में ग्राम कस्बा खास का विकास एवं स्मारक बनावाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[अध्यक्ष महोदय, मान्यवर, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 1857 स्वाधीनता संग्राम आन्दोलन की पहली चिनगारी देश में उठी जो एक ज्वाला के रूप में पूरे देश में उभर कर एक क्रान्ति का रूप लेकर देश को आजाद कराया। आज पूरा देश 1857 के आन्दोलन का 150 वर्ष मना रहा है। इसी के परिपेक्ष्य में आपसे कहना है कि जनपद-गोण्डा के बूढ़ापायर रियासत के राजा अशरफ बक्स खॉ ने आजादी के इस 1857 की जंग में ब्रतानियां हुकूमत के नाकों चना चबवा दिया था और अग्रेजों से लड़ते-लड़ते ग्राम होलापुर तालिब में शहीद हुए थे अमर सैनानी के पैतृक गांव ग्राम कस्बा खास परगना बूढ़ापायर तहसील कनकापुर जनपद गोण्डा आजादी के 60 वर्ष बाद भी उपेक्षित है, अभी तक सरकारों द्वारा इनके जन्मभूमि एवं विकास के स्मारक के लिए कोई योजना नहीं बनायी गयी।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए अमर सैनानी की याद में ग्राम-कस्बा खास का विकास एवं स्मारक बनवाने की मांग करता हूं। जैसे नाली , खड़न्जा, इंदिरा आवास गरीबों को पेंशन, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के ब्लाक जंगल कौड़िया के कोटेदारों द्वारा खाद्यान्न एवं मिट्टी के तेल के वितरण में किये जा रहे कथित घोटाले की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव-

[श्री अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम जनपद गोरखपुर के ब्लाक जंगल कौड़िया के कोटेदारों द्वारा खाद्यान्न एवं मिट्टी के तेल के वितरण में किये जा रहे कथित घोटाले की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मानीराम जनपद गोरखपुर के ब्लाक जंगल कौड़िया में ग्राम सभा बेला, सिघोरवा, तुर्कवलिया जैसे अनेक गांवों में खाद्यान्न एवं मिट्टी के तेल का वितरण कोटेदारों द्वारा सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, इन कोटेदारों द्वारा खाद्यान्न एवं मिट्टी के तेल की कालाबाजारी की जा रही है। इन कोटेदारों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण नियमित तरीके से न किये जाने के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारण जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। इसकी गोपनीय एवं औचक जांच कराकर कोटेदारों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नगर पालिका मैनपुरी को वित्तीय वर्ष 2006-2007 में शासन द्वारा अवमुक्त लाखों रुपये के दुरुपयोग की जांच कराकर दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक सिंह चौहान-

[अध्यक्ष महोदय, मैनपुरी नगर पालिका परिषद् को शासनादेश संख्या-यू0ओ081/ नौ-9-2006, दि0 27-7-2006/यू0ओ095/ नौ-9-2006, दि0 27-8-2006 एवं सं0-यू0ओ0647/ नौ-9-2006-120-ज/06, दि0 15-9-2006 द्वारा 686.85 लाख शासन द्वारा रिवाल्विंग फण्ड से ऋण स्वरूप मैनपुरी नगर के विकास हेतु उपलब्ध कराये गये। उपरोक्त धन को तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा दि0 22-9-06 को 343.925 लाख एवं 4-11-06 को 301.545 लाख की भूमि संरक्षण अधि0/परियोजना निदेशक रामगंगा कमांड परियोजना मैनपुरी को हस्तान्तरण कर दी गयी। जिलाधिकारी मैनपुरी द्वारा उपरोक्त धन का हस्तान्तरण आदेश पालिका बोर्ड के निर्वाचन सम्पन्न होने के उपरान्त किया गया। उस समय निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू थी। न0पा0परि0 चुनाव के बाद उक्त पैसा आवंटित हुआ इसके कारण नवनिर्वाचित बोर्ड उपरोक्त धन को वापसी हेतु जिलाधिकारी मैनपुरी तथा मंडलायुक्त आगरा से अनुरोध किया लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। मेरी जानकारी के अनुसार उपरोक्त धन आनन-फानन राम गंगा कमांड के खाते से निकालकर दिनेश यादव ने अपनी बैंक खाते में जमा करवाया और बाद में पिछली तारीखों में ठेकेदारों को भुगतान किया गया।

शासन के नियमानुसार नगर पालिका परिषद् का धन उसी के क्षेत्र में खर्च करने का प्राविधान है लेकिन उपरोक्त धन से न0पा0 सीमा से बाहर ज्यादा कार्य हुआ जो अभी तक चल रहा हैं उपरोक्त शासकीय धन में भारी घोटाला हुआ है इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत श्री राम अजोर चौरसिया राजकीय बालिका इण्टर कालेज पट्टी एवं श्री चन्द्र भूषण शाह राजकीय बालिका इण्टर कालेज आसपुर देवसरा में सभी विषयों के प्रवक्ताओं/ शिक्षकों तथा नियमित प्राचार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[श्री अध्यक्ष महोदय, जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी स्थित श्री राम अजोर चौरसिया राजकीय बालिका इण्टर कालेज पट्टी एवं श्री चन्द्रभूषण शाह राजकीय बालिका इण्टर कालेज

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आसपुर देवसरा में सभी विषयों के प्रवक्ता एवं शिक्षकों का अभाव है तथा नियमित प्राचार्य भी नहीं हैं, विज्ञान प्रयोगशाला कार्यरत नहीं है, गृह विज्ञान की भी शिक्षा बालिकाओं को अपेक्षित उपकरणों एवं शिक्षिका के अभाव के कारण नहीं मिल पा रही है, शौचालय, पेयजल, भवन की खिड़की दरवाजे, उनके शीशे क्षतिग्रस्त है जिससे बालिकाओं की सुरक्षा एवं प्राइवेसी प्रभावित हो रही है। परिसर का रख-रखाव भी मानकों के अनुरूप नहीं है। तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध नहीं है। जहां वयस्क बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करनी हो वहां की सुरक्षा, प्राइवेसी, परिसर, पेयजल, जनपान गृह, रख-रखाव, शिक्षण कक्षों में बैठने की व्यवस्था सहित पुस्तकालय, प्रयोगशाला की सामग्री आदि मानक के अनुरूप न हो तो कितनी कठिनाई होगी यह बताना बहुत ही कठिन प्रतीत हो रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर में डमौला नदी पर बने पुराने क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इमरान मसूद-

[श्री अध्यक्ष, जनपद सहारनपुर में डमौला नदी पर 100 वर्ष पुराना पुल है। विगत 3 वर्षों से जर्जर हालत में होने के कारण टूटा हुआ है। जिससे न केवल सहारनपुर नगर की जनता बल्कि सम्पूर्ण जनपद व अन्य जनपदों से मां शाकुम्भरी देवी व यमुनानौत्री जाने वाले यात्रियों के लिये भारी असुविधा का कारण है। यह एक लोक महत्व का बिन्दु है। मुझे इसको सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की जाय।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12 जुलाई, 2007 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 3 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री ईश्वरचन्द्र शुक्ल की साहित्य भवन पब्लिकेशन द्वारा दसवीं कक्षा की पुस्तक सामाजिक विज्ञान भाग-1 के पृष्ठ-234 पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी के प्रति अशोभनीय टिप्पणी तथा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर तथा चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की विधान सभा के द्वितीय सत्र 2007 के प्रथम सोमवार, दिनांक 2-7-07 को अतारांकित प्रश्न संख्या-46 व 49 के उत्तरित हो जाने के बावजूद भी जिला अधिकारी बागपत द्वारा वांछित कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री रियाज अहमद की जनपद पीलीभीत में निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा केवल सत्तापक्ष के विधायकों से उनके क्षेत्रों के लिये 30-30 लाख रुपये के कार्य के प्रस्ताव मांगे जाने के सम्बन्ध में है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

साहित्य भवन पब्लिकेशन द्वारा दसवीं कक्षा की पुस्तक सामाजिक विज्ञान भाग-1 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी के प्रति अशोभनीय टिप्पणी तथा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान औचित्य के रूप में उठाते हुए उस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, भारत की आजादी की लड़ाई दुनिया की अद्भुत लड़ाई थी मान्यवर, जहां अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। मान्यवर, आज बहुत से राष्ट्र उसी रास्ते पर चलकर आजाद हो रहे हैं। मान्यवर, फिर हमने अपना एक संविधान बनाया और मान्यवर, 26 नवम्बर, 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया। इस संविधान को बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में एक समिति ने बनाया मान्यवर और वही आज भारत का संविधान है जिसके तहत नियमावली बनी है और विधान सभा चलती है। हम, आप अगर यहां बैठे हैं तो उसी संविधान के तहत, उसी नियमावली के तहत यहां बैठे हुए हैं। मान्यवर, इस आजादी के महानायक के रूप में अगर किसी एक को श्रेय जाता है मान्यवर, तो इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है कि हमने इस आजादी का सर्वाधिक श्रेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दिया है मान्यवर और नहीं दिया होता तो सारे राष्ट्र ने अपनी पूरी कृतज्ञता अर्पित करते हुए उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं दिया होता। किसी भी देश में राष्ट्रपिता का दर्जा सर्वोच्च होता है और मान्यवर, उसी कारण आज हम इस विधान सभा में बैठते हैं। यद्यपि कि यह हमारे देश, प्रदेश की भूमि तमाम महापुरुषों से जुड़ी है लेकिन आपकी पीठ के ऊपर भी अगर कोई चित्र लगा है तो वह राष्ट्रपिता का चित्र लगा है। मान्यवर, आज जब दुनिया में उनके आदर्शों पर चल रही है मान्यवर, हमारे यहां कुछ लापरवाहियों से कुछ लोगों की गलत मनःस्थिति के कारण महात्मागांधी जी के सम्मान को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। खुद तो किया ही जा रहा है मान्यवर, आने वाली पीढ़ी के मन में एक जहर भरने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, तो मेरी चिन्ता का विषय भी वही है और औचित्य का विषय भी वही है। मान्यवर, साहित्य भवन पब्लिकेशन ने दसवीं के सामाजिक विज्ञान भाग-1 के पेज-234 पर महात्मागांधी जी के बारे में राष्ट्रपिता के बारे में लिखा है कि मोहनदास बाल्यकाल में दूषित प्रवृत्तियों के शिकार भी हुए। मान्यवर, दो तरह के इतिहास चलते हैं, एक आत्मकथा लिखी जाय, और आत्मकथा में मान्यवर, आत्मकथा लिखने वाले अपने जीवन के बहुत से अनछुए पहलू को भी लिखते हैं। मान्यवर, लेकिन अगर प्रेरक प्रसंग के रूप में महापुरुषों का जीवन इसीलिए पढ़ाया जाता है कि उनसे प्रेरणा ग्रहण करके आने वाली पीढ़ी मान्यवर, राष्ट्र के प्रति एक ऐसे नागरिक बन सकें जहां अपने राष्ट्रपिता को भी प्यार कर सकें या जो महापुरुष हों मान्यवर,उनके प्रेरक व्यक्तित्व से प्रेरणा ग्रहण कर सकें। आखिर दसवीं कक्षा में हम क्या पढ़ाना चाहते हैं कि मोहनदास जी, मान्यवर, मैं उसे दोहराना भी नहीं चाहता हूं, कि कुत्सित प्रवृत्तियों के शिकार थे। मान्यवर, यह अपमान सिर्फ महात्मागांधी जी का नहीं है, राष्ट्रपिता का नहीं है, इस सदन का भी अपमान है, राष्ट्र

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की आजादी का भी अपमान है, राष्ट्र के संविधान का अपमान है और सच पूछिये जो राष्ट्र अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकता, उसे आजाद कहलाने का अधिकार भी नहीं होता। तो मान्यवर, यह बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति है। इसी प्रकार मान्यवर, बुलन्दशहर के एक बी0पी0 सिंघल साहब ने भी लिख दिया है, जो कुछ लिखा है मान्यवर, उसे मैं यहां पढ़ कर उनके उस इरादे को और प्रचलित और प्रसारित नहीं करना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरा सिर्फ आशय यह था कि इसको देखा जाय। हमने पब्लिकेशन का नाम बता दिया है, तत्काल ऐसे आपत्तिजनक अंशों को उसमें से हटा दिया जाय ताकि बच्चे यह चीजें न पढ़ सकें। मान्यवर, तमाम बड़े-बड़े लेखक आयेंगे जायेंगे लेकिन महात्मा गांधी जी का इस देश में जो सम्मान है वह किसी लेखक के लिख देने से कम नहीं होगा न कम करके आँका जा सकता है। जब यह पाठ्य पुस्तक का अंग बना है तो इसमें सटीक कार्यवाही होनी चाहिये। किसी की भी भूल हो गया हो मैं किसी को दंडित करने की मांग नहीं कर रहा हूं। मेरी मांग बस यही है तत्काल यह आपत्तिजनक अंश उसमें से हटा लिये जायें। दूषित मानसिकता और यह दो जगह गांधी गांधी का जिक्र किया गया है मान्यवर, कुछ जो आदरसूचक आगे पीछे लगना चाहिये था। कुल मिलाकर जो आपत्तिजनक बात है वह मैंने इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। व्यवस्था इसलिये चाहता हूं क्योंकि इससे आपकी पीठ का सम्मान जुड़ा है, देश की आजादी का सम्मान जुड़ा है, प्रदेश का सम्मान जुड़ा है, देश का सम्मान जुड़ा है, विश्व की शांति का सम्मान जुड़ा है।

संसदीय कार्य चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित सभी महापुरुषों का सम्मान करती है यह जो किताब का जिक्र आया है यह किन परिस्थितियों में और कब छपी है अगर वह भी बता देते तो अच्छा होता।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह यू0 पी0 बोर्ड में चल रही है।

श्री लालजी वर्मा-

कब से चल रही है मान्यवर ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं वह नहीं बताना चाहता हूं। तमाम विचारधारायें हैं। यह कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ाई जा रही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है। निश्चित तौर पर मैं इसको दिखवा लेता हूं और जो आपत्तिजनक अंश होगा उसमें यदि कोई अंश निकालने की भी जरूरत पड़ेगी या जिसमें जिस तरीके की जरूरत पड़ेगी उसकी कार्यवाही की जायेगी।

* श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह अबका तबका किसी का नहीं है। पहले एड्स से सम्बन्धित मामला यहां पर उठता है कि यह भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित था। यह प्रकरण अब आया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि शासन के अन्तर्गत एक बोर्ड बना हुआ है जो पाठ्यक्रमों को एप्रूव करता है उस पूरे बोर्ड की योग्यता और कार्यपद्धति की बड़ी वृहद और गहन समीक्षा शासन को करनी चाहिए। संज्ञान में यह विषय आ गया है तो उसका संज्ञान शासन द्वारा लिया जाय। पहले से पढ़ाया जा रहा है या किस शासन की क्या नीति थी उसकी उतनी जिम्मेदारी नहीं होती है लेकिन आपकी एक व्यवस्था बनी हुई है वह दोषपूर्ण है। ऐसा लगता है कि उसमें अगर अयोग्य और गैर जिम्मेदार लोग हैं तो उन्हें वहां से हटाया जाय।

श्री अध्यक्ष-

उसको दिखवाने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है।

मैंने इस पर माननीय प्रमोद तिवारी, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं।

जिलाधिकारी, बागपत द्वारा लम्बित शस्त्र लाइसेंस पत्रावलियों में वांछित कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मेरे जनपद बागपत में जो जिलाधिकारी तैनात हैं उन्होंने कह दिया कि जिलाधिकारी लाइसेंस देने का काम नहीं करता है मैं लाइसेंस देने का काम नहीं करूंगा। यह मान्यवर, उसका स्वरूप भी है। मैंने एक सवाल लगाया था कि 2007 में अब तक जो शस्त्रों के लाइसेंस देने की व्यवस्था है उसमें जनपद बागपत और मेरठ में कितने लाइसेंस के मामले निस्तारित हुए हैं। इसका जवाब आया कि 330 मामलों में मेरठ में 280 निस्तारित कर दिये गये हैं बागपत में 343 में से भी पत्रावली का निस्तारण नहीं किया गया है। यह लिखित जवाब में आया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने 7 लोगों की पत्रावली को निस्तारित करने के लिये जिलाधिकारी से कहा। जिलाधिकारी महोदय ने इन सातों पत्रावलियों को सदन को यह कहकर गुमराह करने का काम किया कि पुलिस आख्या अपेक्षित है जबकि सारी पत्रावलियों की 22-8-2006 को जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आ गयी थीं। एस0एस0पी0 के यहां से और नीचे से कार्यवाही होनी चाहिए थी पूरी हो चुकी थी। तहसील स्तर की सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी लेकिन जिलाधिकारी के द्वारा कोई पत्रावली का निस्तारण नहीं किया गया। इससे आगे भी मैंने यह भी अपने प्रश्न में पूछने का काम किया था कि क्या आर्म्स लाइसेंस की पत्रावली के साथ एन0एस0सी0 लेने का भी काम किया गया उसको भी मना कर दिया गया कि किसी पत्रावली से एन0एस0सी0 लेने का काम नहीं किया गया लेकिन मेरे पास तमाम एन0एस0सी0 नं0 हैं 30-30, 40-40 हजार के सभी पत्रावलियों में लेने का काम किया गया। अब जितनी पत्रावलियों का मैंने एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा का सदस्य होने के नाते जिलाधिकारी महोदय से सिफारिश करने का काम किया कि पूरे जिले में किसी भी एक आदमी को आप लाइसेंस देने का काम नहीं कर रहे हो तो उन्हों सारी पत्रावलियों को फिर वापिस फिर पुलिस आख्या के लिए भेजने का काम कर दिया। पुलिस आख्या तो आठवें महीने में ही आ गयी। कोई सदस्य अगर लाइसेंस की पत्रावली के लिए जिलाधिकारी से सिफारिश करता है तो जिलाधिकारी के द्वारा उस लाइसेंस को करने का काम नहीं किया जायेगा। उसको वापस करने का काम किया जायेगा क्योंकि उसकी सिफारिश एक माननीय सदस्य के द्वारा की गयी है। एन0एस0सी0 लेने का कोई प्राविजन नहीं है।

(श्री कौकब हमीद के खड़े होने पर)

श्री लालजी वर्मा-

यह क्या, यह तो कोई बात नहीं हुई। मान्यवर, आपसे निवेदन है मैं आपसे बैठकर बात कर लूंगा।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पहले जो लिखकर भेजा था उसका जवाब गलत आया डी0एम0 के यहां से। कार्यवाही उस पर होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

हां, उस पर कहिये कि जवाब गलत आया है। लाइसेंस देने न देने की बात सदन में नहीं है।

माननीय कौकब साहब, इसके बारे में कल मैंने निर्देश दिया था कि प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में, सूचनाओं के सन्दर्भ में कहीं-कहीं प्रशासनिक अधिकारी या सम्बन्धित विभाग के अधिकारी सही उत्तर नहीं दिये हैं, उस पर एक निर्णय भी मैंने कल विस्तृत तौर पर माननीय चौधरी साहब की सूचना पर नियम 300 में दिया है। 300 हो या 51 हो, ऐसी सूचनाओं या प्रश्नों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के अधिकारी सही सूचना नहीं उपलब्ध करा रहे हैं और खेद भी मैंने प्रकट किया है कि सूचनाओं का सही उत्तर आना चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपकी उदारता की प्रशंसा तो चारों तरफ हो रही है इसमें कोई शंका नहीं हैं आप इस नोटिस को ही देख ले। मैंने ऐसा कम अवसर देखा है कि जब इस तरह की नोटिस नियम 300 में उठी हो और उस पर सुना गया हो। पहला नोटिस की हेडिंग देख लें नियम 300 काम रोको प्रस्ताव। अब सुन लीजिए।

(श्री सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब आप क्यों इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अधिकारी गलत सूचना दे रहा है सोलंकी जी, इसकी ग्रेविटी कम करिये। यह लाइसेंस के लिए आप परेशान हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नये सदस्य का यह तात्पर्य नहीं होना चाहिए। मैं तो सहृदय आपकी बात का संज्ञान ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात का माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। अब आप 8 का लाइसेंस बनवा रहे हें या 12 का बनवा रहे हैं यह चर्चा का विषय नहीं है। आप बैठ जायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप बोलते रहे तो मैं सुनता रहा अब मैं खड़ा हूं तो यह भी सुन लें। मान्यवर, इसमें नियम 300 के अन्तर्गत, कलेक्टर लाइसेंस नहीं दे रहा है, इस तरह की नोटिस आई है। मान्यवर, यह तो आप स्वयं जान रहे हैं और पूरा सदन जान रहा है कि नियम 300 में आता है कि नहीं आता है। जहां तक लाइसेंस जारी करने का अधिकार है वह आर्म्स एक्ट सेन्ट्रल एक्ट है और उसके अन्तर्गत कलेक्टर को केवल पावर है उसमें सरकार कोई निर्देश भी नहीं दे सकती और उस नियमों के तहत जिलाधिकारी लाइसेंस जारी करता है और उसी के अनुसार कार्यवाही होती है। यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

सूचना के सन्दर्भ में पहले ही कह दिया है कि अधिकारी सही सूचनायें दें। मैंने माननीय सदस्य को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिये इस सूचना को निरस्त करता हूं। अगली सूचना श्री रियाज अहमद की है।

पीलीभीत में निदेशक मण्डी परिषद् द्वारा केवल सत्तापक्ष के विधायकों से उनके क्षेत्र के लिए कार्य के प्रस्ताव मांगे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री रियाज अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 300 के इस औचित्य प्रश्न पर मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी सदन में, इसी सत्र में यह बात आई थी कि सत्ता पक्ष के विधायकों के कुछ प्रस्ताव सरकार के द्वारा मांगे गये हैं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने खड़े होकर जवाब दिया था कि यह बात गलत है, यह तथ्य गलत है जो भी विकास कराया जायेगा, सभी सत्रा पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों के प्रस्ताव मांग कर ही कराया जायेगा, यह सदन में आश्वासन भी बन गया था। मान्यवर, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जनपद पीलीभीत से हम चार विधायक हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी और दो बहुजन समाज पार्टी से हैं, पूरनपुर और बीसलपुर। वहां 3 मंडी समितियां हैं, जो पीलीभीत की मंडी समिति है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा आय देने वाली मंडी समितियां हैं, उसमें पीलीभीत मंडी समिति भी आती है। उसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंडी समिति का विधान सभा क्षेत्र भाजपा के सुखलाल का और मेरा पड़ता है। यह समिति 3 करोड़, 5 करोड़ से अधिक की आय दिया करती है। अब मंडी निदेशक के यहां से निर्देश पहुंचा है, मंडी उप निदेशक निर्माण को, कि बहुजन समाज पार्टी के पूरनपुर और बीसलपुर के विधायकों के प्रस्ताव तत्काल भेज दिये जायें और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक का प्रस्ताव न लिया जाय तो मान्यवर, में यह जानना चाहता हूं कि जो पीलीभीत विधान सभा के किसान हैं वह सड़कों से अनाज मंडी तक लाने का काम करते हैं, क्या वह अब सड़कों से न ले जाकर, क्या सिर के ऊपर रखकर मंडी तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस औचित्य के प्रश्न पर मैं आपका और सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, वह पूरी तरह से गलत साबित हुआ है और इस पर मैं सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री सुखलाल-

मान्यवर, मेरे जिले से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

रियाज अहमद जी ने अपनी और आप की भी बात स्वयं ही कह दी हैं आप क्यों उसको दोहरायेंगे। आपकी चिन्ता भी उन्होंने व्यक्त कर दी है और अपनी भी कर दी है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने सदन में कहा था कि कोई भी अलग से प्रस्ताव नहीं मांगे गये हैं और मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं कि अलग से कोई प्रस्ताव नहीं मांगा गया है। समय-समय पर सदस्यगण अपने प्रस्ताव देते रहते हैं और वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये, हमेशा यह होता रहा है। माननीय सभी वरिष्ठ सदस्यगण बैठे हैं वह जानते हैं कि वहां की मंडियां प्रस्ताव करती हैं और उस प्रस्ताव को शासन मंडी परिषद् में भेजता हैं जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव आते हैं जो कि पदेन सभापति हैं और मंडी परिषद् में उसके परीक्षणोपरान्त वित्तीय स्थिति को देखते हुये उसकी स्वीकृति भी की जाती है मान्यवर, यह औचित्य के प्रश्न के रूप में अग्राह्य होने लायक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें, अलग से कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

रियाज़ साहब क्या चाहते हैं ?

श्री रियाज़ अहमद-

मान्यवर, पीलीभीत की जो मंडी समिति है, जिसकी आय पांच करोड़ तक है तो क्या माननीय मंत्री जी यह निर्देश करेंगे कि डायरेक्टर हमारे प्रस्ताव भी मंगा लें।

श्री अध्यक्ष-

यह निर्देश कहां हैं, प्रस्ताव दीजिए तब कोई बात होगी।

मैंने माननीय रियाज़ साहब को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इस अग्राह्य करता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या का0 नि0-2-993/ग्यारह 9(94)-07 उ0प्र0 अधि0 15-48-आदेश(04) 2007, दि0 30 मई, 2007†

* नगर विकास मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या का0 नि0-2-993/ग्यारह 9(94)-07 उ0प्र0 अधि0 15-48-आदेश(04) 2007, दि0 30 मई, 2007 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर एक्ट 1948 की धारा 3 क की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ द्वारा जारी की गई 'सातवीं वार्षिक रिपोर्ट' वित्तीय वर्ष 2005-06†

*ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ द्वारा जारी की गई 'सातवीं वार्षिक रिपोर्ट' वित्तीय वर्ष 2005-06 को, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2002-03 का संकलित आर्थिक चिट्ठा तथा महालेखाकार द्वारा सम्पादित लेखा परीक्षक प्रतिवेदन †

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2002-03 का संकलित आर्थिक चिट्ठा तथा महालेखाकार द्वारा सम्पादित लेखा परीक्षक प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1960 की धारा 30 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधन मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

---

† छापे नहीं गये।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150(1) के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया, दिनांक 11 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150(1) के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया, दिनांक 11 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150(1) के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया, दिनांक 11 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 8 में कुछ नहीं है। 9 में कुछ नहीं है और मद सं0 10 में भी कुछ नहीं है।

मंत्रि-परिषद् द्वारा प्रदेश में मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में सदन को सूचना

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश की मंत्रि-परिषद् ने कृषि श्रमिकों के लिये निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को 100 रुपये करने का निर्णय लिया है। यह उल्लेखनीय है कि सरकार के गठन के समय यह दर केवल 58 रुपये थी। यह हमारे लिये गौरव की बात है कि बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में गठित हमारी पार्टी की सरकार ने गरीब मजदूरों की मजदूरी को पूरे उत्तर भारत में सर्वाधिक कर दिया है।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12 जुलाई, 2007 को नियम 311 के अन्तर्गत कुल दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है।

इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना हाजी अब्दुल समद अंसारी व डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की प्रदेश में विशेषतः वाराणसी मण्डल में निरन्तर भूख से हो रही मौतों तथा प्रशासनिक संवेदनशून्यता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी व श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल की प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एस0जी0पी0जीआई0 के पास खतरनाक विस्फोटक आर0डी0एक्स0 की बरामदगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की प्रदेश में निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण के प्रभावी उपायों के अभाव में उत्पन्न विस्फोटक स्थिति के सम्बन्ध मे, चौथी सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा की नगर पालिका परिषद्, मथुरा में पेयजल की आपूर्ति एवं सीवर लाइन के पाइपों के जर्जर होने के फलस्वरूप जल रिसाव से मकानों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री विश्वम्भर प्रसाद यादव व श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद-बांदा में नहरों व राजकीय नलकूपों से पानी मिले बगैर आबपासी की जबरन वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री आर0 के0 चौधरी की जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्रान्तर्गत अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की मेसर्स त्रिवेणी ग्लास फैक्ट्री, इरादतगंज, इलाहाबाद के प्रबन्धतंत्र द्वारा श्रम विभाग से मिलीभगत कर श्रमिकों के आर्बीट्रेशन अवार्ड प्रकाशित न होने देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री इमरान मसूद की जनपद-सहारनपुर के ग्राम पिलखनी स्थित डिस्टलरी द्वारा प्रदूषित रसायनों के उत्प्रवाह से पीने के पानी में फैल रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा व श्री श्रीपति आजाद की जनपद-महराजगंज की तहसील-सदर अन्तर्गत पट्टेदारों को उजाड़ने और उनके पट्टे की जमीन पर वैध कब्जे में प्रशासनिक हस्तक्षेप के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव व श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की लखनऊ महानगर के ए0पी0 सेन गर्ल्स डिग्री कालेज तथा के0के0वी0 कालेज में हुई लूट की घटना को पुलिस द्वारा चोरी बताये जाने तथा घटना की जांच एस0टी0एफ0 से कराये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री अनूप सण्डा, श्री जावेद अंसारी, श्री जगन प्रसद गर्ग, चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री उदयभान करवरिया, श्री धनीराम वर्मा, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री ओम प्रकाश सिंह, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर तथा चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की सूचनाएं चयनित नहीं की गईं, अतः अस्वीकार हुई।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि भूख से मौत वाली सूचना है, प्रश्नकाल में उस पर बहस की है, एक दूसरी महत्वपूर्ण सूचना नियम-311 में दी थी। प्रारम्भ में ही आपने कहा था कि हम उसको प्राथमिकता पर ले लेंगे। मान्यवर, नियम-311 वाली सूचना अभी ले लें तो हम लोग उस पर बहस कर लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो सीरियल बन गया है उसको चलने दें।

श्री अध्यक्ष-

सीरियल डिस्टर्ब नहीं होगा, मैंने कहा था कि इसको प्राथमिकता पर बाद में सुन लिया जायेगा। डा0 अग्रवाल जी अपनी बात रखें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बातें कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के रूप में रखने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, जो भी हम लोग राजनीतिक कर्म करते हैं, व्यवस्था को चलाने का प्रयास करते हैं या प्रदेश को विकास की लड़ाई में आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, इसका जो मूल उद्देश्य होता है वह सिर्फ आर्थिक विकास कराना नहीं होता है। एक जमाने में यह माना जाता था कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी या सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि होगी, वही किसी राज्य की सफलता का सूचकांक होगा। वह परिभाषा अब बदली है। धीरे-धीरे आर्थिक सिर्फ विकास को समाज के सम्पूर्ण विकास का माध्यम नहीं माना गया है। हम इन सारी व्यवस्थाओं के माध्यम से एक सामान्य नागरिक का जीवन कितना बेहतर करते हैं, उसको कितनी बेहतर स्वास्थ्य सेवायें दे पाते हैं, किस प्रकार से हम उसके शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था कर पाते हैं, जिसको हम फिजिकल क्वालिटी कहते हैं जो कान्सेप्ट आया कि उसके सम्पूर्ण जीवन के सूचकांक को कैसे बदलते हैं। किसी सरकार की सफलता बड़े-बड़े पुल, भवन बनाने में नहीं बल्कि समाज के जो सबसे गरीब नागरिक हैं हम उनके जीवन को कैसे बेहतर कर पाते हैं। उसके दुख को कैसे कम कर पाते उसके कष्ट को कैसे कम कर पाते जो अपने बल पर आय के साधन नहीं इकट्ठा कर पाते हैं इस प्रतियोगिता के दौर में हम उनको कैसे साधन मुहैया करा पाते हैं। जो स्वयं अपने आधार पर अपनी जीविका के साधन न जुटा पायें उनको जीवन जीने में कल्याणकारी राज्य की अवधारण के तहत क्या मदद कर पाते हैं सरकार की सफलता उससे तय होती है। जो अपने आय के साधन स्वयं नहीं जुटा सकते हैं उनके लिये नीतियों और योजनाओं में क्या प्राविधान करें जिस कारण हमारी चीजें वहां तक कैसे पहुंचे यह उद्देश्य होता है। जो विषय मैं लेकर आ रहा हूं वह ऐसे लोगों से सम्बन्धित है जो प्रदेश में अपने बल पर अपना जीवन जीने में समर्थ नहीं। यह परिवार जिसके बारे में मैंने प्रश्नकाल में भी मामला उठाया गोरखपुर में लक्ष्मीपुर गांव का एक विशेष मामला है चार लोगों का परिवार हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माधुरी प्रजापति पत्नी राम सुभग। अभी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 100 रुपये करने की घोषणा की है मैं उसका स्वागत करता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जितना हम लोग ध्यान दे रहे हैं शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले.....

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर अपनी बात रखें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

एक ऐसा परिवार जो गरीबी और भुखमरी में अपना जीवन जी रहा है। राम सुभग की पत्नी माधुरी 8 दिन भूख से तड़पकर मर गई। उसकी एक बेटी जो 18 साल की है वह टी0बी0 का शिकार है वह भी मरने के कगार पर है उसकी छोटी बेटी कुपोषण का शिकार है। प्रश्न यहां यह है कि समाज के ऐसे गरीब लोगों के लिये सरकार क्या करने जा रही है। वहां पर जिलाधिकारी महोदय गये, एस0डी0एम0 गये सबने यह घोषित कर दिया कि यह मौत भूख से नहीं हुई। यह मोत कुपोषण से नहीं टी0बी0 से हुई है। वहां पर पास ही टी0बी0 अस्पताल है लेकिन वहां दवा के नाम पर आइरन और फोलिक एसिड की दवाएं दे दी जाती हैं। जबकि दावा यह किया जाता है कि टी0बी0 के मरीज का पूरा इलाज सरकार द्वारा किया जायेगा। मान्यवर, गरीबों के नाम पर नगर विकास विभाग द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन गरीबों तक यह योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिये कार्ड बने हैं लेकिन शहरों में बहुत से लोग इसके तहत रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। गांवों में रहने वाले गरीब लोगों को इन्दिरा आवास बनाये जाते हैं लेकिन शहरों के लिये यह योजना नहीं हैं बाल्मीकि आवास योजना के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में 558 मकान बन पाये हैं इससे गरीबों के प्रति सरकार अपने दायित्व किस तरह से पूरा करेगी। मैं सरकार से चाहूंगा कि जिस प्रकार माधुरी प्रजापति की भूख से मौत हुई है उस प्रकार प्रदेश की अन्य माधुरी प्रजापतियों की भूख से मोत न होने पाये इसके बारे में तत्काल आवश्यक कदम उठायें

*अब्दुल समद अंसारी हाजी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वाराणसी मण्डल में पिछड़ेपन और गरीबी के कारण भूख से लगातार मौतें हो रही हैं। अभी पिछले महीने वाराणसी मण्डल में लोहता, बजड़िया सारनाथ में पिछले दिनों भूख से कई मौतें हुई हैं। सरकार से हमारा अनुरोध है कि इन मौतों पर गम्भीर चिन्ता करें और बरखूराम, आफताब आलम, सगीर अहमद तीन लोगों की भूख से मौत हुई है इस सम्बन्ध में सदन की एक कमेटी बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति का जायजा लेने के लिये सरकार कमेटी बनाकर उन क्षेत्रों का दौरा कराये और उनको मुआवजा दिलवाया जाय।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, कमजोर लोगों के प्रति, लाचार और अभावग्रस्त लोगों के प्रति सरकार पूरी तरह से गम्भीरता के साथ उनके हितों के लिये प्रतिबद्ध है और इसको नमूना यह है कि जैसे आज मैंने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घोषणा किया कि हमारे प्रदेश में जो मजदूर थे, जिनकी मजदूरी बहुत कम थी वो दिन भर मेहनत करने के बाद भी अपने परिवार को भोजन नहीं दे पाता था। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने पहले खेतिहर मजदूरों की मजदूरी 58 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये की गई थी उसका आज 100 रुपये करने की घोषणा की है। इस बात से निश्चित होता है कि सरकार पूरी तरह से गरीबों के प्रति, उनको अच्छी शिक्षा, सुरक्षा प्राप्त हो सके, उनको रोजगार भी प्राप्त हो सके, इसके लिए चिन्तित है। इसके लिये समय-समय पर कड़े निर्देश भी दिये गये हैं। कोई पहली बार नहीं हमेशा दिये जाते हैं और हर जिले में दिये गये हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर भूख से मरता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी। इस तरह के प्रयास हमेशा किये गये हैं और हम यह सुनिश्चित भी करेंगे। हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूख से मरने नहीं पायेगा। जहां तक बीमारी का सवाल हैं डा0 साहब तो स्वयं डाक्टर हैं टी0बी0 के इलाज के लिये बहुत ही अच्छी दवा का इंतजाम हुआ है और फ्री दवा का इंतजाम हुआ हैं हां अस्पतालों तक उन्हें जाना पड़ता हैं मैं समझता हूं कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है और काफी समय से यह सुविधा उपलब्ध हैं हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि अगर कहीं पर किसी तरह की कोई कमी रह गई है जागरूकता के कारण मरीज वहां तक नहीं पहुंच पाता है तो इसके लिये हम सब मिलकर जन जागरण करने का प्रयास करेंगे। जहां तक कुछ विशेष विषयों की चर्चा डा0 साहब और अंसारी साहब ने की है इसके लिये हम लोग बैठ लेंगे। केवल डी0एम0 और मण्डलायुक्त की रिपोर्ट पर आधारित नहीं होगी। एक बार एक मामले के लिये डा0 साहब ने कहा था लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल रहा है बैठने का।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब बैठ लीजियेगा, मंत्री जी कह रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय मंत्री जी यह ठीक बात नहीं है। आप अपनी बात वापस लें नहीं तो मेरे क्षेत्र में ऐसा मैसेज जायेगा कि आप बैठना चाह रहे थे मैं ही नहीं बैठ रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है, मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं। जब आप लोगों को सुविधा हो तो इस पर बैठ लेंगे और विचार कर लेंगे। डाक्टर साहब और अंसारी साहब ने जो जगह बताई है उसको हम दिखवा लेंगे। हमारा प्रयास होगा कि इस तरह की घटनाएं आगे न हों। यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब, अब्दुल समद अंसारी साहब को और संसदीय कार्य मंत्री को मैंने सुना। मैं इसको नियम-56 में ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं पाता हूं और इसको अग्राह्य करता हूं।

* श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निहायत संवेदनशील विषय पर कार्य-स्थगन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस पर प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता हैं यह विषय किसी राज्य देश का नहीं रहा आतंकवाद की समस्या से पूरी दुनिया ग्रसित हैं अभी हमारे पड़ोसी राष्ट्र में जिस तरह से घटना हुई है वह चौंकाने वाली घटना हैं मान्यवर, कल बम्बई में ट्रेन में धमाके हुए उसके एक वर्ष पूरा होने पर 11 जुलाई को सारा राष्ट्र चिन्ताग्रस्त था। उस समय दो किलो आर0डी0एक्स की बरामदगी 10 एनग्रेनेट, दस डिक्यूनेटर मान्यवर, इलाहाबाद, लखनऊ मार्ग पर संजय गांधी पी0जी0आई0 के पास, आतंकवादी जो हूजी से सम्बन्ध रखते हैं उनकी निशानदेही से बरामद हुआ। यह एक दिन की घटना है और पिछले बीस दिनों की घटनाओं पर नजर डालें तो राजधानी लखनऊ में अकेले मान्यवर, 18 किलो आर0डी0एक्स बरामद हो चुका है। मान्यवर, 18 किलो आर0डी0एक्स, तीन ग्रेनेड, और एक दर्जन से ज्यादा डिक्यूनेटर सिर्फ राजधानी में, और वह भी मान्यवर, किसी दुकान पर नहीं आतंकवादियों की निशानदेही, पर। मान्यवर, सिर्फ जानकारी के लिए कि एक एनग्रेनेड जिसमें सिर्फ 75 ग्राम, मान्यवर, यह दो किलो और कुल 18 किलोग्राम मिला है तो सिर्फ 75 ग्राम आर0डी0एक्स बनता है वह दो सौ स्क्वायर मीटर में तबाही और बरवादी मचा सकता है। तो ऐसे तीस एनग्रेनेड बरामद हुए है। एक अंदाजा इससे लगता है कि बाम्बे में जो ब्लास्ट हुआ था एक साल पहले जिसमें 187 लोग मारे गये थे। सात किलो आर0डी0एक्स प्रयोग समझा जाता है। 1993 में मान्यवर, इसी आर0डी0एक्स से मान्यवर, 300 लोग मरे थे और 1500 घायल हुए थे। तो अगर इन आर0डी0एक्स का प्रयोग कर लिया होता तो लखनऊ का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका होता। बरबाद हो चुका होता। मैं तो बधाई देता हूं एस0 पी0 की उस टीम को जिन्होंने इसको बरामद कर एक खतरनाक घटना को अंजाम के पहले रोक लिया गया। मान्यवर, इस प्रश्न को उठा रहा हूं तो उसके पीछे मकसद है जब हम जाग जाएं यह समय है जब चेत जाएं यह समय है जब तालमेल बैठाकर, क्योंकि जो यहां बरामद हुआ उसके तार कलकत्ता से जुड़े हैं कलकत्ता और लखनऊ के बीच में मान्यवर, कलकत्ता में जो आतंकवादी पकड़े गये उनकी निशानदेही पर हुआ, जो बात बताई वह कम चौकाने वाली नहीं है मान्यवर, इनका एरिया कमाण्डर है अमानुल्ला मंडल उर्फ बाबू उसके साथी नौशाद से जब पूछताछ हुई तो उससे जुड़े मुख्तार मो0 अली, अली अकबर और अजीउर्रहमान को गिरफ्तार किया गया। मान्यवर, इनको स्कायफर रायफल चलाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान में मिली है। अगर देखा जाए तो कई राज्यों में इनका संगठन फैला है मैं इस विषय पर सरकार को सचेत ही नहीं करना चाहता हूं आग्रह भी करना चाहता हूं। वही बधाई देना चाहता हूं एस0टी0एफ0 की टीम को जिसने बरामदगी की है।

इसके पहले कि वह सफल हों, हमारा देश आतंकवाद की भेंट चढ़े, हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, बहुत से लोगों को खो चुके हैं और इसकी कीमत दुनिया के कई देश चुका रहे है लेकिन जितनी कीमत हमारे देश ने चुकाई है, उतनी कीमत शायद किसी अन्य देश ने नहीं चुकाई है लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे राष्ट्रीय दल ने तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, सरकार इस पर विशेष निगरानी करे, विशेष जागरूकता अभियान चलाये क्योंकि बिना जनता के सहयोग के जागरूकता अभियान कभी सफल नहीं हो सकता है, जन आन्दोलन का स्वरूप दिया जाए और सचेत किया जाए प्रदेश के लोगों को कि कोई संदेहास्पद चीज मिले तो उसकी सूचना दें। हम सचेत हो जायें, इस बात के लिए कि ऐसे खतरनाक आतंकवादी संगठन के लोग कहीं रुके हों, जानकारी हो जाए तो इत्तला दें, हम सचेत हो जायें कि भोले-भाले लोग इसका शिकार न हो जायें। जब मैं यह कह रहा हूं तो मैं जानता हूं कि एक संवेदनशील बात कह रहा हूं, खासतौर से धार्मिक संगठनों को जहां से चलाया जाता है, वहां काम करने वाले लोगों को भी सचेत होने की जरूरत है कि कहीं पनाह लेकर यह बर्बादी फैलाने वाले लोग छिपे न बैठे हों। मैं और मेरा दल पूरा सहयोग देगा और इतना मैं कहना चाहता हूं कि इस खतरनाक आंधी और तूफान के बढ़ते हुए कदम उत्तर प्रदेश की ओर चले हैं जिनका ठिकाना कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान हुआ करता था अब इसका रास्ता बदल गया है और अब ढाका इनका नया केन्द्र बनकर उभरा है तो मान्यवर, हमें सचेत होना पड़ेगा कि नेपाल की सीमा जहां उत्तर प्रदेश से मिलती है। ढाका जो एक नए केन्द्र के रूप में उभरा है उस ओर भी सचेत होना पड़ेगा और इस कार्य-स्थगन के पीछे मेरा सचेत करना सरकार को ही नहीं, बल्कि प्रदेश को भी है कि इन आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए हम सबको हाथ से हाथ मिलाकर चलना होगा और सचेत होना पड़ेगा। निःसन्देह इसकी भयावहता को समझते हुए, एक आतंक और भय की स्थिति है, डर की स्थिति हैं मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है, संवेदनशील प्रश्न है। मैं कार्य-स्थगन के माध्यम से उठाते हुए मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आतंकवाद केवल हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के लिए एक गम्भीर समस्या है और उसके लिए सभी सरकारें चिन्तित भी रहती है। प्रदेश सरकार ने भी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कई अलग-अलग जगहों पर जहां पर इसकी समस्याएं ज्यादा रहती है।, अलग से फोर्स गठित करने का भी काम किया है। एस0टी0एफ0 भी बहादुरी के साथ पुलिस के साथ सहयोग कर रही है और केवल एस0टी0एफ0 ही नहीं, उत्तर प्रदेश की फोर्स ही नहीं, बल्कि भारत की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन सब का सहयोग लेकर इन गतिविधियों को रोकने के लिए प्रयास किया जाता रहा है और इस समय प्रयास किया जा रहा है और उसी का परिणाम है कि मान्यवर, यहां हूजी के कई आतंकवादियों को पकड़ा है और उन्हीं की निशानदेही पर इस विस्फोटक सामग्री को बरामद करने में भी सफलता प्राप्त की गई है। मान्यवर, मेरी समझ से यह विषय सार्वजनिक चर्चा का नहीं है, हम अगर इस पर ज्यादा बहस करेंगे कि क्या-क्या इन्तजाम किया गया है, इसकी ज्यादा चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत उचित नहीं होगा। मैं तिवारी जी का स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस सफलता के लिए एस0टी0एफ0 को बधाई देने का काम किया है। यह समस्या सबकी हैं इसलिए सबको मिलकर, एक साथ चलकर ही इस समस्या का निदान पूरी तरह से हो सकता है और इसमें कोई राजनीति नहीं है इसलिए कि यह आतंकवादी न तो धर्म की परवाह करते हैं, न जाति की परवाह करते

हैं और न किसी पार्टी की परवाह करते हैं। इनका शिकार निर्दोष लोग अक्सर हुआ करते हैं इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने काफी सचेत होकर कार्यवाही करने का काम किया है और हमारी सरकार और हमारी सरकार की अगुआ बहन कुमारी मायावती जी का यह संकल्प है कि हमें इस प्रदेश को केवल आतंकवादियों से ही नहीं बल्कि पूरी तरह से अपराधमुक्त बनाने का काम करना है और इस कार्य में हम सबका सहयोग चाहते हैं और इसके लिए कार्यवाही की जा रही है। मैं भी आग्रह करूंगा तिवारी जी से कि इस पर चर्चा कराकर हमें उनको और अवसर नहीं देना चाहिए। जहां तक चर्चा का सवाल है, सामान्य और पुलिस विभाग का बजट आएगा तो उसमें चर्चा का भी अवसर मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मान्यवर, में आपसे आग्रह करूंगा कि इसको नियम 56 के अन्तर्गत अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री प्रमोद तिवारी जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम 56 में नहीं आती है अतः में इसको अग्राह्य करता हूं।

* श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, आपने मुझे प्रदेश और देश की सबसे गम्भीर समस्या पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए में आपका आभारी हूं। मान्यवर, प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या से प्रदेश के लिए बहुत ही गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रदेश और देश की जनसंख्या बढ़ रही है अगर उसके हिसाब से जनसंख्या बढ़ती रही तो वर्ष 2030 में हमारे देश की आबादी 1 अरब 53 करोड़ हो जाएगी और उसके हिसाब से उस आबादी के लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। वर्ष 2002 में जनसंख्या नीति घोषित की गई थी लेकिन 6-7 सालों में इसका कोई ठोस प्रभाव अभी तक प्रदेश में नहीं पड़ा कि जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। देश का सबसे बड़ा प्रदेश जिसकी प्रजनन दर 2016 तक 2.1 रखने का लक्ष्य रखा गया था, इस वर्ष अगर देखें तो 3.8 तक पहुंच चुका है जो 3 वर्ष पूर्व 2004 में ही पूरा हो जाना चाहिए था। मान्यवर, आज जो सदन में चर्चा हुई कि भूख से लोग मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, यह इसी का परिणाम है और देश और प्रदेश की आबादी को घटाना है तो सरकार और संस्थाओं को बैठकर, सोच समझकर एक नीति तैयार करनी होगी और जिन लोगों ने परिवार कल्याण को अपनाया चाहे वह सरकारी कर्मचारी हों, किसान हों, मजदूर हों, उनको इस सरकार को चाहिए कि प्रोत्साहित किया जाय। जिसने नसबन्दी करायी है, दो बच्चे जिनके पास हैं, सरकार उस पर गौर करे। यदि सरकारी कर्मचारी हो तो उसकी पदोन्नति करें, अगर किसान ने करायी है तो सुविधा दी जाय जिससे परिवार कल्याण को भारी पैमाने पर किया जा सके और जो यह प्रदेश और देश की ज्वलन्त समस्या है उस पर काबू पाया जा सके। मान्यवर, में आपके माध्यम से चाहूंगा क्योंकि यह गम्भीर समस्या है, जनसंख्या का बढ़ना संकट भी है, इस पर सरकार को गम्भीर होना चाहिए। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का है इस पर चर्चा हो और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिए चर्चा हो क्योंकि कल 11 जुलाई थी, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। सरकार ने गम्भीरता से इसे नहीं लिया, न पत्रिकाओं में और न ही अखबारों में इस सरकार ने कोई योजना बनायी और न ही यह बताया है कि कैसे जनसंख्या को कम करेंगे, न ही इनकी कोई नीति है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आज हमारे लिए जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है और हम सब लोग चर्चा भी करते हैं। अक्सर यह अवसर मिलता है मंचों से तो इस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कदम उठाने की मांग करते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जो मा0 सदस्य बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष से मेरा निवेदन है कि इसे अन्यथा न लें, इनकी पार्टी के एक मंत्री जी खुले मंच से कहते थे कि खूब बच्चे पैदा करो और खूब पैसा ले जाओ। मान्यवर, निश्चित रूप से आज हम सब लोग गम्भीर हैं और हमारा यह मानना है कि बिना जनसंख्या के नियंत्रण के हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंच पायेंगे यह मुश्किल है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक मंत्री जी का जिक्र आया, मैं नहीं चाहता हूं कि उसकी आईडेन्टीटी डिसक्लोज की जाय और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि जिन मंत्रियों के दो से ज्यादा बच्चे हैं उनका मंत्रिमण्डल से त्याग-पत्र ले लिया जाय और मंत्री उन्हीं को बनाया जाय जिनके दो या दो से कम बच्चे हों। इससे नये लोगों को भी मौका मिल जायेगा।

* राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

मान्यवर, पहले जिन माननीय सदस्य ने यह उठाया है, उनसे जानकारी कर लें कि उनके कितने बच्चे हैं ?

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, हमारे तो दो ही बच्चे हैं। मान्यवर, यह मंत्रिमण्डल में होना चाहिए कि जिनके दो बच्चे हैं उन्हीं को मंत्रिमण्डल में शामिल किया जाय तभी नियंत्रण हो सकता हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बतायें कि उनके कितने बच्चे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी यह बात आप केन्द्र तक पहुंचा दें।

श्री राम बिशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जानकारी कर लें कि संसदीय कार्य मंत्री जी के कितने बच्चे हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण होना आवश्यक है। मान्यवर, जब तक हम लोग यहां पर बैठे जिम्मेदार लोग परिवार कल्याण को नहीं अपनायेंगे तब तक सरकार की नीति सही ढंग से लागू नहीं हो सकती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। परिचय पुस्तिका छपती है। उसमें सन्तान का भी उल्लेख होता है, उसमें आप छपवा दीजिएगा। कोई भी उसमें छुपायेगा नहीं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, राम बिशुन आजाद जी ने आपकी चुनौती स्वीकार कर ली और ईमानदारी से उन्होंने कह भी दिया कि मेरे दो हैं। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा, कभी-कभी ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए जो इतिहास बन जाये। आप ही व्यवस्था दे दें मान्यवर, वहां पर बैठ के कि जिन मंत्रियों के पास दो से ज्यादा बच्चे हों वह अपना त्याग-पत्र आप तक पहुंचा दें। मान्यवर, आप इतिहास पुरुष हो जायेंगे मैं बता रहा हूं आपको अगर यह व्यवस्था दे दें। अगर आपको कोई खतरा न हो तो यह व्यवस्था दे दीजिए और अगर आपको खतरा हो तो मत दीजिए नहीं तो कल को आपके सामने कोई कठिनाई आ जायेगी।

* श्री बृजेश सौरभ-

मान्यवर, एक बात मैं भी कहना चाहता हूं आपकी अनुमति से, माननीय तिवारी जी के दो सन्तानें हैं इसलिए वह तो सारी चीजों से, सारे दायित्वों से मुक्ति पा चुके हैं, इसलिए आज इस सदन के माध्यम से ऐतिहासिक निर्णय करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्य सारे वह सदस्य जिनके पहले रह चुके हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, उनका क्या किया जायेगा। उनके लिए क्या व्यवस्था अपनाई जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उनसे रिकवरी करने की व्यवस्था होगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा यह मानना है कि हम सब लोगों को इस इश्यू पर गम्भीर होना चाहिए और हम अगर इस जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर पायेंगे तो हमारे सारे वित्तीय संसाधन धीरे-धीरे करके कम पड़ने लगेंगे। लेकिन यह कोई कानून बनाने से नहीं होगा और कोई जबरन नहीं होगा। हमारी जागरुकता के बल पर होगा। हम सब लोग स्वतः जागरुक करने का प्रयास करेंगे अगर समाज को तभी इस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। अन्यथा नियंत्रण होना मुश्किल है। जहां तक चर्चा का सवाल है मान्यवर, परिवार कल्याण विभाग का जो बजट आयेगा 17 तारीख को है, आज 12 तारीख है, उस पर सुझाव हम देंगे और उस सुझाव के अनुसार सरकार के माननीय मंत्री जी का उसके सम्बन्ध में जवाब भी आयेगा और हम सब लोग मिलकर ही इस समस्या का निदान कर सकते हैं। जहां तक जागरुकता का सवाल है, इस पर काफी जागरुकता बढ़ी है और इस पर थोड़ा बहुत हम सब लोग और विशेष रूप से जो शिक्षित समाज है वह इस पर गम्भीर हुआ है। हम सब लोगों को मिलकर, समाज को शिक्षित करके ही इसका निदान सम्भव हो सकता है। कार्य-स्थगन के रूप में यह स्वीकार होने योग्य नहीं है क्योंकि चर्चा का अवसर है, 17 तारीख को इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय सदस्य को सुना और माननीय मंत्री जी को सुना,

श्री राम बिशुन आजाद-

एक मिनट मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि आप इसको निरस्त कर देंगे, आपने मुझको सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और इसके बाद सूचना निरस्त।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप कुछ और कहना चाहते हैं ?

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं, यह बहुत ही गम्भीर विषय है चूंकि माननीय मंत्री जी ने बजट की बात कही है, मान्यवर, परसों बजट था, हो-हल्ला में बिना कटौती के बजट पास हो गया। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी भी गम्भीर हैं, वह कह रहे हैं, गम्भीर हैं, लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर इस पर एक घण्टे की चर्चा करा ली जाय, तो इसमें सारे माननीय सदस्यों की सत्तापक्ष और विपक्ष की सबकी भावना आ जायेगी, जो माननीय मंत्री जी की इच्छा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जाय, तो मान्यवर, सबकी भावनायें इस पर आ जायेंगी, इसलिए मान्यवर, जो चर्चा होगी, देश और प्रदेश में संदेश जायेगा कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रदेश का सदन और प्रदेश की सरकार चिन्तित है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी। सरकार भी चिन्तित है, सदन भी चिन्तित है, मानवीय आधार पर सब लोग चिन्तित हैं। इस बात का माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी उल्लेख कर दिया है कि गम्भीर विषय है। इसमें सब लोगों ने अपनी बात को कह दिया।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, इस विषय पर आप भी चिन्तित हैं, आप भी गम्भीर हैं, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप इस गम्भीर विषय पर कम से कम एक घण्टे की चर्चा करवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

इस पर आपकी चिन्ता है और इनकी चिन्ता भी है और यही चिन्ता चर्चा में भी आयेगी, इसलिए यह अग्राह्य है। मैंने माननीय सदस्य को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

* श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, मथुरा एक बहुत पुरानी धार्मिक नगरी है। मान्यवर, यहां पर नगर पालिका परिषद् मथुरा के अन्तर्गत कई वार्ड आते हैं जो टीले पर बसे हुए हैं। जैसे नगर पालिका परिषद् मथुरा के अन्तर्गत शीतला घाटी के वार्ड नम्बर 44 एवं 45 में तथा हनुमान टीला

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्र एवं चौबिया पाड़ा के नगर पालिका के चारों वार्ड में व मनोहरपुरा व मटिया दरवाजे क्षेत्र में पड़ी पेयजल की जलापूर्ति की पाइप लाइन एवं सीवर लाइन की पाइपें काफी जर्जर हो गयी हैं। यह पाइप लाइनें लगभग पचास वर्ष पूर्व की पड़ी हुई हैं। मान्यवर, उनसे पानी का रिसाव हे रहा है उससे वह टीले धंस रहे हैं और इन मोहल्लों के हजारों मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। मान्यवर, किसी भी दिन इसको लेकर बहुत बड़ी घटना हो सकती है। जनधन की हानि हो सकती है। यह खबर भी आ सकती है कि हजारों लोग इसमें मारे गये हैं। मान्यवर, इन बस्तियों के जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुये हैं उनकी मरम्मत करायी जाय और पानी की पाइप लाइनों को यथाशीघ्र बदला जाय तथा जल निकास की नालियों की मरम्मत करायी जाय। इसके साथ ही साथ पाइप लाइनों के बदलने के बाद क्षतिग्रस्त गलियों की मरममत करायी जाय और जो प्रभावित लोग हैं उनको तुरन्त मुआवजा दिलाया जाय। मान्यवर, यह गम्भीर विशय है आप यहां से एक टीम भेजकर उसका मुआयना करवा लें ताकि शासन को विस्तृत जानकारी हो सके। वहां के नागरिक इस स्थिति में बहुत ही परेशान हैं। यह हालत हो गयी है कि इन मकानों के लोगों को अन्यत्र जाना पड़ रहा है। जिला प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। इसलिए मांग कर रहा हूं कि तुरन्त ऐसे प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाया जाय। तुरन्त जर्जर और पुरानी जलापूर्ति की पाइप लाइनों और सीवर लाइनों को बदलवाया जाय। मान्यवर, मथुरा पर्यटन की दृष्टि से एक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की नगरी है। पूरे देश और विदेश के लोगों का यह आकर्षण का केन्द्र है। ऐसी स्थिति अगर वहां विद्यमान रहेगी तो जो पर्यटक आयेंगे उनके आगे यह जो कृष्ण जी की जन्म स्थली है क्रीड़ा स्थली है उसकी बदनामी होगी। इस पर चर्चा करायी जाय और तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ करवायी जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह तो ध्यानाकर्षण के रूप में विषय को लाये हैं। यह लोकल प्रशासन से सम्बन्धित है। मान्यवर, आगे नगर विकास विभाग का बजट आयेगा वह उसमें अपनी बात को रख लेंगे और उसका पूरा जवाब भी मंत्री जी देंगे। यह विषय कार्य स्थगन की सीमाओं के अन्तर्गत नहीं आता है। इसलिए इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, अत्यन्त गम्भीर विषय है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे दिखवा लूंगा।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, किसी भी दिन आप अखवारों में पढ़ेंगे कि वहां के हजारों लोग मारे गये है। किसी टीम को वहां पर भेज दें। प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाया जाय और क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलवाया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस पर माननीय श्री प्रदीप माथुर और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, उन्होंने इसे दिखवाने की बात कही है। मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, आपने मुझे मेरे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया है उसके लिये आभारी हूं। मान्यवर, हमारा जनपद बांदा बुन्देलखण्ड का अत्यन्त पिछड़ा जिला है। उसमें सबसे पिछड़ा क्षेत्र बबेरू है। जहां से मैं चुनकर आया हूं। मान्यवर, हमारे जनपद में तीन बांधों से सिंचाई का काम चलता है। एक रनगवां है, गगऊ है और बरियारपुर है। यह बांध जो हैं इनमें मध्य प्रदेश से पानी आता हैं रनगवां वन्ने नदी पर है। मान्यवर, पिछले 3-4 साल से बांदा जनपद सूखे की चपेट में है सिंचाई की व्यवस्था हो नहीं पाई, पानी मिल नहीं पाया लेकिन इस समय वहां के किसानों से जिस तरह जबरिया वसूली की जा रही है सिंचाई की, सिंचाई का पानी मिला नहीं और इस तरह से हजारों बीघा जमीन पड़ी रह गयी उसको पानी नहीं मिला। किसान अपनी जमीन देख-देखकर रोता था उस पर कोई फसल पैदा नहीं हुई इसके बाद भी इस समय इस कदर वसूली चल रही है क्योंकि आधी सरकार तो हमारे जिले की है लेकिन कोई बिल्कुल कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है वहां का किसान पलायन करने की स्थित पर आ गया है। कमासिन ब्लाक और बबेरू ब्लाक बिल्कुल टेल पर बसा हुआ है दसियों साल से वहां पानी नहीं गया है लेकिन इधर पिछले 4-5 साल की वसूली इस कदर की जा रही है जिससे किसान परेशान हैं यह लोकमहत्व का प्रश्न है मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने का काम किया जाय।

* श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर विशम्भर सिंह यादव जी ने जो बात कही है उस पर बल देते हुए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर यह कहना चाहता हूं कि चूंकि जनपद बांदा में कई साल से सूखा बाढ़ से वहां किसान परेशान है और इतने बड़े पैमाने पर अमीनों को टारगेट दे दिया गया है वसूली का कि छोटे किसानों से वसूली की जा रही है और किसान लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। मान्यवर, अव्यवस्था यह है कि सिंचाई लिखने वाला कोई है खसरा खतौनी को देखकर सिंचित असिंचित दर्ज कर लिया। जो नलकूप हैं उनके ट्रांसफार्मर के तेल निकाले गये। मान्यवर, उनमें सिंचाई हुई नहीं और किसानों से जबरन वसूली की जा रही है। ट्यूबवेल पर कोई अमीन लिखने वाला नहीं है। उन्होंने दो साल से सिंचाई की नहीं है और वहां हजारों को नोटिस आ गयी। इसलिये यह प्रश्न अविलम्बनीय है और लोकमहत्व का है इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय। इसमें हम यह चाहते हैं सरकार से कि छोटे किसानों की वसूली रोक दी जाय और जहां पर ट्रांसफार्मर जले थे ट्यूबवेल चले नहीं और सिंचाई लगा दी गयी है और किसानों ने सींचा नहीं है वह सिंचाई माफ की जाय। यह स्पष्टीकरण चाहते हैं।

आवकारी, लोक निर्माण मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, जहां तक नहरों में पानी देने का सवाल है तो जिन बांधों का जिक्र माननीय विशम्भर यादव जी ने किया है रनगवां और बरियारपुर। मान्यवर, हमारे दोनों विशम्भर बंधु जानते हैं कि इन जलाशयों में पानी जब वर्षा का आता है तभी नहरों में दिया जाता है। भले ही यह वहां नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गये हो, वह मेरा क्षेत्र है नरैनी से लगा हुआ है, यह तो गये नहीं होंगे इन्होंने सुन लिया होगा और सुनकर यहां कह दिया। यह सच्चाई है कि जो वहां पर नहरे हैं तो इन बांधों से 4-7-2007 को पानी चलाया जाना प्रस्तावित था लेकिन जब वर्ष नहीं हो पाई तो इसको बढ़ाकर 15-7-2007 तक कर दिया गया है। 15-7-2007 को इसका पानी चलाया जायेगा। जहां तक नलकूपों का प्रश्न है तो 463 नलकूप हैं जनपद में जिनमें से 18 कमीं के कारण बन्द हैं शेष चल रहे हैं। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा जब प्रश्न में लिखा गया कि हजारों की तादाद में किसान आत्महत्या तथा पलायन करने को मजबूर है एक आत्महत्या बता दें पूरे जनपद में। उसी जनपद से मैं हूं उसी जनपद से हमारे दोनों बंधु हैं जितना इनको ज्ञान है उससे ज्यादा मुझको ज्ञान है यह एक ही जनपद का मामला हैं जहां तक पलायन की बात है तो किसान वसूली के कारण पलायन नहीं कर रहे हैं। यह सच्चाई है कि कुछ लोग कामकाज की तलाश में रोजगार की तलाश में कुछ मजदूर तबके के लोग, दूसरे जनपद दूसरे प्रान्त, दूसरे शहरों में गये हैं और और अगर नाम न मालूम हो तो नाम व पता मैं बता दूं और आपको मालूम हो तो कोई एक बतायें, जहां पर पानी नहीं गया और पानी न जाने के बावजूद भी फलां गांव के फलां व्यक्ति से वसूली हुई या वसूली के लिए दबाव डाला जा रहा है, मैं दिखवा लूंगा, अगर पानी नहीं गया है, तो कतई वसूली नहीं होगी और ऐसा करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही होगी।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी हल्केपन से जवाब दे रहे हैं। यह किसानों का मामला है और अमीनों को टारगेट दे दिये गये हैं और लोग पलायन कर रहे हैं, इस बात को मंत्री जी स्वीकार किये हैं। जहां तक आत्महत्याओं की बात कही है तो जब आदमी के पास कुछ रहेगा नहीं, कुछ खायेगा नहीं, पियेगा नहीं और उसके खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ और घर में कुछ नहीं है तो वह आत्महत्या तो करेगा ही, मरेगा ही। तो हमने इसलिए इस लोक महत्व के प्रश्न को रखा है। इसलिए मंत्री जी से चाहते हैं कि बाढ़ से बांध टूट गये थे, तब से तगातार पानी नहीं रहा और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं। मान्यवर, टेलों की बात दूर, नहर में पानी नहीं पहुंचा और सिंचाई लगा दी गयी तो क्या जहां पानी नहीं पहुंचा, वहां सिंचाई माफ करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने इस बात को सुनिश्चित कर दिया कि अगर जिन किसानों के खेतों में पानी नहीं गया है, मैं उनमें वसूली नहीं कराऊंगा। अगर कोई अधिकारी इस तरह की अनियमिततायें करता है तो मैं उनके खिलाफ कार्यवाही भी करूंगा। अब जो मेन मसला था आपका, जिसे आपने हाईलाइट किया है, अगर इस तरह का कोई प्रकरण हो तो आप व्यक्तिगत रूप से भी दे दें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने तेल निकालने की बात कही है, अब किसी का तेल जनता ने भी निकाल दिया तो मैं क्या करूंगा। किस-किस के तेल निकालने की मैं बात करूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह किस तरह जवाब दे रहे हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैं सही जवाब दे रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह क्या जवाब है, आप कार्यवाही देखें माननीय मंत्री जी ने जहां से बात शुरू की है। प्रश्नकर्ता से यह कहा है कि आप तो नहीं गये होंगे और आपने प्रश्न कर लिया। मैं गया हूं, मैंने ऐसा-ऐसा देखा है। अब तेल निकाल लिया है, मान्यवर, यह अन्दाज ठीक नहीं है। यह जवाब देने का व्यंग्य का अन्दाज ठीक नहीं है। पहले भी मंत्री रह चुके हैं, आप समझाइये इन्हें कि यह अन्दाज ठीक नहीं है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पहले यह खुद को समझ लें फिर मुझे समझायेंगे। आप अपना अदांज सुधार लीजिए। संसदीय ज्ञान क्या होता है, समझ लीजिए। बहुत हो गया। कोई असंसदीय बात नहीं बोली गयी। विद्वता का मतलब यह नहीं होता कि जब देखो जिसको धमकाया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय आजम खां साहब, इतना होता रहता है।

(एक साथ सदस्यों के बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मैंने कहीं गलत नहीं कहा है और यह माननीय सदस्य का आरोप सरासर गलत है। मैं कहता हूं एक बता दें कि आत्महत्या हुई हो, किस गांव के, कौन से आदमी ने आत्महत्या की। मैं जांच कराऊंगा। आंख दिखाने से काम नहीं चलेगा।

(एक साथ कई सदस्यों द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये। हो गया, निषाद जी।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

और मान्यवर, माननीय आजम खां साहब को सद्बुद्धि दीजिए। कैसे बात किया जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन्हें सिखाइये। किसी चीज की हद होती है जिसको नहीं उसको आंख दिखाते हैं। मान्यवर, हमारा भी सम्मान है। मान्यवर, आप इन्हें सद्बुद्धि दीजिए। बहुत हो गया।

*हाजी याकूब कुरेशी-

पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि आजम खां का क्या करेक्टर है, क्या अंदाज है, क्या लोगों से व्यवहार है।

(तनावपूर्ण माहौल में सत्तापक्ष और समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मिनिस्टर रहे तो अधिकारियों को बन्द करके मारा जाता रहा है, कौन नहीं जानता है ? आज हमको सिखा रहे हैं, हमको अनुशासन सिखाया जा रहा है, पहले खुद तो अनुशासित हो जाएं, फिर दूसरे को सिखायें। हमें नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, पूरे सदन को नहीं मालूम कि इनके जमाने में अधिकारियों को कमरे में बन्द करके मारा जाता रहा है। हम अनुशासित लोग हैं, हम इज्जत करना जानते हैं और इज्जत भी चाहते हैं, इसलिए मान्यवर, आप आजम खां साहब को समझाइये, इनको सद्बुद्धि दीजिए, यह उचित नहीं है।

हाजी याकूब कुरैशी-

पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, क्या निर्वहन है क्या असलियत है ? एम0बी0बी0एस0 डॉक्टरों को मुर्गा बनाया गया और आप दूसरों की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये, एक सूचना पर चर्चा चल रही थी, माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद जी और श्री यादव जी की बात पर एक व्यवस्था किया इन्होंने। उसमें इन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी आप नहीं गये होंगे लेकिन मैं गया हूं। दूसरा बांदा जनपद की जानकारी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं वहां जिस प्रकार की व्यवस्था है, उसमें कोई कटाक्ष की व्यवस्था नहीं थी कि नहीं गये होंगे, नहीं गये होंगे आप लेकिन मैं गया हूं, इसमें कोई बहुत कन्ट्रोवर्सी की पोजीशन नहीं पैदा हुई। उन्होंने कहा कि पानी नहीं मिल रहा है या तेल नहीं मिल रहा है। एक बात उन्होंने कह दिया कि कुछ लोगों का तेल निकाल दिया, निकल गया या तेल निकाल दिया जनता ने, उसको कहां से आप संज्ञान ले लिए कि 10-15 मिनट तक इस प्रकार का माहौल बना रहा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं मान्यवर, आपसे इस बारे में संरक्षण चाहिए, इसलिए चाहिए कि गम्भीर प्रश्न था। बात शुरू यहां से हुई कि आप सदस्य होते हुए भी, जो वहां से प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसका प्रश्न है उससे यह कहा जा रहा है कि आप तो वहां नहीं गये, मैं वहां गया था। प्रश्नकर्ता को अपने लोगों को जवाब देना है, उसके लिए यह सन्देश जा रहा है कि जो प्रश्न कर रहा है वह किसी से सुनी-सुनाई बात पर प्रश्न कर रहा है और यही कहा माननीय मंत्री जी ने कि आप सुनी-सुनाई बात पर प्रश्न कर रहे हैं, आप नहीं गये मैं गया हूं। आप कार्यवाही में देख सकते हैं और प्रश्न की समाप्ति इस बात पर होती है कि कुछ लोगों का तेल निकल गया। यह व्यंग्य का अदांज ठीक नहीं है, इसमें आपका संरक्षण चाहिए। जिस माननीय सदस्य ने सवाल किया है उसे जवाब देना है वहां जाकर, इसलिए आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मैं सम्मान और संरक्षण के लिए आपका सहयोग चाह रहा हूं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आप भी सदस्य थे और आज भी हैं, पिछली सरकार में यहीं से एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि दो कौड़ी के लोग सामने बैठे हुए हैं, यह बोलेंगे, यह शब्द कार्यवाही में है, निकलवा करके देख लीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह उसका बदला है, यह बदले की सरकार है, यह उन शब्दों का बदला लिया जा रहा है, सारा काम बदले की भावना से हो रहा है, तीन-तीन साल पुराने मुकदमें कायम किये जा रहे हैं। बदले की भावना से नहीं चल पायेगी कोई सरकार।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पहले सुन लें, पहले सुन लें पूरी बात को। यह कोई बात हुई कि जब देखो तब आजम खां साहब को गुस्सा आ गया, गुस्से से बोलना शुरू हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त हो जाएं, इस प्रकार का माहौल न बनायें। कृपया आप लोग बैठ जाएं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बदले की भावना से नहीं चल पायेगी कोई सरकार।

श्री अध्यक्ष-

सबका सम्मान रखना है, इसको इतनी कटुता में मत लीजिए।

(हाजी याकूब कुरैशी द्वारा कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये। मैंने श्री विशम्भर सिंह यादव व श्री विशम्भर प्रसाद निषाद को तथा माननीय सिंचाई मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, अतः इसे निरस्त करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, बदले की भावना से कब तक काम होगा ? अभी जो मंत्री जी ने कहा कि क्योंकि ऐसा कहा गया था, उसका बदला कब तक लिया जायेगा। ये सदस्य कब तक बदले की भावना के शिकार होंगे, समाजवादी पार्टी कब तक बदले की भावना की शिकार होगी ?

(श्री मोहम्मद आजम खां के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सदन की वेल में आ गये और नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

किसान विरोधी बात कहां से आ गयी, कोई मतभेद की बात नहीं है। माननीय सदस्यगण आप लोग अपने आसन पर चलिए। आजम खां साहब, अपने आसन पर चलिए और वहां से अपनी बात कहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां (वेल से)-

माननीय अध्यक्ष जी, जो कहा गया उसे आपने सुना होगा, तो कब तक बदले की भावना से काम होगा।

श्री अध्यक्ष-

आजम खां साहब अपने आसन पर चलकर बोलिये।

(श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा टोकाटाकी की गयी)

(श्री मोहम्मद आजम खां अपने सदस्यों के साथ अपनी सीट पर वापस चले गये)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर राजनैतिक बदले की भवना की सीमा यही रहेगी क्योंकि ऐसा कहा गया था, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं।

(श्री हाजी याकूब कुरैशी द्वारा खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

हाजी साहब आप बैठ जाइये, एक चीज सुन लीजिए, कोई बात कह रहे हैं तो सुनने की आदत डालिए, पहले उनकी बात सुन लीजिए। आजम खां साहब अपने चेयर से कोई बात कह रहे हैं तो उसे सुनिये। इस तरह से खड़े हो जाना गलत बात है। आप क्यों इतना उत्तेजित हो गये हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, क्या मखौल बना रखा है इस सदन का। इस तरह से राजनैतिक बदले की भावना से काम होगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

यह तरीका नहीं है। श्री आजम खां अपने आसन पर चले गये हैं उनकी बात का मंत्री जी जवाब देंगे। आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी, हमें इस बात का अहसास है कि आप सदन को अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं। एक आध लोग जो बराबर विपक्ष के लिए खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए बदले की भावना के मकसद से काम कर रहे हैं। आप उन्हें रोकना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा हादसा सदन में करना चाहते हैं जो ऐतिहासिक हो जाय आप रोकना चाहते है। कुछ लोगों ने अपनी सीमाओं से बहुत आगे जाकर माहौल को खराब करने का प्रयास किया है आपने रोका है उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन बार-बार रोज किसी न किसी मंत्री द्वारा यह कहना क्योंकि आपके द्वारा ऐसा किया गया इसलिए ऐसा किया जा रहा है आज भी एक पुराने मंत्री ने और जिनकी मजबूत हैसियत है उन्होंने कहा कि आपने ऐसा किया था इसलिए आपके साथ ऐसा किया जा रहा है। हमने जो किया था उसका हमको ईनाम मिला है और आप वहां बैठे हैं और हमसे जो गलती हुई है उसकी सजा में हम यहां बैठे हैं। मान रहे हैं लेकिन आपको सीख देना चाहता हूं कि वह न करें जो इधर से हुआ है क्योंकि आपका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। यह जो धमकियां दे रहे हैं हम यह मानते हैं कि यह धमकियां सच हैं क्योंकि साढ़े तीन-तीन साल के पुराने मामले हमारे ऊपर कायम किये जा रहे

हैं। हमें मार्च, 1975 का इमरजेंसी का समय याद आ रहा है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में हम धमकियां न सुनने के लिए सदन से बहिर्गमन करते हैं। इतना तो कर सकते हैं।

(श्री मोहम्मद आजम खां समाजवादी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री रंगनाथ मिश्र)-

विपक्ष के माननीय सदस्य आजम साहब ने यह बात कही कि हमेशा सत्तापक्ष के लोग धमकी में यह बात कहते हैं। आपने किया था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। मान्यवर, यह लोकतान्त्रिक व्यवस्था है। अगर हम पिछली सरकार के पिछले कार्यों की चर्चा नहीं करेंगे हम उसके मुकाबले में उसके एवज में क्या करना चाहते हैं अगर इस बात को नहीं कहेंगे तो फिर कैसे सदन चलेगा और कैसे व्यवस्था होगी ? इसमें कहीं भी यह बात आलोचनात्मक नहीं है। नई सरकार क्या करने जा रही है उसका किस ढंग से उल्लेख करेंगे। हमने यह बात कही कि आपने यह किया था आपके शासन में यह व्यवस्थाएं थीं आपके शासन में यह गड़बड़ी थी हम यह करने जा रहे हैं यह कहीं से धमकी में नहीं आता है। नसीमुद्दीन भाई ने जो बात कही कि आपने कुछ लोगों का तेल निकाल लिया यह कहां से असंसदीय हो गया ?

श्री अध्यक्ष-

तेल किसका निकला वह जाने। अब जाने दीजिए।

श्री रंगनाथ मिश्र-

उन लोगों ने निश्चित रूप से धमकी भरी बात कही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों की नीयत ठीक नहीं है इनके समय में पहले भी घटनायें हुई हैं और फिर उसकी पुनरावृत्ति करना चाहता हैं इसलिए उन्होंने यह बात कही।

श्री अध्यक्ष-

इतिहास की याद न दिलाइये जो हो गया वह हो गया। चर्चा होती है। सत्ता विपक्ष के माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार है। यह सब लोकतंत्र में होता रहता है। अगर किसी को पसन्द नहीं आता है तो कोई सदन का बहिष्कार करता है। यह सब परम्पराएं हैं, ऐसा होता रहता है। ओम प्रकाश जी कहिये क्या कहना चाहते हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इस सदन में आये दिन ऐसे दृश्य उपस्थित हो रहे हैं कि हम सब मूक दर्शक और असहाय की तरह बैठे रहते हैं। मान्यवर, अब या तो आप नियंत्रित करें या फिर मान्यवर, सदन को दो वक्त बांट दें कि शांतिपूर्ण लोगों के लिये अलग रहे और इन लोगों के लिये अलग रहे। मान्यवर, आपको भी कठोर होना पड़ेगा इस तरह के दृश्य से बचने के लिये संसदीय कार्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों को भी बचना होगा।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य लॉबी से सदन की प्रेस गैलरी तरफ आकर नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

जब बहिष्कार किया है तब यहां पर इस तरह से क्यों। आज़म साहब आप बहिष्कार किये है। यह कोई तरीका नहीं है कि एक बार आप घोषणा करें कि हम सदन से बहिष्कार कर रहे हैं

और उसके बाद गैलरी से नारे लगायें। इस तरह की परम्परा नहीं है। इस तरह से तो परम्परा टूट रही है।

(समाजवादी पार्टी में सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बाहर चले गये)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं जानता हूं कि इसके पीछे बहुत छिपी हुई घटनाएं हैं। इस प्रदेश में जिस तरह से राजनीति कुछ वर्षों से चल रही है उससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और उस पीड़ा के कारण से यह नहीं कहा जा सकता कि जो गांठें पड़ी है वह सरल हो जायेगी। इस संसदीय परम्परा में शालीनता का, मर्यादाओं का और आचरण का बहुत ध्यान रखा जाता है। जो गल्तियां करता है, मान्यवर, जनता एक ऐसी मूक न्यायालय है जो किसी से प्रमाण नहीं मांगती है, लेकिन समय आने पर जजमेंट दे देती है। और जजमेंट हो गया है। शब्दों का प्रयोग निश्चित रूप से उत्तेजक जब होता है। पूर्व घटनाएं, पूर्व पीड़ाएं, पूर्व अनुभव उसके पीछे रहते हैं। इसलिये कहना चाहता हूं कि चर्चा के समय अगर इधर से कोई गल्ती होती है और उधर के किसी रि-एक्शन पर कोई ऐसी बात है जिससे पीड़ा पहुंचती है तो उसका जवाब वरिष्ठ मंत्री दे दें, संसदीय कार्य मंत्री दे दें। यह सब के सब जो दोनों तरफ से उठ जाते हैं इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता। एक पुरानी कहावत है-लाल कपड़ा देखकर...

(किसी सदस्य द्वारा कहने पर कि सांड)

मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करता चाहता। लाल कपड़ा देखने से कुछ भड़क जाता है। जैसे ही इधर से कोई खड़ा हुआ उधर कुछ लोग भड़क जाते हैं। इसे तो रोका जा सकता है। (व्यवधान) यह मान लेते हैं कि कभी इधर भड़कते हैं कभी उधर भड़कते हैं। लेकिन मान्यवर, इससे बड़ा दृश्य खराब होता है। आप कोई न कोई अंकुश लगाएं। मैं वरिष्ठ लोगों से भी आग्रह करूंगा कि संयम रखें। शब्दों का जबाव शब्दों से दें। जिस स्तर का व्यक्ति है उस स्तर का जबाव दें। पूरा सदन जबाव दे और संसदीय कार्य मंत्री जी वरिष्ठ सदस्य बैठाते रहें संकेत करें मा0 सदस्य न बैठे तो यह सदन नियंत्रित ढंग से, शालीन ढंग से नहीं चलेगा। बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो रही है निश्चित है संसदीय परम्परा में बहुमत को ज्यादा मर्यादित रहने अपेक्षा होती है। जैसे कि परिवार में बड़े से ज्यादा शालीन रहने की अपेक्षा होती है। मैं किसी एक को नहीं कहता जब होता है दोनों तरफ से होता है। तो-

"रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाय,
टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए।"

चुनकर तो यही आना है लेकिन गांठ पिछली घटनाओं से जो पड़ जाती हैं वह गांठे कष्ट देती रहती है। तो जो संसदीय परम्परायें हैं उसका पालन होना चाहिए वरिष्ठ लोग परम्पराओं का पालन करायें और आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो हम लोग दर्शक नहीं बनेगें। क्योंकि कष्ट होता है। अगर आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो फिर यह स्थिति आएगी कि हम इस दृश्य में भागीदार बनने से अच्छा है कि हम वाक आउट करते रहें जब तक यह स्थिति सुधर न जाए। तब तक आने का मतलब नहीं है। बहुत कष्ट होता है। क्योंकि जब मीडिया लिखता है तो यह पूरे सदन के बारे में लिखता है और उसके भागीदार हम भी बनते हैं। इतना करते हुए मैं कहना चाहूंगा आगे आप नियंत्रण करें और उधर से भी

क्योंकि जनता ने आपको बहुमत दिया है, जबाव देने में तो नसीम साहब पर्याप्त हैं। संसदीय कार्य मंत्री पर्याप्त है। ईंट का जबाव पत्थर से देने में सक्षम हैं इसलिए सभी जबाव न दिया करें।

श्री अध्यक्ष-

मैं तो नियंत्रित करूंगा लेकिन लाल कपड़े वाला कैसे नियंत्रित होगा।

(हंसी)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, निश्चित रूप से हम लोग संसदीय परम्पराओं के अनुसार लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुसार इस सदन को चलाना चाहते हैं और इसमें कार्यवाही में भाग लेना चाहते है। हमें इस बात की खुशी भी है कि इस बार बहुमत सदस्यों का संसदीय परम्पराओं पर विश्वास करने वाला है। मैंने इस बात को भी देखा है कि अधिकांश सदस्य उन स्थितियों से अपने को अलग रखना चाहते हैं लेकिन मान्यवर, एक कहावत है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। कहीं का गुस्सा कहीं पर, उतारा जाए, कहीं से पीड़ित होकर अगर कोई व्यक्ति सदन में अमर्यादित हो और वह भी वरिष्ठ व्यक्ति अमर्यादित होगा तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत उत्तेजना बढ़ जाती है। हम सब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी नेता का भी यह निर्देश है कि हम शालीनता के साथ सदन की कार्यवाही चलाएं। मा0 ओम प्रकाश जी तो यहां बहुत दिनों से रहे हैं। बहुत से क्षण ऐसे आते हैं कि थोड़ा बहुत उत्तेजना बढ़ती है लेकिन अमर्यादित शब्दों का प्रयोग वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा किया जाए यह उचित नहीं है। मैंने देखा है समाजवादी पार्टी के तीन चौथाई सदस्य बढ़िया सदन चलाना चाहते हैं और जिस दिन माननीय उप नेता सदन में नहीं रहते है उस दिन कोई कटुता नहीं होती है।

(हंसी)

मान्यवर, अगर कोई भी मेरी बात अनुचित हो तो मैं सदन की मर्यादा के अनुसार, मैं अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाऊँगा और हम यह चाहते हैं कि इसी भावना से हम सब लोग इस सदन को चलायें। कभी-कभी उदाहरण प्रस्तुत होते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि मा0 सिंचाई मंत्री जी द्वारा जिस शब्द का प्रयोग हुआ वह कदाचित् संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे उत्तेजना होती, खासकर जो वरिष्ठ सदस्य हैं, उन लोगों को। यह कोई क्लास तो है नहीं। सब लोग चाहे नए चुनकर आए हैं या पुराने चुनकर आए हैं, जनता ने सबको इस सदन में चुनकर भेजा है और जब जनता ने चुनकर भेजा है तो सबका सम्मान बराबर है और हमें एक दूसरे के सम्मान को ध्यान में रखकर कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन यह मान लें कि हमारे अलावा और किसी को कुछ नहीं आता, हमारे अलावा कोई संसदीय जानकारी नहीं रखता, हमारे अलावा कोई शिष्ट नहीं है, हमारे अलावा किसी दूसरे को बोलने का अधिकार नहीं है तो यह अहंकार है और हम चाहते हैं, सदन के माध्यम से, मेरी अपील है हम सब लोगों को कि अपने अहंकार के आधार पर हम लोकतंत्र की हिफाजत नहीं कर सकते हैं और इस मर्यादा में रहते हुए निवेदन करूंगा, हम लोगों को अब इतना न समझ लें कि हम बिल्कुल जानकार नहीं हैं, हमें भी संसदीय जानकारी है, संसदीय मर्यादाओं का अक्षरशः पालन करने वाले मर्यादित लोग हैं और चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज

पार्टी से ज्यादा अनुशासित शायद इस देश में कोई पार्टी हो और उस सीमा में रहते हुए हम सभी वरिष्ठों का सम्मान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे किसी भी कार्य से अगर मा0 सदस्यों को कहीं भी आघात लगता है तो हम तो अपने शब्द तत्काल वापस लेने के लिए तैयार रहते हैं, कोई हमारी तरफ से प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनता है और हम चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से आज 12 तारीख हो रही है, काफी दिनों से सदन की कार्यवाही चल रही है, थोड़ा समय और रह गया है, 12-15 दिन और बचे हैं, बैठकें तो कम ही होंगी, थोड़े ही दिन बचे हैं और उसके बाद मा0 सदस्य अपने क्षेत्रों को जायेंगे। ऐसी अपील करते हुए हम चाहेंगे कि यही पर इस बात को समाप्त करके आगे का बिन्दु ले लें।

श्री लालजी टण्डन-

अध्यक्ष जी, हाजी साहब रोज खड़े होते हैं। एक दिन समय दे दें, जो यह कहना चाहते हैं, कह लें। क्योंकि इधर से भी होता है, वह हाथ फेरने लगते हैं हाजी साहब को बार-बार हाथ फेरने से तो रोका नहीं जा सकता लेकिन उन्हें जो कहना है, उसका अवसर दे दें तो शायद कम हो जाए और व्यवस्था में भी आपको सहूलियत होगी।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, नियम-56 की सूचना मैंने कल दी थी।

श्री अध्यक्ष-

अभी ध्यानाकर्षण चल रहा है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपको और आपके माध्यम से इस सदन को बधाई देना चाहता हूं कि जितना बढ़िया सदन इस बार चल रहा है, मैं लगातार 8 बार से सदन को देख रहा हूं यह सदन इतने शांतिपूर्ण वातावरण में शायद ही कभी चला हो। मान्यवर, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, संसदीय कार्य मंत्री की, नेता विरोधी दल की है, दलीय नेताओं और अन्य नेताओं की है। जितने ज्यादा नए सदस्य इस बार सदन में बोल रहे हैं उतने नए सदस्यों को बोलते हुए नहीं देखा है। सदन का वातावरण काफी अच्छा बना हुआ है। सामान्यतः यह होता था कि नए सदस्यों के आचरण से सदन प्रभावित हुआ करता था। मैं नए सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि आज तक कम से कम अभी तक उन्होंने ऐसा कोई आचरण नहीं किया है जिससे सदन में आपको या हम लोगों को असुविधा हुई हो। अगर कहीं कुछ हो रहा है तो पता नहीं मान्यवर। मान्यवर, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि नसीमुद्दीन जी कुछ गलत नहीं बोले। श्री निषाद जी तिंदवारी के रहने वाले हैं, तो यह कहना कि आप गए हम नहीं गए, इसमें उन्होंने कोई असंसदीय बात नहीं की थी। अगर इस बात को न बढ़ाया जाता और यह बात इतनी बढ़ती भी नहीं लेकिन क्यों बढ़ी यह आप जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं।

श्री रंगनाथ मिश्रा-

आप तो न डरिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं अगर किसी से डरता हूं तो सिर्फ इनके साले से डरता हूं और किसी से नहीं डरता हूं। मान्यवर, यह सदन किसी आइडियल टेम्परेचर पर नहीं चलेगा कि 22 डिग्री पर सेट कर दिया तो 22 डिग्री पर चलेगा। मान्यवर, मेरा कहना है कि इसके सम्बन्ध में बात करने के लिए आप अपने कक्ष में सबको बुला लें। आज कोई वजह नहीं थी कि इस पर उत्तेजित हुआ जाता। ऐसा होने के पीछे कुछ तो होगा। उस कुछ का पता लगाएं और मैं कहना चाहता हूं कि एक सामान्य सदस्य को अधिकार है, एक मंत्री को भी कुछ अधिकार है, उसका संरक्षण होना चाहिए और सामान्य सदस्य के भी अधिकार का संरक्षण होना चाहिए। अगर आप कोई बात अपने दबाव से कह दे तो वह सुन ली जाए और अगर वह अपनी कोई बात उतने दबाव से न कह पाएं तो वह न सुनी जाए तो यह अच्छी बात नहीं है। मान्यवर, जितने दिन का समय बचा है तो इसमें और अच्छा हो जाए। मान्यवर, आप जैसा बढ़िया व्यक्ति ढूंढ़ने पर भी नहीं मिलेगा। मान्यवर, जो बात मैं कह रहा हूं इसका ख्याल रखिएगा कि आप बहुत बढ़िया हैं। मान्यवर, एक बात यह कि मैंने अच्छी बातें बहुत सीखी है और खराब बातें इन्हीं से सीखी हैं। इनको देखकर मेरी हालत वही होती है जो घर में उनको देखकर होती है। तो मान्यवर, एक दिन सबको बुलाकर बैठकर बात कर लें। सदन अच्छे वातावरण में चले। मान्यवर, मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को, राष्ट्रीय लोक दल के सदस्यों को, मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को और सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि सभी सामूहिक रूप से मिलकर सदन बहुत अच्छा चला रहे हैं। अगर कुछ थोड़ा बहुत है तो मान्यवर, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो क्रोनिक होती हैं तो उनका इलाज ढूंढा जाता है। मान्यवर, एक क्रोनिक यह खड़े हो गये। मान्यवर, जब ओम प्रकाश सिंह जी सदन को छोड़कर जा रहे थे तो मैंने इनसे कहा कि आप भी चलो, लेकिन यह डटे रहे। इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इनको शादी कराने के लिए ले जा रहा हूं। तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि एक अच्छा वातावरण चल रहा है उसे चलने दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, प्रमोद जी ने 24 तारीख वाला भाषण आज ही दे दिया है। जब इन्होंने शुरुआत कर दी तो सत्ता पक्ष की ओर से जो घोषणा की जाती है सड़क दे दी गयी, नल दे दिये गये, मैं चाहूंगा कि वरिष्ठ मंत्री यहां पर बैठे हैं, रामवीर उपाध्याय जी बैठे है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री लालजी वर्मा बैठे हैं, तो मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहूंगा...

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इनका जो भी इन्तजाम करेंगे वह टण्डन जी करेंगे क्योंकि यह खत्री हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह एक बहुत बड़ी समस्या हो गये हैं इस हाउस को बोर करने के लिए। इनके पास कोई नया प्रस्ताव नहीं है। हम तो चाहते हैं प्रतापगढ़ में शादी कर लें लेकिन यह तैयार नहीं हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हम तो हर तरह से तैयार है यह हां तो कहें।

श्री अध्यक्ष-

हमारे चैम्बर में आप लोग आ जायें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कोई समय या तिथि निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

शुभ मुहुर्त का कोई समय नहीं होता।

श्री रंगनाथ मिश्रा-

मान्यवर, खन्ना जी की या प्रमोद जी की आपके कमरे में शादी की बात हो रही है ?

श्री अध्यक्ष-

आपकी क्या इच्छा है ?

श्री रंगनाथ मिश्रा-

मान्यवर, खन्ना जी किससे शादी करना चाहते है प्रमोद जी से या और किसी से।

श्री अध्यक्ष-

यह कमरे की बात है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, आपने कल यह कहा था कि सर्वप्रथम आपकी सूचना ली जायेगी, मेरे साथ अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

यह अन्याय शब्द का प्रयोग आप न करें। यह कहिये कि समय नहीं मिल रहा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप घड़ी देख लें ढाई के लगभग बज रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान की मांगे आनी है। हम अनुदान की मांगों पर चर्चा करेंगे तो उस समय भले ही घोषणा न हो लेकिन कम से कम माननीय मंत्री गणों या जो मंत्री प्रस्तुत करते है एक अवसर मिलता है जानने का और उससे उस विभाग में उस कार्य को पूरा करने का अवसर मिलता है इसलिए मैं चाहूंगा कि सुरेश जी मान लें और अनुदान लेने का अवसर दे दें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं कोई आरोपित नहीं कर रहा हूं, यह सदन प्रभाव में चल रहा है। जो शालीनता में विश्वास रखता है, मर्यादा में विश्वास रखता है, शालीनता से, मर्यादा से अपने विषय को रखना चाहता है, लखनऊ की समस्या को रखना चाहता है तो सुनने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। कल भी यही हुआ था।

श्री अध्यक्ष-

नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप दो मिनट में अपनी बात कहें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह मानता हूं कि दो महीने पहले उत्तर प्रदेश में सरकार थी, जिसमें जंगल राज था, कानून व्यवस्था नहीं थी, अपराध और अपराधी बढ़ रहे थे, लेकिन जब यह सरकार सत्ता में आयी और इसने यह वायदा किया कि हमारी प्राथमिकता होगी कि हम अपराधों में कमी लायेंगें, हम अपराधमुक्त करेंगें, जंगलराज को समाप्त करेंगे। तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 9-10 की रात में 12.30 बले हुसैनगंज कोतवाली से थोड़ी ही दूर पर लखनऊ के दो प्रतिष्ठित विद्यालय, ए0पी0 सेन गर्ल्स डिग्री कालेज और के0के0वी0 कालेज, इन दोनों कालेजों में आधा दर्जन से अधिक लोगों ने घुसकर डकैती डाली वहां के जो गार्ड्स थे उनको कमरे में बन्द कर दिया और वहां के कर्मचारियों को कमरे में बन्द कर दिया गया। प्रातःकाल जब वहां पर महिला कर्मचारी आई तो उनको बन्धनमुक्त किया गया। रात भर, चारबाग स्टेशन बगल में है वहां पुलिस रहती है, हुसैनगंज कोतवाली बगल में है, वहां पर पुलिस रहती है, लेकिन इनमें से किसी को कानोकान भनक नहीं लगी और इतनी गम्भीर घटना हो गई। मान्यवर, दुःख का विषय है कि प्रबन्धक यह कहता है कि यह डकैती का मुकदमा है पुलिस इसको घुमाफिरा करके चोरी का मुकदमा बनाना चाहती है। इस मामले को डायवर्ट करना चाहती है। पुलिस पर से इन लोगों का विश्वास उठ गया है। इसका इन्वेस्टीगेशन एस0टी0एफ0 को दिया जाय, एक ऐसी संस्था को दिया जाय, जो लोकल पुलिस से अलग हो ताकि निष्पक्ष जांच हो और डकैती का मुकदमा कायम करके, अपराधियों को पकड़ने का काम किया जाय। मान्यवर 9-10 तारीख से आज 12 तारीख हो रही है अभी तक कोई अपराधी पकड़े नहीं गये हैं और न इसके लिए कोई प्रयास किया गया है। मान्यवर, मैं नियम-56 के अन्तर्गत इस सूचना को लाया हूं, चूंकि यह कानून व्यवस्था से सम्बन्धित विषय है, इसलिए सदन की कार्यवाही रोक करके इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

मान्यवर, 9-10 तारीख की रात को पांच घण्टे तक लगातार एक विद्यालय में, दूसरे विद्यालय में, तीसरे विद्यालय में और यह लखनऊ का मेरी विधान सभा क्षेत्र का वह क्षेत्र है जहां पर नित्यप्रति 25 हजार छात्र/छात्रायें वहां पर पढ़ने आती है। उन विद्यालयों में सौ से ऊपर गोदरेज की अल्मारियों को तोड़ कर कर्मचारियों को बन्धक बनाकर लूट-पाट की गई। मान्यवर, मैं आपका ध्यान सरकार की ओर आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं। जब यह सदन चलता है तो पूरे लखनऊ के जितने पुलिस इन्सपेक्टर्स हैं, जितने थाना इन्चार्ज है, सब इस सदन की सुरक्षा और संरक्षा के कार्य में लगे हैं। लखनऊ तो लखनऊ आस-पास के जिलों के भी नजदीक के थानेदार यहां बुला लिये जाते हैं। राजधानी में विधान सभा स्थित है। एक विधान सभा की सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण लखनऊ की पुलिस लग जाती है। लखनऊ लावारिस छोड़ दिया जाता है। मान्यवर, आज हम लोगों ने नियम-56 के माध्यम से यह प्रश्न इसलिए उठाया है कि लखनऊ राजधानी लावारिश न रहें। कोई भी मुल्जिम नहीं पकड़ा गया,

कोई कार्यवाही नहीं हुई, विद्यालय में उसके पश्चात् दोबारा किसी सब इस्पेक्टर और इन्सपेक्टर ने वहां जाने की जरूरत नहीं समझी। आज मैं नियम-56 के माध्यम से इस प्रश्न को उठा रहा हूं। इस प्रकरण को एस0टी0एफ0 से जांच कराई जाय अभी हमारे माननीय प्रमोद तिवारी जी ने अपने पक्ष में रखा मोहनलालगंज क्षेत्र में इतना बारूद, हैण्डग्रेनेड बरामद हुए, मान्यवर, लखनऊ बारूद के ढेर पर बैठा है। आज मैं नियम-56 के माध्यम से सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा कराने की मांग करता हूं और एक विशेष कार्य योजना बनाई जाये, विधान सभा की सुरक्षा के लिए, नया अलग से पुलिस बल बनाया जाय, कोई एक ऐसी कार्य योजना बनें कि लखनऊ का नागरिक, लखनऊ का जन-जीवन और लखनऊ का नागरिक सामान्य तौर पर जीवन जी सके। यह निवेदन करते हुए चर्चा कराने की मांग करता हूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, चूंकि यह विधान सभा की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। सारी पुलिस लखनऊ से हटाकर विधान सभा भवन की सुरक्षा में लगा दी गयी है। कल गोरखपुर से सम्मानित श्री अरविन्द सिंह जी जो चिल्लूपार के हैं वह आये थे उनके भाई दर्शक दीर्घा में बैठे थे और वह स्वयं मंत्री जी के यहां बैठे थे। उनकी बोलेरो गाड़ी यहीं विधान सभा भवन परिसर के गेट से पार हो गयी। चूंकि सारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बुला ली गयी है उसके बाद की जो स्थिति है वह मैंने बतायी है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरे पास जो वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, लखनऊ की रिपोर्ट है वह मैं बता दे रहा हूं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 10-07-2007 को प्रातः समय 8.55 पर वादी श्री अमलेन्द्र दत्ता, प्रबन्धक ए0पी0सेन मेमोरियल गर्ल्स कालेज द्वारा दी गई लिखित सूचना पर मु0अ0सं0-237/04 धारा-395 भा0दं0वि0 थाना-हुसैनगंज में पंजीकृत किया गया कि अज्ञात बदमाशों द्वारा दिनांक 09/10-07-2007 की रात ए0पी0सेन मेमोरियल कालेज में घुसकर चौकीदार मनोहरलाल बृजलाल के हाथ पैर बांधकर अल्मारियों का ताला तोड़कर नकदी करीब 35 हजार व अभिलेख चोरी करने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना दर्ज की गई। विवेचना से मौके पर प्रभारी निरीक्षक व हमराही फोर्स द्वारा देखा गया कि उपरोक्त चौकीदार सूत की मामूली रस्सी से बंधे हुए कमरे में बैठे हैं। वह रस्सी चौकीदार आराम से स्वयं भी खोल सकते थे एवं तीनों एक दूसरे की रस्सी आराम से खोल सकते थे। चौकीदार ने पुलिस के आने तक रस्सी नहीं खोली इसे देखने से चौकीदार की संदिग्धता प्रतीत होती है। कालेज के प्राचार्या डिग्री सेक्शन श्रीमती दीपाली शर्मा, इण्टर सेक्शन प्राचार्या शशी चित्रा, प्राइमरी सेक्शन प्राचार्या श्रीमती सुनिन्दा दुबे व अन्य प्रवक्ता व कर्मचारी से पूछताछ की गई। तीनों प्राचार्या महोदय से रिकार्ड एवं गायब हुए धन के बारे में अभिलेख चाहे, वह नहीं दिखा सकीं। कालेज में कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है उसमें शासन द्वारा धन भी प्राप्त हुआ है उसके अभिलेख भी गायब होना बताया गया है परन्तु लिखित रूप से अभिलेखों का विवरण नहीं दे सकीं। चौकीदारों के कथन अलग-अलग अंकित करने पर प्राचार्या महोदय ने विरोध किया कि आप मेरे

सामने बयान लें फिर भी मौके पर डाक स्क्वायड, फील्ड यूनिट बुलाकर विवेचना में गति लाने हेतु प्रयास किया गया। रात्रि में सम्भावित अभियुक्तों के यहां दबिश दी गई। करीब एक दर्जन अभियुक्तों से पूछताछ की गई। वाद विवेचना से दिनांक 10-07-2007 को मुकदमा धारा-395 भा0दं0वि0 न पाकर 459/380 भा0दं0वि0 में परिवर्तन किया गया। अपराध खोलने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

इसके बाद श्री आर0के0चौधरी तथा अनुग्रह नारायण सिंह जी की सूचना है। वह कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मैंने इसमें ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मेरी भी महत्वपूर्ण सूचना है। ठीक है, मैं सोमवार को उसे दे दूंगा।

*श्री आर0 के0 चौधरी-

मान्यवर, बिजली की समस्या से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। वैसे तो यह समस्या पूरे प्रदेश की है। पूरे प्रदेश में इस समय बिजली की आपूर्ति की बहुत बड़ी समस्या है। सब जगह त्राहि-त्राहि मची हुई है। खासतौर से मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारा मोहनलालगंज क्षेत्र है जहां लगभग 2002 के पहले 24 घंटे बिजली आती थी। लेकिन आज बदतर हालत है, कुछ कटौती घोषित है और कुछ अघोषित है। कुल मिलाकर इस समय 6 घंटे से अधिक बिजली नहीं आ रही है। मान्यवर, मुझे लगता है कि राजनैतिक विद्वेष की भावना से 2002 में विद्युत कटौती कर दी गयी तो एक तो इस वक्त जो 6 घंटे बिजली आनी चाहिये उसमें भी पूरे विधान सभा क्षेत्र में चाहे वह मोहनलाल गंज ब्लाक हो चाहे गोसाईगंज ब्लाक हो लगभग दोनों ब्लाक को मिलाकर दो ढाई सौ ग्राम ऐसे जहां किसान पीड़ित हैं, कारोबारी पीड़ित है, उद्योगपति पीड़ित हैं, जनता पीड़ित हैं मान्यवर, क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों पोल टूटे पड़े हैं कोई दो साल से चार से कोई सुनने वाला नहीं है। 3-3 कि0 मी0 तक विद्युत के तार टूटे पड़े हैं कोई सुनने वाला, देखने वाला नहीं है, 4 दर्जन से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब हैं जले पड़े हैं कोई सुनने वाला नहीं है। मान्यवर, मोहनलाल गंज कोई बाहर नहीं है राजधानी लखनऊ के एरिया में है वहां जो कर्मचारी अधिकारी तैनात हैं हर विभाग के, उन्हें शहरी दर पर आवासीय भत्ता मिलता है उसका उपभोग कर रहे हैं और मोहनलालगंज क्षेत्र में विद्युत बिल जो आते हैं वह शहरी क्षेत्र के हिसाब से आते हैं लेकिन 2002 के बाद से कोई पूछने वाला नहीं है। मान्यवर, उपभोक्ता परेशान हैं और खास तौर से किसान, व्यापारी, कारोबारी सब तबाह है पूरा जनाक्रोश है और पूरे क्षेत्र में आये दिन धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, सड़क जाम हो रहा है निश्चित तौर पर अगर इस पर अंकुश न लगाया गया, विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ न किया गया, लाइनें ठीक न की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

गयी और बदले की भावना से 2002 में विद्युत कटौती कर दी गयी, पहले 24 घंटा बिजली आती थी, अगर उस पर ध्यान न दिया गया तो निश्चित तौर पर इसी राजधानी के पास मोहनलालगंज में कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय। मैं अनुरोध करता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कि कहीं यह न कह दें कि विद्युत विभाग का बजट आयेगा तो उसमें कह दीजियेगा। कोई अप्रिय घटना घटे उसके पहले मैंने यह महत्वपूर्ण बिन्दु उठाया है मैं जरूर चाहूंगा कि शासन इस पर ध्यान दे और जितना जल्दी हो सके सुचारु रूप से विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करें।

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने जो बात रखी है कि तार खराब हैं, ट्रांसफार्मर जल गये हैं, विद्युत आपूर्ति ठीक नहीं है तो इसको मैं दिखवा लूंगा और जल्दी ठीक करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय चौधरी साहब को सुना और माननीय ऊर्जा मंत्री को सुना, नियम 56 में यह सूचना नहीं आती है इसको अग्राह्य करता हूं। लेकिन माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि मैं समस्या को दिखवा लूंगा।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, 29 अगस्त, 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनते ही उसने दो घोषणायें की एक तो विश्वविद्यालयों में बढ़ी हुई फीस माफ और दूसरा इंस्पेक्टर राज खत्म। और उस इंस्पेक्टर राज खत्म की घोषणा से जितने भी फैक्ट्री मालिक हैं उन लोगों जो उनके यहां अस्थाई मजदूर थे उनको निकालना शुरू किया और उसकी जगह ठेकेदारी के मजदूर रखने शुरू किये। मेसर्स त्रिवेणी ग्लास फैक्ट्री, इरादत, इलाहाबाद उसे 24 जनवरी को प्लांट नं0 1 के 50 मजदूरों को निकाल दिया। आन्दोलन हुआ, धरना चला, समझौता हुआ और उसके बाद 20 फरवरी को एक समझौता हुआ और इन मजदूरों के लिये एक आर्बीट्रेटर नियुक्त हुआ मान्यवर, वह आर्बीट्रेटर नियुक्त हुये और उन्होंने 26 सितम्बर, 2006 को अपनी रिपोर्ट (आरबीट्रेशन अवार्ड) शासन को दे दी शासन ने 26 सितम्बर, 2006 से आज तक वह रिपोर्ट लम्बित है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा 6 की उपधारा 3 के अनुसार कोई भी रिपोर्ट 30 दिन से ज्यादा नहीं लम्बित रहनी चाहिये उसको प्रकाशित करना चाहिये। अभी 14 अप्रैल को, जब यह सरकार नहीं बनी थी, पिछली सरकार थी तो श्रमायुक्त महोदय ने उन मजदूरों को बुलाया और धमकाया कि तुम लोग यहां से छोड़कर चले जाओ इसमें कुछ होना नहीं है। मान्यवर, आज 10 महीना हो गया। अब यह सरकार बनी है जो मजदूरों के हित में काम कर रही है, आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने घोषणा की कि भूमिहीन कृषक मजदूरों की दैनिक मजदूरी 100 रुपया कर दिया है। मैं मान्यवर, अपने कार्यस्थगन के माध्यम से निवेदन करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा कराई जाय और जो रिपोर्ट आरबीट्रेटर की 10 महीने से श्रम विभाग के पास रखी है, उसको शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको दिखवा लिया जायेगा अगर कोई अनियमित कार्य होगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही होगी और यह सूचना निम-56 के अन्तर्गत नही आती, इसलिये इसे अग्राह्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय अनुग्रह नारायण सिंह को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती, इसलिये अग्राह्य करता हूं।

[मद संख्या 13 (1) पुकारे जाने पर]

मंत्रि-परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में सूचना

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, एक जानकारी सदन को देना चाहता हूं। आज सुबह मंत्रि-परिषद् की बैठक में निर्णय की पहले एक सूचना दी थी। एक निर्णय और लिया गया है उसकी सूचना देना चाहता हूं कि छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से जितने भी प्रदेश के राजकीय/निजी डेन्टल कालेज या मेडिकल कालेज हैं, उनको छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, अधिनियम में आज मंत्रि-परिषद् ने निर्णय लिया है कि इसमें संशोधन किया जाय, उस सम्बन्ध में एक विधेयक सदन में लाया जायेगा। इसी तरह से यह भी निर्णय मंत्रि-परिषद् द्वारा लिया गया कि डा0 भीमराव स्मारक तथा बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेदकर भारतीय सामाजिक परिवर्तन साहित्य संस्थान संग्रहालय का नाम बदलकर डा0 भीमराव अम्बेदकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ उत्तर प्रदेश कर दिया जाय तथा इस स्थल को दीर्घकालिक रख-रखाव हेतु एक विधेयक विधान मंडल के इसी सत्र में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय। यह मंत्रि-परिषद् का निर्णय है जिससे मैंने सदन को अवगत करा दिया।

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग, (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) अनुदान संख्या 81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

समाज कल्याण मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,06,31,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति

कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,20,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,69,56,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मुझे और विभाग भी आवंटित हैं, अनुमति हो तो एक साथ रख लूं।

श्री अध्यक्ष-

पहले इन तीन अनुदानों पर अपनी बात रख लें।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे आज वर्ष 2007-2008 के बजट में समाज कल्याण विभाग और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति विशेष घटक के अन्तर्गत अपनी बात रखने का मौका दिया। मान्यवर, निश्चित तौर पर बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 16 अगस्त, 1932 को जो इंग्लैण्ड के तत्कालीन प्रधानमंत्री लार्ड मैकडोनाल्ड से कम्युनल अवार्ड के रूप में वोट का अधिकार प्राप्त किया था। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार प्राप्त किया था, निश्चित तोर पर बाबा साहब को याद करना आज मुझ जैसे व्यक्ति के लिये जरूरी हो जाता है। कम्युनल अवार्ड के तहत् 16 अगस्त, 1932 को वोट का अधिकार बाबा साहब ने प्राप्त किया था, जब देश आजाद हुआ और जब बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला तो संविधान के अन्दर उस वोट के अधिकार को लिपिबद्ध करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कल्पना की थी कि यह वोट का अधिकार जो मैं देकर जा रहा हूं, जो इस देश में सताये गये लोग हैं, पिछाड़े गये लोग हैं, जिनके साथ सामाजिक भेदभाव किया गया है, जिनको जानवरों का भी दर्जा नहीं दिया गया है, ऐसे लोग जब वोट के अधिकार को पहचानेंगे और जब वोट के अधिकार को पहचानेंगे तो वोट के आधार पर देश और प्रदेशों में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं ऐसे महापुरुष बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देता हूं, याद करता हूं, नमन करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीते जी इस काम को नहीं कर पाये लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद इस देश में एक खलनायक पैदा हुये, जिन्हें कांशीराम के नाम से जानते हैं। माननीय कांशीराम जी अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते थे, वह एक फर्स्ट क्लास की सर्विस किया करते थे पुणे में। कांशीराम जी ने जब बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को पढ़ा और उन्होंने यह देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, जिनको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछाड़ा गया था

जो मान्यवर, कांशीराम जी ने विश्वास किया कि इस अभियान को आगे बढ़ायेंगी। समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिये, गैर बराबरी समाप्त करने के लिये इस देश में जो मनुष्य हैं जो जातियों में बंटे हैं जातीय भेदभाव की खाई को मिटाकर समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिये जो उन्होंने सोच रखी थी बहन कुमारी मायावती जी ने दो कदम आगे बढ़कर भाई चारा बढ़ाकर कटुता समाप्त करके चाहे सवर्ण हों, चाहें पिछड़ी जाति के हों चाहें दलित हों चाहें अल्पसंख्यक हों जिनको आपस में बांटने का काम राजनीतिक दलों द्वारा किया गया था उनमें आपस में भाई चारा बनाकर एक सूत्र में पिरोकर उन्होंने आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर दिखाने का काम किया। और कांशीराम जी के सपने को पूरा करने का काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूं बहन मायावती जी को कि उन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के उस विश्वास को तोड़ने का काम नहीं किया बल्कि ऐसे कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश की जनता को मैं इस मौके पर बधाई देता हूं महान जनता जिन्होंने बहन मायावती के नेतृत्व को स्वीकार करके सर्व समाज की जनता ने एक विश्वास किया कि उत्तर प्रदेश में अगर कानून का राज स्थापित कर सकता है अगर उत्तर प्रदेश में कोई इन्सानियत पसन्द नेता हो सकता है तो वह बहन मायावती ही हो सकती हैं। उनके हाथों में बागडोर सौंपने का काम उत्तर प्रदेश की महान जनता ने किया है। मैं इस महान जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं। निश्चित तौर पर जो बजट मैं पेश करने के लिये खड़ा हुआ हूं समाज कल्याण विभाग ऐसा विभाग है जिस विभाग के अन्तर्गत ऐसे वंचित, पीड़ित, मजलूम लोग जो अपने पैरों पर खड़े होकर अपना बोझ नहीं उठा सकते हैं चाहे वह आर्थिक बोझ हो चाहे कोई अन्य बोझ हो ऐसे लोगों के लिये यह विभाग है। मैं बताना चाहूंगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948-49 में इस विभाग की स्थापना हुई उस समय इसका नाम हरिजन सहायक विभाग था। फिर 1955 में सोशल सेक्टर समाज कल्याण विभाग की स्थापना हुई। 1961 में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के रूप में यह कहा गया। इसी में 1984 में जनजाति के रूप में कहा गया। वर्ष 1991-92 में पूर्णतया समाज कल्याण विभाग के नाम से बना। पहले इसमें पिछड़ा वर्ग भी आता था, अल्पसंख्यक भी आता था, महिला कल्याण भी आता था वर्ष 1995 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग अलग कर दिया गया। इस विभाग के अन्तर्गत जो योजनायें चल रही हैं उसमें अत्याचार उत्पीड़न पहली योजना है इसमें यह प्राविधान है अगर कोई भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है, अत्याचार होता है उसकी कैटेगरी है तो इसमें सहायता 20 हजार से लेकर 2 लाख तक अनुदान देने की व्यवस्था है। इसी तरह से शादी बीमारी की योजना इस विभाग के अन्तर्गत चलती है। शादी बीमारी में इसमें 10 हजार रुपये अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए प्राविधान है। इसी तरह से सामान्य वर्ग के लिए भी व्यवस्था की गयी है।

(इस समय 3.00 बजे अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए)

जिसमें अब यह फैसला लिया गया है कि सामान्य वर्ग के जो लोग हैं जो अपनी लड़कियों की शादी का बोझ नहीं उठा सकते, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं ऐसे लोगों की लड़कियों की शादी के लिए 10 हजार रुपये देने का प्राविधान किया है पिछले वर्ष इसके लिए 9 करोड़ 48 लाख 56 हजार रुपये की व्यवस्था थी मैं बधाई देना चाहते हूं बहिन मायावती जी को कि अबकी चालू बजट

में इसके लिए 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह से समाज के वृद्ध लोग हैं, जिनकी जीविका का कोई सहारा नहीं रह जाता है अभी तक इस योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से 65 से ऊपर की आयु के लोगों को इसके तहत 150 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का काम किया जाता था लेकिन मैं आदरणीय बहिन कुमारी मायावती जी को जो कि प्रदेश की मुखिया भी हैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे बेसहारों को सहारा देने के लिए उनकी पेंशन की राशि 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ की योजना जो चलती है उसके अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग आते हैं उनके परिवार के मुखिया की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको 20 हजार रुपये देने का प्राविधान किया गया है। इसी तरह से मान्यवर, छात्रवृत्ति योजना भी उन छात्रों के लिए है जो अपना शैक्षिक बोझ खुद नहीं उठा सकते हैं, जिनको आर्थिक कमी रहती है, उनके लिए व्यवस्था इस प्रकार से की गयी है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों को 25 रुपये प्रतिमाह, कक्षा 9 से कक्षा 10 तक 60 रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या आई0टी0 आई0 वगैरह में 50 रुपये दिवसीय और छात्रावासी छात्रों के लिए 60 रुपये प्रतिमाह की व्यवस्था इस बजट में की गयी है। मान्यवर, इस तरह की योजनाएं हमारे विभाग में चल रही हैं। मान्यवर, केवल अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ही छात्रवृत्ति योजना नहीं चल रही है। अब तो सामान्य जाति के छात्रों को भी छात्रवृत्ति देने की योजना चल रही है। छात्रवृत्ति योजना में प्रायः हमारे जनप्रतिनिधि शिकायत किया करते थे कि इसके वितरण में बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं। मान्यवर, हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब छात्रवृत्ति का वितरण पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत कर दिया जायेगा और नियोजन विभाग इसका नोडल विभाग बना है। पूरे प्रदेश में छात्रवृत्ति बांटने का काम कम्प्यूटर व्यवस्था से किया जायेगा और इसमें किसी तरह के घोटाले की कोई गुंजाइश नहीं रह जायेगी। इसी तरह से शादी बीमारी में जो सहायता दी जाती थी जो अनुदान दिया जाता था उसमें प्रायः यह सुनने में आता था कि सुविधा शुल्क लेने का काम किया जाता है। सुविधा शुल्क न देने के चक्कर में बहुत सा रुपया शासन को वापस कर दिया जाता था। हमने अभी अपने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके यह निर्देश जारी कर दिये हैं कि पहले इन योजनाओं के बारे में त्रैमासिक बैठक हुआ करती थी। उस त्रैमासिक बैठक को अब हर महीने किया जायेगा जिसमें माननीय जनप्रतिनिधि उपस्थित होंगे और महीने भर में जितने आवेदन आयेंगे उनका निस्तारण वहीं से कर दिया जायेगा ताकि कहीं से कोई घोटाले की बू न आए। मान्यवर, ऐसी व्यवस्था कर दी है। इसी तरह से दशमोत्तर छात्रवृत्ति की इधर जो योजना चल रही है। जो बड़े पैमाने पर भारत सरकार द्वारा दिया जाता है हमारे विपक्ष के भाई उधर नहीं हैं जो हमसे पहले सरकार में थे। इनकी सरकार के भारत सरकार से अच्छे संबंध नहीं रहे। लगभग तीन वर्षों का बड़े पैमाने पर दशमोत्तर छात्रवृत्ति का रुपया भारत सरकार से नहीं आया है। हम प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने मना नहीं किया हमने अपने प्रमुख सचिव को भी भेजा था। हमने अपने आयुक्त को भी भेजा था। हम चाहते हैं कि पुरानी जितनी देनदारियां भारत सरकार की हैं वह ज्यादा से ज्यादा हमें मिल जाएं। दशमोत्तर छात्रवृत्ति के रूप में फीस वापसी के रूप में जो रुपया छात्रों का बकाया है उसको वापस कर दें ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। तमाम योजनायें हमारे विभाग द्वारा चल रही हैं। जैसे हमारे राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय चलते हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे के लोग हैं

जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं। उनके लिए शत-प्रतिशत आश्रम पद्धति विद्यालय में रहने, खाने, सोने की, हर तरह की व्यवस्था हमारा विभाग चला रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल 38 राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं जो अनुसूचित जाति के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आश्रम पद्धति के विद्यालय नौ हैं। जिसमें 36 बालकों के लिए और दो बालिकाओं के लिए हैं। सोनभद्र और मोहान रोड पर। इनका पूरी तरह उच्चीकरण कर दिया गया है जिसमें रहने खाने की सारी व्यवस्था कराई गई है। इसी तरह से 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लड़कियों के लिए हैं यह व्यवस्था है जो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं जिसमें सुल्तानपुर, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, चित्रकूट, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, बदायूं, सन्त कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, बाराबंकी, सीतापुर, कुशीनगर, बलरामपुर ऐसे 16 जिलों में 16 राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालय बालिकाओं के बनाए गए हैं। इसमें बजटीय व्यवस्था पूरी कराई गई है। इन सभी राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालयों को हमारा विभाग संचालित करेगा। जिसमें भर्ती टीचर बगैरह की करनी है। प्रस्ताव भेज दिया गया है। यह शीघ्र ही प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा। हमारा यह प्रयास है इसी सत्र से इसको चालू करने का काम करेंगे। इसी तरह से मान्यवर, प्रदेश में 17 मंडल मुख्यालय हैं। आजमगढ़ मंडल में पहले से चल रहा है 16 मंडल मुख्यालय में कक्षा-1 से कक्षा-12 तक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खोले गए हैं। जो निर्माणाधीन हैं उनमें निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 14 में कार्य पूरा हो चुका है। बरेली और सहारनपुर मंडल में हमें भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। सहारनपुर के सदस्यगण होंगे अपने डी0एम0 से बात कर लेंगे। एक जमीन का प्रस्ताव आया था वह बहुत दूर थी हम चाहते हैं कि शहर के नजदीक राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध हो जाए, ताकि वह खोला जा सके। सहारनपुर में जमीन नहीं मिली है दूर जमीन मिली है। वहां खोला जाना उचित नहीं है। बरेली की जमीन लम्बित है। तो सहारनपुर और बरेली के लिए चार-चार करोड़ के लगभग के विद्यालय बनने हैं इसके लिए हम प्रयासरत हैं। मा0 सदस्यगण प्रयास कर लें ताकि इनको जल्दी संचालित किया जा सके। इसी तरह हमारे समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रावास के निर्माण की योजना है। लगभग उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 237 छात्रावास स्वीकृत हैं 220 छात्रावास उसमें निर्मित हो चुके हैं, पूरी तरह से 237 छात्रावास निर्मित नहीं हो पाये हैं। तो इस तरह 168 छात्रावास इनके संचालित हैं और इसी तरह 27 छात्राओं के लिये छात्रावास भी स्वीकृत हैं। तो इस तरह हमारे विभाग द्वारा छात्रावास निर्माण की भी योजना है और इस चालू वित्तीय वर्ष में 46 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था भी कराई गई है। इसी तरह एक नई योजना शुरु करने का फैसला लिया गया है, 'एकीकृत अनुसूचित जाति विकास योजना', इसमें अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों का उसी प्रकार से विकास किया जायेगा जिस प्रकार से डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत करने का लक्ष्य हैं। इसमें सामुदायिक केन्द्र, स्वास्थ्य की देखभाल, रोजगार सृजन आदि ऐसी तमाम योजनायें चलाई जायेंगी। इस पर बहन कु0 मायावती जी ने 100 करोड़ की व्यवस्था अबकी बार करने का काम किया है। यह नई योजना हैं इसी तरह से कोल जाति के विशेष उत्थान के लिये एक योजना चलाई जायेगी, जिसके लिये 42 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई है।

कोचिंग की व्यवस्था भी समाज कल्याण विभाग के द्वारा की जाती है जिसमें आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 और पी0सी0एस0 (जे) की कोचिंग दी जाती है। आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 की कोचिंग की व्यवस्था भागीदारी भवन, लखनऊ में है और महिलाओं के लिये यह कोचिंग अलीगंज में चलाई जाती है तथा पी0सी0एस0 (जे) के लिये कोचिंग इलाहाबाद में चलती है। यह समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जा रही है और जो हमारी कोचिंग चलाई जानी है, आगरा, अलीगढ़ और वाराणसी, तीन जगह कोचिंग संस्थान बन चुके हैं लेकिन अभी इनका संचालन नहीं हो पाया है। इस क्षेत्र में यह संचालित कराने की हमारी योजना है और शीघ्र ही इनको संचालित कराया जायेगा और इसके लिये आय व्ययक में 79 लाख रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, इसी प्रकार मेरिट उच्चीकृत की योजना है। कक्षा 9 से 12 तक के जो मेधावी छात्र हैं, उनका चयन होता है और उनको कोचिंग प्रदान करने का काम किया जाता है। तो यह समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत एक संक्षिप्त रूपरेखा मैंने रखी है, विभाग के द्वारा जो योजनायें चलाई जाती हैं। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिये है। पहले यह समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत ही आता था लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया, 1983-84 में इस विभाग को अलग कर दिया गया। जब उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश में था तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या काफी थी लेकिन उत्तराखण्ड बनने के बाद तो यह आधा परसेन्ट भी नहीं रह गई हैं। इन जातियों के उत्थान के लिये बालक और बालिकाओं के लिये मैंने बताया है कि यहां पर 9 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय चलाये जा रहे हैं कुछ का उच्चीकरण हो चुका है, कुछ के लिये बजटीय व्यवस्था है, शेष दोहराने से कोई लाभ नहीं है, जो अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है यहां जो लाभ मिलता है, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये भी ठीक वही व्यवस्था इस विभाग में की गई है। मान्यवर, इसी तरह इस विभाग के अन्तर्गत, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की स्थापना भी 1975 में की गई है। इसमें अनुसूचित जाति के जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको सहायता देकर उनको खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिये यह व्यवस्था की जाती है। मान्यवर, इसके द्वारा तमाम ऐसी योजनायें हैं, स्वतः रोजगार योजना, नगरीय क्षेत्र की दुकान की योजना जिसमें दुकानें आवंटित की जाती हैं। मान्यवर, धोबियों के लिये लाण्ड्री, ड्राईक्लीनिंग योजना है। आज का युग कम्प्यूटर का युग है तो कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देने के लिये कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजनान्तर्गत कम्प्यूटर की ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। निःशुल्क बोरिंग की भी योजना चल रही है। मान्यवर, ऐसी तमाम योजनायें इस निगम के द्वारा चलाई जाती हैं। मान्यवर, इसी के अन्तर्गत एक निगम, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम हैं कम्पनी एक्ट अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 25 जून, 1976 को इसकी स्थापना हुई थी और उस समय शुरु में 50 लाख की व्यवस्था इसके लिये की गई थी और 50 लाख में से मात्र 15 लाख रुपये का आवंटन किया गया था और उसमें ही यह चल पड़ा। मान्यवर, पहले इसमें अनुसूचित जातियों के लिये दुकानें और आवास बनते थे। समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो आश्रम पद्धति विद्यालय चलाये जाते हैं उनको बनाने का काम किया जाता है। इसके द्वारा छात्रावास बनाये जाते थे, आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 कोचिंग सेंटरों को बनाने का काम, निःशुल्क बोरिंग और दारुलशफा का छात्रावास बनाने का काम भी इसी निगम ने किया है। मान्यवर, पहले यह समाज

कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्य करता था लेकिन अब उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों के निर्माण कार्य इस निगम के द्वारा कराये जाते हैं और भारत सरकार से भी बहुत से कार्य इस निगम को मिलते हैं। जो लाभ की स्थिति है, मान्यवर, जिस निगम को 15 लाख रुपये देकर बनाया गया है उसमें वर्ष 2005-06 में 4 करोड़ 71 लाख, वर्ष 2006-07 में 4 करोड़ 75 लाख का लाभ था और 2007-08 में सम्भावित लक्ष्य 5 करोड़ 32 लाख रुपये लाभ का लक्ष्य रखा गया है। मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजाति विशेष घटक योजना चलायी गयी है। 2003 में बजट प्रकोष्ठ बनाया गया था। इसके अन्तर्गत 36 विभाग मिलकर काम करते हैं और वह विभिन्न काम करते हैं। इसमें राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज बनाने का प्राविधान है इसके लिये 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के लिये 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में सड़कों एवं लघु कृषकों के लिये लगभग 1 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें 36 विभाग मिलकर काम करते हैं। मान्यवर, मैंने जो 3 अनुदान मांगे, 80, 81 ओर 83 पेश की है। मैंने इस विभाग के द्वारा कराये गये कार्यों की संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने रखी है। मान्यवर, मैं इतना ही चाहूंगा कि इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो भी सुझाव आयेंगे उस पर मैं ध्यान दूंगा। उन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उदयभान करविरया-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने समाज कल्याण विभाग का बजट पढ़कर सुनाया, विभाग की तारीफ की, योजनाओं के विषय में जानकारी दी। पहले मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि यह उसी विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं, जो मेरा पैत्रक गांव है, वह आपके विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। मुझे अच्छा लगा कि माननीय मंत्री जी ने विभिन्न योजनाओं को इस सदन के सामने रखा। जब हम लोगों की मिली जुली सरकार थी बी0एस0पी0 और बी0जे0पी0 की, तब भी यह विभाग माननीय मंत्री जी के पास था। हम लोगों ने डेढ़ साल लगभग सरकार को साथ में चलाया था, आज फिर इनको यह विभाग मिल गया है, अच्छे आदमी हैं, निश्चित रूप से अनुसूचित जातियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए शायद मदद करने की भावना होगी इसलिए यह विभाग इनको

माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है। बहुत सी योजनाओं के लाभ की बात यहां पर माननीय मंत्री जी द्वारा कही गयी। योजनाओं को विस्तार से बताने के पहले अपनी पार्टी की गतिविधियों के बारे में जिक्र किया, महापुरुषों के बारे में कहा गया मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वर्ण व्यवस्था बनायी गयी है यह किसके द्वारा बनायी गयी है ? यह हमारे आपके द्वारा ही बनायी गयी है। यह कोई ऊपर से चलकर नहीं आयी है। जब इस दुनिया में मुनष्य आया तो उस समय कोई वर्ण नहीं था। इसको बनाने का जिम्मेदार कौन है ? यह हम आप सब लोग हैं। समाज में वर्ण व्यवस्था को विभाजित इसलिए किया कि हर वर्ण के व्यक्तियों के कर्तव्यों का दायित्व बताया जा सके। मंत्रीमंडल का भी विस्तार इसलिए किया जाता है। कौन सा मंत्री किसी विभाग का होगा, किस विभाग में उसकी अच्छी जानकारी है इसके अनुसार विभाग का होगा, किस विभाग में उसकी अच्छी जानकारी है इसके अनुसार विभाग का बटवारा हुआ होगा। जो विभाग की पूरी जानकारी रखते होंगे उन्हें भी मंत्री-मंडल में शामिल करके उस विभाग का मंत्री बनाया गया इसलिए मैंने मंत्री जी को बधाई दी। मुझे गर्व है, मेरा गांव इन्हीं के विधान सभा क्षेत्र में आता है। मान्यवर, वर्ण व्यवस्था में ब्राम्हण को विचारक की रूप रेखा में बताया गया है। जो अच्छे विचार करने वाला होगा, जो अच्छी योजनाओं के विषय में बात कर सकते थे उसको ब्राम्हण कह दिया। मान्यवर, हमारा एक भाई वह था जो समाज की रक्षा कर सके उसको क्षत्रिय की श्रेणी दी गयी। मान्यवर, इसी तरह से परिवार है तो उसके भोजन की व्यवस्था करनी होगी।

मान्यवर, इसी प्रकार से जब परिवार है तो उसके भोजन की भी व्यवस्था निश्चित रूप से करनी पड़ेगी, उसके आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार हो, इसके लिए भी व्यवस्था निश्चित रूप से करनी पड़ेगी। तो मान्यवर, जो एक ऐसा भाई था, जो उसकी व्यवस्था करता था, उसको वैश्य समुदाय की श्रेणी दे दी गई और मान्यवर, जब तीन श्रेणी दे दी गई तो एक और बिन्दु भी बचता था कि जो फैली हुई बुराइयां हैं समाज में, जो बुराई पैदा न होने पाये, उन बुराइयों को दूर करने के लिए भी एक भाई को दायित्व मिलना चाहिए था, मान्यवर, उसको अनुसूचित वर्ग आज आप कहते हैं। यह तो हमारा यह भाई है अनुसूचित वर्ग जो समाज की बुराइयों को खत्म करने का काम करने के लिए दायित्व सम्भालता था। अब मान्यवर, जब समाज की यह व्यवस्था प्रारम्भ हुई तो होते-होते आज इस स्तर पर आ गई कि हम अपने आप में उस समाज का बंटवारा करने लगे। जो बुराइयों को दूर करने वाला था उसके लिए अलग नई कोई योजनायें, जो समाज की रक्षा करने वाला है उसके लिए योजना नहीं, जो समाज की रक्षा करने वाला है उसके लिए योजना नहीं, जो समाज को अच्छी सोंच देने वाला है उसके लिए योजना नहीं और जो समाज के लिए भोजन की व्यवस्था करता है उसके लिए कोई योजना नहीं। मान्यवर, हमें आपको बैठकर के इसको तय करना पड़ेगा, यह जो अनुसूचित वर्ग या भिन्न जातियां हैं, यह परिवर्तन तो हमने किया है। मैं तो बधाई दूंगा माननीय मंत्री जी को कि आज यह साहस करें कि केवल अनुसूचित वर्ग के लिए नहीं, बल्कि समाज में जो हमारे सारे वर्ग के लोग हैं, जिन्हें हमने आपस में बांट दिया है, उसमें जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग हैं, उनको हम हर योजनाओं का लाभ देंगे, समाज का बंटवारा अनुसूचित वर्ग में नहीं करेंगे, पिछड़े वर्ग में नहीं करेंगे, सामान्य वर्ग में नहीं करेंगे, मान्यवर, इस काम को करें, तो मैं बधाई देने के लिए खड़ा हो जाऊंगा। मान्यवर, ऐसा हो भी

सकता है क्योंकि हम उनको बांट रहे हैं। हम समाज को केवल राजनैतिक कारणों से बांट रहे हैं। अगर हम राजनैतिक कारणों से समाज का बंटवारा नहीं करेंगे तो कैसे एक सत्तापक्ष हो जायेगा एक विपक्ष हो जायेगा ? कहां से हमारा वोट बैंक बढ़ जायेगा ? हम लोगों में तो मान्यवर, एक होड़ लगी है कि हमने अमुख समाज के लिए इतना अच्छा काम कर दिया इसलिए यह समाज हमारे साथ जुड़ जाये। हम तो केवल इस होड़ में पेरशान हो गये। मान्यवर, इस होड़ को पीछे छोड़ दिया जाय। हम सब मिल बैठ करके विचार करें और जो हमारे पूर्वजों ने शुरू में समाज को केवल काम के आधार पर बांटा था, उस योजना को लागू करने की कोशिश करेंगे तो शायद इस समाज का भला होगा और आज इस विधान सभा में सब लोग बैठे हुए हैं, इस बात की चिन्ता करेंगे तो उस चिन्तन के बाद एकमत हो जायेंगे। मान्यवर, मेरी बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है, सत्तापक्ष के हमारे साथी होंगे हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां हों कि वह मेरी बात पर हां में हां न मिला पायें। मान्यवर, इसके बाद अभी सरकार प्रस्ताव तो पारित ही करवा लेंगे क्योंकि यह बहुमत में है इस समय लेकिन केवल प्रस्ताव रखना और प्रस्ताव को पारित करा देना और उस पर कटौती ला देना मैं केवल इस पर भरोसा और विश्वास नहीं करता हूं। मान्यवर, ठीक है यह औपचारिकतायें हैं पूरी होंगी, इन औपचारिकताओं को हम बैठ करके हर बार पूरा करेंगे, हर वर्ष यह अवसर आयेंगे। लेकिन एक चिन्तन को हम समाज में पैदा करने की कोशिश करें कि समाज को हमने जो भिन्न श्रेणियों में बांट रखा है, इसको हम ठीक करेंगे। मान्यवर, मंत्री जी ने बहुत अच्छी योजनाओं का जिक्र किया है। मैं थोड़ा सा भिन्न अपने विचारों को रखता हूं इसमें, थोड़ा सा विचारों में भिन्नता है और विचारों की भिन्नता मान्यवर, केवल इसलिए नहीं है कि मैं कहीं उसका विचार अलग करना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं उनका अगर उत्पीड़न होता है तो उनको अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है, शायद दो लाख तक है। तो मान्यवर यह पैसा अपने दो लाख तक बढ़ा दिया। जितने भी सदस्य यहां पर बैठे हैं अपने दिल पर हाथ रख सोंच लें, मान्यवर, उत्पीड़न का मतलब हो गया, हरिजन बनाम सवर्ण का मुकदमा और कोई उत्पीड़न की दूसरी चीज नहीं है। मान्यवर, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे खुद के संज्ञान में कई मुकदमें इस प्रकार के आये हैं जहां पर मुकदमा हरिजन बनाम सवर्ण का दर्ज हुआ है। उसके बाद जब हम लोगों ने बैठ करके उस पर समझौता कराने की कोशिश की है तो समझौता मात्र इस कारण से नहीं हो सका है कि अनुदान की राशि नहीं प्राप्त होगी। मान्यवर, यह क्या है ? क्या हम अनुदान की राशि बढ़ा करके अनुदान दे करके मुकदमों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और कोई व्यवस्था हो दे दीजिए, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कर दीजिए कि समाज में उत्पीड़न न हो पाये। उत्पीड़न पर रोक लगाने की व्यवस्था करिये, लेकिन उत्पीड़न के नाम पर मुकदमा दर्ज हो उसके बाद उनको अनुदान दिया जाय और मान्यवर आप पूरा रिकार्ड उठा करके देख लीजिएगा।

मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहूंगा कि किसी दिन विभागीय समीक्षा कर लीजिये। आपका आयोग भी बना हुआ है। यह देख लें कि एक वर्ष में कितने मुकदमें दर्ज हुये हैं। और जितने मुकदमें दर्ज हुए हैं उनमें अनुदान प्राप्त होने के बाद कितने मुकदमों में हलफनामा लग गया है। मान्यवर, अस्सी प्रतिशत मुकदमें ऐसे होंगे जिनमें मुकदमा तब तक चला है जब तक अनुदान की राशि प्राप्त नहीं हो गयी है।

अनुदान की राशि प्राप्त हो गयी और मुकदमा वापस हो गया। तो इस योजना का क्या लाभ हुआ। अतः इस योजना को समाप्त करने की योजना आपको बनानी चाहिये। हम यह जरूर चाहते हैं कि समाज में किसी वर्ग का उत्पीड़न नहीं होना चाहिये। मान्यवर, दबले कुचले व्यक्ति आज केवल अनुसूचित जाति वर्ग में ही नहीं है वह एक ब्राह्मण व्यक्ति भी हो सकता है एक क्षत्रिय भी हो सकता है। लेकिन वह जो संज्ञा दी जाती है वह केवल राजनीतिक आधार पर दी जाती है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी कुछ व्यवस्था करें ताकि उससे समाज की व्यवस्थायें ठीक हों।

मान्यवर, आपके आश्रम पद्धति विद्यालय हैं। जब हमारी आपकी मिली जुली सरकार थी तो उस समय कुछ भवनों का निर्माण कराया गया था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक विद्यालय ऐसा बना हुआ है। लेकिन कितने विद्यार्थी हैं वहां इसे देखने का आप काम करें। कितने लोग पढ़ाने वाले हैं कितना दूसरा स्टाफ है ? जो आप विद्यालय इस योजना में बनवा रहे हैं उसमें विद्यार्थियों की संख्या क्या है, लड़के/लड़कियों की संख्या क्या है इसको दिखवा लें ? मान्यवर, आप लाभ खूब दें। समाज में लोगों को खूब लाभ मिले लेकिन बराबर से सबको लाभ मिले सब श्रेणी को लाभ मिले इसको भी सुनिश्चित करायें। हमारी पार्टी इसकी पक्षधर होगी। मान्यवर, हमारे यहां माननीय दीन दयाल उपाध्याय जी जैसे नेता हुए हैं जिन्होंने समाज को एक करने का काम किया था। आप जांच करा लें कि जितना धन इन विद्यालयों में लगाया जा रहा है जितने हास्टल बन रहे हैं विद्यालय बन रहे हैं विद्यार्थी हैं या नहीं वहां पर और अगर विद्यार्थी नहीं हैं तो फिर क्या लाभ है ? विद्यालय आप एक नहीं चार बनवा लें और उसमें सभी वर्ग के लोगों को मौका दे दें लेकिन इतनी जागरुकता तो पैदा कर दें कि जितनी वहां पर कैपेसिटी है वह पूरी हो जाये। जितने अध्यापक होने चाहिये वह हो जायें। मान्यवर, कोई भी योजना चलायी जाती है उस योजना में यह देखा जाता है कि इसका लाभ कितना है। मान्यवर, मेरे पास महालेखापरीक्षक की आडिट रिपोर्ट है। उसको देख लीजिये अपने अधिकारियों को बुलाकर बात कर लें उनसे प्रश्न कीजिये कि आखिर यह क्या है वह पैसा कहां गया ? इसमें उल्लिखित है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये सन् 2001 से 2006 तक केन्द्र सरकार द्वारा पैसा भेजा गया है। 30.97 करोड़ रु0 उसका उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यह स्थिति है समाज कल्याण विभाग की। मान्यवर, छात्रवृत्ति बंटती है गरीब छात्रों को वह जाती है लेकिन यह जाती है पहले उस विद्यालय के मैनेजमेंट के पास जो मैनेजमेंट है वह फर्जी आंकड़े बनाता है। आप किसी एक विद्यालय की जांच करा लें। कौशाम्बी की करा लें या इलाहाबाद की करा लें कि जितना दिखाया गया है क्या वाकई में उतने छात्र वहां हैं ? एक-एक छात्र का पांच-पांच विद्यालय में नाम है। यह विद्यालय माफिया जो लोग हैं उनक कमाई का रास्ता है। आप यहां से नीचे उतर कर देख लें शिक्षा विभाग के कार्यालय में देख लें। 10-10 विद्यालयों के लोग प्रबन्धक बने हुए हैं उनके हाथों में फाईलें होंगी। वह केवल विभागों के चक्कर लगाते रहते हैं कि किस प्रकार से किस तरह से धन ले आयें। हम चाहते हैं कि इन योजनाओं को आप ठीक तरह से संचालित कराइये और योजना का लाभ लोगों को दिलवाइये। आप मौके पर समीक्षा कर लीजिये। कितने विद्यार्थी हैं उनको लाभ मिला है। जो लाभ दिया जा रहा है वह छात्र की जेब में न जाकर प्रबन्धक की जेब में जा रहा है। इसकी आप जांच करा लें। उस आडिट रिपोर्ट में एक चीज आयी है।

मान्यवर, उस आडिट रिपोर्ट में एक और चीज और थी 2.86 करोड़ रुपये वापस किया है जो छात्रों को बंटा ही नहीं। इसका मतलब है कि धन हमको ज्यादा प्राप्त हुआ और बंटा कम। मतलब हमारे पास उतने छात्र ही नहीं हैं पढ़ने वाले जितना धन विभाग हमारा देने को तैयार है। मान्यवर, अब इस धन को विभाग में हमने प्राविधान कर दिया कि हम इतना करोड़ रुपये छात्रवृत्ति बांटेंगे और उतने लोग लेने वाले नहीं हैं तो यह तो यह विभागीय कमी है या तो विभाग ने चिन्हित ही नहीं किया जिनको दिया जाना चाहिए या तो ऐसे छात्र नहीं हैं जो इसके पात्र हैं। तो यह दोनों चीजें हैं। माननीय मंत्री जी इसको भी देख लेंगे इस पर भी विचार कर लेंगे और कम से कम इस पर इतनी कड़ाई कर दें कि जितने भी विद्यार्थी गरीबी की रेखा से नीचे वाले हैं यह बचा हुआ पैसा उनपर भी बंटवा देते तो उनका भी भला हो जाता, वह भी किसी कम्पीटीशन में आगे आ जाते। मान्यवर, बहुत सी चीजें हैं मैं तो केवल यही कहूंगा कि आप उस रिपोर्ट को मंगवाकर देख लेंगे वह रिपोर्ट सरकारी है वह रिपोर्ट कोई हमारी या आपकी बनाई हुई नहीं है। जो आडिट पूरे विभाग का हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसको देखकर उत्तरदायित्व भी निर्धारित कीजिए। आखिर हम इतनी योजनाएं देते हैं और अधिकारी क्या करते हैं ? केवल एयरकंडीशन चैम्बर में बैठ जायेंगे वहां से क्या मान्यवर, हस्ताक्षर करने का काम करेंगे क्या वह गांव में जाकर के उस गरीब अनुसूचित बच्चे के पास जाकर के, उसके परिवार के पास जा करके या किसी विद्यालय में जाकर के इसका भौतिक परीक्षण नहीं कर सकते हैं ? या जब महालेखाकार की रिपोर्ट आयेगी तभी हम इस पर ध्यान देंगे। यह तो हर वर्ष वाला काम है यह काम तो ऐसा है जो सतत प्रक्रिया में चलते रहना चाहिए। और इस पर अगर आप कड़ाई कर देंगे तो आप करा सकते हैं, आपकी कार्य क्षमता ठीक है आप करा सकते हैं लेकिन सबसे मुश्किल यह है कि आप इन पर लगाम कैसे करेंगे ? तब तक लगाम नहीं कसेंगे तो जितनी योजनाओं की आपने घोषणा कर डाली जितनी योजनाओं की आपने बात कर डाली मुझे नहीं लगता है कि जो सही लोग हैं उन तक यह योजनाएं पहुंच पायेंगी। मान्यवर, मंत्री जी इस रिपोर्ट को देख लेंगे और इसमें जरूर कार्यवाही करायेंगे। मान्यवर, हम अनुसूचित वर्ग लड़को की प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी व्यवस्था करते हैं उनको भी अनुदान देते हैं वह हास्टल में रहते है उनका एडमीशन भी कराते हैं, उनको हर प्रकार की सुविधा देते हैं। उनको धन से भी मजबूत करते हैं, रहने की भी सुविधा देते हैं, कापी किताब भी देते हैं और अच्छी से अच्छी कोचिंग की व्यवस्था भी है, माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि हम अच्छी कोचिंग देते हैं। मान्यवर, इतनी सारी व्यवस्था होने के बावजूद हमारा रिजल्ट जो मानक के अनुरूप होना चाहिए वह क्यों नहीं है ? इसका भी कारण जान लें। या तो हम ऐसे लड़कों को वहां व्यवस्था दे रहे हैं जो इस मानक में आ ही नहीं सकते या जो हमने वहां स्टाफ रखा है कोचिंग देने के लिए या उनको ठीक पढ़ाने के लिए लगा रखा है कि वह विद्यार्थी के साथ मेहनत करेंगे, इसको पढ़ायेंगे, लिखायेंगे अच्छी से अच्छी पुस्तक उसको दी जायेंगी और उसके बाद वह कम्पीटीशन में अव्वल दर्जे पर आयेगा या तो उस विद्यार्थी की क्षमता नहीं है या तो जो कोचिंग देने वाले लोग हमने रख रखें हैं उनके अन्दर वह क्षमता नहीं है कि उस विद्यार्थी की ऊर्जा का उपयोग करा सके, उसको आगे पढ़ा सकें। मान्यवर, इसको दिखवा लें मैं आंकड़ों के आधार की बात कर रहा हूं मैं कोई अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं। यह विधान सभा का बजट सत्र खत्म होगा, समय है आप से कुछ न करिये एक मंडल में दो दिन का

कार्यक्रम रख दीजिए और आप विधायकों को भी आमंत्रित कर दीजिए अगर आपको पारदर्शिता रखनी है आपको वास्तव में काम करना है। अगर आपको वाकई में अनुसूचित वर्ग के लिए काम करने की इच्छा है अगर आप वाकई में अनुसूचित वर्ग के हित में और उनके कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप एक मंडल में 2-2, 3-3 दिन का कार्यक्रम रख दीजिए और वहां के सभी विधायकों को आमंत्रित करिये उनसे पूछिये कि उनकी विधान सभा क्षेत्र में इस योजना का लाभ कहां मिल रहा है और कहां नहीं मिल पा रहा है जहां नहीं मिल रहा है मौके पर भौतिक उसका निरीक्षण कर लीजिए। देख लीजिए दो महीने में सारी व्यवस्थायें ठीक हो जायेंगी लेकिन यह करने की हिम्मत तो जुटाइये। यह अधिकारी आपको ऐसे झंझट और जंजाल में फंसाकर रखेंगे कि आपको भी अपने कार्यालय से निकलने नहीं देंगे क्योंकि उन्हें तो जाना ही नहीं है उन्हें किसी योजना के क्रियान्वयन से मतलब नहीं है। तो यह जो आडिट रिपोर्ट है यह हमारे उत्तर प्रदेश को इतना पीछा करने का काम न करती। इसलिये मान्यवर, थोड़ा उस काकस से आगे बढ़ने का काम करिये, थोड़ा उस काकस को तोड़ने का काम करिये और जब आप इसको तोड़ेगें तो निश्चित रूप से समाज का कुछ भला हो जायेगा। मान्यवर, विवाह-शादी के अनुदान की बात आपने की, बहुत अच्छी बात है और मैं आपको एक चीज के लिये धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने अभी दो-दिन पहले एक चीज की घोषणा की गयी कि शादी विवाह में अनुदान दिये जाने के लिये साल में एक या दो बार मीटिंग बुलाई जाती थी, हमने अब यह व्यवस्था बना दी है कि अब प्रत्येक महीने मीटिंग बुलाई जाय और अनुदान की जो राशि है वह प्रत्येक महीने दी जाय, अच्छर योजना आपने लागू कर दी। लेकिन योजना का लाभ जिनको मिल रहा है उनके सत्यापन की भी कोई व्यवस्था करा लें। अभी तक तो यह होता है कि एक एप्लीकेशन दी गयी, वहां मीटिंग हुयी और उसको चेक पास हो गया और मान्यवर, आप किसी एक गरीब अनुसूचित वर्ग के चेक पास हो गया और मान्यवर, आप किसी एक गरीब अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति को बुलाकर पूछ लीजिये कि क्या उसको फ्री में चेक मिलता है। मान्यवर, जो कर्मचारी चेक बांटने जाता है, वह पहले उससे कुछ धन की मांग करता है। जो रिकमेंड करने की बात करता है, वह पहले उससे कुछ धन की मांग करता है। इस व्यवस्था को ठीक कर दीजिये और कम से कम इसमें एक चीज यह लागू कर दीजिये, आप चाहें तो कर सकते हैं, बजरंग बली का रूप अपना लो आप, आप कर सकते हैं, आपमें हिम्मत है, आप अभी उठकर जब मेरे प्रश्नों का जवाब दें तो यह घोषणा करें कि जिस दिन किसी अनुसूचित वर्ग के लाभार्थी के यहां शादी है उसके पहले उसको इस धन का लाभ मिलेगा। मान्यवर, वह किसी सूदखोर से पैसा ले लेता है 10 हजार रुपये उसको मिलना है और उसने 5 हजार रुपये किसी से ले लिया। मान्यवर, उसके बाद जब तक उसे इस योजना का लाभ मिलता है, वह ब्याज का पैसा बढ़कर इतना हो जाता है कि जो उधार उसने ले रखा है वह उस बेचारे के जीवन भर चलता रहता है और उससे वसूली की कार्यवाही चलती रहती है और समाज में उसका उत्पीड़न हो जाता है। मान्यवर, एक आप निर्णय ले लें कि अगर 10 तारीख को शादी है तो उसके पहले उसे पैसा मिल जाये।

श्री जगदीश नारायण राय-

जो सुझाव आपने दिया वह भारत सरकार को देना चाहिये।

श्री उदयभान करवरिया-

भारत सरकार तो पैसा समाज कल्याण विभाग को देती है। उस पैसे को खर्च करने का जिम्मा उत्तर प्रदेश सरकार का है, केन्द्र सरकार का नहीं है। आप मंत्री हैं मुझे अफसोस भी होता है कि अगर आपको यह जानकारी नहीं है।

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आप आधा सुझाव केन्द्र सरकार को दीजिये और आधा सुझाव यहां दीजिये।

श्री उदयभान करवरिया-

राय साहब आप हमसे वरिष्ठ हैं, अगर कुछ हमको जानकारियां कम हैं तो हम निश्चित रूप से आपके चेम्बर में आकर जानकारी का लाभ लेंगे। बीच-बीच में आपसे जानकारी का लाभ लेते रहते हैं। यह अच्छी बात है कि अगर कोई अपना सीनियर अपने को जानकारी दे तो लाभ लेना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप कर समाप्त करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, आपकी सरकार तो उसी बेस पर है तो उसकी बात तो सुन लें। मान्यवर, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आपके द्वारा पैसा दिया जाता है, 20 हजार रुपये तक, अगर एक संशोधन उसमें भी कर लेंगे तो अच्छा होगा। मान्यवर, एक सर्कुलर आपके यहां से गया हुआ है कि 6 माह के बाद अगर उसका कोई आवेदन करता है तो उसे उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। मान्यवर, हम आप सब इसको स्वीकार कर रहे हैं कि जिस वर्ग को हम यह लाभ देने की बात कर रहे हैं वह शिक्षित नहीं हैं, पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा नहीं है इसलिए उसको पूरी तरह से शिक्षित करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये इस योजना का लाभ उसको दे रहे हैं तो अगर 6 माह की समय सीमा को आप बढ़ा देंगे तो जो इसका लाभार्थी हैं, जिस बेचारे गांव के आदमी जो जानकारी नहीं है यदि उसको साल भर में भी जानकारी हो जाय तो उस योजना का लाभ आप उसको दिला देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन की बात आपने की है इसको अगर आप, जो भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिये शतप्रतिशत लागू करा देंगे तो यह भी आपके लिये उपलब्धि होगी और हम लोगों को भी लगेगा कि माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसा अच्छा काम किया, जिस काम को करने से समाज का हित हुआ है। मान्यवर, मैं अपने सुझावों के साथ, इन सारी बातों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निश्चित रूप से एक आग्रह जरूर करूंगा कि आप मन बना लो, वाकई में अगर समाज का कल्याण करना चाहते हो, अगर वाकई में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये कोई अच्छी योजनायें बनाना चाहते हो तो इन मेरे दिये हुये सुझावों पर विचार कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री त्रिभुवन दत्त-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस समाज कल्याण के बजट पर अपनी बात रखने का जो मौका दिया है, उसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और बधाई देना चाहता हूं

उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती को जिनके नेतृत्व में यह सरकार बनी है। मैं बधाई देता हूं समाज कल्याण मंत्री जी को जिन्होंने हजारों वर्षों से दबे-कुचले समाज, जिसके विकास के लिये, जिनकी समस्याओं के समाधान के लिये, जिनको समुचित रूप से आगे बढ़ाने के लिये एक लोकप्रिय बजट प्रस्तुत किया है। (इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और इसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हूं। मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय करवरिया जी ने एक बात उठायी कि इस मुल्क में वर्ण-व्यवस्था के अनुसार कुछ खास लोगों को ही इसका लाभ दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं वह कौन से लोग थे, आपने भी इस बात को स्वीकार किया कि धरती पर केवल मानव ही पैदा होता है और इतिहास भी बताता है कि जब इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था जब यहां पर घी और दूध की नदियां बहती थीं तो निश्चित रूप से यहां यह बात मिलती थी कि उस समय एक जाति थी जिसे केवल मानव जाति कहा जाता था, केवल एक धर्म था जिसे मानवधर्म के नाम से जाना जाता था। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, अभी करवरिया जी कह रहे थे कि खास तौर से दलित समाज को लाभ पहुंचाने के लिये यह योजनायें चलायी जाती हैं और तीन वर्णों को इससे दूर रखा जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह वर्ण-व्यवस्था बनाने वाले कौन लोग हैं ? और जहां तक दलित, शोषित समाज के लोगों की बात है तो निश्चित रूप से इस समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर एक गैर-बराबरी की व्यवस्था बना करके हजारों-हजारों वर्षों से इन्हें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछाड़ने का कार्य किया गया है लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री माननीया बहन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने ऐसे समाज के लोगों को भी सुख-सुविधायें मुहैय्या करा करके उस समाज के बराबर पर लाने का मौका दिया है। हमारे समाज कल्याण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, खास तौर पर वृद्धा किसान पेंशन या वृद्धा पेंशन, जो सामाजिक स्तर की जिन्दगी बसर करने के लिये डेढ़ सौ रुपये की धनराशि को तीन सौ रुपये करने का काम किया है, मैं समझता हूं कि सत्तापक्ष के साथ-साथ विपक्ष के लोगों को भी इसके लिये धन्यवाद देना चाहिये। इसके साथ ही साथ इस आच्छादन व्यवस्था को जो अब तक 20 लाख रुपया था उसको हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने 24 लाख करने का काम किया है उसके लिये भी हमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिये। इतना ही नहीं एकीकृत ग्राम विकास योजना के तहत् 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुसूचित जाति के लिये करने का काम किया गया है। मान्यवर, अभी पूर्ववर्ती सरकारों में चाहे अनुसूचित जाति के शादी अनुदान की बात रही हो, चाहे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की बता रही हो, आज जिस बात को लेकर करवरिया साहब कह रहे थे कि अनुसूचित जाति के लोगों का उत्पीड़न होता है, उनको जो राशि दी जाती है मात्र [x x x] और सवर्ण के मुकदमें इसीलिये दर्ज होते हैं। मैं जानता हूं कि सम्मान से बढ़कर कोई रुपया-पैसा नहीं होता है लेकिन इस देश में आज भी विडम्बना है कि आजादी के 59-60 साल के बाद भी धर्म, जाति व मजहब के नाम पर उत्पीड़न होता है।

श्री अध्यक्ष-

[xxx] शब्द कहना उचित नहीं है इसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री त्रिभुवन दत्त-

ऐसे उत्पीड़ित व्यक्ति को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है उनके मान-सम्मान को बचाने की कोशिश की जाती है तो प्रतिपक्ष के लोगों को उसका जोरदार समर्थन करना चाहिये, स्वागत करना चाहिये, उसका विरोध नहीं करना चाहिये था। आज मैं इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि हमारे तमाम लाभार्थी शादी अनुदान, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन-पत्रों को देते थे, तहसील से लेकर जिला समाज कल्याण अधिकारी तक बीसों बार चक्कर लगाते थे, किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, उनके आवेदन-पत्रों को निरस्त कर दिया जाता था। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक व्यवस्था सुनिश्चित किया है कि प्रतिमाह अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे जिससे कोई भी वंचित न रह जाय और उसका लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आगे और भी महत्वपूर्ण अनुदान हैं।

श्री त्रिभुवन दत्त-

मान्यवर, ठीक है, आज जो मा0 समाज कल्याण मंत्री जी ने समाज कल्याण विभाग के इस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी लोगों के लिये एक विकास परक बजट प्रस्तुत करने का काम किया है उसका समर्थन करता हूं और उस पर बल देता हूं।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मान्यवर, आपने समाज कल्याण विभाग जैसे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद देना चाहती हूं। माननीय मंत्री जी जब अपना भाषण प्रस्तुत कर रहे थे तो ऐसा अपने आप में महसूस हो रहा था कि समाज कल्याण का नाम आते ही लगता है कि जैसे सारी दिशाओं पर हमने विजय प्राप्त कर ली हो और समाज के हर वर्गों पर ध्यान दें करके हमने उनको उभारने का अच्छा कार्य कर लिया हो। माननीय मंत्री जी, आपने अच्छी-अच्छी योजनाओं को लागू किया है, आपने अपने भाषण में बहुत सारी बातें कही है जो कि मेरी समझ में नहीं कहनी चाहिये थी। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगी कि उदयभान करवरिया जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उससे अपने आप को सम्बद्ध करते हुये इस कटौती प्रस्ताव पर कुछ कहने का प्रयास करना चाहती हूं। जो मैं बात कहना चाहूंगी उस बात में मान्यवर, कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होगी। अगर आप उसको देखेंगे, सुनेंगे और उसका निराकरण करने का प्रयत्न करेंगे। जो आपकी सोच है, उसमें आपको वह लाभदायक सिद्ध होगी। मेरे पास एक पुस्तक रखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजातियों के अन्तर्गत प्रदेश में कुल पांच जातियों थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी एवं राजी को सूचीबद्ध किया गया था, किन्तु पृथक उत्तरांचल राज्य के सृजन के पश्चात् केवल दो अनुसूचित जनजातियां थारू एवं बुक्सा ही उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रदेश में निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार कुल जनसंख्या लगभग 12 लाख की है। इसमें क्रम सं0-1 में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज गोंड़ हैं और जिन जनपदों में यह निवास करते हैं, वे जनपद हैं-महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया,

गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर व सोनभद्र। बाकी जिलों के बारे में मैं नहीं जानती हूं लेकिन जनपद जौनपुर के बारे में दावे के साथ कहना चाहती हूं कि आज की तारीख में किसी भी गौड़ जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है। इस बात को बहुत जोरदार शब्दों के साथ कहना चाहती हूं। पिछली सरकार में यह बातें आई थीं। पिछली सरकार में जब लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया था तो उनको आश्वासन दिया गया था कि आपको अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा, लेकिन इस पुस्तक को पढ़कर जब लिखित रूप से पढ़ने का मौका मिला कि इन जिलों में इनको अनुसूचित जाति का लाभ दिया जाएगा तो मंत्री जी से मैं इतना अनुरोध करना चाहती हूं कि जनपद जौनपुर के जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देने की व्यवस्था करें कि अगर उनके जिले में यह जातियां हैं तो उनको निश्चित रूप से लाभ दिया जाय। इस बात को हम लोगों ने जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय रखा था और उसी समय से कार्यवाही प्रारम्भ हुई थी, लेकिन अभी तक उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

सभी को दो-दो मिनट समय मिलेगा।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

महिलाएं तो वैसे भी कम बोलती हैं। मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि जितने भी दशमोत्तर विद्यालय हैं उनके अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जायेगी। जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख से नीचे है, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। मैं जौनपुर की बात इसलिए करना चाहती हूं कि जहां मैं रहती हूं जहां के बारे में निश्चित रूप से जानकारी है। जौनपुर में इन्दु बालिका विद्यालय शाहपुर सिकरारा विद्यालय है। पिछले वर्ष इस विद्यालय में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को वजीफा नहीं मिला। इसकी मंत्री जी जानकारी कर लें। मंत्री जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है, उसमें कई अच्छी योजनाएं लागू की हैं लेकिन जब तक जिनके लिए योजनाएं रखी गई हैं उनको लाभ नहीं मिलता तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि महंगाई बढ़ रही है, अभी तक निर्धन-पुत्रियों की शादी में 10 हजार रुपए मिलते हैं आपने इस मद में सहायता राशि बढ़ाकर 35 करोड़ की है तो जब बजट ज्यादा हो गया है तो यह राशि भी बढ़ाई जानी चाहिए। निर्धन-पुत्रियों की शादी कराना इससे बड़ा पुण्य का काम दूसरा नहीं हो सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दें। मैं समझती हूं कि इससे बड़ा पुण्य का काम दूसरा नहीं हो सकता। मंत्री जी, आपने 300 रुपए की राशि विधवा और वृद्धों के लिए की है। ब्राह्मण होने के नाते मैं कहना चाहती हूं कि तीन की राशि शुभ नहीं है, इसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दें। अन्त में अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए और श्री करवरिया जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

*श्री धनंजय सिंह-

अध्यक्ष जी श्री उदयभान करवरिया द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर मैं बल देते हुए और सीमा जी की कुछ बातों पर बल देते हुए अपनी बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, उदयभान करवरिया जी ने बहुत विस्तृत रूप में सारी चीजों का यहां पर वर्णन किया है। मैं कुछ विशेष चीजों पर आपसे यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति का लाभ दिया जाता है तो जिस स्तर से वह लाभ दिये जाते हैं मान्यवर, हम लोग गांव में कहीं न कहीं देखते हैं कि जिस अनुपात में लोगों को यह सुविधा मिलनी चाहिए उस अनुपात में उन्हें मिल नहीं पा रही है। चाहे पेंशन का मामला हो। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ब्लाक स्तर पर पूरे प्रदेश में प्रत्येक गांव का सर्वे करा लें, आपके तमाम अधिकारी यहां उपस्थित हैं। मैं खास तौर से जनप्रतिनिधियों की, ब्लाक प्रमुखों की, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनकी भी भूमिका क्योंकि जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं संवेदनशील अपने उत्तरदायित्व के प्रति है। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आप यह सर्वे करा लें कि कितने लोग इसके पात्र हैं और उसी के अनुरूप आप अपने बजट में इस तरीके का प्राविधान रखें। नहीं तो जैसा आपने कहा कि हमने बजट में इसका प्राविधान 20 लाख से बढ़ाकर 24 लाख कर दिया यह कितना प्रतिशत है और कितने प्रतिशत वृद्ध लोग इस प्रदेश में हैं इसका सर्वे होना चाहिए लेकिन क्या उसको सहायता मिल जायेगी, आपके उद्देश्य की पूर्ति हो पायेगी। प्रत्येक जिले का सर्वे करा लें हो सकता है किसी जिले में दो लाख हों। 70 जिले हैं पूरे प्रदेश में। सर्वे कराने के बाद हो सकता है कि कुल संख्या 1 करोड़ निकल आये तो आपको अपने बजट को भी उतना बढ़ाना पड़ेगा। इस पर आप जरूर विचार करेंगे और एक सर्वे करवायें। इंदिरा आवास के बारे में कहना चाहूंगा कि आजादी के 60 वर्ष बाद भी आज इस प्रदेश में लोग आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। चाहे वह पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, उनके आवास ही समस्या हो। (व्यवधान) (किसी माननीय सदस्य के यह कहने पर-यह ग्राम्य विकास में आता है) क्षमा चाहता हूं। क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ विषय था इसलिये मेरे मुंह से निकल गया क्षमा करें। एस0सी0एस0टी0 एक्ट के मुकदमे के लिये मैं कहना चाहूंगा कि इस मुकदमे की राशि अभी उदयभान करवरिया जी ने कहा कि 10 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। अभी सीमा जी एक बात कह रही थी कि अनुसूचित जाति की बच्चियों की शादी के लिये राशि 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी जाय तो अच्छा होगा। मान्यवर, मैं भी सीमा जी की इस बात का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि इसको 10 से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया जाय और जिस बात की आशंका अभी करवरिया जी ने जाहिर करी। मान्यवर, हम भी ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं अभी त्रिभुवन जी कह रहे थे ऐसा नहीं होता है कहीं न कहीं समाज में चाहे उच्च वर्ग के लोग हों चाहे एस0सी0एस0टी0 के लोग हों कहीं न कहीं यह भावना होती है, लालच होता है। मैं किसी जाति सूचक बात पर न जाते हुए कहना चाहता हूं कि लोग अपने निहित लाभ के लिये गलत तरीके इख्तियार करते हैं तो इसमें जरूर इस तरह की कमियां आयेंगी। जब 10 हजार के लिये करते रहे हैं तो दो लाख के लिये नहीं करेंगे , इसलिये मेरा निवेदन है कि इस राशि में कटौती की जानी चाहिए। अगर अनुसूचित वर्ग के ही नहीं, ठाकुर क्षत्रिय या सवर्ण वर्ग के गरीब व्यक्ति जो किसी भी वर्ग का हो उत्पीड़न तो अलग बात है। गरीब बच्चियों की शादी के लिये अगर 50 हजार रुपये करेंगे तो वो ज्यादा लाभदायक होगा एक अच्छा संदेश जायेगा प्रदेश में। एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट के लिये दो लाख रुपये की राशि आप देंगे इसमें भी हम देखते हैं जहां गरीब तबके के लोग आते हैं विधायकों के द्वारा पत्र

लिखवाकर ले जाते हैं लेकिन इसकी भी एक संख्या में बजट हमारे यहां आता है 350-400 बच्चियों की शादी के लिये। क्या मान्यवर, 400 लड़कियों की शादी होती है ? मान्यवर, मैं अपने जनपद जौनपुर के बारे में कहना चाहता हूं वहां की आबादी 40 लाख है क्या वहां पर 400 बच्चियों की ही शादी होती है प्रतिवर्ष। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि जिस तरह से मैंने पेंशन के लिये आपसे सर्वे कराने के लिये कहा है उसी तरह से इसका भी सर्वे कराया जाय कि प्रत्येक वर्ष कितनी बच्चियां शादी के योग्य हो जाती हैं। इसका एक सर्वे जरूर कराया जाय। बहुत महत्वपूर्ण विषय है गरीब आदमी बहुत परेशान है इसके लिए आप जरूर से इसकी राशि में वृद्धि करें। प्रत्येक गांव स्तर पर, ब्लाक स्तर के जिले में कितने लोग इसके लाभार्थी हो सकते हैं। लाभार्थियों की संख्या जरूर बढ़ा दें। गरीब लोगों के लिए। आप पिछड़े लोगों के लिए भी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पिछड़े वर्ग की बच्चियों की शादी के लिए मिले। सवर्ण जाति के जो गरीब लोग हैं उनकी बच्चियों की शादी के लिए मिले तो अच्छा होगा। पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगी हुई है कि सर्वसमाज की स्थापना के लिए सरकार का गठन हुआ है तो आप सर्वसमाज के लिए आप काम करेंगे क्योंकि समाज कल्याण का यह बजट है अगर पूरे समाज के लिए आपके माध्यम से बेहतर संदेश जाए तो अच्छा होगा। पेंशन के लिए जरूर विचार करें। शादी की राशि बढ़ाने पर विचार करें मुकदमें की राशि घटायेंगे इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और उदयभान करवरिया जी द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामसागर अकेला-

माननीय अध्यक्ष जी आपने 2007-2008 के समाज कल्याण विभाग के अनुदान बजट पर जो बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व में सुयोग्य समाज कल्याण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस पर बल प्रदान करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस पर मैं अपनी बात रखूं संयोग से माननीय समाज कल्याण मंत्री जी और कटौती का प्रस्ताव रखने वाले मा0 करवरिया जी एक ही गांव के निवासी हैं। मैं तो अपेक्षा करता था कि करवरिया जी कटौती का प्रस्ताव वापस लेकर के समाज कल्याण मंत्री जी का मनोबल बढ़ायेंगे। लेकिन शायद यह गांव की अदावत यहां भी बरकरार रखे हुए हैं। मान्यवर, उन्होंने एक चर्चा को जन्म दे दिया इसलिए इसमें चर्चा करना बहुत जरूरी है। उन्होंने इंसान और इंसायित में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन कब हुआ इस बिन्दु को उठाया है। इसलिए में एक-दो मिनट और समय ज्यादा लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ज्यादा न लें।

श्री रामसागर अकेला-

मान्यवर, इसी सदन में एक दिन बजट प्रस्ताव पर भाषण करते हुए कहा था मनुष्य के निर्माण की परिकल्पना जो धर्मों में की गई है तो गोस्वामी जी की उस पंक्ति का उल्लेख करें जिसका मैंने उल्लेख किया था-

"क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा"

संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिनका निर्माण इन पांच तत्वों से न हुआ हो। इसी को जब इस्लाम में पढ़ते हैं तो मिलता है मान्यवर, सल्लल्लाहों हो-गलैह-वसल्लम के नवूवत से पहले इब्रे हजरत जिवराइल अलीहस्लाम आये और कहा बीलत हैं कि पढ़ो तुम्हें पैदा किया उसने खून की फुदकी से तुम्हें उसने सब कुछ बताया जो तुम्हें मालूम न था यह खून की फुदकी और पांच महाभूत थे क्या, इस पर चर्चा करने का मन बनाते हैं तो रोज सुबह सूरज की किरणें निकलती हैं वह हमारे मंदिर के गुम्बद पर भी पड़ती है मस्जिद की मीनारों पर भी पड़ती हैं ? वह किसी से भेदभाव नहीं करती हैं। हवा जब चलती है तो हमें भी प्रदान होती है सबको प्रदान होती है। जल जब बरसता है तो बिना किसी भेदभाव के इंसान के घरों में, गांव और खेतों में खलिहानों में समान रूप से आता है। जिसे हम-आप धरती मां कहते हैं, उस धरती मां को हम सुबह से शाम तक कष्ट देते हैं, कोई जुताई करता है, कोई गुड़ाई करता है, कोई गर्द डालता है तो कोई फूल चढ़ाता है ? लेकिन जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो धरती मां सारे इन्सानों को एक जैसी जीवनदायिनी चीजें देने के बाद अपनी गोदी में समेट लेती है, बिना किसी भेदभाव के। तो क्या कारण है, जिन 5 महाभूतों से हमारा, आपका निर्माण हुआ है, हम जैसे-जैसे बढ़ते जाते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव की भावनाएं बढ़ती जाती हैं। यही विचारणीय प्रश्न है और इसी विचारणीय प्रश्न को उठाने के लिए हमारे समाज में तमाम महापुरुषों ने जन्म लिया है। यहां तक कि भगवान का बनाया हुआ इन्सान जब इन्सान और इन्सानियत से हट जाता है तब संत महात्मा, धर्म गुरू आते हैं और यह संत-महात्मा, धर्म गुरू इस दुनिया में इन्सान और इन्सानियत को बनाने का काम करते हैं और जब वह इस दुनिया को छोड़ कर जाते हैं तो इस दुनिया में रहने वाला इंसान उनकी समाधि और मजारों पर दौड़ता हुआ चला जाता है क्योंकि वह इन्सान और इन्सानियत को बचाने और बनाने में काम आ गए। जब उससे भी काम नहीं बनता है तब स्वयं भगवान भी इस दुनिया में आते हैं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है कि जब उनका बनाया हुआ इन्सान, इन्सानियत से हटा तो वह स्वयं आए और शबरी के जूठे बेर खाये, उन्होंने गिद्ध जटायू को गले लगाया और मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में यह भी ला दूं कि रावण जैसे दुष्ट राजा को जब उन्हें खत्म करना पड़ा, मान्यवर, करवरिया जी का जब शब्द आया है तो हमें कह लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

समझ में आ गया ? (हंसी)

श्री उदयभान करवरिया-

कहने दीजिए, विचार अच्छे आ रहे हैं।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, करवरिया जी को बुरा नहीं लग रहा है।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन हमें भी तो देखना है। हमें बजट पास कराना है।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, नए सदस्य ने सुझाव दिया है, आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आभार व्यक्त करता हूं, एक शब्द कह कर खत्म कर देना चाहता हूं क्योंकि तमाम अनुदान बजट आने हैं, तमाम मा0 सदस्यों को अपने विचार रखने हैं, संक्षेप में यह कह सकता हूं कि सम्मान सबसे बड़ी चीज है, जैसा मैं इस सम्मानित सदन का एक सदस्य हूं, मेरे बदन पर अच्छे कपड़े हैं, मैं अच्छा भोजन करूं, मैं अच्छे-घर मकान में रहूं, मैं अच्छी गाड़ी-घोड़ा कार से भी चलूं लेकिन मेरी बहन-बेटी के कोई सम्मान को ठेस पहुंचा दे तो जैसे लगेगा कि मेरा कुछ खो गया। तो मेरा अच्छा कपड़ा पहनना, मेरा अच्छा खाना खाना, मेरा अच्छा गाड़ी-घोड़ा से चलना व्यर्थ हो जायेगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, विशेषकर आज हमारी बहन कु0 मायावती जी इसी मान, सम्मान और स्वाभिमान की जिन्दगी को दिलाने के लिए आज संघर्ष कर रही हैं, जिनको आज हम इस सदन के माध्यम से उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनके संघर्ष में हम मिल-जुल कर काम करें। जहां तक इस बजट का सवाल है, इस बजट पर चर्चा करने से पहले एक लाइन की बात कह देना चाहता हूं, इस मा0 सदन के माध्यम से कि "आइना तोड़ने वाले तुझे यह ध्यान रहे, अक्स तेरा भी बंट जायेगा कई हिस्सों में।" मान्यवर, मा0 समाज कल्याण मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें तमाम ऐसी बातों का उल्लेख किया है, मान्यवर, पिछले वर्ष जब यह बजट पेश हुआ था, वर्ष 2006-07 में तो मान्यवर, यह बजट 41,927.07 लाख रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया था लेकिन आज जो मा0 समाज कल्याण मंत्री ने बहन कु0 मायावती के कुशल नेतृत्व में जो बजट रखा है, उसमें 65650.54 लाख रुपये का बजट रख करके लगभग 23722.47 लाख रुपये अधिक का जो बजट रखा है, यह सराहनीय बजट है। मैं इस बजट की प्रशंसा करता हूं और मैं समाज कल्याण मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो कदम उठाये हैं उससे पूर्व की सरकार में समाज कल्याण विभाग में जो कमियां थीं उन कमियों को दूर करेंगे और जिस समाज से वह आये हैं, समग्र समाज के विकास के लिये काम करेंगे। इसके साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

*श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री उदयभान करवरिया जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि देश को आजाद हुये 60 वर्ष हो गये। 60 वर्षों में हमारे समाज कल्याण का जो बजट है और जिसके बारे में हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया कि पहले इसका नाम हरिजन समाज कल्याण विभाग था फिर समाज कल्याण विभाग किया गया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें इस बार हमने बजट बढ़ाया है तो मैं कहना चाहता हूं कि बजट तभी अच्छा होगा जब जिनके लिये वह बजट बनाया गया है उन लोगों तक यह पहुंच सके। मान्यवर, पहले का भी रिकार्ड है। यहां से पैसा जाता है लेकिन जिसके लिये पैसा जाता है वहां

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक नहीं पहुंचता है। बीच में बिचौलिये, दलाल उसका फादया उठाते हैं। मान्यवर, इसके बारे में मैं थोड़ी जानकरी देना चाहता हूं कि कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लिये 10 हजार रुपये की जो स्कीम होती है जिसमें उन्हें 20 हजार रुपये के लोन पर 10 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है। तो उसमें लोन हुआ 20 हजार का और जो रिक्शेवाले-ठेलेवाले थे उनका अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बन गया और उनसे फोटो और अंगूठा लगवाकर उन्हें 500 रुपये दे दिया गया और बाकी का सारा पैसा दलालों, बिचौलियों के द्वारा हजम कर लिया जाता है और दिखाया जाता है कि शतप्रतिश्त पैसा उपयोग किया गया। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा था कि विद्यार्थियों का वजीफा उनके एकाउन्ट में जाएगा लेकिन मान्यवर, बैंक मैनेजर उनका बैंक एकाउन्ट नहीं खोलेंगे और विभाग कहता है कि बिना पैसा जमा कराये एकाउन्ट खोलेंगे। मान्यवर, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन में अनुसूचित जाति के संदर्भ में कहा गया कि अनुसूचित जाति समुदाय के बच्चों को आवासीय पद्धति निःशुल्क शिक्षा देने के उद्देश्य से तीरगांव बाराबंकी में आश्रम पद्धति विद्यालय (एटीएस) के निर्माण हेतु शासन ने राज्य आकस्मिकता निधि से 33.05 लाख रुपये स्वीकृत किये (मार्च 1991-जून-1992)। स्वीकृत धनराशि में 0.78 लाख रुपये फर्नीचर तथा अन्य मदों के क्रय हेतु सम्मिलित था। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम, बाराबंकी ने अप्रैल, 1994 में 32.26 लाख रुपये की लागत पर आश्रम पद्धतीय विद्यालय का निर्माण का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् इसे जिला समाज कल्याण अधिकारी बाराबंकी को हस्तगत करा दिया जिसने 0.72 लाख रुपये का फर्नीचर एवं बर्तन मार्च, 1992 में खरीदा। निदेशक, समाज कल्याण, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा शासन से पदों के सृजन हेतु बार-बार अनुरोध (अगस्त, 1992) करने के बावजूद भी कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप कोई भी बालक ए टी एस में भर्ती नहीं किया गया। इस प्रकार, भवन के निर्माण तथा अन्य मदों के क्रय पर व्यय की गयी धनराशि 32.98 लाख रुपये निष्फल सिद्ध हुई। क्योंकि 6 वर्षों के पश्चात् भी उस क्षेत्र के अनुसूचित जाति समुदाय के बच्चे विद्यालय में भर्ती नहीं किये गये तथा आकस्मिक निधि से धन आहरित करने का उद्देश्य भी विफल रहा।

श्री अध्यक्ष-

अब समय हो गया, समाप्त करें।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में, क्योंकि यह ऐसी चीज है जब तक जो हमारा उद्देश्य है कि उन तक पहुंचे, वह अगर नहीं मिल रहा है, तो यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मान्यवर, मंत्री जी नोट कर लें तब तक बजट सक्षम नहीं माना जायेगा जब तक कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बजट रखा गया है, वह पूरा न हो।

श्री अध्यक्ष-

श्री काली चरण जी आप शुरू करें। आप कृपया बैठ जायें।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, समाज कल्याण मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया नोट कर लें। वास्तविकता में देखें होंगे अभी भी जब एडमीशन का मामला आता है, तो जो वजीफा जाता है वह पहुंचता बाद में है और फीस पहले जमा होती है। फीस माफ होती है और बाद में रिफंड होता है। स्कूल वाले पहले फीस मांगते हैं, अगर उनको फीस का पैसा पहले मुहैय्या कर दिया जाय तो एडमीशन मिल सकता है। कई बच्चों का अखबारों में दिया है मान्यवर, यह रिकार्ड में है। यह कहा गया कि बजट डेढ़ गुना कर दिया लेकिन जो सोच आपने रखी है अगर वह नहीं पहुंच रही है, तो फिर बजट का औचित्य क्या है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो उनकी सोच है उस तक वह पहुंचे तभी बजट मान्य होगा।

श्री काली चरन-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2007-2008 के बजट के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस कल्याणकारी बजट के पक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ा हूं। मान्यवर, समाज कल्याण विभाग का मूल उद्देश्य वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप निर्बल एवं दलित वर्ग के लोगों को हर क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना है। माननीय अध्यक्ष जी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये इस विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं इसके तहत, छात्रों की छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन, पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान, दवा इलाज तथा पारिवारिक लाभ योजना आदि कई योजनायें इसके द्वारा चलायी जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, मा0 समाज कल्याण मंत्री जी ने बहन कुमारी मायावती के कुशल नेतृत्व में जो बजट पेश करने का काम किये हैं वास्तव में इस बजट की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है तथा सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी हमारे दलित, गरीब और मजलूम समाज के लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मान्यवर, दशमोत्तर छात्रों की छात्रवृत्ति देने के लिये इस वर्ष बजट में चौबीस हजार पांच सौ सत्रह लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है जो स्वागत योग्य है। प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में एक सौ तिरपन लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण के लिए इसके अन्तर्गत इस बजट में 1600.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी के लिए तथा उनके परिवार के दवा इलाज के लिए भी बजट में संतोषजनक प्रस्ताव किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, 2007-2008 के इस बजट में वृद्धा किसान पेन्शन, प्रति लाभार्थी को जो 150 रुपये प्रति माह मिला करता था इसको बढ़ा करके 300 रुपये प्रतिमाह कर देने का काम कर दिया गया है। इसके साथ इस बजट में लगभग 87515.1 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने सम्मानित विपक्ष के साथियों को यह बताना चाहते हैं कि हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा जो लखनऊ के चौराहों पर जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की होर्डिंग की विरोधाभास की बात कहने का काम किया गया है मैं उसके

तहत आपके माध्यम से अपने विपक्ष के साथियों को विनम्रभाव से यह बताना चाहता हूं कि अभी होर्डिंग लखनऊ के चौराहों पर लगाई गई है, उसके अनुरूप इस बजट में इस तरह का प्रविधान किया गया है कि जिस तरह से मेरी मुखिया सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा "सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय" का नारा देने का काम किया गया है, मैं आपके माध्यम से अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि वृद्धावस्था पेन्शन का जो प्राविधान डेढ़ सौ रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमाह करने का काम किया है और इस पेन्शन में हर वर्ग, हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोगों के लिए प्रविधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो अभी कल्याणकारी बजट हमारे माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने प्रस्तुत करने का काम किये हैं उसके साथ पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007 और 2008 में 78 हजार लाख रुपये का प्राविधान किया गया हैं माननीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को तहेदिल से बधाई देते हुए और माननीय समाज कल्याण मंत्री जी को इस ऐतिहासिक बजट को पेश करने के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। यह बजट प्रदेश का कल्याणकारी बजट है, ऐतिहासिक बजट है, जनहितकारी बजट है, इसलिए मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।

होम्योपैथिक चिकित्सा एवं धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री (श्री राजेश त्रिपाटी)-

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम आपका आभार प्रकट करते हैं जो आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर हमें बोलने का समय दिया। सबसे पहले मैं माननीया मुख्य मंत्री जी को और समाज कल्याण विभाग के मंत्री माननीय इन्द्रजीत सरोज जी का आभार प्रकट करते हैं कि एक बेहतरीन बजट और जो आज समाज कल्याण का बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है, निश्चितरूप से हमारा पूरा क्षेत्र इस बात की बधाई देता है कि एक वंचित समाज के लिए, दलित समाज के लिए या हर समाज के गरीब व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण बजट आया हुआ है। मैं इस बजट में जितने भी प्राविधान किये गये हैं उन सबका हृदय से पुरजोर समर्थन करता हूं और उसके पक्ष में अपनी दो बातें कहना चाहता हूं। पहली यह कि बहुत सारी बातें हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कही हैं अभी एक वक्ता महोदय कुछ कह रहे थे गरीबों के धन के पीछे दलालों की लम्बी फौज हुआ करती थी और बिचौलिया खा डालते थे, लगता है कि वह गुजरे जमाने की बात कर रहे हैं या शायद यह दो महीना पहले हुआ करता था, वह गया जमाना जब बिचौलियों की चलती थी, अब निश्चितरूप से जो हक यहां से सरकार जिसको देगी, निश्चिततौर से उसको वह मिलेगा, इसका हम लोगों को पूरा विश्वास है और बहन कुमारी मायावती जी का जो संकल्प भरा तेवर है, जो इस सरकार की हनक है उसके अनुसार बिचौलियों का कहीं दूर-दूर तक पता नहीं रहेगा, हम निश्चिततौर से यह आश्वस्त करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि दलित समाज के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती रही हैं, एक सज्जन ने मुझसे कहा था कि हम दलितों से कार्य कराते हैं तो एहसान नहीं लेते उन्हें उसकी मजदूरी देते हैं। सबसे पहले तो आदरणीय संसदीय कार्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज इस सदन में उन्होंने घाषणा की है कि अब 100 रुपये मजदूरी कर दी गई है। जबकि यह धनराशि पहले मात्र 58 रुपये थी। मैं इस बात के प्रति माननीया मुख्य मंत्री जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

मान्यवर, क्यों इस तरह की बातें आती हैं। काम कराना चाहते हैं मजदूरों से क्या हम उन्हें पैसा देना चाहते हैं ? मान्यवर, जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि हम मजदूरों को पैसा देते हैं वह यह क्यों कहते हैं। मान्यवर, अगर आज 58 रु0, 100 रु0 या 80 रु0 देकर जो काम कराने का दावा करते हैं कि हम पैसा देते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम 200 रु0 देना चाहते हैं क्या वह खेतों में मजदूरी करेंगे। 500 रु0 मजदूरी देंगे कटिया पर काम करेंगे। दरवाजे पर पड़ा गोबर हटाने का काम करेंगे उसे उठायेंगे। मान्यवर, इसलिये श्रम की जो बात है उसका मूल्य नहीं होता है। उसको पारितोषिक नाम जरूर हम दे सकते हैं। लेकिन श्रम का अपना महत्व है। मान्यवर, दलित समाज है, शोषित समाज है इन वर्गों के लोग जो श्रम करते हैं उनको हम पारितोषिक तो दे सकते हैं परन्तु कीमत नहीं दे सकते हैं। मान्यवर, हम लोगों को तो एहसानमंद होना चाहिए उस समाज का जो हमारे मकानों की नींव बनाता है महलों को खड़ा करता है अंटालिकायें बनाता है। किसान का हल जोतता है खेत बोता है काटता है। मान्यवर, कुछ दुर्भाग्य रहा, यह मैं कहना चाहता हूं कि कुछ जरूर ऐसी प्रवृत्ति हमारी रही कि वह जोतता रहा बोता रहा वह काटता रहा गेहूं पिसा कर हमारी चौखट तक पहुंचाता रहा लेकिन जब खाने की बारी आयी तो उससे कह दिया कि छूना मत अब खाने की बारी मेरी है। मान्यवर, निश्चित रूप से महापुरुषों ने जो समाज में विडम्बनायें थीं जो विविधतायें थीं उनको खत्म करने के लिये यह एक व्यवस्था बनायी। मान्यवर, जो भी हमारे इस तरह के समाज सुधारक हुए हैं उन्होंने एक समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिये और इन विषमताओं को दूर करने के लिये जो व्यवस्थायें बनायी हैं वह सराहनीय हैं। मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए, अपनी पूरी बात को समेटते हुए, इस पर बल देता हूं।

ठाकुर सूरजपाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि सदन में पहली बार आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं बहन जी के आशीर्वाद से इस सदन में पहुंचा हूं। मान्यवर, आज इस आशावादी और ऐतिहासिक बजट की सदन में सराहना करना चाहता है सदन में जो ऐतिहासिक बजट बहन जी के दिशा-निर्देशन में रखा गया है वह सराहनीय है। मान्यवर, मैं विपक्ष की तरफ से देख रहा हूं कि विपक्ष भी बड़े तहेदिल से और बड़े मन से सराहना कर रहा है क्योंकि यह बहन जी का बजट है और भाईयों के लिये है बहन हमेशा अपने भाइयों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। मान्यवर, मेरे भाइयों दिल इसके समर्थन में साफ झलकता है कि यह बहन जी के बजट से कितना उत्साहित हैं। लेकिन चूंकि उस सीट पर बैठे हुए हैं विरोध में तो कुछ नहीं उनके द्वारा कहा जा सकता लेकिन विरोध करेंगे। यह दुर्भाग्य की बात है। अभी करवरिया जी ने पुरानी वर्णमाला के हिसाब से बात कही थी। मान्यवर, यह देश वर्ण के आधार पर नहीं है। यह सर्व धर्म और सर्व समाज का देश है। यहां कोई क्षत्रिय, ब्राह्मण का विषय नहीं है यहां हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई सारे समाज के लोग सारे धर्म के लोग रहते हैं। सर्व धर्म को मानने वाले लोग हैं और यह सर्व समाज की सरकार है। यह समतामूलक और विकास का बजट है। मान्यवर, आप लोग इस छोटे भाई को दो मिनट का मौका जरूर दें।

कई दिन से यहां देखने को मिल रहा है अम्बेडकर के नाम पर पूर्ववर्ती सरकार के लोग विपक्ष में बैठने वाले लोग चौक जाते हैं। तो मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भेदभाव की नीति पूर्ववर्ती सरकार में नहीं करते तो आज आपको यह कहने का मौका नहीं मिलता सर्व समाज के विकास का यह मौका नहीं मिलता। अनुसूचित जाति के लोग वह भी विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने भी सरकार चलाई है। यह दुर्भाव पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था तो माननीय बहन जी ने सर्वसमाज के लोगों के लिए उनके समूल हक के लिए जो विकास का नारा देते हुए जो बजट पेश किया है खास तौर से समाज कल्याण विभाग का जो बजट पेश किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं माननीय इन्द्रजीत सरोज जी का। इस बजट की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और बधाई देता हूं अपनी बहन जी को जिन्होंने अपने दिशा-निर्देशन में ऐसे कुशल शासक को इस बजट को पारित कराने के लिए आप लोगों के बीच भेजा है इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहिए न कि कटौती करने के लिए। मैं बताना चाहता हूं खास तौर से बीजेपी के लोगों को जिन्होंने कभी विकास का काम नहीं किया उत्तम प्रदेश का नारा इन्होंने जरूर लगाया था पर इन्होंने क्या किया मैं बताना चाहता हूं --

"चांदनी कहकर रात के अंधेरे समा दिये,
और पुकार कर गुलाब कांटो का पटरा बिछा दिया।
ले विकास का नाम आंखों में आंसू पिरो दिया,
हिन्दू मुस्लिमों को लड़ाकर देश को सम्प्रदायिकता में झोक दिया।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट भाषण पर माननीय मंत्री जी को कोटि-कोटि बधाई देता हूं और माननीया बहन जी को कोटि-कोटि बधाई देता हूं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं अपने छोटे भाई से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफी मांगता हूं।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय बहन जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वृद्धावस्था पेन्शन जो 150 रुपया प्रति माह दिया जाता था वह 300 रुपया कर वृद्धों के साथ बड़ा उपकार किया है। अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी के सम्बन्ध में मुझे बहुत करीब से जानकारी है। इसका लक्ष्य बहुत कम निर्धारित है। यहां से आर्डर चला जाता है शासन से प्रथम आवत प्रथम पावत वाला। जिसके कारण बहुत सी गरीब लड़कियों की शादी में बहुत से फार्म आ नहीं पाते हैं 100 का टारगेट होता है और प्रार्थना-पत्र जो 200, 300, 400 जो भी होते हैं वह बाकी रह जाते हैं और उनको शामिल नहीं किया जाता है अधिकारी कहते हैं कि कैलेण्डर वर्ष में एक अप्रैल से 31 मार्च तक ही है। 31 मार्च तक जो फार्म स्वीकृत हो गये उसके बाद शेष को इसका लाभ नहीं दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन लोगों के प्रार्थना-पत्र रह जाते हैं उनकी एप्लीकेशन आती है गरीब है एससी या किसी वर्ग के हों तो उन्हें अगले वर्ष में उनको समायोजित करने की कृपा करें। ऐसा भी होता है कि प्रथम आवत प्रथम पावत में बहुत से लोगों को वह रह जाते हैं उनको पता ही नहीं रहता है कि प्रथम आवत प्रथम पावत में उनको पैसा मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इनको अगले वर्ष में शामिल करें और टारगेट जरूर बढ़ायें। इसकी धनराशि बढ़ाकर 10 हजार प्रति व्यक्ति से 25000 कर दें और जहां तक

विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन है उसमें पिछली सरकार में बहुत कम बजट दिया गया है मैं उम्मीद करता हूं कि बहन मायावती जी जो चाहती हैं कि देहात का विकास हो, गरीबों का उत्थान हो उसके लिये मैं चाहूंगा कि इसका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा बढ़ायें ताकि गरीबों को, वृद्धों को, विधवाओं को उसका लाभ मिल सके। जहां तक छात्रवृत्ति का सवाल है, पिछले साल मैंने देखा रामपुर जनपद में, कि छात्रवृत्ति ही नहीं पहुंची। मैं चाहूंगा कि जो भी स्कूल हैं, जो भी छात्रवृत्ति यहां से जाय वह सभी बच्चों को मिलनी चाहिये। कोई उसमें रहना नहीं चाहिये। अक्सर ऐसी शिकायत आती है कि स्कूलों में जो छात्रवृत्ति पहुंची उसमें कुछ एस0सी0 के लोगों को मिल गयी, तो कुछ पिछड़े वर्ग के रह गये, कभी कुछ अल्पसंख्यक के रह गये। मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार करें ताकि सभी गरीबों को छात्रवृत्ति मिले। इस बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिये बहुत आभारी हूं और उम्मीद करता हूं कि बहन मायावती जी गरीबों के उत्थान के लिये जरूर अच्छा कदम उठायेंगी। माननीय समाज कल्याण मंत्री जी जो बहुत जागरूक हैं, वह जरूर गरीबों को आगे बढ़ाने के इस क्षेत्र में पहल करेंगे, धन्यवाद जयहिन्द।

* श्री राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं आभारी हूं। मैं जाति, धर्म, वर्ग सम्प्रदाय की बात नहीं करता। इस बात से हम अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं कि 21.1 प्रतिशत आबादी के साथ अनुसूचित जाति और .01 प्रतिशत आबादी के साथ में अनुसूचित जनजाति आज भी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुयी है। जहां हमारा शैक्षणिक स्तर 56.3 प्रतिशत है, वहीं इसके मुकाबले अनुसूचित जाति का 46.3 प्रतिशत और जनजाति का 35.3 प्रतिशत है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि क्या यह बजट हमारी आकांक्षाओं, जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने वाला है क्या यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी देने वाला बजट है। हम गरीब थे, गरीब हैं और गरीब रहेंगे। इस बजट से भी यह बात साबित होती है और इसका मुख्य कारण है, जागरूकता का अभाव और भ्रष्टाचार। जिसके बारे में माननीय सदस्य बार-बार कहते रहे हैं। हमें एक बात याद आती है पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी की, कि उन्होंने कहा था कि यदि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया नीचे जाकर लगता है। हम एक बात की ओर खासतौर से ध्यान दिलाना चाहते हैं अपने माननीय सदस्यों का, कि भ्रष्टाचार सीधा-सीधा झरने के समान होता है, यह ऊपर से नीचे की तरफ चलता है न कि नीचे से ऊपर की तरफ, जिस तरह से धुआं चलता है जिस तरह से क्रान्ति चलती है। हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि यदि भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाय तो कोई भी बजट हो यही बजट की बात नहीं करता। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आज जो हालत है, वह किसी हालत में नहीं होती। आपने बजट में कई तरह की योजनाओं के बारे में बात की है, और हमारे करवरिया साहब ने भी कहा था कि आप आडिटर जनरल की रिपोर्ट देख लें उसके अन्दर आपने काफी पैसा वापस भी कर दिया है। इसके अलावा हम कहना चाहते हैं कि जो दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना है उसके अन्दर आप जो वित्तपोषित छात्रावासों का निर्माण कराया है, उसके बारे में हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप अपने छात्रावासों की हालत देख लें। कुछ छात्रावासों पर तो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सीधे-सीधे कब्जे की शिकायत है। वाराणसी के छात्रावास पर भिक्षुक गृह का निर्माण कर रखा है, बदायूं व कादीपुर के छात्रावास पर अनाधिकृत कब्जा हो रखा है, आजमगढ़ के छात्रावास पर राजकीय बाल गृह का निर्माण कर रखा है। मैला ढोने वालों के बारे में एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा। छात्रवृत्ति के अलावा इन लोगों को 500 रुपया प्रतिवर्ष देने का प्राविधान था। माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि इस राशि को बढ़ाने का विचार है या राशि को घटा दिया गया है। आश्रम पद्धति विश्वविद्यालय या विद्यालय बनाना हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। लेकिन इनका रख-रखाव इतना ज्यादा खराब है कि अस्वस्थकारी वातावरण, विद्यालयों के भवनों का खराब अनुरक्षण, अपर्याप्त शिक्षक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण इनके अन्दर विद्यार्थी नहीं रहते। पिछले साल जो इन्होंने आदिवासियों के लिये 9 विद्यालय बनाये थे उनके अन्दर सिर्फ 1060 विद्यार्थी पाये गये हैं मैं कहना चाहता हूं कि इन छात्रों को मिलने वाले भोजन की राशि जो 550 रुपये प्रतिमाह है और जो इनकी यूनिफार्म पर प्रतिवर्ष 400 रुपये खर्च किया जाता है, 100 रुपया जो इनकी किताबों पर खर्च किया जाता है, यह अपर्याप्त धनराशि हैं 550 रुपये में तो यह लोग 3 बार का खाना भी नहीं खा सकते। बहुत सी और चीजें हैं, अनुसूचित जाति के अनुदान की ओर मैं बात करना चाहूंगा।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बुलवाये जाने का अनुरोध करने पर-घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

राजेन्द्र सिंह जी, अब समाप्त करें। आगे महत्वपूर्ण बजट है। उद्योग से लेकर गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चायें हैं, उसमें भी तो कुछ माननीय सदस्य बोलेंगे।

एक सदस्य-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हम गरीब रहेंगे, इस शब्द को कार्यवाही से हटा दिया जाए, यह ठीक नहीं है कि हम गरीब ही रहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

राजेश जी आगे और विभाग है, उन पर बोल लीजिएगा। अच्छा एक मिनट में कह लीजिए।

* श्री राजेश कुमार-

मान्यवर, समाज कल्याण विभाग के पक्ष में आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। अभी हमारे माननीय सदस्य कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इसमें एक ही जाति के लोगों को लाभ देने की बात कही गयी हैं मान्यवर, जब कभी अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ देने की बात आती है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है तो जो गरीब लोग हैं जो झुग्गी-झोपड़ी में निवास करने वाले लोग हैं, इन लोगों के जब उत्थान की बात आती है, लेबर वर्ग के उत्थान की बात आती है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, आने वाले समय में इन्हें जनता माफ नहीं करेगी। आपको स्वागत करना चाहिए था उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने जिस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के गरीब, वृद्धा, विधवा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

राजेश जी समाप्त करें, बस एक मिनट में समाप्त करें।

श्री राजेश कुमार-

मान्यवर, मैं तो सिपाही हूं जैसे आप कहेंगे मैं समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, जो झुग्गी-झोपड़ी में निवास करने वाले लोग जो अनुसूचित जाति के, पिछड़ी जाति के, अल्पसंख्यक समाज के ऐसे गरीब लोग जो विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन का डेढ़ सौ रुपये से बढ़ा करके तीन सौ रुपये करने का काम किया है यह लोग चले गये हैं, जब अनुसूचित जाति का बजट था, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के लोगों का बजट था, आज वह चले गये हैं नहीं तो हम उन्हें भी बताते कि इस बजट में क्या होना चाहिए था। आपको धन्यवाद देना चाहिए था, आप चले जाइये उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोग आज बहन कुमारी मायावती को बधाई देते हैं, उत्तर प्रदेश के अन्दर बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया गया है जो विधवा बेचारी एक रोटी के लिए मोहताज थी, इतनी मंहगाई में डेढ़ सौ रुपये की जगह पर जो तीन सौ रुपये देने का बहन जी ने काम किया है, इसके लिए जनता दिल से बहन जी को बधाई दे रही है। 60 साल के लोग हैं, विकलांग भाई हैं, उनके लिए बहन जी ने जो बजट में प्रावधान किया है, आज उत्तर प्रदेश के सारे गरीब लोग खुशहाल हैं लेकिन बड़े-बड़े लोग, जिन लोगों के पेट में गरीबों के सुख को देख करके दर्द होने लगता है, वही लोग आज इसकी आलोचना करने लगे हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं आज विभिन्न प्रकार की योजनाओं में एकीकृत ग्राम विकास नामक नयी योजना का जो शुभारम्भ किया गया है, इससे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में गरीब लोगों का फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष-

जल्दी समाप्त करें।

श्री राजेश कुमार-

इसमें मान्यवर 100 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना की तर्ज पर यह योजना चलाई जा रही है और इसमें 100 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया है उससे उत्तर प्रदेश के गरीब अंचल में रहने वाले लोगों को बिजली, सड़क और पानी सारी सुविधाओं को मुहैय्या कराने का काम सरकार ने किया है, यह बहुत अच्छा कदम है, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए और इसी तरीके से इस योजना के अन्तर्गत जो विकास होगा उसमें सारे अनुसूचित जाति के लोग ही नहीं निकलेंगे, उसमें सर्व-समाज के भाईयों का फायदा होगा और ज्यादा न कह कर आपके आदेश का पालन करते हुए माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बल देता हूं।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे द्वारा रखे गये बजट में सत्तापक्ष और विपक्ष से कई सदस्यों के विचार आये हैं। पहले ही हमने व्यवस्था कर ली है, हम पूरी तरह से सजग हैं। समाज कल्याण विभाग में जो कुछ भी अभी तक होता रहा है वह हमारी सरकार में नहीं होना चाहिए इसके लिए प्रदेश भर के समाज कल्याण अधिकारियों/ए0डी0ओज की और अपने उच्चाधिकारियों की अलग से मीटिंग किया था और तमाम बातें उसमें आयी हैं। शादी अनुदान में पारदिर्शता नहीं रहती है, बिचौलियों का

बोलबाला रहता है, उसके लिए ही तो हमने महीनेवार बैठक सुनिश्चित किया है और में समझता हूं कि अगर जनप्रतिनिधिगण सजग हो जायं तो कहीं से बिचौलियापन नजर नहीं आयेगा, महीने के महीने निपटारा हो सकता है। जब जिला स्तर पर मीटिंग होती है तो हमारे सदस्यगण उसमें रुचि ही नहीं रखते हैं। जब गरीबों के लिए सदन में इतनी चिन्ता कर रहे हैं तो गरीबों को लाभ दिलाने के लिए जब भी मीटिंग हो तो जाकर उस पर बराबर नजर रखें जिससे बिचौलियापन खत्म हो जायेगा। हमारे प्रतिपक्ष के साथी भाई करवरिया जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि सामान्य वर्ग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सामान्य वर्ग के लिए छात्रवृत्ति योजना चालू है। हमारे ए0टी0एस0 में भी सामान्य वर्ग के छात्राओं के लिए एडमीशन की व्यवस्था है। धीरे-धीरे व्यवस्था बन रही है। हमारी सरकार सभी वर्गों को साथ ले करके चलना चाहती है और उसी भाईचारे के तहत पूर्ण बहुमत में आये हैं। समतामूलक समाज की स्थापना चाहते हैं। हमारी नेता समतामूलक समाज की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभा रही है। हम जातिवाद और वर्गवाद में विश्वास नहीं करते हैं और हमारी नेता समतामूलक समाज में विश्वास करती हैं चाहे कांशी राम जी रहे हों, बाबा साहब डा0 अम्बेडकर रहे हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हैं, सभी महापुरुष और नेता चाहते हैं कि वर्ण-व्यवस्था, जाति व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए, इस देश में दो जातियां स्त्री और पुरुष रहनी चाहिए कोई जाति नहीं रहनी चाहिए। इस पर हमारी नेता काम कर रही है। हम बराबर समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारदर्शिता लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तमाम योजनायें आयी हैं। अभी कम्प्यूटरीकरण योजना चल रहा है नियोजन विभाग के द्वारा कम्प्यूटराइजेशन हो रहा है। हमारी नेता का यह कहना है कि हमारे छात्रों के एडमीशन के समय ही धनराशि उपलब्ध करा देना है, हम इसके लिए प्रयासरत हैं जिससे कापी-किताब खरीदने में कोई दिक्कत न लाये, फीस में कोई दिक्कत न आये। दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों की बात आयी, यह भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार पैसा देती है। एस0सी0, एस0टी0 के उत्पीड़न में 20 हजार से 2 लाख रुपये तक का प्राविधान है, यह भारत सरकार की गाइड लाइन से हो रही है। लेकिन जो फर्जी मुकदमों की बात आयी है। वह जमाना चला गया अब एस0सी0, एस0टी0 का मुकदमा फर्जी नहीं दायर है। मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश है कि फर्जी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए और असली घटनाओं का मुकदमा अवश्य दर्ज होना चाहिए, इसीलिए विगत साढ़े तीन साल में जो घटनायें हुई हैं, पुरानी सरकार के दौरान जो मनमानी की गयी थी, घटनायें की गयी थी उसमें मुकदमें दर्ज हों। असली घटनाएं हैं उसमें मुकदमें दर्ज हो रहे हैं। फर्जी मुकदमें उत्तर प्रदेश में कहीं भी दर्ज नहीं हो रहे हैं। महिला सदस्य चली गई हमारे लोक दल के साथी पूरन प्रकाश ने कहा मैं उस सम्बन्ध में अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में छात्रों को खाता खुलवाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्देश दिए गए हैं पुनः एक निर्देश सभी जिलाधिकारियों को चला जाय। कम से कम पैसे में खाता खुले जिससे छात्रवृत्ति उनके खातों में चली जाय मैं इसका निर्देश दे रहा हूं। हमारे अधिकारीगण सुनिश्चित कर लें। यह बहुत ही कल्याणकारी बजट है इस बजट में बहन जी ने बहुत उदारता की है। जहां डेढ़ सौ विधवा व वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी इसको 300 रुपये करने का काम हमारी सरकार ने किया है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं शादी, बीमारी है हर योजनाओं में बढ़ोत्तरी करने का काम हमारी बहन जी ने किया है इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मैं साथी उदयभान करवरिया जी से चाहता हूं कि वह

अपना प्रस्ताव वापस ले लें और इस बजट को सर्वसम्मति से पास कराने में अपनी सहायता करने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

करवरिया जी, आप कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री उदयभान करवरिया-

मंशा तो मेरी भी थी। मंत्री जी ने सर्व समाज की बात कही और तभी वह बहुमत में आए अगर मैं कटौती प्रस्ताव वापस ले लेता हूं तो इनकी पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। मैं एक गजल कहते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं जो ब0स0पा0 पर लागू होती है। आइना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगें। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,06,31,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,20,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,69,56,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)

समाज कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,41,75,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,67,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्री अध्यक्ष-

कटौती का प्रस्ताव कौन रख रहा है ? अनुदान संख्या-7 और अनुदान संख्या-8 पर कटौती का प्रस्ताव रख दें उसके बाद मंत्री जी का भाषण होगा।

* श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपये कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपये कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, उद्योग के बिना किसी देश और प्रदेश का विकास संभव नहीं है। उद्योगों को स्थापित करना बहुत ही जरूरी है और उद्योग धन्धों का लगना प्रदेश में विकास के लिये बहुत जरूरी है। मान्यवर, प्रदेश को उद्योग में अग्रणी बनाने के लिये हमारी नेता कृत संकल्प हैं और इसके लिए प्रदेश में उनकी प्राथमिकता कानून व्यवस्था को नियंत्रित करना और इस प्रदेश को अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त बनाना उनका लक्ष्य है। क्योंकि जब तक प्रदेश में भयमुक्त वातावरण नहीं बनता है तब तक कोई भी उद्यमी वहां पर उद्योग धन्धे लगाने के लिये अग्रसर नहीं होते हैं। जब से हमारी सरकार बहिन मायावती जी के नेतृत्व में बनी है तब से इस बात का बराबर प्रयास हो रहा है कि प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित होना चाहिए, भयमुक्त वातावरण बनना चाहिए। मान्यवर, जब से यह सरकार बनी है तब से कई बड़े-बड़े अपराधी पकड़े गये हैं और जेल के अन्दर गये हैं जो गुण्डा टैक्स लेने का और फिरौती लेने का काम करते थे। आज ही सदन में चर्चा हुई है कि अभी तमाम विस्फोटक सामग्री हमारे लखनऊ जिले में पकड़ी गई है। मान्यवर, हमारी नेता बराबर इस प्रयास में हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धन्धे लगें और इस प्रदेश का विकास हो सके। उद्योगों को लगाने का काम 1961 से यहां पर शुरू हुआ था। 1961 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी। इसी तरह से मान्यवर, चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो उनकी भी स्थापना हुई थी कि इन क्षेत्रों के अन्दर उद्योग धन्धे लगाये जायें। नोएडा की स्थापना 1976 में हुई थी इसी तरह से नोएडा के अन्तर्गत तमाम इकाइयां उत्पादन का काम भी कर रही है। प्रदेश में तमाम प्राधिकरण भी चल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा का गठन भी 1991 में हुआ। मान्यवर, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर मुझे ज्यादा देर न कहना हो तो उस हिसाब से कहूं।

श्री अध्यक्ष-

कहें।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मैं पिछले साढ़े तीन वर्षों के बारे में कहना चाहूंगा। यह नोएडा और ग्रेटर नोएडा साढ़े तीन सालों में भ्रष्टाचार के अड्डे बन कर रह गये हैं। अभी ट्रोनिका सिटी के बारे में यहां चर्चा हुई। तमाम ऐसे भूखण्ड उपलब्ध कराये गये, बिचौलियों को उपलब्ध कराये गये और अरबों रुपये की हानि यहां पर हुई यह सरकार बराबर इस प्रयास में है जहां-जहां घोटाले हुए उनकी जांच होनी चाहिए। ट्रोनिका सिटी की जांच एस0आई0टी0 द्वारा की जा रही है। एक तो सबसे बड़ा घोटाला हुआ था नोएडा के अन्दर जहां 1250 प्लाट काटे गये थे और अपने चहेतों को देने का काम किया गया था। वह प्रकरण अब सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय से उस समय बचने के लिए जब माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इसकी सी0बी0आई0 की जांच होनी चाहिए तो तत्कालीन सरकार ने बचने के लिए नोएडा प्राधिकरण को विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए कह दिया था। वह सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुई उसमें स्टे हुआ लेकिन हमारी सरकार ने फैसला किया कि जहां-जहां बड़े घोटाले हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। एस0एल0पी0 वापस लेने की कार्यवाही चल रही है। जैसे ही वापस होगी निश्चित तौर पर उसकी भी सी0बी0आई0 जांच होगी।

हमारी सरकार प्रयासरत है कि हमारे प्रदेश में उद्योग धन्धे लगें। बिना उद्योग धन्धों के इस प्रदेश का विकास सम्भव नहीं हैं इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। समय-समय पर प्राधिकरण के गठन किये गये जैसे ताज एक्सप्रेस में औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया 2001 में, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा का 2005 में गठन किया गया। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा का गठन किया गया। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा का गठन 1989 में किया गया। इसी तरह से पिकअप जो बनाया गया उसके द्वारा भी तमाम व्यवस्था की गई उद्योग धन्धों की। मान्यवर उत्तर प्रदेश सीमेन्ट निगम लि0 बनाया गया था जिसके तहत चुर्क, डाला और चुनार में सीमेन्ट इकाइयां स्थापित हुई थीं लेकिन रुग्ण हैं। आपके संज्ञान में है उच्च न्यायालय ने इसको दखल देकर बेचने की अनुमति दी है। उसमें जे0पी0 एसोसिएट ने दाम लगाए हैं 459 करोड़ रुपया। वह जल्दी बिक जायेगी लेकिन उसके निपटारे के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है जो उसकी लायबिलटी है 253 करोड़ रुपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसमें प्रस्तावित है। उ0प्र0 वस्तु निगम लि0 कानपुर की स्थापना की गई थी जो मान्यवर, रुग्ण है। प्रदेश में मान्यवर, तमाम ऐसे उद्योग धन्धे विकसित करने के लिए तमाम प्राधिकरण बनाए गये थे और अभी तो उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक परिक्षेत्र सेज यह भी प्रस्तावित्त है। 13 विशेष आर्थिक परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए गये हैं। वह अभी विचाराधीन है। मान्यवर, तमाम इधर उद्योग धन्धों के लिए प्रयास हो रहा है जब से हमारी सरकार बनी है बहन मायावती जी ने पहल किया है। प्रधान मंत्री जी से मिल करके भारत सरकार में जाकर अपना जेवर में जो अर्न्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना चाहिए यह सब यहां स्थापित होने की बात हो, यह हमारी नेता का प्रयास है कि ये सारे काम उत्तर प्रदेश में होने चाहिए, यह सारा यहां पर स्थापित होना चाहिए। यह हमारी नेता का प्रयास है। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर 07-10-2003 को जो हमारे मुख्य विपक्षी लोग हैं, यहां पर नहीं हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन किया था कि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग धन्धे लगाये जायें। इसके लिए उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन किया था, जिसमें तमाम ऐसे उद्योगपति शामिल थे, बड़े-बड़े उद्योगपति उसके सदस्य बनाये गये थे। यह 07-10-2003 को जो उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन किया गया था, इसमें श्री अमर सिंह जी जो राज्य सभा के सांसद हैं वह अध्यक्ष बनाये गये थे और इसके सदस्य मान्यवर, श्री आदि गोदरेज, श्री अनिल डी0 अम्बानी, श्री अमिताभ बच्चन, श्री कुमार मंगलम बिड़ला, श्री के0 बी0 कामथ, श्री एम0 एस0 बंगा, श्री सुब्रत राय सहारा तमाम इस देश की नामी-गिरामी हस्तियां, इस विकास परिषद् में सदस्य बनाये गये थे। इनकी समय-समय पर मीटिंग्स हुईं। यह सुझाव तो देते रहे कि फलां-फलां उद्योग फलां जगह स्थापित होना चाहिए लेकिन एक भी इकाई उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं हुई। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह जो कमेटी थी, उसके जो सदस्य थे, ये बड़े-बड़े उद्योगपति थे, फिल्मी दुनिया के थे, यह केवल रिकमेन्डेशन करते रहे, अपनी संस्तुतियां भेजते रहे और एक भी इकाई उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं हुई। यदि इनकी इच्छा शक्ति होती कि उत्तर प्रदेश को वास्तव में उत्तर प्रदेश बनाना है, उद्योग प्रदेश बनाना है और एक-एक इकाई स्थापित कर देते तो यह उत्तर प्रदेश उद्योग प्रदेश बन गया होता केवल यहां पर मीटिंग करते रहे और उत्तर प्रदेश के खजाने का पैसा वह सिर्फ खर्च करते रहे और जब इसकी उपयोगिता लम्बे समय तक नहीं देखी गयी, उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की तो

हमारी इस सरकार की मुखिया बहन कु0 मायावती जी ने इस विकास परिषद् को भंग करने का काम किया। तो मान्यवर, हमारी नेता बराबर प्रयासरत हैं कि उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाया जाना चाहिए। यह उद्योगपतियों में विश्वास दिलाना चाह रही हैं और विश्वास निश्चित तौर पर दिलाने का काम करेंगे कि आप निर्भीक होकर उत्तर प्रदेश में उद्योग धन्धे लगा सकते हैं, आपसे कहीं पर कोई गुण्डा टैक्स नहीं मांगेगा, आपको कहीं भी फिरौती नहीं देनी पड़ेगी, आप स्वतंत्र होकर, निर्भीक होकर अपने उद्योग धन्धे लगायें और इसके लिए हमारी नेता प्रयासरत हैं और भारत सरकार में जो योजनाएं लम्बित हैं, उनके लिए भी प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द जो इकाइयां इस प्रदेश में स्थापित होनी हैं, चाहे ताज अन्तर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट हो या कोई और योजना है, उसको जल्दी से जल्दी प्रयासरत होकर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने में अग्रसर है, मान्यवर यही संक्षेप में बात रखना चाहता था।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, चाहता तो मैं यह था कि हमारे साथी सामने होते और उत्तर प्रदेश विकास परिषद् ने जो हश्र किया है कि हम आज बगैर किसी उद्योग के उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। उसके बारे में थोड़ा सुन लेते। मैं सहमत हूं मा0 मंत्री जी से कि जब तक यह वातावरण नहीं होगा कि उद्यमी आए और आकर के कारखाना लगाना चाहें और वह माहौल तभी बनेगा जब यहां भयमुक्ति होगी। मान्यवर, आसानी से आदमी आ सकेगा, अपने कारखाने लगा सकेगा। मान्यवर, उद्योग धन्धे बढ़ेंगे। मान्यवर, जहां पर उद्योग धन्धे लगते हैं, वहां पर प्रतिव्यक्ति आय बढ़ जाती है, उनके चेहरे की रौनक, उनके घरों का माहौल, उनकी बस्तियों का रहना सब तब्दील हो जाता है, एक खुशहाली का माहौल आपने आप दिखने लगता है। सबसे बड़ा प्रदेश है, आज 17 करोड़ के करीब हमारे प्रदेश की आबादी है। यह जरूरी है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के लिए कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगे, उद्योग धन्धे आयें और मध्यम श्रेणी के उद्योग लगना जरूरी है। मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता, आलोचना की बात भी नहीं है लेकिन इन 10-15 सालों में उद्योगों का जो वातावरण रहा है उस पर निगाह रखनी पड़ेगी कि कितने उद्यमी आए, कितने उद्योग आए, कितने लगे। आपके यहां कितने उद्योग लगे और प्रदेशों में कितने उद्योग लगे, इस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक इस बारे में सही रूप से फिक्र नहीं होगी। पहले जैसे विकास परिषद् बनी थी फिर कोई वैसी विकास परिषद् बने और वह अपनी रिकमंडेशन दें और वह अपनी रिकमेंडेशन देकर मुम्बई चले जाएं, तो यह ठीक नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए मान्यवर, सही माहौल वह होता कि जहां जो कृषि का क्षेत्र है और जो उद्योग का क्षेत्र है उसमें 20 फीसदी से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। यह मैं नहीं कहता, जो इसके विशेषज्ञ हैं उनका यह कहना है कि अगर 60 प्रतिशत जमीन में खेती होती है तो 40 प्रतिशत जमीन में उद्योग भी लगना चाहिए, तब बात बनती है। हमारे यहां दिक्कत यह है कि 74 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है और उसके 15 प्रतिशत लोग कारखानों में नौकरी कर रहे हैं। तो जमीन का जो भार है वह कम नहीं हो रहा है और जमीन हर साल या 3-4 सालों में बट जाती है तो उससे हमारी प्रतिव्यक्ति आय भी कम होती जा रही हैं हमारा जमा अनुपात जो बैंक के अन्दर है, हमारे उत्तर प्रदेश का है वह 29 प्रतिशत है, महाराष्ट्र का 72 प्रतिशत

है, कर्नाटक का 68 प्रतिशत है, हरियाणा जो इतना छोटा स्टेट है उसका 41 फीसदी हैं मान्यवर, इतना पैसा इतना बैंकों में है और जो जिसका है, लग भी उन्हीं में रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने पहले उनका कर दिया हो। मान्यवर, आगे जो जमाना आ रहा है अगर उद्योग नहीं लगेंगे, अगर आपके नौजवान लड़के उसके अन्दर नौकरी नहीं करेंगे तो कानून व्यवस्था क्या होगी, हालात क्या बनेंगे, यह सोचने वाली बात है। तो इसके अलावा कोई चारा नहीं हैं हमारा बैंकों का जमा अनुपात ज्यादा हो, इसको बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 50 फीसदी तो होना चाहिए। हरियाणा से बढ़कर तो हो। आपने कहा है कि 12 प्रतिशत इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाएगी, तो यह हम आज से नहीं कह रहे हैं, हम पहले से यह कहते आ रहे हैं। हमने इस बजट से पहले भी कहा था, मान्यवर, बड़ी मुश्किल से हिन्दुस्तान की उद्योग दर अब हो रही है दस ग्यारह प्रतिशत और हम अभी भी उस जगह नहीं पहुंच पाये हैं। मान्यवर, जो हमारे यहां नौकरी का रेशियो है, जो कारखाने हमारे यहां लग रहे हैं उसके अन्दर हमारे प्रदेश में कितने व्यक्ति उसके अन्दर है यह देखने की बात हैं मान्यवर, मैं आंकड़े रख रहा हूं यह प्रति लाख पर है। उत्तर प्रदेश में कारखाने में नौकरी करने वाले हैं प्रति लाख पर 510, महाराष्ट्र में 1395, आंध्र प्रदेश में 1450, कर्नाटक में 886, मध्य प्रदेश में 570, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 1750 तथा उत्तराखण्ड जो अभी-अभी हमसे अलग हुआ है वहां पर भी रेशियो चार सौ हो गया है। तो हमें यह निरन्तर देखना पड़ेगा कि हमारे कारखाने में नौकरी करने वाले कितने हैं। आपके उत्तर प्रदेश का जो डिपोजिट रेशियो है वह हर साल कम होता जा रहा है। जब वह बढ़ेगा तो आपके उद्योग भी बढ़ेंगे, पैसा लगाने की क्षमता भी बढ़ेगी। मान्यवर, मैं काफी पहले से शुरू करता हूं-1994 में 37.5 प्रतिशत था, 2002 में 21 प्रतिशत, 2004 में 20 हो गया, 2006 में यह 21 प्रतिशत है। मगर इन सब आंकड़ों के बाद भी मुझे एक सुनहरा वक्त दिखाई दे रहा है। हमने कभी उद्योगों की तरफ देखा नहीं, शुरू नहीं किये, मगर मुझे रोशनी दिखाई दे रही है। एक तो इसलिये कि काफी सालों तक यहां आने को आदमी तैयार नहीं था, जब तैयार नहीं था तो कैसे लगेंगे। मान्यवर, आपको याद होगा, मुझे याद है आपकी एन0आर0आई0 की मीटिंग जो भारत सरकार करती है, उसमें उत्तर प्रदेश में जब लगाने की बात कही गयी तो एक भी आदमी नहीं आया। हमने बहुत सारे पोस्टर दिखाये मगर उसके बावजूद कोई उत्तर प्रदेश में नहीं आया, यह सोचने की बात है। हम भी विधान सभा में हैं, विधान सभा उत्तर प्रदेश की है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पार्टियों से हटकर हम बात करेंगे तो हम उत्तर प्रदेश को सुखी रख सकेंगे और अगर उत्तर प्रदेश सुखी रहेगा तो हम सब सुखी रहेंगे। तो इसलिये यह जरूरी हो गया है उत्तर प्रदेश के लिए कुछ न कुछ किया जाय। मान्यवर, आपके जो पंजीकृत कारखाने हैं, आंध्र प्रदेश में पन्द्रह हजार आठ सौ है, गुजरात में उन्नीस हजार पांच सौ बयासी हैं, हरियाणा में सात हजार तीन सौ बयालीस है, कर्नाटक में दस हजार छः सौ पांच है, महाराष्ट्र में बीस हजार नौ सौ पचपन और उत्तर प्रदेश में दस हजार आठ सौ चालीस है। मान्यवर, हम गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश क्यों नहीं बन सकते हैं ? कोई वजह नहीं है, वह भी इसी जीवन के लोग हैं एक जमाने से 10 साल से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश इसी श्रेणी में आते चले जा रहे हैं कभी एक पीछे कभी एक आगे और हम उनसे बहुत नीचे हैं और कोई तरीका नहीं बन रहा है कि हम उनके करीब आ सकें। मान्यवर, आपने जिक्र भी किया, आपके जमाने की वैसे बात नहीं है। कानपुर रोड पर उन्होंने सिटर बनाई थी, पता नहीं कौन सी गवर्नमेण्ट ने बनाई थी यह तो पता नहीं,

बहुत लम्बी बात है, मगर 13 सौ एकड़ जमीन थी और मुझे तो कोई बहुत लम्बे-चौड़े कारखाने इस रोड पर जाते हुए नहीं दिखाई देते। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बना था मान्यवर, सेक्टर-20 में, मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई, लेदर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई हो दो-चार एक्सपोजर जरूर बड़े हो गये मगर वहां कुछ काम कर चुके हैं ऐसा तो मुझे मान्यवर, दिखाई नहीं दिया है। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 यूं तो आप मेरी बात से सहमत होंगे और सभी लोग सहमत होंगे जहां यू0पी0एस0आई0डी0सी0 ने जमीन ली, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 का मतलब ही यही है कि यू0 पी0 स्टेट इण्डस्ट्री डेवलपमेण्ट कारपोरेशन, मान्यवर, इण्डस्ट्री बनाता है अगर वह जिले के दफ्तर बनाने लगेगा उन जमीनों पर अगर वह वहां डी0एम0 का कलेक्ट्रेट बनायेगा, अगर वह जेल बना देगा तो वह जमीनों पर और अगर वह पुलिस लाइन बना देगा उन जमीनों पर तो वह फैक्ट्रियां कौन सी जमीन पर लगेंगी। यह हर जगह की बात है, आप जाकर देख लीजिए। यह अनजाने किसी ने जबरदस्ती नहीं की, मैं इसको इन्क्रोचमेण्ट नहीं कहता, मैं ऐसा नहीं कहता कि इसे किसी ने कब्जा किया, जो गवर्नमेण्ट ने दिया, उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कलेक्ट्रेट बना दो यहां, जेल बना दो यहां। तो अगर हम यू0पी0एस0आई0डी0सी0की जमीनों के अन्दर यह सारी चीजें बना देंगे तो उद्योग कहा आयेगा ? उद्योग आ ही नहीं सकता। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण भी है और जरूरी भी है, नोयडा और ग्रेटर नोयडा का जिक्र जरूर आता है जब कभी भी हम उत्तर प्रदेश में उद्योग की बातें करते हैं। मान्यवर, आवासीय भूमि के लिये 42556 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई 98 भूखण्डों के लिये मैं सिर्फ थोड़े आंकड़े बता रहा हूं। यह आवासीय के लिये करी, व्यवसाय के लिये आपने व्यवस्था करी। मान्यवर, 520 वर्ग मीटर भूमि, 2005 की बात है। संस्थागत जमीन भी 150 एकड़ भूमि करी। मान्यवर, औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर जिसके लिये सारा का सारा जाना जाता है, नोयडा का आप जब जिक्र करते हैं तो एक औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जिक्र करते हैं मान्यवर, उसके लिये मान्यवर, 289 पचासी या नब्बे स्क्वायर मीटर जमीन दी गई है। तो उसको किसने बनाया, तिवारी जी ने बनाया या इन्होंने जिस किसी ने भी बनाया जो बन के आई नोयडा की, ग्रेटर नोयडा का जिक्र मैं अभी नहीं कर रहा हूं, वहां कुल 300 वर्ग मीटर जमीन तो मान्यवर, आपने दी बाकी सब आवासीय दे दी और आप यह मानेंगे ही मान्यवर, जितनी इन्क्वायरी चल रही है नोयडा के ऊपर, जो चलेंगी और वह सारा झगड़ा इसी बात का है, अगर फैक्ट्री लगा दी गई होती वहां तो झगड़ा किस बात का था ? फैक्ट्री नहीं लगी और जमीन ले ली प्लाट के लिए और प्लाट पर बना दिये मकान या फार्म हाउस तो झगड़ा तो इसी बात का है। तो जहां पर नोयडा को हमने बनाया था औद्योगिक क्षेत्र के लिये वहां हम कोई उद्योग नहीं बना रहे हैं मान्यवर, ग्रेटर नोयडा का हिसाब आया था कि ग्रेटर नोयडा मान्यवर, 2006-2007 का है मान्यवर, उसका हस्र भी यह कि आवासीय में 460 और औद्योगिक में 275 मान्यवर, तो अगर जब तक आप छड़ी लेकर नहीं आयेंगे जब तक कुछ नहीं हो पायेगा। आप यह तय न करें कि यहां यह उद्योग चलेगा। भारी उद्योग लगेगा। आप जायें नोयडा, ग्रेटर नोयडा। आप देखेंगे कि जो वहां पर जेम की फैक्ट्री थी वह बंद हो गयी है। आपकी डाइमो मोटर्स की फैक्ट्री बन्द हो गयी है। जिनको मकान नहीं मिल पाता है वह नोयडा और ग्रेटर नोयडा में मकान बनाने के लिये आते हैं। कोई फैक्ट्री लगाने नहीं आता है। सौ कारखाने अगर हैं तो मुश्किल से 20-25 चल रहे होंगे। बल्कि वह भी बन्द हो रहे हैं। आप काउंसिल बिल्कुल न बनाइये। मुख्य मंत्री जी कर रही हैं वह अपने हिसाब से करायें। जो विकास परिषद् थी

उसके सदस्य जब यहां आते थे तो बीस मर्सडीज की गाड़ियां 6 दूसरी गाड़ियां 10 गाड़ियां आती थीं और उससे कुछ होने वाला नहीं है।

आपने ठीक कहा कि हम भी शामिल थे। जब आप आये थे हम उसमें शामिल थे। आपसे मतलब गवर्नमेण्ट से है। मैं गवर्नमेण्ट की बात कर रहा हूं मैं जमूरियत की बात नहीं कर रहा हूं। यह तकरीबन बीस साल से हो रहा हैं अगर पांच साल की योजना में कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में यह और मुसीबत बनेगी। अनइम्पलायमेंट इतना बढ़ जायेगा कि संभाले नहीं सम्भलेगा। जो आप कम्पेयर करते हैं दूसरे राज्यों से हम फिर उसमें नीचे हो जायेंगे। इसलिये इस उद्योग को संभाल लीजिये। यह उद्योग अगर यहां बढ़ेंगे तो हमारी तरक्की बढ़ेगी। हम कह सकेंगे कि हम उस प्रदेश के बाशिन्दे हैं जहां उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं।

* श्री विद्या सागर गुप्ता-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया हैं मान्यवर, कृषि की उन्नति के साथ-साथ उद्योग की उन्नति प्रदेश में होनी बहुत जरूरी है। यह एक गाड़ी के दो पहिये हैं। अगर इसका एक पहिया कमजोर होता है तो गाड़ी नहीं चल सकती। प्रदेश में उन्नति नहीं हो सकती। श्रीमन्, पिछले कुछ सालों से उद्योग तो नहीं लगे बल्कि उद्योगों का पलायन उत्तर प्रदेश से राजस्थान, हरियाणा की ओर चला गया।

श्रीमन्, अभी विकास परिषद् की काफी चर्चा हुई है। विकास परिषद् को आपने समाप्त कर दिया यह बहुत अच्छा काम किया। विकास परिषद् के सदस्य जो थे उन्होंने उद्योग तो एक भी नहीं लगाया लेकिन हां सुना यह जरूर जाता है कि कहा जाता था कि पचास हजार करोड़ रु0 के एग्रीमेंट हो चुके हैं लेकिन नींव एक की भी नहीं लगी पिछले तीन साल में। विकास परिषद् समाप्त हो गयी। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि एक प्रतिशत का विकास कर जो लगा था उद्योगों के ऊपर, वह भी समाप्त होना चाहिए। एक प्रतिशत का एडीशनल कर इसलिये लगा था, विकास परिषद् के सदस्यों के लिये दुनिया भर में घूमने के लिये लगा था। आज विकास परिषद् नहीं है अब इस कर को समाप्त करना चाहिए। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में उद्योग की उन्नति के लिये यूपी स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन काफी हद तक जिम्मेदार है। जैसा कि अभी माननीय कौकब हमीद जी ने बताया कि 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पूरे प्रदेश में इंडस्ट्रियल स्टेट ही बनाती है लेकिन मान्यवर, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितने इंडस्ट्रियल स्टेट बने हैं जरा उनके डिटेल्स में जायेंगे तो फिर पायेंगे कि 40 प्रतिशत प्लाट आज भी खाली पड़े हैं, उसके कई कारण हैं। श्रीमन्, यूपीएसआईडीसी का जो इंटरेस्ट रेट है जब वह प्लाट का एलाटमेन्ट करते हैं उसी दिन से उनका मीटर चालू हो जाता है और वह बैंकों से ज्यादा ब्याज लेते हैं पहले दिन से ब्याज का मीटर शुरू हो जाता है और उद्योग को अपनी लाइसेंसिंग के लिये एनओसीज लेने के लिये बिल्डिंग कांस्ट्रक्शन का नक्शा पास कराने के लिये, बिजली का कनेक्शन लेने के लिये 2, 4, 6, 8 माह साल भी लग जाता है तब तक अगर 50 लाख का प्लाट है तो उस पर 8-10 लाख रुपया उसके ऊपर ब्याज देना पड़ जाता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, अभी तो उद्योग चला भी नहीं और वह बीमार होना शुरू हो जाता है तो इसमें मैं निवेदन करूंगा कि इसमें एक जस्टेशन पीरियड होना चाहिए एक साल का समय होना चाहिए उसके बाद कोई ही ब्याज उद्योग पर शुरू होना चाहिए। अगर यह नहीं होगा तो उद्योगों की उन्नति नहीं हो सकती सिकनेस खत्म नहीं हो सकती। मान्यवर, जो यूपीएसआईडीसी है वह एक महाजनी का काम करनी शुरू कर देती है तो गलत बात है उसको तो राहत मिलनी चाहिए कि आप उद्योग ठीक करिये हम आपको दो प्रतिशत और राहत देते हैं यह मेरा सुझाव है। मान्यवर, बिजली की समस्या उद्योगों के लिये भी है केवल इतना कहना चाहूंगा कि जहां भी औद्योगिक स्टेट लगे जितने भी उद्योग लगें उनकी एक अलग लाइन होनी चाहिए। उसका अलग फीडर होना चाहिए। अगर अलग लाइन होगी तो छोटे-मोटे जो डिस्कनेक्शन होते हैं या बिजली का व्यवधान होता है तो उद्योग चलता रहेगा उसमें रुकावट नहीं आयेगी। श्रीमन्, एक सुझाव है कि कम से कम 7-8 साल से भारत सरकार से कोई बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश में नहीं आया है। यदि वर्तमान सरकार 8-10 बड़े उद्योग पब्लिक सेक्टर में उत्तर प्रदेश में ले आती है तो सैकड़ों हजारों एन्सिलरी यूनिट लग जायेंगी और हजारों की संख्या में लोग इम्प्लाइड हो जायेंगे। तो प्रदेश को बहुत कल्याण होगा। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मौका दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, प्रदेश का विकास उद्योगों के विकास के बिना असम्भव है और सम्पूर्ण का अगर समग्र विकास करना है तो प्रदेश के सारे क्षेत्र का समान रूप से विकास होना चाहिए। अगर एक परिवार में चार बेटे हैं 3 स्वस्थ रहें और चौथा रुग्ण रहे तो परिवार सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। अगर हम उद्योगों के बारे में नजर डालें तो जहां पश्चिमी क्षेत्र में 2 लाख 77 हजार 40 इकाइयां लगी हैं, पूर्वी क्षेत्र में 1 लाख 51 हजार 449 इकाइयां लगी हैं, मध्य क्षेत्र में 88 हजार 311 इकाइयां लगी हैं वहीं बुन्देलखण्ड पिछड़े और बीहड़ क्षेत्र में मात्र 32 हजार 317 इकाइयां लगी हैं। आज हमें प्रदेश का समग्र विकास करना है निश्चित रूप से बहन मायावती जी की सरकार कटिबद्ध है अभी बहुत थोड़ा समय सत्ता में आने का हुआ है और ऐसे में पूरा प्रदेश इस सरकार के प्रति आशा भरी नजरों से देख रहा है। आज बुन्देलखण्ड के अन्दर सबसे ज्यादा खनिज है। एक सर्वे के अनुसार 59,316 करोड़ रुपये का खनिज केवल बुन्देलखण्ड में है। चाहे हम बुन्देलखण्ड के ललितपुर में प्लेटिनम को देखें, चाहे कैलेडियम को देखें, बांदा में हीरा को देखें, सैंडस्टोन को देखें, डालीस्टोन को देखें, राकफास्फेट को देखें, डायसफोर को देखें, कैरोफलाइट को देखें, फायरक्ले को देखें यह सारे के सारे खनिज आज बुन्देलखण्ड की माटी में सम्मिलित हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सरकारें आती रहीं, जाती रहें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र के प्रति जहां अनेकों विकास के कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये। वहीं बुन्देलखण्ड हमेशा उपेक्षित रहा। आज बुन्देलखण्ड के लिये स्वयं का औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि सबसे विचारणीय प्रश्न यह है कि बुन्देलखण्ड के अन्दर चाहे ललितपुर हो, महोबा हो, हमीरपुर हो, बांदा हो, कहीं भी हम देखें, इंडस्ट्रियल स्टेट बने हैं, झांसी के अन्दर भी 397 एकड़ का ग्रोथ सेन्टर विकसित किया गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केन्द्र सरकार से धनराशि आई, राज्य सरकार का अंश उसमें समाहित हुआ लेकिन उसमें उद्योग स्थापित नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए ? यह सबसे विचारणीय प्रश्न है। एक अच्छा बजट आज पारित होने जा रहा है, हम चाहते हैं कि इस बिन्दु पर भी विचार करें। क्योंकि बुन्देलखण्ड की जो स्थिति है वह दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक बुन्देलखण्ड में सबसे ज्यादा पलायन करने वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा भुखमरी है हम आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड के अन्दर खनिज है, बुन्देलखण्ड के अन्दर श्रमिक हैं, बुन्देलखण्ड के अन्दर उत्पाद हैं, जिनसे उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि जो बुन्देलखण्ड के अन्दर उद्योगविहीनता है, आपके इन्डस्ट्रियल स्टेट में कम से कम 1000 एकड़ जमीन उद्योगविहीन पड़ी है उसको दूर करने के लिये हम चाहते हैं कि आपकी एक ऐसी पालिसी बने जो बुन्देलखण्ड के उद्योग विकास के लिये आप कैपिटल सब्सिडी दें, पावर सब्सिडी दें, क्योंकि हम लोगो को लाइट नहीं मिलती है। हमारे झांसी के अन्दर लोहे की रोलिंग मिल लगी थी, फरनेस लगी थीं लेकिन उस समय लाइट के अन्दर सब्सिडी थी, आज लाइट भी नहीं मिल रही है, वह सब बंद करके चले गये। एक सूती मिल थी वह सूती मिल भी, आज पुस्तक के माध्यम से ज्ञात हुआ कि सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, इसकी नीयत भी अच्छी है आप बकाया भुगतान भी श्रमिकों का करने जा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप उस भूमि उस स्थान की बिक्री न करें, उसमें पुनः उद्योग स्थापित करें, क्योंकि अगर उद्योग स्थापित नहीं किया तो निश्चित रूप से आपकी बहुमत की सरकार है और आप जो नीति निर्धारित करेंगे, उस नीति में कोई भी दल, कोई भी अवरोध खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन बुन्देलखण्ड से आपको सबसे ज्यादा मत प्रतिशत मिला है और यह हमारा सौभाग्य है कि बुन्देलखण्ड के हमारे बहुत से साथी मंत्री भी बने हैं और उद्योग के क्षेत्र में हमारे क्रान्तिकारी साथी बादशाह सिंह लघु उद्योग मंत्री बने हैं। तो बुन्देलखण्ड के लोगों की बहुत सारी अपेक्षायें बढ़ गयी हैं तो हम चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड के अन्दर एक बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बने। बुन्देलखण्ड के अन्दर एस0ई0जेड0 के लिये कार्य किया जाय। हमारे झांसी के अन्दर स्पेशल इकोनामिक जोन के लिये पूरा सर्वे वगैरह हो गया था और उस सर्वे का उद्देश्य यही था कि बुन्देलखण्ड के अन्दर जो सबसे न्यूनतम स्थिति है उद्योगों की, वह स्थिति विकसित हो। हम चाहते हैं कि जो बुन्देलखण्ड की ट्रेडीशनल इण्डस्ट्रीज है, उनके विकास के लिये जो बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आप स्थापना करेंगे क्योंकि हमारे यहां मेडिशनल प्लाटेंशन बहुत ज्यादा होता है और उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री विकसित की जा सकती है। हमारे यहां अदरक बहुत ज्यादा मात्रा में है। जिंजर का उद्योग बहुत अच्छी मात्रा में है। हमारे यहां पेपर का उद्योग बहुत अच्छी मात्रा में हो सकता है। हमारे यहां बुनकर बहुत ज्यादा हैं। हमारे यहां झांसी जिले में मऊरानीपुर में टेरीकाट का निर्माण होता था वह न केवल इस देश में जाता था, बल्कि विदेशों तक में निर्यात होता था आपने मऊरानीपुर के एक क्षेत्र को क्लस्टर योजनाओं में लिया है, निश्चित रूप से यह सौभाग्य का विषय है लेकिन उस एक क्लस्टर योजना से हमारे पूरे बुन्देलखण्ड का विकास नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि एक सर्वे आप करा लें कि हमारे यहां कम से कम एक हजार रूग्ण इकाइयां हैं। लोगों ने हिम्मत तो जुटाई, बिजली का अभाव था, पानी का अभाव था, धन का अभाव था लेकिन उन्होंने जोखिम लेते हुए बुन्देलखण्ड में उद्योग स्थापित किया। आज वह बरबाद हो गये और निश्चित रूप से जब कोई एक व्यक्ति भी क्योंकि जिस राजा का राज

या शासन अच्छा होता है तो उस राज्य की प्रजा सुखी रहती है और हम समझते हैं कि राज्य की परिकल्पना की अवधारणा भी इसी बात पर निर्भर है अगर बुन्देलखण्ड के लोग उद्योगविहीन होंगे, बुन्देलखण्ड के लोग पलायन करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। मान्यवर, हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि बुन्देलखण्ड के अन्दर एक श्रम उत्पाद उद्योग और चालू था। हमारे यहां एक बीड़ी का उद्योग है, निश्चित रूप से तम्बाकू नुकसानदेह है लेकिन पूरे देश में एक करोड़ लोग बीड़ी के उद्योग से जुड़े हैं। श्रम उत्पाद पर आधारित था, बुन्देलखण्ड के 15 लाख लोग बीड़ी उत्पाद उद्योग से जुड़े थे। आज किसी भी राज्य में बीड़ी के निर्माण पर कोई बिक्रीकर नहीं है, तम्बाकू पर है, पेपर पर है लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी कारण से चाहे वह असावधानीबस ही ऐसा हो, मैं कहना चाहता हूं कि उससे जो हमारे उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं 15 लाख की संख्या में, वह मध्य प्रदेश जाने लगे क्योंकि वहां बीड़ी के निर्माण पर कोई कर नहीं लगता। अगर बीड़ी के निर्माण पर किसी भी राज्य में कर नहीं लगता तो बुन्देलखण्ड जो पहले से ही रोजगारविहीन है, जहां के लोग पहले से ही पलायन कर रहे हैं, वहां पर साढ़े बारह परसेंट का टैक्स बहुत ज्यादा है। हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी हमारी बातों को संज्ञान में लेंगे, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री अशोक कुमार कंसल-

मान्यव , आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, पहली सरकार में भी बहुत उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते रहे और वर्तमान सरकार की ओर से भी बजट में प्रावधान किया गया है कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। यह वास्तव में सत्य है कि अगर जिस राज्य में उद्योगों की बढ़त होगी तो वहां विकास कार्य अधिक होगा। हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान देश है लेकिन व्यापारी भी एक अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। देखने में आता है कि प्रदेश के अन्दर व्यापारियों के साथ या उद्योगों के साथ दोहरी नीति का प्रचलन रहा जिसके कारण प्रदेश के अन्दर उद्योग नहीं लग पाये। क्योंकि उद्योग दो बातों से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, नम्बर-1 प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो और नम्बर-2 अगर करों की समानता प्रदेश के अन्दर होगी तो उद्योगों में बढ़त होगी। जैसे कि पूर्व सरकारों ने एक नारा दिया कि यू0पी0 में है दम क्योंकि जुर्म यहां है कम, लेकिन हमने चुनाव में एक नारा दिया क्योंकि यह नारा अधूरा है, यू0पी0 में है दम क्योंकि जुर्म यहां है कम कि आप घर से निकलकर देखो तो लूट लेंगे हम। यह स्थिति प्रदेश सरकार की रही तो जब ऐसी स्थिति प्रदेश सरकार की रहेगी तो क्या देश और प्रदेश के अन्दर उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए तैयार होंगे और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक 58 एन0सी0आर0 के अन्तर्गत चौड़ीकरण सड़क का होना था चार लाइन में, दो बार कांट्रेक्ट हो चुका लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था ठीक न होने के कारण इसको कांट्रेक्ट पर भी लेने को ठेकेदार तैयार नहीं हुआ। अगर प्रदेश के अन्दर स्थिति यह होगी तो कहां से उद्योग लगेंगे और मान्यवर, एक छोटा सा राज्य अभी पांच-सात साल पहले हमारे प्रदेश से अलग हुआ, उत्तरांचल में आज उद्योगपतियों की उद्योग लगाने की बाढ़ जैसी स्थिति है। कारण है कि वहां पर जो सरकार है वह व्यापार कर में उनको छूट दे रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर यहां की वर्तमान सरकार उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है प्रदेश के अन्दर कर में छूट भी न दे तो कम से कम अन्य प्रदेशों के समान कर रखे। जैसे पेट्रोल और डीजल की स्थिति देख लीजिए दिल्ली और हरियाणा में या आपके उत्तरांचल में साढ़े तीन रुपये लीटर का फर्क रेट में है। जब यह स्थिति प्रदेश के व्यापार कर में होगी और पूर्व की सरकार ने 1 प्रतिशत विकास कर के माध्यम से कर लगाया था और यह कह करके व्यापारियों का दोहन करने का प्रयास किया कि 300 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने के लिए 1 प्रतिशत का सेवा कर लग रहा है। मैं समझता हूं कि 300 करोड़ का कई गुना राजस्व एकत्र हो गया होगा जबकि कोई विकास का कार्य प्रदेश के अन्दर नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में 1 प्रतिशत विकास कर भी समाप्त होना चाहिए। कर के कारण ही लोग आज गाड़ियां हरियाणा व आस पास के राज्यों से खरीद रहे हैं। हरियाणा हमारे जिले के पास से पड़ता है लोग वहां से गाड़ी लेना पसन्द करते हैं। अपने प्रदेश से नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री अशोक कुमार कंसल-

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि एक तो कानून-व्यवस्था सुदृढ़ किया जाय जितना सुदृढ़ होना चाहिए उतना परिवर्तन कानून-व्यवस्था में नहीं है और दूसरे अगर करों में समानता होगी तो प्रदेश के अन्दर नये-नये उद्योग लगेंगे, प्रदेश का विकास होगा। मान्यवर, आपने बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने भारी एवं मध्यम उद्योग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। लम्बे अनुभव का एक फायदा यह है कि प्रदेश का परिदृश्य सामने है। 1989 से पहले बहुमत की सरकारें थीं, पूर्णकालिक सरकारें थीं और 1989 के बाद यह पहला अवसर है जब दो महीने से पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में स्थापित हुई है। कोई सरकारें थीं नहीं थी चाहे पहले की हो चाहे बीच की अल्पकालिक सरकारें हों, चाहे आप हों। जो यह न चाहते हों कि उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास हो। सबने प्रयास किया है, सबने नीतियां बनायी हैं लेकिन उद्योग कोई साल दो साल में विकसित होने वाला विषय नहीं है। इसके लिए दीर्घकालिक नीति चाहिए और दीर्घकालिक इसका क्रियान्वयन चाहिए। इसलिए इस आधार पर किसी पूर्व सरकारों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता और इनको अभी तो दो महीने ही हुये हैं इसलिए इनका तो बिल्कुल भी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। लेकिन पूरे दृश्य में इस सदन में बैठने वाले जितने दल आज हैं और जो दल जिनको जनता ने अलग कर दिया, बहुत से दल ऐसे हैं जो अस्तित्व में नहीं हैं, सबके सब सरकार में रह चुके हैं। लेकिन जब कोई एक दूसरे पर उंगली उठाता है तो मुझे हंसी आती है कि किस पर उंगली उठा रहे हो। आज औद्योगिकीकरण उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ तो यह किसी सरकार की नीति गलत नहीं है, किसी के प्रयास की कमी नहीं है, कहीं न कहीं मूल कारण है जिसके कारण से इस प्रदेश का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

औद्योगीकरण नहीं हुआ है। इसलिए एक दूसरे पर उंगली उठा करके इस विषय पर संतोष कर लेना यह निश्चित रूप से बड़ी भारी भूल होगी। यह पहला अवसर मिला है जब आपको दीर्घकालिक योजना बनानी है, बीच के लोग बनाये, मैं तो अनेक मुख्य मंत्रियों के जिनके साथ रहा जब बाई प्लेन मुम्बई गये और वहां से घोषणा करते हुए आये कि इतने करोड़ का उद्योग लगाने के लिए सहमति जताई है अभी विकास परिषद् का देखा, बड़ी धूमधाम से बैठकें हुईं परिणाम क्यों नहीं आया, चिन्ता इस पर करिये और वही आपके लिए भी सबक है। क्यों नहीं हो रहा है। केवल आधारभूत सुविधायें नहीं हैं वह कारण नहीं हैं यह उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना तक प्रति व्यक्ति आय के मामले में चौथी पांचवीं रैंकिंग पर था जबकि उस समय मूल आय कृषि थी। आज औद्योगीकरण के दौर में हम कहां हैं कभी एक से ऊपर कभी एक के बराबर। जो दौर चल रहा है उड़ीसा जो सबसे पीछे था वह लगता है कि उत्तर प्रदेश से ऊपर हो जायेगा। आय के मामले में बिहार भी प्रगति कर रहा है और इस बात का खतरा है कि हम कहीं सबसे नीचे न चले जाएं। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम चौथी पांचवीं रैंक पर थे। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक साल पहले न्यूयार्क गया था वहां पर भारतीय समाज के लोग मिले उन्होंने हमें भोज पर बुलाया उनका एसोसियेशन है मैंने उनसे उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा की । मैंने उनसे कहा कि आप लोग उत्तर प्रदेश क्यों नहीं आते हैं उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में हमारे लिये संकट बिजली नहीं है, हमारे लिये संकट आधारभूत सुविधायें नहीं हैं उसका तो हल कर लिया जायेगा। अभी मैं नोयडा गया था वहां सेक्टर 7-8 में हमारे कुछ मित्र हैं तो वहां चला गया उनसे पूछा वहां कुछ इंजीनियर्स थे जो बड़ी फर्म में काम करते हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम उत्तर प्रदेश में टेण्डर नहीं डालते। न्यूयार्क में हमसे कहा गया कि आपके यहां उद्योग कौन लगायेगा। वहां जब फाइल चलना शुरू होती है वहीं से हैरसमेंट शुरू हो जाता है निर्णय लेने में महीनों लगते हैं हर जगह बारगेनिंग होती है जैसे उद्योग न हुआ सोने की चिड़िया हुई। चपरासी से लेकर ऊपर राजनेता तक उनसे कुछ निकाल लो यह मैं नहीं कह रहा यह उन लोगों का कहना है। स्थानीय दबंग व्यक्ति आये दिन हर महीने आता रहेगा फिर महीना बांधना पड़ता है। उन्होंने यहां तक कहा कि करप्सन को लीगलाइज कर दिया जाय कि किस टेबिल पर कितना देना है इतना कर देंगे तो हम फाइल कर देंगे तो भी दिक्कत न हो। नोयडा में बड़ी फर्म के इंजीनियर ने कहा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात व अन्य प्रदेशों में जो फाइल 15 दिन में डिस्पोज आफ हो जाती है उसको यहां 6-6 महीने तक लगते हैं। हमारा टार्गेट अगर दो साल का है तो 6-6, 8-8 महीने यूं ही फाइल के डिस्पोज आफ में लग जाते हैं। कैसे हम काम करेंगे। न्यूयार्क में भी यही बताया गया कि यहां पर दबंग व्यक्ति पैसा चाहता है, अधिकारी पैसा चाहता है, बाबू पैसा चाहता है राजनेता पैसा चाहता है। इसमें बड़ा लम्बा समय लग जाता है और जब फैक्ट्री चलने लगती है तो फिर टैक्स विभाग वालों का आना शुरू हो जाता है। यहां पर कोई चीज सुनिश्चित नहीं है। यहां पर मूल नीति का संकट नहीं है नीयत का संकट है इससे अगर आप बच सकें तो पांच साल में उद्योगीकरण कर पायेंगे वरना घोषणा तो हर मुख्य मंत्री ने की है हम भी जिस सरकार में थे उसमें भी घोषणाएं हुई थीं। यहां जो मूल बाधा है वह उद्योगों को पनपने नहीं देती। कहा गया कि नोयडा में जांच चल रही है। एक सरकार आती है दूसरी सरकार के कार्यकाल की जांच करती है। कितने अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर रहे हैं लेकिन दंडित एक भी नहीं हुआ। हम औद्योगीकरण करना चाहते हैं, कहां है संकल्प हमारा। दोषियों को दंडित करने का

जिस सरकार में, जिस ब्यूरोक्रेसी में, जिस राजनीति में इच्छा शक्ति न हो वहां कार्य फलीभूत नहीं होता है मान्यवर, कमी नीतियों में नहीं है, कार्य योजनाओं में नहीं है। 6 महीने की सरकार आई थी सुश्री मायावाती जी के काल में, उस समय भी उद्योगों के विकास की बात हुई थी। 6 महीने में न कोई पालिसी क्लीयर हो सकती है न कोई योजना कार्यान्वित नहीं हो सकती। संकट नीयत का है। मैं एक और बात कह कर समाप्त कर दूंगा। अगर आप यह पक्ष सुधार लें तो इस प्रदेश का औद्योगीकरण हो जायेगा। किसी चीज की कमी नहीं हैं आज उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। हम कुछ करके दिखायें इसका संकल्प चाहिए। अभी तक कुछ करके दिखाया नहीं है, इसलिए हम औद्योगीकरण में पिछड़ रहे हैं संसाधनों की कमी उतनी नहीं जितनी नीयत की कमी है, हमारे संकल्प की कमी है। मान्यवर, मैं अभी पिछले दिनों नोएडा गया था। मैंने कहा बड़ा नोएडा में जांच-वांच होती है क्या है ? अन्तिम बातें। मान्यवर, मैंने कहा कि कुछ परिवर्तन आया होगा इन दो महीनों में। मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने कहा मान्यवर, यहां कौन उद्योगपति संस्कृति का परिवर्तन चाहता है। उद्योगपतियों को तो भ्रष्टाचार फलता फूलता है। जो कालोनाइजर है वह चाहता है पैसा देकर उसका गलत काम हो जाय। यहां तो पैसा देकर जमीन मिल जाय इसकी होड़ लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार बदल गई चेहरे बदल गये अभी कार्य संस्कृति के बदलने का अनुभव नहीं किया। पहले ए अक्षर से शुरू होने वाला एक व्यक्ति था अब ए अक्षर से शुरू होने वाला दूसरा व्यक्ति है। व्यक्ति बदल गया संस्कृति वही है। इसलिए उद्योग बढ़ाना है तो संस्कृति के साथ-साथ। यह तो एक धुन है जो सारी योजनाओं को खा रहा है। हर एक राजनेता के संकल्प को ध्वस्त कर रहा है उस पर अंकुश लगाना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय न लेते हुए कहना चाहता हूं कि यह सरकार बनी है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि यह सरकार पांच साल बनी रहे और औद्योगीकरण का विकास हो। यह राजनीति करने का विषय नहीं रह गया है। आम आदमी के विकास की बात है इसमें आप फलीभूत हों यह शुभकामना करते हुए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। (श्री प्रदीप माथुर के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मलिक साहब भी मान गये। माथुर साहब उद्योग पर ओम प्रकाश जी इतना अच्छा चित्रण कर चुके हैं। अब आप आगे बोल लीजियेगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, सम्मानित सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव आये। ओम प्रकाश जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। हम बहुत ही आदर करते हैं माननीय ओम प्रकाश जी का। उनका बहुत पुराना अनुभव भी है ज्यादा पुराना तो हमारा नहीं है। हम तो तीसरी बार जीत कर आये हैं वास्तव में बड़े पैमाने पर जो घोटाले नजर आये हैं माननीय सिंह साहब ने कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई हैं मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 12 अधिकारियों के खिलाफ अभी तक हमारी सरकार बनने के बाद कार्यवाही हो चुकी है। हमारे नेता दृढ़ संकल्प हैं कि उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाना है और अभी फैसला लिये गये हैं कि जो भी औद्योगिक एवं आवासीय भूखंड हैं अब उन्हीं लोगों को आवंटित किये जायेंगे जो वहां पर अपनी आद्योगिक इकाई स्थापित करेंगे या अपने आवासीय प्रयोजन के लिये बनायेंगे। अब

उनको जमीन हस्तांतरित नहीं होगा। यह फैसला ले लिया गया है जिसे जिस कार्य के लिये भूखण्ड आवंटित किया जाय वह काम उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाए ऐसा फैसला ले लिया गया है। हमारी सरकार को बने अभी दो महीने भी नहीं हुए हैं। यह पांच साल के लिये सरकार बनी है निश्चित तौर पर हमारी बहिन मायावती में इच्छाशक्ति भी है।

उसी दृढ़ इच्छाशक्ति की बदौलत जीरो से चलकर आज पूर्ण बहुमत से मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश की बनी हैं। तो उनमें दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी नहीं है। निश्चित तौर से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने का प्रसास करेगी, मैं कौकब हमीद जी से और सभी विपक्ष के मा0 सदस्यों से चाहूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें। दूसरा मान्यवर, 13(5) वह मुद्रण और लेखन सामग्री के विषय में है। चार मुद्रणालय यहां स्थापित हैं इलाहाबाद, रामपुर, वाराणसी, लखनऊ में, पहले पुरानी मशीनें थीं उनका आधुनिकीरण किया जा रहा है। जिससे निजी मुद्रणालयों पर निर्भर न रहें। दूसरा मद जो था उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा जो मैंने दो बजट प्रस्ताव रखे हैं उसको सर्वसम्मति से पास कराने का कष्ट करें और अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

कौकब साहब वापस ले रहे हैं ?

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, जब उद्योग यहां खत्म ही हो गये और उद्योग जब बनेंगे तो जो होगा, फिलहाल जो आपकी दो संस्थायें हैं यू0पी0एफ0सी0 और पिकअप यह क्या कर रही हैं, इसके बारे में जरा बता दें। लोनिंग हो नहीं रही उद्योग आ नहीं रहे हैं तो यह सिर्फ या तो उनकी देखरेख कर रही है जो आपकी सिक यूनिट हो चुकी हैं। सिक यूनिट में कभी आप पी04 में चले जाते हैं कभी ओ0टी0एस0 में चले जाते हैं यह कुछ काम नहीं कर रही हैं। लोनिंग का काम था लोनिंग देना था अब लोन वापस नहीं आ रहा है तो कम से कम इसमें ध्यान कर लें। मेरी आपसे एक विनती है और आप मुझसे सहमत भी होंगे कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अथॉरिटी खत्म करवा दें और इनके चेयरमैन खत्म करवा दें। आपकी सरकार तो पूरा प्रदेश चला रही है। अथॉरिटी क्या है आप अथॉरिटी के चेयरमैन को एक ऐसी चीज बना देते हो कि दिल्ली तक का कैबिनेट सेक्रेट्री के रैंक का आदमी उसे नमस्कार कर रहा है। चेयरमैन नोएडा और ग्रेटर नोएडा को ऐसी चीज बना देते हो कि अल्टीमेटिली वह आपकी चीजों से बाहर हो जाता है। आप पूरा प्रदेश चला रहे हो इसे भी चलाओ। अथॉरिटी बनाकर प्राब्लम पैदा करने वाली बात है कुछ इससे होना नहीं है। सारे चेयरमैन को आप देख लें कभी इस गोल्फ क्लब में बैठे हैं कभी दूसरे गोल्फ क्लब के अन्दर जा रहे हैं यहीं चेयरमैनों से मुलाकतें होती हैं यहीं वह मिलते हैं। तो वह बड़े से बड़े बन जाते हैं। आप अथॉरिटी खत्म कर दें।

श्री अध्यक्ष-

वापस ले रहे हैं।

श्री कौकब हमीद-

वह तो है ही। वापस नहीं ले रहें हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,41,75,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,67,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

समाज कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 59,20,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा कटौती प्रस्ताव रखने के बाद कुछ और न बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 59,20,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,24,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,24,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-5-उद्योग विभाग (खादी और ग्रामोद्योग), अनुदान संख्या-3-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन), अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-13(8), 13(9) एवं 13(10) के प्रस्ताव एक साथ रख दें।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,89,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,58,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,43,72,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

*श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग), अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) तथा अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, आज सदन में भारी उद्योग की अभी चर्चा हुई। मान्यवर, प्रदेश में उद्योग के क्षेत्र में लघु उद्योगों की वही स्थिति है जैसी समाज कल्याण विभाग के बजट की चर्चा में जो दबे कुचलों की बात की जाती है। मान्यवर, लघु उद्योग प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला विभाग है। सरकारी उपेक्षाओं के कारण इसका क्षरण हो रहा है। उद्योग धन्धे या तो बंद हो रहे हैं अथवा सरकारी उपेक्षा के कारण प्रदेश के उद्योग, प्रदेश के पड़ोसी राज्य में पलायन कर रहे हैं। लघु उद्योगों से प्रदेश के राजस्व और प्रदेश के विकास में भी वृद्धि होती है लेकिन इसके बावजूद लघु उद्योग उपेक्षा के शिकार हैं। जहां उनके लिये आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं, न सड़के हैं, न बिजली है, न पानी है और न उनके उद्योगों के लिये सुरक्षा है तथा न ही शासन द्वारा उनके लिये किसी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है। लेकिन इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी लघु उद्यमी अपने उद्योगों को चलाकर प्रदेश की समृद्धि और विकास में जिस प्रकार से योगदान कर रहे हैं उसके लिये उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। शासन को इस सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण पर विचार करते हुए लघु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। 3 दर्जन विभागों का शिकंजा इन लघु उद्योगों पर कसा रहता है। इन 3 दर्जन विभागों के इन्सपेक्टर महीने या तीन महीने में इनका निरीक्षण करते हैं जिससे इनको उद्योग चलाना असहज हो जाता है। सरकार की उद्योग नीति के अन्तर्गत 50 करोड़ या उससे अधिक के उद्योग लगाने के लिये सरकार की तरफ से सुविधायें दी जाती हैं। उनके लिये 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है, व्यापार कर में पूर्ण छूट दी जाती है, मण्डी शुल्क में पूर्ण छूट दी जाती है, एक्सपोर्ट पर इंसेंटिव दिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता है और लागत राशि पर लगने वाले ब्याज पर छूट दी जाती है। सारी सुविधाएं 50 करोड़ या इससे अधिक की राशि पर लगने वाले उद्योगों को दी जाती हैं। जबकि इससे कम राशि के लघु उद्योगों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती है। मान्यवर, जो छोटे-छोटे उद्योग स्थापित हैं और लोगों को रोजगार देते हैं ऐसे लघु उद्योगों को भी सरकार की तरफ से सहायता दी जानी चाहिए। बड़े उद्योगों को भी सुविधा दी जाए और छोटे उद्योगों को भी सुविधा दी जाए। उद्योग और व्यापार में प्रतिस्पर्धा एक आधार होता है। हमारे पड़ोसी राज्य उत्तरांचल, दिल्ली, मध्य प्रदेश इन्होंने व्यापार कर में छूट दे रखी है, एक्साइज फ्री जोन हो गया है। इस कारण से उत्तर प्रदेश के अधिकांश उद्योग पलायन कर रहे हैं। उत्तरांचल में बड़ी संख्या में उद्योग लग रहे हैं, दिल्ली में लग रहे हैं। हमारी सरकार को भी इन प्रदेश की सरकारों के द्वारा दी जा रही सुविधाओं का अध्ययन करके उसे अपने यहां लागू करना चाहिए। आज प्रदेश का होजरी उद्योग, फुटवियर, साबुन, डिटर्जेंट, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग पैकेजिंग और मसाला उद्योग प्रदेश से बाहर जा चुका है, अगर सरकार ने समय रहते कोई योजना नहीं बनाई तो यह सारे उद्योग या तो बंद हो जायेंगे या यहां से पलायन कर जायेंगे और प्रदेश में बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी। आपके आय-व्ययक बजट की पुस्तिका में लिखा है कि वर्ष 2007 में प्रदेश में 30 हजार लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, मार्च, 2007 तक 28487 इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। एक लाख बीस हजार आठ सौ छियत्तर व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 2007-08 में तैंतीस हजार लघु उद्योगों का लक्ष्य प्रस्तावित है, इसके अन्तर्गत एक लाख तीस हजार व्यक्तियों हेतु नये रोजगार सृजित होने की सम्भावना है। मान्यवर, यहां पर यह तो बताया गया कि यूनिटें लगीं, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं है कि कितनी यूनिटें बन्द हो गयीं। वैसे यह जो आंकड़े हैं, यह भी आंकड़े सत्य से परे हैं। क्योंकि प्रति यूनिट पर साढ़े तीन व्यक्ति का रोजगार दिखाया गया है। मान्यवर, कोई भी लघु उद्योग लगता है तो उसका एक मालिक होता है, एक उसके परिवार के सहयोगी होते हैं, चौकीदार होते हैं, एक टेक्निकल आदमी होता है, इसके अलावा मजदूर होते हैं, इससे लगता है कि यह आंकड़े सिर्फ कागज पर ही हैं और यह सब फर्जी आंकड़े हैं। मान्यवर, आपने लघु एवं लघुत्तर उद्योगों की वर्षवार प्रगति का विवरण भी दिया है। मान्यवर, इसमें दिखाया है कि 90-91 में तीस हजार दो सौ अड़तालिस उद्योग प्रदेश में स्थापित हुए हैं, 91-92 में तैंतीस हजार पांच सौ अड़तालिस और 92-93 में बत्तीस हजार आठ सौ सात उद्योग स्थापित हुए हैं। मान्यवर, 90-91 में रोजगार सृजन एक लाख अड़तालिस हजार नौ सौ अड़सठ लोगों का हुआ और वहीं आप जो अपना बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें 2006-2007 में दिखाया है कि अट्ठाइस हजार चार सौ सत्तासी लघु उद्योगों की स्थापना हुई। इसमें रोजगार सृजन एक लाख बीस हजार आठ सौ छियत्तर लोगों का हुआ है। जो आंकड़े दिये हैं जो 90-91 और 92-93 में लघु उद्योगों की स्थापना की दर थी, वह और कम हो गयी है। जो रोजगार के सृजन 92-93 में मिल रहे थे वह और कम हो गये हैं। मान्यवर, इसमें पंजीकृत लघु उद्योगों की इकाइयों की संख्या दी है। कुल आच्छादित इकाइयां दो लाख पच्चासी हजार दो सौ बीस और कार्यरत हैं एक लाख बासठ हजार नौ सौ अड़तीस, जो बन्द और लापता हैं वह हैं एक लाख बाईस हजार दो सौ बयासी। सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि आधे से ज्यादा यूनिटें बन्द हो गयी हैं। तो इस तरह से परिस्थिति है और जो सरकार की नीतियां

हैं, जिसके कारण से यह बंद हो रही हैं, उस पर ध्यान दिया जाय। फुटवियर का उद्योग मान्यवर, एक बहुत बड़ा उद्योग था, जो प्लास्टिक और रबर की चप्पलें बनती हैं, उनकी स्थिति यह थी-उत्तर प्रदेश में 2004 में 38 से 40 यूनिटें थीं, आज प्रदेश में पांच यूनिटें रह गयी हैं, कानपुर जो प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, इसमें 2004 में 32 यूनिटें थीं आज की तारीख में चार यूनिटें रह गयी हैं। ऐसा इस कारण से हो रहा है कि फुटवियर उद्योग में राहत नहीं दी जा रही है जबकि उत्तरांचल में तीन सौ रुपये की एम0 आर0 पी0 की फुटवियर पर शत प्रतिशत टैक्स छूट दी जा रही है, हरियाणा में दो सौ रुपये की एम0 आर0 पी0 की फुटवियर पर छूट है। उत्तर प्रदेश में किसी फुटवियर पर कोई छूट नहीं है और चार प्रतिशत का सेल्स टैक्स लगता है और एक प्रतिशत का विकास टैक्स लगता है। किस तरह से प्रदेश अपने पड़ोसी प्रदेशों से प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। मान्यवर, इसी तरह से फार्मेस्यूटिकल की उत्तर प्रदेश में 600 यूनिटें थीं 2005 तक, वह आज घटकर दो सौ यूनिटें रह गयी हैं और कानपुर में 50 यूनिटें थीं आज मात्र दस रह गयी हैं। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में दवाओं की कीमत की एम0 आर0 पी0 के ऊपर एक्साइज लगा दी गयी है। जबकि उत्तरांचल और हिमांचल एक्साइज फ्री जोन है, वहां पर कोई एक्साइज नहीं लगती है। और पुराने एम0 आर0 पी0 पर एक्साइज लगा दी है जिससे जो बढ़ी हुई राशि होती है, जिसे रिटेलर बेचता है उस पर लगा दी गयी है, इसके आधार पर एक्साइज की नीतियों पर भी केन्द्र सरकार से रिव्यू कराना चाहिये। साबुन जो बहुत बड़ा उद्योग है, हस्त निर्मित साबुन, उत्तर प्रदेश में आज से दस साल पहले एक हजार इकाइयां थीं। दो साल पहले दो सौ इकाईयां थीं आज मुश्किल से पचास साठ रह गयीं हैं। इन सब कारणों पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पूरे हिन्दुस्तान में सात प्रदेश ऐसे हैं जहां हस्त निर्मित साबुन के ऊपर जीरो प्रतिशत टैक्स है और अधिकांश प्रदेशों में चार प्रतिशत का टैक्स है लेकिन आपने उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार का आठ परसेण्ट टैक्स लगा दिया, एक परसेण्ट का डेवलपमेण्ट टैक्स लगा दिया गया और मशीन के द्वारा जो बनती थी, उसकी मात्र 10-12 यूनिटें रह गयी हैं। उनकी भी स्थिति बहुत कमजोर है। खाद्य तेल जो साबुन में मिलाने के लिये आता है, उसको आज कल साबुन में न मिलाकर, सरकार इस बात पर ध्यान दे कि वह खाद्य तेल आज कल वनस्पति घी में मिलाया जा रहा है। क्योंकि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर और साबुन का जो खाद्य तेल है उसका मेल्टिंग टैम्परेचर में अन्तर होता था, लेकिन आज आप देखे, शासन इस बात को देखे क्योंकि आम आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ यह मसला है अगर वह खाद्य तेल जो साबुन के लिये लाया गया और अगर वह खाद्य तेल वनस्पति में मिलाया जायेगा तो इससे उत्तर प्रदेश के नागरिकों की जीवन सुरक्षा का एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जोयगा। डिटर्जेन्ट साबुन पर भी, बाडर के प्रदेशों में वेट लागू है, लेकिन अपने यहां आठ प्रतिशत से अधिक का टैक्स लागू है, इस कारण से डिटर्जेन्ट उद्योग भी समाप्त सा हो रहा है। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से लघु उद्योगों की सुविधाओं के लिये कुछ अनुरोध करना चाहता हूं। औद्योगिक स्थानों के लिये बिजली के फीडर अलग रखे जायें, जिससे उनको निरन्तर बिजली की आपूर्ति हो सके। यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा विकसित औद्योगिक स्थानों में लघु उद्योगों के लिये अलग से भू-खण्ड आरक्षित किये जायें तथा वह भूखण्ड जिन पर लगातार दस वर्षों तक उद्योग चल चुके हों उन भूखण्डों को फ्रीहोल्ड किया जाय।

प्रदूषण विभाग द्वारा ऐसे उद्योगों को हतोत्साहित किया जाता है जिनकी यूनिट से किसी प्रकार का कोई प्रदूषण भी नहीं होता है मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि प्रदूषण विभाग को ऐसे यूनिटों में जहां प्रदूषण नहीं होता है, हस्तक्षेप करने का अधिकार खत्म कर दिया जाय। पड़ोसी राज्यों में लागू सेल टैक्स की दरों से अधिक दरें अगर अपने प्रदेश में हैं तो उनमें कटौती करके अपने प्रदेश के उद्योगों को प्रतिस्पर्धा करने लायक बनाया जाये। लघु उद्योगों को बन्धन से मुक्त रखा जाय। मान्यवर, इसमें एक बहुत बड़ा मामला निर्यात प्रोत्साहन का है। एक बजट में लघु उद्योग का जितना महत्व है उतना ही बजट पर निर्यात प्रोत्साहन का है। पिछले छः माह से लगातार डालर के मुकाबले रुपये में आई मजबूती ने एक्सपोर्ट पर भारी नुकसान दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जनवरी से जून तक 25 फीसदी का निर्यात कारोबार कम हुआ है। पड़ोसी देश चीन हमारी इसी कमी का फायदा उठा रहा है। हमारे कानपुर नगर से लगभग तीन हजार करोड़ का लेदर गुड्स का एक्सपोर्ट होता है और चमड़े को छोड़कर, होजरी, प्लास्टिक, पान मसाला आदि चीजों का भी लगभग छः सौ करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। अगर निर्यात की लागत और रा मैटेरियल पर छूट दी जाये तो स्थिति सुधर सकती है। केन्द्र सरकार की नीति को भी रिव्यूव कराने का हम लोग आग्रह कर सकते हैं।

खादी ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में सिर्फ इतना कहना है कि यह विभाग, इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का एक विभाग था। गांधी जी ने देश भर के गांव-गांव में जिन कुटीर उद्योगों को चलाने का सपना सोचा था उस विभाग के अन्तर्गत उन कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की मन्शा थी। शासन की मन्शा के विपरीत आज ग्राम उद्योग इकाइयां, उसका जो फायदा उठा रहे हैं वह सारे वह लोग उठा रहे हैं जिनकी दूसरी बड़ी इकाइयां भी हैं। जो अपनी बड़ी इकाइयों की आड़ में उन खादी ग्रामोद्योग की इकाइयों से ब्याज की छूट, पूंजी पर ब्याज की छूट का लाभ उठाकर उन छोटी इकाइयों के सहारे बड़ी इकाइयों का व्यापार बढ़ा रहे हैं, जो गांधी जी की मन्शा थी, जो शासन की मन्शा थी, ग्रामोद्योग के माध्यम से आम आदमी को सहायता देने की, वह मन्शा पूरी नहीं हो रही है। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने काफी सुझाव दिये हैं। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाने में खादी ग्रामोद्योग और लघु इकाइयां एक महत्वपूर्ण योगदान करती है और इसीलिये मान्यवर, सरकार ने भी निर्णय लिया, पिछले वर्ष 2006-07 में 171 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ था। मान्यवर, जिससे 6021 इकाईयों की स्थापना की गयीं। लगभग साठ हजार लोगों को रोजगार मिला है। परन्तु चालू वर्ष 2007-2008 में हमारा लक्ष्य पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक है। लगभग 201 करोड़ रु0 का पूंजी निवेश बढ़ेगा और आठ हजार इकाईयों की स्थापना का लक्ष्य है जिससे 84 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। मान्यवर, इस सरकार की मंशा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की है। रोजगार सृजित करने के लिये छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना करने की है। मान्यवर, इसलिये बहन कुमारी मायावती जी ने अपने बजट में ग्राम रोजगार सृजन केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। जिसके अन्तर्गत कृषि पर आधारित छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना करके उस क्षेत्र विशेष में उद्योगों की स्थापना की जायेगी और उससे रोजगार सृजन का काम भी किया जायेगा। अतः अब माननीय सदस्य से अनुरोध है

कि कृपया हमारी सरकार की भावनाओं को समझते हुये कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, जी नहीं। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,89,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,58,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,43,72,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री हुकुम सिंह जी नहीं हैं।

अब मैं मद संख्या-15 लेता हूं।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

समाज कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मान्यवर, विधान सभा का मूल दायित्व जो है वह है विधान बनाना और उसके सम्बन्ध में आज यह चर्चा आयोजित की गयी है। अभी उदयभान करवरिया जी बोल रहे थे एक बात कह रहे थे। मुझे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को देखकर एक बात याद आती है-

आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत चाहे।
मेरे अपने ही मेरे होने की निशानी मांगे।।

मान्यवर, मुझे इसका सबूत मिलेगा मुझे इसका एहसास नहीं है।

इस अनुसूचित जनजाति आयोग में 2 परिवर्तन किया गया है एक तो कार्यकाल घटाया गया है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। दूसरा, संख्या बढ़ाई गयी है और दो सदस्यों का चरित्र बदला गया है। उद्देश्य में यह बताया गया है कि जो पुराना विधेयक था उसमें अध्यक्ष अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से 3 अन्य सदस्य जिनमें कम से कम एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति हो और 4 एक अन्य सदस्य जो महिला हो। अब जो नया विधेयक लेकर यह सरकार आ रही है इसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दो और सदस्य 17। यह जो जाति लिंग यह सारी चीजें थीं यह हटा दी गयीं यह काम ठीक है तो अच्छी बात है। अभी माननीय समाज कल्याण मंत्री जी अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे और कम्युनल एवार्ड पर चले गये। मैं जानबूझकर उस समय खड़ा नहीं हुआ अन्यथा कम्युनल एवार्ड क्या था और कैसे समझौते हुए उन पर बड़ी विषम् चर्चा होती और अभी जो काम हुआ वह सम्भवतः कम्युनल एवार्ड के बिलकुल विपरीत हो गया। अगर आप यह मानते हैं कि अनुसूचित जाति को अपने अधिकार मिलने चाहिए तो कम से कम वहां तो दिया ही होता जहां उन्हें अपनी बेहतरी की संकल्पनाएं ढूंढनी ही हैं क्योंकि आयोग ही मूलतः उनके लिए बनाया गया है। इस आयोग के जो मूल उद्देश्य हैं इनका सीधा सम्बन्ध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की बेहतरी से है। कैसे समाज में संविधान ने जो अधिकार दिये हैं उनकी रक्षा की जाय, कैसे उनकी बेहतरी के लिए कैसे बेहतर सुझाव दिया जाय, सरकार को यह बताया जाय कि कैसे हम सब काम करें जिससे यह समाज आगे बढ़ सके। अगर कहीं इस समाज के किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा हो तो उसके विरुद्ध जांच करके कार्यवाही की सलाह दी जाय। अब हमारे यहां बहुत पुरानी कहावत है कि:-

"जाके पांव न फटे बिवाई, सो का जाने पीर पराई।"

साहित्य के क्षेत्र में अब दलित साहित्य की चर्चा होती है, अब यहां इस सरकार की नीतियों में अचानक इतना परिवर्तन आया है यह पता नहीं दिल का परिवर्तन है या रणनीति का परिवर्तन है। बाहर-बाहर से दिखता है अन्दर कुछ और है लेकिन दिख बहुत स्पष्ट रहा है कि आपने जो मूल अवधारणा थी उसको बदला है उनके सदस्यों के चरित्र को बदला है तो अनुसूचित जाति के बारे में आपने जो किया वह आपका निर्णय। लेकिन यह जो एक सदस्य महिला हुआ करती थी, डा0 राम मनोहर लोहिया पहले कहा करते थे कि हर महिला जन्मतः अन्ततः सूद्र होती है, महिला की कोई जाति नहीं होती है। किसी भी परिवार की महिला हो, किसी भी समाज की महिला हो, कितनी ही आर्थिक रूप से सम्पन्न महिला हो, सूद्र थी, सूद्र है, सूद्र रहेगी। तो कम से कम यह जो आपने महिला का प्राविधान अलग से किया गया था कि उस समिति में एक महिला रहेगी जो महिला के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी कम से कम उसको आपने न हटाया होता बाकी तो सब आपकी राजनीति है। कल कुछ और कहते थे आज कुछ और कह रहे हैं, हो सकता है परसों कोई अच्छी स्थिति आये तो कुछ और कहने लगे, वह आपका विषय था।

(श्री बृजेश सौरभ के द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

आप बैठ जायें। मुझे लगता है माननीय सदस्य को अपने माननीय मंत्री जी पर विश्वास नहीं होगा उन्हें लगता होगा कि माननीय मंत्री जी इन चीजों का जवाब नहीं दे पायेंगे इसलिए कह रहे होंगे, काफी सक्षम होंगे बात रखेंगे, आप चिन्ता मत करिये। दूसरा जो मुझे कहना है अध्यक्ष महोदय, जब आपने सदस्यता बढ़ा दी 17 सदस्य कर दिये और 2 उपाध्यक्ष कर दिये तो यह सदस्य और उपाध्यक्ष, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अखबारों के पन्ने पढ़ रहा हूं, जो निगमों में सदस्य बढ़ाये जा रहें हैं,

उपाध्यक्ष बनाये जा रहे हैं उनकी तन्ख्वाहें तय की जा रही हैं वह कौन होंगे उनकी चर्चा मैं आज नहीं करना चाहता हूं वह कोई भी हो सकते हैं। सब इकट्ठा हो जायेगा तो उसकी भी सामूहिक चर्चा होगी। तो जो भी होंगे उनको हम पैसा देने जा रहें हैं कुछ न कुछ अगर नहीं देने जा रहें हैं तब बात दूसरी है। क्योंकि एक दूसरा विधेयक जो आया है उच्च शिक्षा आयोग का उसको देखकर बहुत अच्छा लगा कि अगर सदस्य संख्या दो बढ़ाई गयी है और सरकार ने महसूस किया है कि इसमें कुछ वित्तीय भार बढ़ने वाला है तो साथ में माननीय मंत्री जी ने एक वित्तीय ज्ञापन भी दिया है यही परम्परा है तो अगर आपने सदस्य संख्या बढ़ाई है 3 से बढ़ाकर 17 कर दिये और उपाध्यक्ष एक को बढ़ाकर दो कर दिये तो या तो यह घोषणा करिये कि यह सारे सदस्य निःशुल्क काम करने वाले हैं। इसके पूर्व अनियमितताएं जो विधेयक हम लोगों ने पारित किये उनमें थीं चूंकि मैं नहीं बोल रहा था इसलिए नहीं बोला अन्यथा अगर वित्तीय भार बढ़ने वाला है तो इस विधेयक के साथ तकनीकी रूप से एक वित्तीय ज्ञापन आना चाहिए था। इस वित्तीय ज्ञापन न होने के आधार पर इस विधेयक को अधूरा अनियमित कहा जा सकता है जहां तक मैं महसूस करता हूं।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, माननीय राधामोहन दास अग्रवाल जी ने अपने विचार इस पर रखे हैं और काफी चिन्तायें भी व्यक्त की हैं। हम इसमें बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। पहले हमने बजट पर यह कहा था कि हम लोग जातिविहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे की चिन्ता करे। जो जिस वर्ग से है, उसी की चिन्ता करे। आज के युग में यह मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा जब देश की पार्लियामेंट में बैठकर हम कानून बनाते हैं तो सबके लिये कानून बनाते हैं। सभी जाति के लोग उसमें रहते हैं। आज विधान सभाओं में हम बैठते हैं तो सभी के लिये कानून बनाते हैं। मान्यवर, जहां तक माननीय अग्रवाल साहब ने कहा है कि महिला को हटाने के लिये इसमें कहा गया है तो यह तो संशोधन पहले ही हो चुका है। महिला को हटाने के लिये आज तो नहीं कहा गया है। इसमें जो है कि उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य जिनमें कम से कम एक अनुसूचित जातियों या जनजातियों का हो और अब हम कर रहे हैं कि अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, पहले अनुसूचित जाति से था, अब अध्यक्ष कोई भी हो सकता है। उपाध्यक्ष पहले अनुसूचित जाति से था, अब दो उपाध्यक्ष हो जायेंगे, वह किसी भी वर्ग से हो सकते हैं। तीन सदस्य के स्थान पर कम से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति का हो अब 17 सदस्य का हम प्रावधान कर रहे हैं। तो मान्यवर इतना बड़ा प्रदेश हैं और 16 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है और लगभग साढ़े 3 करोड़ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग यहां पर रहते हैं। तो मान्यवर, इसमें बहुत बड़ा संशोधन नहीं कर रहे हैं और जहां मान्यवर, आप जाति की बात कह रहे हैं अगर शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं बैठेंगे। तो सही न्याय नहीं हो पायेगा। अभी तक जो उसमें अध्यक्ष बनाये गये हैं, श्री गोरेलाल जाटव, वह अनुसूचित जाति से हैं। एक उपाध्यक्ष बनाये गये हैं महादीन, यह भी अनुसूचित जाति से है, दूसरे जो उपाध्यक्ष बनाये गये हैं डा0 विजय प्रताप, यह भी अनुसूचित जाति से हैं तो यह हम खुद चिन्तित हैं तो इसमें अध्यक्ष और

उपाध्यक्ष में अनुसूचित जाति के लोग हैं। लेकिन हम इसमें जातियों का प्रतिबंध नहीं रखना चाहते हैं। तो इसको सर्वसम्मति से पास होने दें, यह हमारा अनुरोध है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय मंत्री जी ने विधेयक को प्रस्तुत किया लेकिन लगता है कि इसको पूरी गम्भीरता से पढ़ा नहीं। अन्यथा जो इन्होंने कहा कि महिला को इन्होंने नहीं हटाया, वह तथ्यतः गलत है, क्योंकि इसके पीछे एक ज्ञापन और है। इस विधेयक को एक अध्यादेश आने के बाद संशोधित करके प्रस्तुत किया गया है। जब यह अध्यादेश लाया गया था तो उस अध्यादेश में लिंग और जाति का प्रावधान नहीं हटाया गया था यह विधेयक लाते समय इस सरकार ने यह महसूस किया कि अध्यादेश में जो लिंगीय प्रावधान किया गया है, वह उचित नहीं है उसको हटाकर जब विधेयक प्रस्तुत किया जाय तो लिंग की जो व्यवस्था है और महिलाओं का जो आरक्षण है, उसको हटा दिया जाय। तो माननीय मंत्री जी स्वयं इस विधेयक के बारे में नहीं जान रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं कह रहा था, बाहर से कुछ और, और भीतर से कुछ और। जब आपको सारे सदस्य अनुसूचित जाति के ही भरने थे तो यह कहने की क्या आवश्यकता थी हम सारी जातियों के लोगों को लेने वाले हैं। यही मैं आपसे कह रहा था और यही मैं आपसे कहलाना चाहता था, मैं तो नाम जान ही रहा था, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 15 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1995 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी :-

"(1) आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) अध्यक्ष,

(ख) दो उपाध्यक्ष,

(ग) सत्रह अन्य सदस्य।"

धारा 5 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 5 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य अपना पद धारण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा :

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में अपना पद राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त धारण करेगा :

परन्तु यह और कि कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् इस रूप में पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 2007

निरसन और अपवाद

4-(1) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

*उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विधेयक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वह इस प्रदेश के भविष्य के लिये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। यह किसी अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति आयोग या किसी अन्य सामान्य काम करने वाले आयोग का विधेयक नहीं है। बल्कि इस विधेयक के माध्यम से हम लोग प्रदेश के शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने जा रहे हैं। जो शायद पूरे प्रदेश का आने वाले 20 सालों में भविष्य बनायेंगे। यह मान्यता होती है कि किसी प्रदेश का अगर वर्तमान खराब है तो सम्भवतः इसका दायित्व 20 साल पहले के बुद्धिजीवियों पर रहा होगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों का चयन करता है। स्वाभाविक रूप से शिक्षकों की गुणवत्ता सर्वोच्च होनी चाहिये, वह देश उतना ही अच्छा होगा, जैसा उसका ज्ञान होगा, जैसा उसका व्यक्तित्व होगा और जैसा उसका आचरण होगा। हमारे यहां कहा जाता है कि 'जाका गुरु है अंधला, चेला निपट अंध अंधी अंधिया टेलिया दोनों कूप पड़न्त'। हम इसलिये बैठे है क्योंकि हम एक ऐसा सिस्टम बनायें जिसमें हम प्रदेश के सर्वोत्तम शिक्षकों की नियुक्ति कर सकें और प्रदेश में एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण दें करके बेहतर छात्रों का निर्माण कर सकें और प्रदेश के एक नये स्वरूप की संकल्पना समाज के सामने ला सकें। यह विधेयक बहुत पुराना है, यह 1980 का है और सामान्य विधेयकों से हट करके है। इसलिये हट करके है क्योंक सामान्यतः विधेयक विधान सभा में पारित हो जाते हैं, विधान परिषदों से होकर गुजर जाते हैं, महामहिम राज्यपाल की सहमति मिल जाती है और वह विधेयक हमारे कार्य का अंग बन जाते हैं। यह विधेयक जब विधान परिषद् में गया था तो वहां कुछ आपत्तियां हुईं और शायद कुछ चुनिन्दा विधेयकों में होगा जो सेलेक्ट कमेटी को दिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया था, प्रवर समिति को सुपुर्द हुआ था और सुपुर्द होने के नाते उस समय यह पारित नहीं हो पाया और बाद में इसको नये सिरे से प्रवर समिति ने जो कुछ सुझाव दिये थे उनको स्वीकार करते हुए सदन में यह दोबारा विधेयक आया था। स्वाभाविक रूप से जब कोई विधेयक प्रवर समिति के पास गया हो तो मैं उन लोगों में हूं जो बार-बार कहता हूं कि हम लोगों को अब विधेयकों में संसदीय परम्परा लानी चाहिए जो लोक सभा में होती है। यहां बैठकर हम लोग विधेयकों की चर्चा कर लेते हैं, बहुमत के आधार पर पास कर लेते हैं। होना यह चाहिए कि जब विधेयक आते हैं तो पहले जो हमारे यहां संसदीय समितियां हुआ करती थीं विधेयकों को पास करने के बारे में उन कैबिनेट समितियों को दिया जाए जहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग हुआ करते थे और बैठ करके विधेयक की गुणवत्ता के बारे में, उसके गुण दोष के बारे में चर्चा करके इसको पास किया करते हैं। अभी लोक सभा में यह परम्परा है, विधान सभाओं में नहीं चल रही है और शायद इसीलिए जब सत्ता बदलती है तो उसके साथ-साथ विधेयकों के बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। विधेयक हमेशा वस्तुनिष्ठ होने चाहिए व्यक्तिनिष्ठ और दलनिष्ठ नहीं होने चाहिए। देखने में यही आता है कि जब जिसका दल सत्ता में आता है उसके हिसाब से विधेयकों में परिवर्तन होने लगता है, जैसा कि इससे पूर्ववर्ती सरकार ने किया जो मेरे खड़े होने का मूल विषय था माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी चूंकि कि आप जागरुक है, स्वयं छात्रनेता रहे हैं और मैं जानता हूं कि बहुत चिन्तक प्रकार के व्यक्ति हैं, पाजिटिव सोच रखते हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि जो मैं कह रहा हूँ उसे आप महसूस करेंगे। जो अपना पुराना विधेयक था उसमें इसके चेयरमैन बदलने की चार मान्यताएं थीं, इसका उच्च शिक्षा चयन आयोग का चेयरमैन वही हो सकता था जो डिस्ट्रिक्ट जज हो या उसके समकक्ष रहा हो ? आई0ए0एस0 हो जो सेक्रेटरी या उसके समकक्ष रहा हो, किसी युनिवर्सिटी का कुलपति रहा हो या किसी युनिवर्सिटी का प्रोफेसर रहा हो, यह चार मान्यताएं थीं। पिछली सरकार ने वर्ष 2004 में संशोधन के माध्यम से इसमें परिवर्तन कर दिया और अध्यक्ष के साथ एक क्लाज यह जोड़ दिया कि किसी ने भी शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया हो तो उसको भी चेयरमैन बनाया जा सकता है। अब अगर आप अपने उच्च शिक्षा चयन आयोग की चेयरमैनों की सूची निकालकर देखेंगे तो आपको समझ में आयेगा कि उस परिवर्तन के बाद पिछली सरकार ने किसको इसका चेयरमैन बना दिया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। इसी प्रकार से जो सदस्य थे, उनके क्राइटेरियाज में परिवर्तन किया गया, सदस्यों के क्राइटेरिया में यह चार चीजें तो थीं ही और साथ में यह था कि किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का ऐसा प्रिंसिपल जो 10 सालों तक प्रिंसिपल रहा हो, स्नातक महाविद्यालय का ऐसा प्रिंसिपल जो कम से कम 15 सालों तक प्रिंसिपल रहा हो, उसको उसका सदस्य बनाया जाएगा। पिछली सरकार ने जो मैंने परिवर्तन की बात की वर्ष 2004 के अधिनियम की उसके माध्यम से परिवर्तन करके यह स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य का जो 10 साल का प्रतिबंध था उसे 5 साल कर दिया, जो 15 साल स्नातक के बारे में था उसको घटाकर 10 साल के कर दिया और जैसे चेयनमैन के लिए जोड़ा था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण हो, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत रुचि रखता हो उसको बिठाया जा सकता है। उन्होंने यह क्लाज कर दिया और स्वाभाविक रूप से जब यह क्लाज हुआ, चेयनमैन और सदस्यों के रूप में जो सदस्यता सूची बदली है जिसके नाते बहुत सारी उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिकायतें आ रही हैं। तो मैं यह मानता था कि जब आप यह विधेयक ले करके आ रहे हैं सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए, अपने

लोगों को एडजस्ट करने के लिए। चार से बढ़ाकर छः कर देना यानि किन्हीं दो लोगों को उसमें और डालना तो जैसे उन्होंने डाला वैसे आप डालना चाहते हैं। अगर आप ने यह चिन्ता किया होता कि उन्होंने निम्न गुणवत्ता के लोगों को डाला, हम उनसे सहमत नहीं है, हम उच्च गुणवत्ता के लोगों को डालेंगे तो आपको करना यह चाहिए था, आप उनका विरोध कर रहे थे तो उनकी बुरी बातों का विरोध किया होता। उसमें जो अपने-अपने लाभ का दिखा उसमें तो आपने परिवर्तन कर दिया और जो मूलतः उच्चतर शिक्षा चयन आयोग में परिवर्तन होना चाहिए उसका एक मापदण्ड बना रहना चाहिए था हम लोग डिग्री कालेज के टीचरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। कम से कम प्रोफेसर ग्रेड का आदमी उसमें होना चाहिए। तो मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद करता हूं, वह सहमत भी दिख रहे हैं शायद वह सहमति को अपने शब्दों से भी व्यक्त करेंगे नहीं तो पिछली सरकार की तरह हो जायेगा क्योंकि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में कई कमियां आ चुकी हैं। एक तो सबसे बड़ी कमी आयी है वह यह कि जैसे यूनिवर्सिटियों में गुड अकेडिमिक कैरियर के आधार पर अगर 100 लोग अप्लीकेंट हुये तो उन सारे 100 लोगों को बुलाती है, उनका इण्टरव्यू करती है, उनमें से सर्वोत्तम लोगों को चुने या न चुने, कम से कम 100 लोग बुलाये जाते हैं गुड अकेडिमिक कैरियर के नाम पर। 55 प्रतिशत की मान्यता अगर तय कर दी गयी तो 55 प्रतिशत से ऊपर आवेदन देने वाले सारे लोग यूनिवर्सिटी में बुला लिये जाते हैं। उच्च शिक्षा चयन आयोग यह नहीं कर रहा है। अगर एक पोस्ट है तो उसके मुकाबले में 8 आदमियों को बुला लेता है। एक पर आठ आदमी को बुलाता है और ये सारे लोग यूनिवर्सिटी में बुला लिये जाते हैं। उच्च शिक्षा चयन आयोग यह नहीं कर रहा है। अगर एक पोस्ट है तो उसके मुकाबले में 8 आदमियों को बुला लेता है। एक पर आठ आदमी को बुलाता है और ये सारे लोग जो हाईस्कूल, इण्टर या स्नातक या स्नातकोत्तर में किन्हीं कारणों से नम्बर नहीं ला पाये, हम लोग जानते हैं कि आज की जो परीक्षा प्रणाली है उसमें बहुत अच्छा नम्बर पा जाना बहुत अच्छे होने की गारण्टी नहीं होती है। माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे, 55 प्रतिशत का आपने न्यूनतम मानक कर दिया, चलता है लेकिन जो 55 प्रतिशत से ऊपर हो गये उन सबको बुलाइये, ईमानदारी के साथ साक्षात्कार करके उनमें से जो सर्वोत्तम हो उसको चुनने का प्रयास करिये आदर्श व्यवस्था यही है। इसके लिए हमारा जो आयोग का प्राविधान है उसकी धारा-11 (ब) कहता है कि हम अच्छे टीचरों का चयन करते समय इक्जामिनेशन और इण्टरव्यू दोनों रख सकते हैं। जब हमारे आयोग में यह प्राविधान है, यह मैं 1980 की बात कर रहा हूं, जब 1980 के आयोग में यह प्राविधान है कि हम परीक्षा के माध्यम से भी और इण्टरव्यू दोनों के माध्यम से अच्छे टीचरों का चयन कर सके तो उस क्लाज का उपयोग होना चाहिए। जब चंद लोग बैठ करके जानबूझ करके एक साक्षात्कार समिति बना लेते हैं, पूरा साक्षात्कार 50 नम्बरों का हो जाता है, माननीय मंत्री जी पेंसिल से नम्बर दिये जाते हैं और पेंसिल से नम्बर दे करके बच्चों के जाने के बाद वह नम्बर बदले जाते हैं अन्यथा पेंसिल से नम्बर देने की कोई आवश्यकता नहीं है ? जो इण्टरव्यूवर्स हैं उनसे कहना चाहिए कि पेन से नम्बर दो और जो नम्बर है वह स्थायी होने चाहिए। जो चेयरमैन और अध्यक्ष है, जो चर्चायें आजकल उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में आ रही है अगर आपके पास 55 प्रतिशत है तो बाकी और चीजें मैनपुलेट हो जा रही है। मेरा निवेदन यह है कि अगर आप यह विधेयक ला रहे थे तो यह जो कमियां आयी हैं, आप तो स्वयं प्रयाग से संबंधित हैं, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा विज्ञान के एक-एक जड़ से परिचित हैं लड़ाइयां लड़ी

हैं आपने छात्र जगत की और शिक्षा समाज की, तो मुझे विश्वास है कि जो कुछ मैंने कहा है आप उस पर विचार करेंगे जो व्यवस्था पूर्व सरकार में संशोधित हुई थी उसे हटाते हुए और साथ में जो रूल्स बनाये गये हैं उनमें परिवर्तन करते हुए और वस्तुतः ईमानदारी के साथ सर्वोत्तम शिक्षकों का चयन हो सके यह व्यवस्था आप देंगे।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने बहुत सार्थक सुझाव दिये हैं और उसके पहले भी हमने आग्रह भी किया है कि इस आयोग को पुनर्गठन करने का कोई संशोधन नहीं है, सदस्य संख्या को पुनर्गठित करने का इसमें संशोधन लाया गया है। मुझे बहुत लम्बा नहीं कहना है आयोग में पिछले समय क्या हुआ उसकी चर्चा करना बहुत उपयुक्त नहीं है ? चयन प्रक्रिया बहुत लम्बी रही है जिसके कारण से जो विज्ञापन होते रहे हैं उनमें कई साल लगते रहे हैं। यह सही है कि इसमें जानबूझ कर ऐसे लोग रखे गए उसमें अन्यथा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेक्चरर रखा गया है प्रिसिंपल पी0जी0 स्नातकोत्तर का चयन करने जा रहे हैं। ऐसे भी सदस्य रखे गए जो खुद सदस्य रहे हैं और खुद ही प्रिसिंपल के लिए आवेदन किए हैं आश्चर्य है। जैसा कि अग्रवाल साहब ने कहा है श्री ओम प्रकाश सिंह जी भी उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं मेरिट की बात कही गई। हम सदा प्रयास है कि मेरिट्स से चयन होना चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं यह तय करने जा रहा हूं कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर नेट परीक्षा लेकर चयन किया जाता है मैं बिल्कुल उसी राय का हूं पिछली सरकार ने नकल में इतने लोगों को पास करा दिया 90 प्रतिशत अंक पा जाता था और जो योग्य है उसके अंक 54 प्रतिशत रह गए। इसलिए हमारा प्रयास है कि परीक्षा पास करने के बाद आयोग में इण्टरव्यू के लिए आएगा तभी योग्यता का निर्धारण हो पाएगा। इसको करने जा रहे हैं। यह नीति बदलेगी। इसमें थोड़ा परिवर्तन है इसको इसलिए करना पड़ा क्योंकि काफी बैकलाग पड़ा है उसको पूरा करना चाहते हैं। गवर्मेन्ट कालेज के लिए जो प्रधानाचार्य के लिए आवेदन करते हैं उसमें विलम्ब हो जाता है इतना विलम्ब हो जाता है कि आधे लोग सेवानिवृत्त हो जाया करते हैं बुलाये नहीं जाते हैं। इसलिए मेरा प्रयास है, सरकार का प्रयास है कि इस संशोधन के माध्यम से आयोग में गतिशीलता लाई जाय, पारदर्शिता लाई जाय इसकी चयन प्रक्रिया को और अच्छे ढंग से किया जाय इसलिए राधा मोहन दास जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि इस संशोधन को वह वापस ले लें और सर्वसम्मति से पास कराएं।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लूंगा अगर मंत्री जी कह देंगे कि जो 2004-05 में पहले गलतियां हुई हैं उनको वापस ले लेंगे।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

हम सहमत हैं। हम उस व्यवस्था को नहीं करना चाहते हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

आप यह कह दें कि 2004-05 में जो संशोधन हुए थे उनको वापस ले लेंगे।

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

ऐसे कैसे कह दूं ?

श्री अध्यक्ष-

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 15 जून, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 की उप धारा (1) में शब्द "अधिक से अधिक चार अन्य सदस्य" के स्थान पर शब्द "अधिक से अधिक छह सदस्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 5 में-

(क) उपधारा (1) में शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित रख दी जायेगी :-

"(6) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण करने वाले प्रत्येक सदस्य पर भी लागू होंगे।"

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2007

4-(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12-7-2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुईं, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री आर0 के0 चौधरी की, जो राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज, गोसाईगंज राजमार्ग पर खेल विभाग की लगभग 62 एकड़ भूमि पर 84 करोड़ रुपये लागत की लम्बित "अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल" की परियोजना पर शीघ्र निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा श्री भोला पासवान की, जो जनपद आजमगढ़ के मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन सी0एम0एस0डी0 स्टोर में चीफ फार्मेसिस्ट एवं अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता से लाखों रुपये की दवाओं में घोटाला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सबन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की, जो लखनऊ महानगर के मध्य विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्थित रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के उच्चीकरण के कार्य में धनाभाव के कारण हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री राजेश कुमार गौतम की, जो जनपद-लखीमपुर खीरी के पैला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शारदा नदी की कटान से बचाव के लिये बनाई गई ठोकरों हेतु अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा

पांचवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की, जो जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज अन्तर्गत लालगंज, संग्रामगढ़, रामपुर, सांगीपुर एवं उदयपुर विद्युत उपकेन्द्रों से समुचित विद्युत आपूर्ति न होने से सिंचाई एवं कृषि कार्य बाधित होने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

छठी सूचना श्री अब्दुल वारिस खाँ की, जो जनपद मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत थाना भवन के सराय मोहल्ले से गुजरने वाली एच0 टी0 विद्युत लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री कौकब हमीद की, जो महानगर लखनऊ की नवीन सहकारी गृह निर्माण समिति सुभाषनगर, लखनऊ के अवैध क्रिया-कलापों के चलते निलम्बन तथा नियम विरुद्ध पुनः बहाली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की, जो जनपद लखीमपुर की मोहम्मदी तहसील अन्तर्गत ग्राम बालदेवता के मजरामठ में अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की स्वामित्व की जमीन को धोखे से पट्टा किये जाने तथा प्रकरण की निष्पक्ष जांच तक यथास्थिति बनाये रखने के सम्बन्ध में,

नवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की, जो जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों का समुचित विद्युतीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में तथा

दसवीं सूचना श्री संजय कपूर की, जो जनपद रामपुर के विलासपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई की समुचित व्यवस्था हेतु किसानों को निजी ट्यूबवेल लगाने हेतु 5 हार्सपावर विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं।

ग्यारहवीं सूचना श्री जयवीर सिंह की, जो जनपद फिरोजाबाद अन्तर्गत सिरसागंज से पैगू व सिरसागंज-मैनपुरी मार्ग से नन्दे वाया करहरा कैरावली के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि से निर्माण कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

बारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की, जो जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अम्बेडकर ग्रामों की सड़कों को बेहतर एवं संचालन की दृष्टि से मानक के अनुरूप बनाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री धनंजय सिंह	2- डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल	3-श्री अनिल कुमार सिंह यादव
4-श्री जगन प्रसाद गर्ग	5-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी	6-डा0 अजय तोमर
7-श्री प्रदीप जैन आदित्य	8-श्री दीप नारायण सिंह	9-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा
10-श्री महेश चन्द्र गुप्ता	11-डा0 हरगोविन्द भार्गव	12-श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल
13-श्री संजीव दरियाबादी	14-श्री अशोक सिंह चौहान	15-श्री धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव तथा श्रीमती उमलेश यादव
16-श्री अनूप सण्डा	17-श्री शाहिद मंजूर	18-श्री उदयभान करवरिया
19-डा0 राजेन्द्र सिंह		

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना बाबरी अन्तर्गत ग्राम-खानपुर में एक युवती की हत्या तथा थानाध्यक्ष एवं अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पंकज मलिक, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

[प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर से प्राप्त आख्या के अनुसार श्रीमती कनीज पत्नी आबिद निवासी खानपुर थाना बाबरी जनपद मुजफ्फरनगर की दिनांक 27-6-2007 को मृत्यु हो गयी थी। श्रीमती कनीज की मृत्यु के उपरान्त उसके मायके में सूचना मिलने पर उसके 3 भाई, 2 भाभियां, ग्राम प्रधान लडवा थाना तितावी, दो मामा एवं ग्राम लडवा के कई अन्य व्यक्ति मृतका के ससुराल पहुंचे और मृत्यु को सामान्य मानते हुए आपसी सहमति के आधार पर श्रीमती कनीज के शव को दफना दिया गया।

थाना बाबरी को अन्य स्रोतों से सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस थाना बाबरी मौके पर पहुंची तो मृतका का शव दफना दिया गया था। मौके पर उपस्थित मृतका के पक्ष के व्यक्तियों तथा ग्राम खानपुर के अन्य व्यक्तियों द्वारा श्रीमती कनीज की मृत्यु हृदय गति रुकने से होना बताया गया। और दोनों पक्षों की सहमति से शव दफनाये जाने का राजीनामा तत्कालीन थानाध्यक्ष बाबरी को उपलब्ध कराया गया था, जिसके आधार पर कोई कार्यवाही अपेक्षित न होने के कारण स्थानीय पुलिस थाना बाबरी द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई।

घटना के 3 दिवस पश्चात् दिनांक 30-6-2007 को थाना बाबरी के नवागत थानाध्यक्ष को श्रीमती कनीज के परिवारीजनों द्वारा उसकी मृत्यु को अस्वाभाविक मृत्यु मानने की जानकारी दी गयी और उसकी सूचना क्षेत्राधिकारी शामली को भी दी गयी। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक, शामली जोन, क्षेत्राधिकारी शामली तथा थानाध्यक्ष बाबरी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, पुलिस

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधीक्षक, शामली जोन द्वारा थानाध्यक्ष बाबरी को आवश्यक विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

थानाध्यक्ष बाबरी द्वारा दिनांक 30-6-2007 को ही उप जिलाधिकारी, शामली को मृतका श्रीमती कनीज के शवोत्खनन के लिए आख्या तैयार कर क्षेत्राधिकारी शामली से उनकी टिप्पणी अंकित कराते हुए उप जिलाधिकारी शामली से अनुमति प्राप्त की। उप जिलाधिकारी द्वारा शवोत्खनन के लिए तहसीलदार शामली को नामित किया गया। दिनांक 1-7-2007 को तहसीलदार शामली की उपस्थिति में मृतका के शव को कब्र से निकलवाया गया और पंचनामें की आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त दिनांक 2-7-2007 को शव का शल्य परीक्षण कराया गया।

मृतका के शव का परीक्षण चिकित्सकों की संयुक्त टीम द्वारा किया गया जिसमें मृत्यु का कारण स्वांसावरोध बताया गया। जिसके फलस्वरुव थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 212/2007 धारा 498ए, 304बी, 201, 342, 315, 323 भा0दं0पि0 एवं 3/4 दहेज प्रति0अधि0 1-आबिद 2-शौकीन 3-शाजिद 4-मोहसिन पुत्रगण यासीन 5-श्रीमती हाजरा पत्नी यासीन निवासीगण ग्राम खानपुर बाबरी जनपद मुजफ्फरनगर के विरूद्ध अंकित किया गया।

अपराध की विवेचना क्षेत्राधिकारी शामली द्वारा की जा रही है। अभियुक्तों के विरूद्ध गुण दोष के आधार पर वैधानिक कार्यवाही हेतु विवेचक को निर्देशित कर दिया गया है। अभियोग की विवेचना प्रचलित है। स्थानीय पुलिस द्वारा प्रकरण में कार्यवाही किये जाने में कोई विलम्ब किया जाना प्रतीत नहीं होता है बल्कि सूचना के आधार पर तत्परता से वैधानिक कार्यवाही की गयी।]

प्रदेश के पेयजल श्रोतों में बढ़ते आर्सेनिक में शुद्ध पानी की दिनों-दिन गहराती समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीस कार्य मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

[ग्राम विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा पेयजल में आर्सेनिक की अनुमन्यतः 0.05 कि0ग्रा0 प्रति लीटर निर्धारित की गयी है। मानक से अधिक आर्सेनिकयुक्त पेयजल को लम्बे समय तक पीने की स्थिति में आर्सेनिर्कासिस बीमारी होने की संभावना रहती है।

प्रदेश में पेयजल स्रोतों में आर्सेनिक अशुद्धि के अध्ययन हेतु "यूनीसेफ" द्वारा वर्ष 2003 में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, लखनऊ एवं उन्नाव में श्रीराम इन्स्टीट्यूट आफ इण्डस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के माध्यम से अध्ययन कराया गया था। उक्त अध्ययन में 3390 नमूनों की जांच में 95.5 प्रतिशत नमूनों में आर्सेनिक 0.01 मि0ग्रा0 प्रति लीटर से कम तथा 99.9 प्रतिशत नमूनों में अर्सेनिक 0.05 मि0ग्रा0 प्रति लीटर से कम पाया गया। जनपद लखीमपुर खीरी में अधिकतम 16.3% नमूनों में आर्सेनिक 0.01 मि0ग्रा0 प्रति लीटर से अधिक पाया गया। यूनीसेफ की सहायता से जनपद बलिया एवं लखीमपुर खीरी में आर्सेनिक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का सघन परीक्षण कराया गया जिसकी रिपोर्ट अगस्त, 2006 में प्राप्त हो चुकी है। इन परीक्षणों के आधार पर जनपद बलिया में 310 तथा जनपद लखीमपुर में 140 आर्सेनिक से प्रभावित बस्तियां चिन्हित हुई। प्रदेश के अन्य 49 जनपदों में यूनीसेफ की सहायता से स्क्रीनिंग परीक्षण कराया गया। उक्त विकास खण्डों की समस्त ग्रामीण बस्तियों में जहां 10 से कम हैण्डपम्प अधिष्ठापित थे वहां एक नमूने की जहां 10 या 10 से अधिक हैण्डपम्प अधिष्ठापित थे, उन बस्तियों में 2 नमूनों की जांच की गयी :--

1-प्रारम्भिक जांच में 18 जनपदों के 45 विकास खण्ड क्षेत्रों के 979 पेयजल श्रोतों के नमूनों में आर्सेनिक की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 0.05 मि0ग्रा0 प्रति लीटर के मानक से अधिक पायी गयी। जनपद बहराइच, चन्दौली, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीरनगर, उन्नाव, बरेली एवं मुरादाबाद के कुछ पेयजल श्रोतों में आर्सेनिक मानक से अधिक पाया गया है। प्रारम्भिक जांच के आधार पर 5 जनपदों में सघन परीक्षण के अन्तर्गत पेयजल श्रोतों का परीक्षण किया जायेगा। उक्त परीक्षण कार्य में उपयोग हेतु फील्ड टेस्ट किट तथा अन्य सामग्री प्राप्त हो चुकी है। परीक्षण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करके माह अक्टूबर, 2007 तक पूर्ण किया जाना है। जनपद बलिया में कुल आर्सेनिक प्रभावित चिन्हित 310 बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का विवरण निम्न है :-

(1) 250 अतिरिक्त गहरे इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर 101 बस्तियों में आंशिक रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है।

(2) वर्ष 2007-2008 में 200 अतिरिक्त गहरे इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराया जाना प्रस्तावित हैं।

(3) 64 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 7 योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं जो निम्न है:--

क्रम सं0	पेयजल योजना का नाम	सम्मिलित बस्तियों की संख्या	अनुमानित लागत (लाख रु0 में)
1	दलन छपरा पेयजल योजना	05	85.13
2	केहरपुर पेयजल योजना	04	40.50
3	हल्दीरामपुर पेयजल योजना	15	99.86
4	भोजपुरवा पेयजल योजना	01	33.46
5	बजरहां पेयजल योजना	05	47.62
6	सुल्तानपुर पेयजल योजना	10	69.46
7	गंगापुर (रामगढ़) पेयजल योजना	18	85.86
	योग :--	58	461.89

58 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों के जुलाई, 2008 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। शेष बस्तियों हेतु पेयजल योजनाओं के विरचन का कार्य प्रगति पर है।

जनपद लखीमपुर खीरी में कुल आर्सेनिक प्रभावित चिन्हित 140 बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विवरण निम्न है:--

1-50 अतिरिक्त गहरे इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर 50 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों को आंशिक रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है।

2-36 बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 5 पाइप पेयजल योजना में स्वीकृत की जा चुकी हैं, विवरण निम्न है:--

क्रम सं0	पेयजल योजना का नाम	सम्मिलित बस्तियों की संख्या	अनुमानित लागत (लाख रु0 में)
1	त्रिलाकपुर पेयजल योजना	05	86.65
2	खैरहना पेयजल योजना	10	76.85
3	ईशानगर पेयजल योजना	11	93.13
4	वीर सिंह पेयजल योजना	06	68.13
5	तेजिलार पेयजल योजना	04	124.56
	योग :--	36	449.32

उक्त 5 योजनाओं में से 3 योजनाओं में सम्मिलित 26 बस्तियों में मार्च, 2008 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। शेष 2 योजनाओं हेतु भारत सरकार से शीघ्र ही धन प्राप्त होना अपेक्षित है जिनमें सम्मिलित बस्तियों को दिसम्बर, 2008 तक लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। शेष 104 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों हेतु पाइप पेयजल योजनाओं का विरचन इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है। मार्च, 2009 तक 104 बस्तियों में भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।]

हाथरस जनपद के श्रीमती हरिप्यारी देवी इण्टर कालेज, रोहई में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के बावजूद पुनः परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गेंदालाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीस कार्य मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

[श्रीमती हरिप्यारी देवी इण्टर कालेज रोहई, जनपद हाथरस को कथित वित्तीय अनियमितता/छात्रवृत्ति घोटाले के बावजूद परीक्षा केन्द्र बनाये जाने सम्बन्धी उपर्युक्त नियम-51 की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सूचना के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि पूर्व में उक्त विद्यालय की जनपदीय एवं मण्डलीय समितियों द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाया जाता रहा है। किन्तु उक्त विद्यालय के सम्बन्ध में योजित रिट याचिका संख्या-9889/2002 में पारित खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 15-5-2002 के अनुपालन में उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया और उसके पश्चात् उक्त विद्यालय को डिबार कर दिया गया तथा वर्ष 2005 तक उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया

तत्पश्चात् उक्त संस्था के प्रबन्धक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-48708/2003 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3-11-2004 को याची के प्रत्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गये। पारित निर्णय के अनुपालन में याची के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए दिनांक 18-11-2004 को निस्तारित किया गया।

इसके बाद पुनः प्रबन्धक द्वारा उक्त विद्यालय को केन्द्र बनाने हेतु रिट याचिका संख्या-50554/2004 योजित की गयी जिसमें सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के उक्त आदेश दिनांक 18-11-2004 को निरस्त करते हुए मा0 उच्च न्यायालय ने प्रकरण पर विचार करने के निर्देश दिनांक 12-1-2005 को दिये। जिसके अनुपालन में सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने अपने आदेश दिनांक 22-2-2005 के द्वारा उक्त संस्था को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु प्रतिबन्धित विद्यालयों की सूची से हटाये जाने का निर्णय लिया गया और उक्त निर्णय से सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उक्त विद्यालय को जनपदीय/मण्डलीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र वर्ष 2006 की परीक्षा हेतु बनाया गया किन्तु जिलाधिकारी, हाथरस की शिकायत के आलोक में परीक्षा समिति द्वारा उक्त विद्यालय को तीन वर्षों के लिए परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।

परीक्षा समिति द्वारा उक्त निर्णय से दिनांक 1-8-2006 के पत्र द्वारा अवगत कराया गया। परीक्षा समिति के उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रबन्धक का प्रार्थना-पत्र दिनांक 2-9-2006 पुनः विचार करने हेतु परिषद् कार्यालय में दिनांक 3-9-2006 को प्राप्त हुआ, जिसके परिप्रेक्ष्य में सुविचारित/स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा को पत्र दिनांक 29-9-06 को निर्गत किया गया। उक्त मामले में मण्डलीय संयुक्त निदेशक, आगरा की आख्या प्राप्त होने पर प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ रख गया। परिषद् की परीक्षा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 07 नवम्बर, 2006 में अन्य विद्यालयों के साथ उक्त सन्दर्भित विद्यालय को परिषदीय परीक्षाओं के अग्रसारण/परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु अर्ह माने जाने का निश्चय किया गया। परीक्षा समिति के उक्त निर्णय से विद्यालय सहित सर्वसम्बन्धित को अवगत कराया गया। जिसके पश्चात् उक्त विद्यालय को जनपदीय/मण्डलीय समिति द्वारा परीक्षा वर्ष 2007 हेतु केन्द्र बनाया गया।

अधीनस्थ अधिकारियों की प्रतिकूल रिपोर्ट के बावजूद सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्/परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 7-11-2006 की बैठक में प्रश्नगत विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु अर्ह माने जाने सम्बन्धी लिया गया निर्णय प्रथम दृष्टया संदिग्ध है। अतः इस बात की जांच निदेशक स्तर के अधिकारी से कराने के आदेश दे दिये गये हैं कि उक्त निर्णय तथ्यों पर आधारित था अथवा उसके

पीछे अन्य कोई कारण था। जांचोपरान्त जो परिणाम आयेंगे उसके अनुक्रम में तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।]

सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, इलाहाबाद द्वारा कथित रूप से व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार करने एवं धांधली करने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर उनका अन्यत्र स्थानान्तरण करने तथा उनकी बेनामी सम्पत्ति की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

[सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, इलाहाबाद के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों में की गयी शिकायतों की चल रही प्रारम्भिक जांच में कुछ शिकायतें सही व कुछ आंशिक रूप से सही पायी गयी है, जिनकी अन्तिम रूप से पुष्टि होनी शेष है।

सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, इलाहाबाद श्री राम स्वरूप सचान के विरुद्ध निरन्तर प्राप्त हो रही शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में उन्हें प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के निर्देश निदेशक, कोषागार, उ0 प्र0 लखनऊ को दे दिये गये हैं।]

जनपद इलाहाबाद के बारा तहसील अन्तर्गत बीकर (सारीपुर) निवासी श्रीमती कल्याणी देवी को मृतक आश्रित लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री.लाल जी वर्मा)-

[मा0 सदस्य द्वारा यह सूचना दी गयी है कि सरकार तथा शासन के नियमों के अन्तर्गत मृतक आश्रित व्यक्तियों को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ उनके परिवार के पालन पोषण हेतु व्यवस्था की जाती है। श्रीमती कल्याणी देवी पत्नी स्व0 दीनानाथ, निवासी-बीकर (सारीपुर), तहसील-बारा, जनपद-इलाहाबाद के आवेदन-पत्र मृतक आश्रित को लाभ देने के विषय में समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद के पत्रांक-640-41 दिनांक 20-6-07 के अनुसार यह कहा गया है कि आवेदन 06 माह से ज्यादा समय व्यतीत हो जाने के बाद प्राप्त हुआ। इस वजह से विचार करने योग्य नहीं है। परिवार गरीबी रेखा के नीचे है तथा रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। परिवार का कोई सदस्य इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वह पूरी तरह से नियमों का जानकार हो। ऐसी दशा में उपरोक्त परिवार को योजना का लाभ न दिया जाना उचित नहीं है। सिर्फ शासनादेश का हवाला देना तथा उसकी जानकारी न देना एक परिवार को भुखमरी की स्थिति में लाकर खड़ा कर रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-4285/26-2-2003-100(149)/02, दिनांक 26-12-2003 द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के क्रियान्वयन में निर्धारित प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु समय सारिणी निर्धारित की गयी थी, जिसके अनुसार परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु की तिथि से 03 माह के अन्दर लाभार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र सहायक विकास अधिकारी के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करने की व्यवस्था दी तत्पश्चात् शासनादेश संख्या-92एम/26-2-2007-100(149)/02, दिनांक 2-6-2004 द्वारा परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु की तिथि से 06 माह के अन्दर लाभार्थी द्वारा आवेदन-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। 06 माह के पश्चात् होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार न किये जाने का शासनादेश में उल्लेख है।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती कल्याणी देवी पत्नी स्व0 दीनानाथ, निवासी-बीकर (सारीपुर), तहसील-बारा, जनपद-इलाहाबाद का राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन-पत्र मुखिया की मृत्यु के 06 माह से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात् प्राप्त होने के कारण शासनादेश दिनांक 02-6-2004 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विचार नहीं किया गया है।]

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम-अलीगंज में चकबंदी अधिकारी द्वारा कथित रूप से की जा रही जमीन के अभिलेखों की हेराफेरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 आर0ए0 उस्मानी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

[डा0 आर0ए0 उस्मानी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 06-7-2007 में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील गोला के ग्राम अलीगंज में चकबंदी हो रही है जिसमें श्री आदित्य नारायण झा, सहायक चकबंदी अधिकारी, अलीगंज, लखीमपुर खीरी द्वारा अनेकों दबे कुचले लोगों की जमीनों को अपने परिवार के लोगों के नाम दर्ज कर ली है जिसमें प्रमुख रूप से श्री शराफत खां, सरफराज खां, कलीम खां पुत्रगण मोहर्रम खां, निवासी अलीगंज, थाना व तहसील गोला, जिला खीरी की भूमि खाता संख्या-454 को सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत अपने सगे भाई की पत्नी के नाम शून्य व फर्जी विलेख के आधार पर क्षेत्राधिकार के विपरीत दर्ज करने के विरूद्ध जांच कराने की आवश्यकता है। सहायक चकबंदी अधिकारी के विरूद्ध जनाक्रोश तथा आक्रोश व्याप्त है। मा0 सदस्य द्वारा श्री आदित्य नारायण झा, सहायक चकबंदी अधिकारी, अलीगंज, परगना-भूड़, तहसील व थाना गोला, जिला खीरी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में चकबंदी आयुक्त से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि ग्राम अलीगंज में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। ग्राम में धारा-9 का प्रकाशन हो चुका है। आकार पत्र-11 निर्मित किया जा रहा है। श्री आदित्य नारायण झा, सहायक चकबंदी अधिकारी क्षेत्र अलीगंज में सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। ग्राम अलीगंज, परगना भूड़ व तहसील गोला जिला खीरी के आधार वर्ष खतौनी के खाता संख्या-454 में श्रीमती हसमती बेवा सैफुल्ला निवासी ग्राम का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। इस खाते में गाटा संख्या-130 अ/4-019 गाटा संख्या-671/0.765 व गाटा संख्या-130ब/0.186 हे0 तथा गाटा संख्या-785/0.405 हे0 कुल रकबा 5-375 हे0 दर्ज है। श्रीमती हसमती बेवा सैफुल्ला द्वारा सरफराज आदि के हक में रजिस्टर्ड वसीयत की गयी है। श्री सरफराज का जांच के दौरान बयान लिया गया है उन्होंने अपने बयान में उल्लेख किया है कि श्रीमती हसमती द्वारा उनके तीन भाइयों (सरफराज, शराफत, कलीम) के नाम रजिस्टर्ड वसीयत हसमती बेवा सैफुल्ला द्वारा लिखी गयी है। जिसके आधार पर तहसीलदार गोला ने उन लोगों के पक्ष में दिनांक 3-6-96 को आदेश पारित किया था तथा उस आदेश में रियासत अली पुत्र लियाकत द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त किया गया था। तहसीलदार के इस आदेश को परगनाधिकारी, गोला द्वारा दिनांक 28-6-96 को स्थगित कर दिया गया था लेकिन जब परगनाधिकारी के न्यायालय में संस्थित अपील जेरे कार्यवाही थी इस बीच ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी लेकिन अभिलेखों में रियासत अली का नाम दर्ज नहीं हुआ। सरफराज का यह भी कथन है कि जब आराजी निजाई पर रियासत पर नाम कभी दर्ज नहीं हुआ तो कैसे रियासत अली ने आराजी निजाई में अपना 1/2 अंश मानते हुए दिनांक 23-11-2006 को परमेन्दर कौर व शशिलता आदि के नाम बैनामा कर दिया। बिना स्वत्व अर्जित किये, किया गया बैनामा शून्य व फर्जी के बराबर है। विवादित आराजी तीनों भाइयों के नाम तनहा दर्ज होनी चाहिए। प्रश्नगत बैनामे के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कराने के लिए सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में वाद संख्या-528 विचाराधीन है जिसकी सुनवाई चल रही है। सहायक चकबंदी अधिकारी के आदेश दिनांक 3-1-2007 के विरूद्ध बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी, खीरी के न्यायालय में अपील दायर की गयी है जो विचाराधीन है।

3-बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी ने अपनी आख्या में यह भी उल्लेख किया है कि निर्वाचन नामावली से यह प्रतीत होता है कि इन्द्र नारायण झा व आदित्य नारायण झा दोनों सगे भाई हैं और इन दोनों के पिता का नाम अवध नारायण झा हैं। श्रीमती शशिलता पत्नी इन्द्र नारायण झा का मूल गृह जनपद खीरी ही है और ग्राम हसनपुर कटौली के निवासी रहे हैं। इनकी पैतृक आराजी आज भी ग्राम हसनपुर कटौली जिला खीरी में विद्यमान है। श्री झा, सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा अपनी सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में फर्जी तरीके से गृह जनपद सुल्तानपुर लिखवाया गया है। सहायक चकबंदी अधिकारी के आदेश एवं कृत्य के विरूद्ध भारी असन्तोष है।

प्रश्नगत मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये श्री आदित्य नारायण झा, सहायक चकबंदी अधिकारी, खीरी को तत्काल प्रभाव से आदेश संख्या-1166/ई0-363/07, दिनांक 11 जुलाई, 2007 द्वारा निलम्बित कर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।]

जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत-कल्याणपुर स्थित पौराणिक झील की नवैय्यत बदलकर अपात्र लोगों की पट्टे की कब्जेदारी से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

[जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत-कल्याणपुर स्थित पौराणिक झील की नवैय्यत बदलकर अपात्र लोगों की पट्टे की कब्जेदारी से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 6-07-2007 को नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है।

प्रकरण में जिलाधिकारी, गाजियाबाद में आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार ग्राम कल्याणपुर में झील की भूमि के लगभग 42 पट्टों को, जो खसरा नम्बर 706 व 714 में किये गये थे, प्रकाश में आने पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि मानते हुये सभी 42 पट्टों की फर्जी प्रविष्टियां मानते हुये इन्हें न्यायालय के आदेश अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम 33/39 में दिनांक 07-4-2006 के द्वारा निरस्त कर भूमि अभिलेखों में झील के रूप में दर्ज करा दी थी, जिस पर पट्टेदारों द्वारा अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के न्यायालय में निगरानी धारा 219 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी संख्या- 84, 85, 86, 88 राजेन्द्र बनाम सरकार, मीना गुप्ता बनाम सरकार, आरो बनाम सरकार और ओमवीर बनाम सरकार योजित की गई। अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ने उप जिलाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर के आदेश दिनांक 07-4-2006 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि भू-राजस्व अधिनियम की धारा 33/39 में पट्टों का निरस्तीकरण नहीं किया जा सकता है। पट्टों के आवंटन के निरस्तीकरण हेतु जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 198(4) में प्राविधान है। इन पट्टों के निरस्तीकरण हेतु इसी धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए थी। यह प्रविष्टियों अभिलेखों में 1401 फसली (वर्ष 1994) में चली जा रही है, दीर्घ काल से चली आ रही प्रविष्टियों को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 33/39 के अन्तर्गत निरस्त नहीं किया जा सकता है। धारा 33/39 एल0आर0एक्ट में केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही शुद्ध किया जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से विवादित प्रविष्टियों लिपिकीय त्रुटि नहीं है। इस प्रकार अवर न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक होने के कारण निरस्त होने योग्य है यदि उप जिलाधिकारी यह पाते हैं कि पट्टे गलत है तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि का पट्टा किया गया है तो जमींदारी विनाश अधिनियम की सुसंगत धारा के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में उन पट्टों के विरूद्ध कार्यवाही की जायें।

अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के आदेश दिनांक 15-11-2006 के अनुपालन में दिनांक 15-01-2007 को उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198(4) में पट्टा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निरस्तीकरण का वाद अपर कलक्टर भूमि अध्याप्ति सिंचाई, गाजियाबाद के न्यायालय में योजित किया गया है जो अभी विचाराधीन है।]

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी विकास खण्ड पट्टी के अन्तर्गत दाऊदपुर झील/तालाब तथा कुण्डा धाम परिसर की भूमि पर अवैध कब्जेदारी कर तालाब का स्वरूप को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

[जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी, विकास खण्ड पट्टी के अन्तर्गत दाऊदपुर झील/तालाब तथा कुण्डा धाम परिसर की भूमि पर अवैध कब्जेदारी कर तालाब का स्वरूप को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 6-07-2007 को नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है।

प्रकरण में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से आख्या प्राप्त की गयी। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि गाटा सं0-376 मि0 रकबा-319 बीघा, 15 बिस्वा, 17 धूर (319-15-17) स्थित ग्राम दाउदपुर में 376ल/28 रकबा 138 बीघा, 3 बिस्वा, 19 धूर (138-03-19) राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में बन्दोबस्त चकबंदी से ही चला आ रहा है। उक्त गाटा का शेष रकबा विभिन्न खातेदार के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में बन्दोबस्त चकबन्दी में दर्ज है। तालाब गाटा सं0 376ल के किसी भी रक्बे पर किसी भी खातेदार का नाम दर्ज नहीं है न ही इस तालाब के गाटे पर किसी प्रकार का कोई निर्माण किया गया है और न ही इस तालाब के गाटे पर किसी व्यक्ति द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। कुण्डा धाम परिसर नाम से कोई भूमि अभिलेखों में दर्ज नहीं है बल्कि जो भूमि कुण्डा धाम परिसर के नाम से जानी जाती है वह बन्दोबस्त अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधरों के खाते की भूमि है।]

जनपद मुजफ्फरनगर की गुड़ मण्डी के व्यापारियों से दुकान किराया वसूली में विलम्ब शुल्क लगाने तथा इस हेतु पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार कंसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

[मा0 सदस्य विधान सभा श्री अशोक कुमार कंसल द्वारा दिनांक 06-07-2007 को नियम-51 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दी गयी है :-

"मैं आपके माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर की गुड़ मण्डी के व्यापारियों की एक ज्वलन्त समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद मुजफ्फरनगर की गुड़ मण्डी जो विश्व की सबसे बड़ी गुड़ मण्डी मानी जाती है लेकिन फिर भी वहां के व्यापारियों के साथ गुड़ मण्डी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के अधिकारियों द्वारा दिन प्रतिदिन उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है अगर कोई व्यापारी अपनी दुकान का किराया जमा करने में एक दिन का भी विलम्ब हो जाता है तो उस व्यापारी से विलम्ब शुल्क के रूप में 50 रुपये प्रतिदिन वसूला जाता है जबकि पूरे प्रदेश के अन्दर किसी भी जनपद में यह कानून किसी भी गुड़ मण्डी में शासन द्वारा लागू नहीं है। फिर भी मुजफ्फरनगर की गुड़ मण्डी में अधिकारियों की हट-धर्मिता के कारण स्वेच्छा के अनुसार चलाया जा रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन से वक्तव्य दिलाने की मांग करता हूं।"

नवीन मण्डी स्थल मुजफ्फरनगर में खाद्यान्न की अ श्रेणी की 80, ब श्रेणी की 240, स श्रेणी की 32 तथा द श्रेणी की 64 दुकानें तथा फल सब्जी की ब श्रेणी 12 और स श्रेणी की 85 दुकानें निर्मित हैं। नवीन मण्डी स्थल में व्यापार स्थानान्तरण हेतु शासकीय अधिसूचना संख्या-ए-919-12-5-600(398)/81, दिनांक 20-11-81 द्वारा मण्डी अधिनियम की धारा-7 (2) ख की अधिसूचना निर्गत की गयी।

उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों में दुकानों का आवंटन विगत तीन वर्ष के मण्डी शुल्क के आधार पर व्यापारियों के मध्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित आवंटन समिति द्वारा नीलामी के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था है, तद्नुसार निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का थोक कारोबार करने वाले व्यापारियों को मण्डी स्थल में निर्मित दुकानें किराये पर आवंटित की गयी। मण्डी परिषद् के पत्र संख्या-वि0प0/व्या0स्था0/792/86-1930, दिनांक 2-3-94 द्वारा दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अनुबन्ध-पत्र लागू किया गया है, जिसकी शर्त संख्या-5 के अनुसार द्वितीय पक्ष आवंटी द्वारा माह की पहली तारीख से तीन तारीख के बीच अथवा अवकाश होने की स्थिति में अगली तिथि को किराया जमा न करने पर रु0 50.00 (रुपये पचास मात्र) प्रतिदिन डैमजेज के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश की समस्त मण्डी स्थलों में वर्ष 1994 से प्रभावी है। यह व्यवस्था किराये का भुगतान समय से कराने के उद्देश्य से लागू की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि मण्डी समिति मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त प्रदेश की किसी भी मण्डी समिति में डैमजेज चार्जेज के सम्बन्ध में कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मण्डी समिति मुजफ्फरनगर में दुकानों का किराया समय से जमा न किये जाने के कारण देय डैमजेज चार्जेज की छूट दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।]

प्रदेश में गेहूं की कम खरीद तथा कम्पनियों द्वारा गेहूं भण्डारित कर मण्डी शुल्क और व्यापार कर की चोरी कर शासन को क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

[श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06-7-2007 को नियम-51 के अन्तर्गत प्रदेश में गेहूं कम खरीद तथा कम्पनियों द्वारा गेहूं भण्डारित कर मण्डी शुल्क और व्यापार

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर की चोरी कर शासन को क्षति पहुंचाये जाने के प्रकरण को गम्भीर बताते हुए वक्तव्य दिये जाने की मांग की गयी थी।

2-इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि प्रदेश में लगभग 275 लाख टन गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य था किन्तु गेहूं का उत्पादन अनुमान से कम हुआ। रबी विपणन वर्ष 2007-08 में प्रदेश के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता को देखते हुए स्टेटपूल में 15 लाख मी0टन गेहूं खरीद का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम द्वारा सेन्ट्रल पूल के लिए 1.50 लाख मी0टन लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस प्रकार कुल लक्ष्य 16.50 लाख मी0टन के सापेक्ष 01 अप्रैल से 30 जून तक की अवधि में 5,35,926 मी0टन गेहूं की खरीद की गयी जिसमें से 2,59,080 मी0टन स्टेटपूल के लिए तथा 2,76,846 मी0टन सेन्ट्रल पूल के लिए गेहूं क्रय किया गया। प्रदेश की मण्डियों में गेहूं का बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होने, भविष्य में गेहूं के मूल्य की बढ़ने की सम्भावना को देखते हुए गेहूं की आवक धीमी होने के कारण गेहूं क्रय का लक्ष्य पूर्ण हो पाना कठिन हो गया।

3-मा0 सदस्य द्वारा यह सम्भावना व्यक्त की गयी है कि गेहूं बड़े पैमाने पर कम्पनियों में भण्डारित किया है जिसमें मण्डी शुल्क तथा व्यापारकर की चोरी हुई है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2007 की अधिसूचना जिसमें कम्पनी, फर्म/व्यक्ति को 50 हजार मी0टन से अधिक गेहूं क्रय करने पर निर्धारित प्रारूप पर रिटर्न भरने की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये हैं। मण्डी शुल्क एवं व्यापारकर की चोरी की शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसे रोकने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किये गये हैं। खाद्यान्न व्यापारियों पर सम्प्रति नियंत्रण आदेश प्रभावी नहीं है। जिसके कारण उनके द्वारा भण्डारण किये जाने पर कार्यवाही की जा सके।

4-सरकार द्वारा गेहूं खरीद में प्रगति लाने तथा लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सतत् पर्यवेक्षण एवं समीक्षा कर निम्न कार्यवाहियां की गयीं :-

1-गेहूं के मूल्य का रु0 20/- हजार तक का भुगतान बियरर चेक से किये जाने की व्यवस्था।

2-सचल क्रय केन्द्र के माध्यम से गेहूं क्रय करना तथा किसानों के गांव/घर से भण्डार गृह तक पहुंचाने की व्यवस्था।

3-समितियों/सब एजेन्ट को 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त भुगतान कमीशन के रूप में दिये जाने की व्यवस्था।

4-बोनस की धनराशि को मण्डी शुल्क एवं अन्य करों से मुक्त किये जाने की व्यवस्था।

5-आढ़तियों के माध्यम से गेहूं क्रय की व्यवस्था।

6-करापवंचन की व्यवस्था।

7-गेहूं क्रय की अवधि 15 जून से बढ़ाकर 30 जून तक की गयी।]

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-31 पर नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा के लिए जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं वे उपस्थित नहीं हैं। इसलिए यह प्रस्तुत नहीं हो सकती है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

खड़े-खड़े ही एक लाइन पढ़वा दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए दूसरा कोई इसको प्रस्तुत नहीं कर सकता है इसलिए इसको नहीं लिया है। अब हम उठते है। कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि 07 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 12 जुलाई, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 378 विधान सभा (735)-21-1-08-813 प्रतियां।